अंक 63

वार्ड० एस० एन० 0970—9398

राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार

बैठक की अध्यक्षता करते हुए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरसिम्हा राव, साथ में (बाएं से) गृह मंत्री श्री शंकर राव चव्हाण, तत्कालीन सचिव (राजभाषा) डॉ॰ सीताकान्त महापात्र तथा उपगृह मंत्री श्री रामलाल राही।

सभा कक्ष में माननीय प्रधान मंत्री जी का स्वागत करते हुए सदस्यगण—श्रीमती शान्ता बाई, श्री द्वारकादास वेद, श्री रामलाल पारिख तथा अन्य।

राजभाषा भारती

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे

—निराला

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष 16 | आश्विन-पौष-1915 शक

अंकः 63 | अक्तूबर-दिसम्बर 1993

□ संपादक

राज कुमार सैनी
निदेशक (अनुसंधान)
फोनः 4617807

□ उपसंपादक

डा॰ गुरुदयाल बजाज
फोनः 4698054

सुरेन्द्र लाल मल्होत्रा
फोनः 4699441

संपादन सहायक
शांति कुमार स्याल

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

□
निःशुल्क वितरण के लिए

□पत्र-व्यवहार का पताः
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (11वां तल)
खान मार्किट,
नई दिल्ली-110003

□ संपादकीय — पृष्ठ

□ चिंतन

1. गांधी जी का भारतीय साहित्य पर प्रभाव — जगदीश चतुर्वेदी — 1
2. स्वभाषा चेतना और ग्रामीणांचल — डॉ॰ शीलम वेंकेश्वर राव — 5
3. हिन्दी है भारत की बोली — डॉ॰ शंकरदयाल सिंह — 7
4. प्रयोजनमूलक हिन्दी बनाम हिन्दी का प्रकार्यात्मक संबंध — डॉ॰ श्यामस्नेही लाल शर्मा — 9
5. भारतीय भाषाओं के प्रति भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का दृष्टिकोण — डॉ॰ रमेश गुप्त — 12
6. शाब्दिक समस्रोतीयता की अन्वेषण पद्धति — डॉ॰ सुरेन्द्र कुमार शर्मा — 15
7. तकनीकी शब्दावली को नई दिशा — प्रो॰ सूरजभान सिंह — 18
8. राजभाषा कार्यान्वयनः प्रबंधन का एक नया डिसिप्लन — मनमोहन चंद्र मिश्र — 22
9. हिन्दी में तमिल परिचय — डॉ॰ रामजीवन मलया — 25
10. मूक बधिरों के लिए संकेत-भारती — कृपा नारायण — 29
11. ध्वनि, लिपि और आशुलिपि — डॉ॰ (श्रीमती) पी॰पी॰ आंडाल — 31
12. मानचित्र पढ़ना — हुकूमत राय लूथरा — 33

□ साहित्यिकी

13. उर्दू गज़ल और हिन्दी — डॉ॰ रामदास नादार — 38
14. जोंक — सतीश कुमार गुप्त — 42

□ भारतीय भाषा संगम

उड़िया कविताएं और उनका हिन्दी रूपान्तर — पल्ली कवि श्रवण कुमार — 43

□ विश्व हिंदी-दर्शन

दक्षिण अफ्रीका में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की स्थिति — ब्रह्मदत्त स्नातक — 45

□ पुस्तक-समीक्षा — 46

बौद्धधर्म दर्शन; (आचार्य नरेन्द्र देव); उपनिषद रहस्य (पं॰ चन्द्र बली पांडेय); भीष्म साहनी की चर्चित कहानियां; यह भी झूठ है (दिनेश नंदिनी डालमिया); सदी को बेचैन करने वाली; एक सदी बांझ (मस्तराम कपूर); बोले सो निहाल (हंसराज रहबर); हल्दी, चावल और अन्य कविताएं (दिविक रमेश); चौराहे (प्रेमपाल शर्मा); पिंजरा (प्रफुल्ल राय); वह दिन कब आएगा (सविता चड्ढा); डूबते उतराते (सुधा); साक्षी (संतोष खन्ना); वितृष्णा (श्रीमती बाला शर्मा); पथ-कुपथ (हंसराज रहबर);

□ समिति—समाचार 57
केन्द्रीय हिंदी समिति की 23वीं बैठक
बैंकिंग प्रभाग की बैठक

□ राजभाषा सम्मेलन / संगोष्ठियां 65
1. गुवाहाटी में क्षेत्रीय राजभाषा पुरूस्कार वितरण
2. राजमहेन्द्री (आंध्र प्रदेश) में हिंदीतर भाषी नव लेखक शिविर
3. मेरठ : हिंदी प्रतिनिधियों की बैठक
4. नई दिल्ली में हिंदी संपर्क अधिकारियों का सम्मेलन
5. गोवा में छठा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन
6. यूसील में तकनीकी हिंदी कार्यशाला
7. पशुपोषण पर विचार-गोष्ठी
8. गुवाहाटी में कंप्यूटर प्रदर्शनी
9. पूर्वेत्तर क्षेत्र में हिंदी अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम
10. कुरूक्षेत्र में गणित शोधगोष्ठी-1993
11. हिंदी साहित्य परिषद् बोकारो का 23वां स्थापना-दिवस समारोह
12. भारतीय साहित्य परिषद् का राजभाषा सम्मेलन

□ राजभाषा के बढ़ते चरण 77
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली में राजभाषा का कार्यान्वयन

□ हिंदी दिवस समारोह 78

□ विविधा 86
• समाचार दर्शन
• भर्ती परीक्षाए और हिंदी

□ आदेश-अनुदेश 89

□ पाठकों के पत्र 92

संपादकीय

हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक फैले इस विशाल देश के कोने-कोने से हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पक्ष, हिंदी मास मनाने के अनेकानेक समाचार और रिपोर्टें मिली हैं। चाहते हुए भी सभी समाचारों और रिपोर्टों को प्रस्तुत अंक में शामिल करना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है; तथापि बहुत सी रिपोर्टों और समाचारों को इस अंक में शामिल किया गया है; तद्विषयक जो सामग्री इस अंक में नहीं छप पाएगी उसे हम आगामी अंक में शामिल करने की कोशिश करेंगे।

हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी के प्रसार में उन अहिंदीभाषियों का स्मरण कर लेना जरूरी है जिन्होंने मन, वचन एवं कर्म से हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा की है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत एकनाथ और नामदेव ने प्राचीन काल में अपनी रचनाओं द्वारा हिंदी साहित्य को प्रभावित किया है। हिंदी के महाकवि कबीर ने—"प्रणवै नामा तत्व रस अमृत पीजै" कहकर संत नामदेव की अभ्यर्थना की थी।

आधुनिक युग में सर्वश्री बाबूराव विष्णुराव पराडकर, माधव सप्रे, लक्ष्मण नारायण गर्दे रघुनाथ खाडिलकर और विशाल भारत के संपादक श्री रामानन्द चटर्जी ने हिंदी पत्रकारिता को पल्लवित और पुष्पित किया। सर्वश्री गजानन माधव मुक्तिबोध, अनन्त गोपाल शेवड़े, महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, डा॰ रामशंकर भट्टाचार्य, प्रभाकर माचवे और प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक मन्मथनाथ गुप्त ने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि की। तमिलभाषी डा॰ रांगेय राघव ने अल्पायु होकर भी हिंदी साहित्य में शीर्षस्थ स्थान पाया। तेलुगुभाषी हिंदी लेखकों में श्री बालकृष्ण राव के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त सर्वश्री रमेश आरिगपुडि, बालशोरि रेड्डी, शोरे राजन, पाण्डुरंग राव, एम॰के॰ वेलायुद्धन नायर, जी॰ सुन्दर रेड्डी आदि अहिंदीभाषी विद्वान अपने-अपने ढंग से हिंदी की सेवा कर रहे हैं।

केरलभाषी हिंदी के प्रो॰ ए॰ चन्द्रहासन ने केरल विश्वविद्यालय से सर्वप्रथम हिंदी में एम॰ए॰ किया था और केरल विश्वविद्यालय में ही वे हिंदी के प्रोफेसर के रूप में कार्य करते रहे। उन्होंने केन्द्रीय हिंदी निदेशालय के प्रथम निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया और हिंदी के प्रचार-प्रसार संबंधी विविध योजनाओं को प्रारम्भ किया तथा उन्हें कार्यान्वित भी कराया।

प्रसिद्ध भाषा शास्त्री नलिनी मोहन सान्याल ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से सर्वप्रथम हिंदी में एम॰ए॰ किया था। श्री भूदेव मुखर्जी और श्री नवीन चन्द्र राय ने हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि के लिए जो कार्य किया था उसका महत्व आज भी बना हुआ है।

हिंदी दिवस के अवसर पर यह रेखांकित करना भी अप्रासंगिक न होगा कि अब हिंदी मात्र कुछ प्रान्तों की भाषा नहीं हैं। सम्पूर्ण देश की राष्ट्रभाषा, राजभाषा और सम्पर्क भाषा तो वह है ही; राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर अब वह देश की सीमाओं से परे मॉरीशस, फिजी, वियतनाम, त्रिनिदाद, भूटान और गुयाना जैसे देशों में भी प्रतिष्ठा पा रही है। दक्षिण-पूर्वी एशिया के कई ऐसे देश हैं जो हिंदी के माध्यम से सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रेरणा प्राप्त करते रहे हैं। बंगलादेश, श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, कम्बोदिया आदि देशों में हिंदी के अध्ययन में पर्याप्त रुचि ली जा रही है। इसके अतिरिक्त रूस, अमेरिका, इंग्लैण्ड, जापान, पोलैण्ड, रोमानिया, फ्रांस और चैकोस्लोवाकिया अनेक देशों में लगभग 100 से अधिक विश्वविद्यालय एवं भाषा संस्थाओं में हिंदी का अध्ययन चल रहा है।

आज हिंदी सभी प्रकार के विचारों की समर्थ वाहिनी बन चुकी है और बोलने वालों की संख्या को देखते हुए यह विश्व की चार प्रमुख भाषाओं में से एक है।

हिंदी के साहित्यकार एवं महापंडित राहुल सांकृत्यायन, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार श्री शिवपूजन सहाय, यशस्वी पत्रकार एवं लेखक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का देश भर में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। "राजभाषा भारती" परिवार हिंदी साहित्य के इन महापुरुषों की स्मृतियों को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता है।

प्रसिद्ध एवं वयोवृद्ध साहित्यकार और हिन्दी प्रेमी आचार्य क्षेमचंद्र सुमन, हिन्दी कहानी लेखिका सुश्री सुमति अय्यर तथा कवि, लेखक एवं पत्रकार श्री कुमार संभव का पिछले दिनों निधन हो गया। उनके शोक-संतप्त परिवारों को हम अपनी हार्दिक सम्वेदना समर्पित करते हैं। आचार्य क्षेमचंद्र सुमन, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की हिन्दी पुस्तक चयन समिति के एक माननीय सदस्य भी थे। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों के सदस्य के रूप में उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया।

जैसाकि पत्रिका की साज-सज्जा और मुद्रण से ही आभास हो जाएगा, "राजभाषा भारती" अपने इस अभिनव वेश-विन्यास के साथ जो आप तक पहुंची है उसका श्रेय राजभाषा विभाग के नये सचिव माननीय श्री चन्द्रधर त्रिपाठी को है। श्री त्रिपाठी ने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर इस पत्रिका की नई साज-सज्जा और प्रस्तुति में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस कार्य में भारत-सरकार की मुद्रण निदेशालय के निदेशक श्री ह०अ० यादव और मिन्टो रोड प्रैस के आर्टिस्ट श्री एम०के० नाइक के हम विशेष रूप से आभारी हैं जिन्होंने श्री त्रिपाठी जी के निदेशानुसार पत्रिका के नये आवरण और स्तम्भों के डिजाइन तैयार कराने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया।

राजकुमार सैनी

गांधी जयन्ती पर विशेष लेख

चिंतन

गांधीजी का भारतीय साहित्य पर प्रभाव

— जगदीश चतुर्वेदी*

गांधी जी के विचारों और सत्याग्रह आंदोलन का प्रभाव सारे देश पर पड़ा। किसी भी भारतीय भाषा का साहित्यकार गांधी जी के प्रभाव को अस्वीकार नहीं कर सकता। यों भारत के किसी साहित्य पर प्रभाव इतना ही पड़ा कि जनता की भावनाओं को स्वतंत्रता की ओर मोड़ने में गांधी जी की विचारधारा ने प्रश्रय दिया, वहां गुजराती साहित्य में तो "गांधीवादी युग" को एक विशिष्ट गरिमा प्रदान की गई। गुजराती कवियों ने तो गांधी जी के सिद्धांतों को काव्य का विषय बनाकर उन्हें जीवन में भी व्यावहारिक रूप दिया। हिन्दी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता में गांधी जी के विभिन्न आंदोलनों और सत्याग्रह अभियानों को विषय बनाकर तत्कालीन कवि नव-जागरण के प्रति अपनी जागरूकता प्रदर्शित कर रहे थे।

गांधी जी की विचारधारा ने जर्जर रूढ़िवाद का खंडन करके समता और बंधुता के आदर्श का प्रचार जन-जीवन में किया। गुलामी की जंजीरों से मुक्ति का आह्वान गांधी जी की वह प्रेरणा थी जिसने अनेक कवियों को अपनी ओजस्वी वाणी में जनता को क्रांति की ओर उन्मुख करने के लिए कटिबद्ध किया। स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग करने की भावना जन-जन में बलवती हो उठी। स्वदेश और स्वदेशी के प्रति प्रेम और धार्मिक कट्टरता का विरोध गांधी जी का वह मूलमंत्र था जिसे बुद्धिजीवियों ने अपनाया और प्रचारित किया। स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ने की भावना के साथ हिंसा का विरोध एक ऐसा सत्याग्रह था जिसकी और देश के बुद्धजीवी ही नहीं तमाम विश्व के बुद्धिजीवियों का ध्यान आकृष्ट हुआ।

अंग्रेजों के शासन में भारतीय जनता पर जो अत्याचार किए जा रहे थे, उसके विरोध में कवियों ने अपनी ओजपूर्ण कविताएं लिखीं। इन कवियों ने दासता की मनोवृत्ति की भर्त्सना की और पाश्चात्य संस्कृति तथा शिक्षा की निंदा की जो हमारे पुरुषार्थ और आत्म-सम्मान की भावना को तिरोहित कर रही थी। हिंदी कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का आह्वान किया तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने तुंग शिखर पर स्थित मातृ मंदिर की ओर निर्भय होकर बढ़ने तथा अपने कंठों की माला अर्पित करने आमंत्रण दिया। दिनकर अपनी ओजपूर्ण वाणी में बलिदान का संदेश देते रहे और सोहनलाल द्विवेदी ने अपने पूजा-गीत में लिखाः

आंसू बिखराते बीतेंगी जलती जीवन घड़ियां,
बिना चढ़ाए शीश, नहीं टूटेंगी मां की कड़ियां।

इस काल के कवियों के राजनीतिक चेतना पर्याप्त मुखर थी। वे उस समय की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के प्रति उदासीन नहीं थे। देश में फैली गरीबी, बंगाल के अकाल में असंख्य लोगों की अकाल मृत्यु के विशद और मर्मभेदी चित्र प्रस्तुत कर इन कवियों ने विद्रोह की ज्वाला को भड़काने तथा जनमानस में तीव्र असंतोष जगाने में सफलता प्राप्त की। कई कवियों ने प्रयाण गीत लिखे। प्रभात फेरियों में गाये जाने वाले मैथिलीशरण गुप्त की "भारत भारती" के गीत लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने की प्रेरणा देते थे। गांधी जी के बताए मार्ग का समर्थन करते हुए इन कवियों ने अहिंसा और समझौते का मार्ग अपनाने, खादी पहनने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की चेतना को मुखरित किया। चरखा और गांधी टोपी राष्ट्रीय चिह्न बन गए। अतः इन दोनों विषयों पर भी अनेक कविताएं लिखी गईं। यह गांधी जी का ही प्रभाव रहा है कि "कामायनी" और "साकेत" जैसे महाकाव्यों के प्रागैतिहासिक और पौराणिक पात्र "श्रद्धा" और "मांडवी" को भी चरखा कातते और खादी का उपयोग करते चित्रित किया गया।

गांधी जी से प्रभावित इन कवियों ने विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों और वर्गों को एक होने, अस्पृश्यता निवारण और पददलितों तथा गरीबों के जीवन-स्तर को सुधारने पर बल दिया। माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर का विश्वास था कि जब तक हिन्दू-मुसलमान एक नहीं हो जाते, स्वतंत्रता मिलना असंभव है। सच तो यह है कि महात्मा गांधी के प्रभाव की अत्यंत रोचक एकरूपता सभी भारतीय भाषाओं में मिलती है। यह अतिशयोक्ति नहीं है कि "भारतीय वाङ्मय अनेक भाषाओं में अभिव्यक्त एक ही विचार है।"

गांधी जी के सत्प्रयासों का ही यह परिणाम था कि शताब्दियों से सोया हुआ भारत अपनी तन्द्रा त्यागकर नवजागरण के युग में प्रवेश कर रहा था। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में चलाया गया चंपारण और बारडोली का सत्याग्रह, साइमन कमीशन का विरोध और नमक सत्याग्रह तथा सन् ब्यालीस का आंदोलन ऐसे सक्रिय कार्यक्रम थे कि उन्होंने देश में एक नई राजनीतिक चेतना पैदा कर दी थी। गांधीजी के जीवन में विचार और कर्म की कुछ ऐसी ताज़गी थी कि उसने देश के प्रायः प्रत्येक भाषा के कृतिकार को प्रभावित किया। संयोग से गुजरात को तो बापू की जन्मभूमि होने के साथ ही उनकी कर्मभूमि होने का भी गौरव प्राप्त है। इसलिए गुजरात के कवियों के लिए गांधीजी एक लम्बे अरसे तक रचनात्मक प्रेरणा के अक्षय स्रोत बने रहे। गांधीजी ने अपनी रचनाओं के द्वारा और खास तौर पर

*सी-2/32-ए, लारेन्स रोड, दिल्ली-110035

अपनी आत्मकथा के द्वारा गुजराती भाषा को अनुभव और अभिव्यक्ति की एक नई लाक्षणिकता प्रदान की। गांधीजी के व्यक्तित्व की तेजस्विता, विचार और कार्य के एकात्म ने उनके गद्य को रचनात्मकता की असाधारण ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। इसीलिए अन्य भारतीय भाषाओं के रचनाकारों की तुलना में गांधी जी के विचारों का गुजराती के लेखकों पर और भी गहरा प्रभाव पड़ा। सुंदरम् के अनुसार — "बारडोली सत्याग्रह के पश्चात् तथा 1930-31 के देशव्यापी आंदोलन के बाद, जनता को अपराजेय दिखनेवाली विदेशी सत्ता को चुनौती देने की प्रेरणा मिली थी। हमारी अस्मिता और भी जागरूक हो गई थी।" सारा गुजरात उस गांधी लहर में डूब गया। जनता को लगा कि इस प्रबल प्रवाह के समक्ष जो कुछ भी आयेगा, ध्वस्त हो जायेगा। यह ध्वंस मात्र ब्रिटिश सत्ता का नहीं, उस जीण-शीर्ण समाज व्यस्था का भी था, जिसके कारण एक वर्ग अपार संपत्ति का स्वामी था और दूसरा जीवन की सामान्य सुविधाओं से भी वंचित था। कवि झवेरचंद मेघाणी के लिए देश की स्वतंत्रता का अर्थ विदेशी शासन से मुक्ति के साथ समाज के शोषित और वंचित जन-समूह को मानवीय अधिकार दिलाना भी था। सामान्य जनमानस की हिस्सेदारी पर कवि उल्लसित होकर कहता है:

अमे खेतर ने वाडीएथी, जंगल ने झाडीए थी,
सागर थी, गिरवर थी, सुणी साद आया।

(हम खेतों, खलिहानों, जंगलों, झाड़ियों, समुद्रों और पर्वतांचलों का आह्वान आने पर चले आये हैं।)

मेघाणी को गुजराती में राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्राप्त है। उनकी कविता में राष्ट्र कवि के अनुरूप भाव गांभीर्य, उदारता और मानवीय पक्षधत मौजूद है और गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के साक्षी थे सुंदरम्। सुंदरम् का राष्ट्र प्रेम अंततः मानव प्रेम का पर्याय हो जाता है। उनक मानव किसी आदर्श कल्पना से उद्भूत न होकर एक विशिष्ट देश और काल की मर्यादाओं से घिरा हुआ और उनका अतिक्रमण करने के लिए संघर्षरत हाड़-मांस का मनुष्य है। सुंदरम् कोरी स्वप्नशीलता का और रूढ़ अर्थों में आध्यात्मिक किस्म की शून्यता का विरोध करते हैं। ये दोनों स्थितियों कवि को मानव यथार्थ से विमुख करती दिखाई देती हैं:

न थी हेव आप विक्षेज ऊडवुं,
न शून्यता सागर माहि बुडवुं।

अर्थात् न तो आकाश में उड़ना है और न शून्यता के सागर में विसर्जित होना है। सुंदरम् की कविता में व्यक्त होने वाला राष्ट्रीय चिंतन आधुनिक गुजराती कविता की स्थायी निधि है।

उमाशंकर जोशी की काव्य-यात्रा का प्रारंभ विश्व शांति के स्वप्न से होता है। गांधीजी कहते थे कि हमारी राष्ट्रीयता अंतरराष्ट्रीयता का एक हिस्सा है। उमाशंकर जोशी भी जीवन के निजी संदर्भों के बीच से गुजरते हुए विश्व मानव एवं विश्वशांति की परिकल्पना करते हैं। उमाशंकर जोशी की राष्ट्रीय चेतना मूलतः मानवीय चिंता का ही पर्याय है।

गुजरात के समीपवर्ती महाराष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना का एक और रूप मिलता है। वीर सावरकर रचित तमाम काव्य स्वतंत्रता संग्राम में दी गई आत्माहूति से उत्पन्न हुआ है जिसकी ज्वालाओं ने समूचे राष्ट्र की चेतना को प्रदीप्त करने की ऊर्जा दी थी। स्वयं सावरकर सशस्त्र क्रांति के उद्घोषक थे और वर्षों कालेपानी की सजा पाकर अंडमान की जेल में दारुण दुख सहते रहे थे। सावरकर की कविताओं से प्रेरणा पाकर ऐसी क्रांतिकारी कविताओं की बाढ़ आ गई। माधव ज्यूलियन की कविताएं देश पर तन, मन तथा धन समर्पित करने की प्रेरणा देती थीं।

यों क्रांति शब्द में एक अमूर्तता है, चाहे इसका रूप हिंसक हो या अहिंसक। कवि कुसुमाग्रज ने क्रांति की भावना को संवेदनात्मक अनुभूति की चरम स्थिति तक पहुंचाने में अभूतपूर्व सफलता पाई। वे स्वतंत्रता के लिए मृत्यु का वरण करने को भी तैयार थे:

गर्जा जय-जयकार क्रांतिया गर्जा जय-जयकार,
अन् वज्रांचे छातीवरती ध्या झेलूनी प्रहार।

अर्थात् हे आजादी के दीवानों, तुम क्रांति की प्रचंड गर्जना करो, अपनी छातियों पर वज्रों के कठोर प्रहारों को भी सहज झेलो। मेरे कहने का आशय यह है कि मराठी की दीर्घ राष्ट्रीय कविता की परंपरा में कविता का रूप एक जैसा नहीं है, वैविध्यपूर्ण है। यशवंत दिनकर पेंढरकर की राष्ट्रीय संवेदना से परिपूर्ण कविताओं में तेजी है और मर्म को संस्पर्शित करने की अद्भुत क्षमता है। इस कवि को "राज कवि" "महाराष्ट्र कवि" के गौरव से अलंकृत किया गया था।

दक्षिणांचल की चारों भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी राष्ट्रीय कविताओं एवं गांधी जी के प्रभाव का महत्वपूर्ण स्थान है। कवि सुब्रह्मण्य भारती की तमाम कविताएं देशभक्ति से आप्लावित हैं। शुरू में उनके विचार उग्रवादी थे किन्तु कालान्तर में वह महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। "आर्य दर्शन - एक स्वप्न" शीर्षक उनकी कविता में भारतवर्ष के विगत वैभव और प्रतिष्ठा का सजीव चित्रण है। तिरू० वी० का० नाम से प्रसिद्ध टी० वी० कल्याणसुंदरम् सुब्रहमण्य भारती के समकालीन थे। वे तमिलनाडु के गांधीवादी लेखक एवं प्रवक्ता थे। इनकी गद्य रचनाओं एवं कविताओं में गांधी दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है। उनकी देशभक्तिपूर्ण रचनाओं ने तमिलनाडु के जनजीवन को प्रभावित किया था।

गांधीयुग के एक अन्य प्रसिद्ध तमिल कवि हैं नामक्कल रामलिंगम। श्री रामलिंगम तमिलभाषियों के बीच गांधी कवित्जर (गांधीवादी कवि) के नाम से विख्यात हैं। जनमानस तो उनको स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीयता का गान करने वाले कवि से अधिक गांधीवाद का प्रचारक कवि मानता है। उनकी दृष्टि में गांधीजी राष्ट्रीयता के पर्याय थे तो राष्ट्रीयता गांधी जी का पर्याय थी। सन् 1930 में नमक सत्याग्रह के अवसर पर लिखी गई उनकी एक कविता बहुत प्रसिद्ध हुई:

एक अनोखा युद्ध छिड़ेगा,
न तलवार का प्रयोग होगा,
न भीषण रक्तपात होगा,
सत्य की अमरता में,
जिनको विश्वास है,
वे सब संगठित होंगे।

इसी कविता में आगे उन्होंने गांधीजी के नेतृत्व में संगठित होकर भारत मां की पराधीनता की बेड़ियों को काटने का आह्वान किया है।

तेलुगु साहित्य पर भी गांधी जी का प्रभाव इतना अधिक था कि कई प्रबंध काव्य और काव्य संकलन स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी दर्शन से

प्रभावित होकर लिखे गए । राष्ट्रीय भावों के प्रचार के लिए चैन्नाप्रगड भानुमूर्ति का "भारत दर्शनमु" खंडकाव्य पर्याप्त चर्चित रहा। इसकी तुलना हिंदी के राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त की "भारत भारती" से की जा सकती है। गांधी जी के सिद्धान्तों से प्रभावित होकर कवि बलिजेपल्लि लक्ष्मीकान्त ने "स्वराज्य रथमु" और "स्वराज्य समस्य" काव्य संग्रहों की रचना की। इन संकलनों में स्वराज आंदोलन, उसका प्रचार, प्रसार और तात्विक विवेचन, गांधी जी का नेतृत्व, तिलक का चिंतन आदि विषयों पर प्रभावशाली रचनाएं संकलित की गई हैं। महात्मा गांधी को तो उन्होंने साक्षात् भगवान ही माना है :—

साक्षात् नारायण मूर्तिये मरल गांधी स्वरूपं।

काशी नामुनि वीर मल्लय की "स्वराज्य प्रबोध" और उमर अलीशाह की रचनाओं में स्वराज्य एवं हिन्दू-मुस्लिम एकता की महिमा का वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त रामि रेड्डी, मंगिपूडि पुरुषोत्तम शर्मा, तुम्मल सीताराम मूर्ति, गरिमेल्ल सत्यनारायण,- काटूरि वेंकटेश्वर राव, देवुलपल्लि रामानुज राव आदि ने तेलुगु की पत्र-पत्रिकाओं में स्वतंत्रता आंदोलन और गांधीजी से प्रभावित होकर कविताएं लिखीं।

उधर कर्नाटक में स्वाधीनता आंदोलन का प्रभाव तिलक के विचारों से प्रभावित होकर प्रारंभ हुआ। उसके बाद गांधीजी के नेतृत्व में जितने भी आंदोलन राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए, उनमें कन्नड़भाषियों ने भी सक्रिय सहयोग दिया। सन् 1927 में "मद्यपान के विरोध में" जब दुकानों की घेराबंदी की गई तब धारवाड़ में गोलियों की बौछार हुई और इसमें दिवाकर, कव्वूर आदि गिरफ्तार किए गए। कर निराकरण और नमक सत्याग्रह के दौरान सन् 1930-32 में अंकोल, कारबार, सिद्धपुर और हिरेकरूर आदि स्थानों पर वैसा ही आंदोलन हुआ जैसा बारदोली में हुआ था। सन् 1942 में "भारत छोड़ो" आंदोलन में मश्रुवाला की सलाह पर मंगलूर, धारवाड़, बेलगांव, बीजापुर आदि जिलों में स्वाधीनता का संग्राम छिड़ गया। कर्नाटक में कवि आलूर वेंकटराव ने अपनी कविताओं द्वारा जनजीवन में जागृति लाने का प्रयास किया। हिन्दी में गुप्त जी की भारत-भारती का जैसा प्रभाव रहा है वैसा ही कन्नड़ में आलूर वेंकटराव जी की कृति "कर्नाटकद गत वैभव" का प्रभाव जनमानस पर पड़ा। कवि अडिग ने "नेने नेने आ दिनव" (स्मरण करो उन बीते दिनों का) कविता में अपने अतीत के वैभव का गान किया और महात्मा गांधी, भगत सिंह, चेन्नम्मा, लक्ष्मीबाई जैसी स्वतंत्रता सेनानियों पर गीत लिखे। उन्होंने महात्मा गांधी को अपनी कविता में अभिनव बुद्ध की संज्ञा दी। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कवि कुवेंपु ने कई राष्ट्रगीतों का सृजन किया। एक समीक्षक के मत में "प्रकृति इनके काव्य की एक आंख है तो दूसरी आंख राष्ट्रीय चेतना है।" राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति में कुवेंपु की उपलब्धि अपूर्व है। बेंद्र ने भी भारत तथा कर्नाटक के प्रेम में सराबोर होकर कई कविताएं लिखीं।

मलयालम के कवियों पर भी गांधीजी का अपूर्व प्रभाव था। महाकवि वल्लतोल ने गांधी के स्वराज्य आंदोलन का अपनी कृतियों में समर्थन किया। वल्लतोल ने गांधी जी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कितना आत्मसात कर लिया था इसका ज्वलंत उदाहरण "जमाना बदल गया" शीर्षक कविता है। कवि ने खद्दर, नशाबंदी, हरिजन सेवा, अंहिसा, हिन्दू-मुस्लिम एकता आदि बापूजी के कार्यक्रम पर अलग-अलग रचनाओं की सृष्टि की। बापू के संबंध में लिखी उनकी सर्वश्रेष्ठ कविता मेरे "गुरूदेव" हैं, जो 1923 में लिखी गई थी।

कवि कुमार आशान ने जाति-पांति और छुआछूत के विरोध में कविताएं लिखीं। केरल की जाति-पांति और छुआछूत की भावना को देखकर स्वामी विवेकानन्द को कहना पड़ा था कि केरल एक पागलखाना है। कुमार आशान ने गांधी जी की इसी छुआ-छूत विरोधी भावना को अपनी कविताओं में साकार किया। उनके "दुखस्था" और "चंडालभिक्षुकी" खंडकाव्य इस दृष्टि से अनुपम है। आशान और वल्लतोल के समकालीन कवि उल्लूर ने भी देशभक्ति की अमर कृतियां मलयालम साहित्य को प्रदान की। "मातृभूमि के चरणों में" और "मां" आदि उनकी गद्यकृतियां इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त केशवन नायर, वल्लतोल गोपाल मेनन, उण्णिकृष्णन नायर आदि की राष्ट्रीय कविताएं भी बहुत लोकप्रिय हुई थीं। केरल के महान् कवि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी॰ शंकर कुरूप ने भी गांधीजी के अंहिसात्मक सत्याग्रह की स्वर्णरथ के रूप में कल्पना करके "जय हो, जय हो" शीर्षक कविता लिखी थी। "जननायक" शीर्षक काव्य संग्रह में गांधीभक्त के रूप में जी॰ शंकर कुरूप को हम पाते हैं।।

आजादी के पूर्व का साहित्य चाहे वह दक्षिण का हो या उत्तर का या सुदूर पूर्व का—स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के संदेश के प्रतिध्वनि बन गया था। असमिया के अंबिका गिरि रायचौधुरी की कविताएं असम के लोगों को साम्राज्यवादी शासन से लड़ने को प्रेरित करती थीं। इनकी "जाग देका तेज आग" (जाग ओ युवा रक्त जाग), जीवनर प्रयोजन (जीवन का उद्देश्य), हे जन्मभूमि जैसी कविताएं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उपज हैं। स्वयं राय चौधरी ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। 1926 में श्रीनिवास आयंगार की अध्यक्षता में पांडु, गुवाहाटी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इकतालीसवां अधिवेशन हुआ था। अंबिका गिरि रायचौधुरी का गीत-"आजि बंदो की छंदेर" (किस छन्द से आज वंदना करूं) इस अधिवेशन के उद्घाटन के अवसर पर गाया गया था। प्राणों को स्पंदित करने वाले इस मर्मस्पर्शी गीत के मंत्रमुग्ध श्रोताओं में स्वयं महात्मा गांधी भी थे। आज भी यह गीत उसी जोश से असम में गाया जाता है। अंबिका गिरी के बाद बलिनीबाला देवी का नाम सहज ही स्मरण हो आता है। वे महान् राष्ट्रीय नेता नवीनचन्द्र बर्दोलोई की पुत्री थीं। रोमानी धारा की प्रमुख कवियित्री नलिनी बाला मूलतः राष्ट्रवादी थीं। उनकी कविता "मुक्ति" में स्वतंत्रता संग्राम के जयघोष की मार्मिक अभिव्यक्ति है। इनके कविता संग्रहों—युग देवता, जागृति और परशमनि में ऐसी बहुत सी कविताएं मिलती हैं। इसी प्रकार की जनमत में जागृति जगाने वाली कविताएं विनंद चंद्र बरूआ, ज्योति प्रसाद अगरवाल और सैयद अब्दुल मलिक ने भी लिखी हैं। कवि देवकांत बरूआ जो उस समय युवा थे, ने भी कुछ कविताएं विशिष्ट अभिव्यंजना के साथ स्वतंत्रता के पूर्व लिखी थीं।

बंगला कविता में राष्ट्रीय जागरण के स्वर उन्नीसवीं शती से ही मुखरित हो गये थे। बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में "वन्देमातरम्" जैसी अमर गीत कृति लिखी। यह हमारा राष्ट्रीय गीत बन गया। कलकत्ता में 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इसको गाया था। 1905 में बंग- भंग के विरोध में आंदोलन हुआ और फिर तो आंदोलन का एक ऐसा लम्बा सिलसिला चला कि ब्रिटिश शासन दहल उठा। क्रांतिकारियों के कई समूह बंगाल में सशस्त्र क्रांति पर उतर आये। स्वयं श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर ने बंगभंग का

विरोध किया। रवीन्द्र नाथ ने भारत में व्याप्त गरीबी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को दोषी ठहराया। जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के बाद उन्होंने "सर" की उपाधि त्याग दी। यों रवीन्द्र नाथ राष्ट्रभावना के साथ विश्वबंधुत्व तथा मानववाद के समर्थक थे, पर वे हिंसा विरोधी थे। उनके उपन्यास "घरे बाहिरे" में उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन की आलोचना कर गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की थी।

काजी नजरूल इस्लाम ने स्वाधीनता संग्राम में अभूतपूर्व योग दिया। उनकी कविताएं तथा गीत इतने जोशीले थे कि उन्होंने अस्त्र का काम किया। उनकी "युगवाणी" और "सर्वहारा" कविताएं बहुत लोकप्रिय हुईं। शरत् के उपन्यासों में परोक्ष रूप से और विमलचन्द्र घोष के उपन्यासों में प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी समाजवाद को समर्थन दिया गया है। उनके उपन्यासों में गांधीवादी विचारधारा के मूलभूत प्राणतत्वों और समाजवादी मुक्ति अवधारणा का सुखद संगम था। श्री नारायण गांगुली का उपन्यास "स्वर्ण सीता" भी इसी भावधारा की सशक्त कृति है।

उड़िया साहित्य पर भी सन् 1921 के असहयोग आंदोलन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। उसके पूर्व गोपबंधुदास उड़ीसा में अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र जागरण की भावना का विकास कर रहे थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह ने उड़ीसा के युवा कवियों में जोश भर दिया था। "स्वाधीनता भारत का जन्मसिद्ध अधिकार है" को मूलमंत्र मानकर गोपबंधुदास, कुंतला कुमारी, लक्ष्मी कांत, पद्म चरण, कृष्णचन्द्र त्रिपाठी आदि राष्ट्रचेता कवियों ने अनेक कविताओं का सृजन किया।

उत्तर भारत में हिन्दी, उर्दू और पंजाबी के कवियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सहयोग दिया। उनमें से कई जेल गए और यातनानाएं सहीं। इकबाल और जोश मलीहाबादी ने गुलामी को मिटा देने के लिए देशवासियों का आह्वान किया। इकबाल ने सन् 1905 में "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा" नामक प्रसिद्ध गीत लिखा। वतन के हर कण को उन्होंने खुदा माना:

पत्थर की मूरतों ने समझा है तू खुदा है,
खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है।

ब्रजनारायण चकबस्त, हसरत मोहानी और सागर निजामी जैसे शायरों ने स्वाधीनता आंदोलन और असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। सागर निजामी का गीत "अय वतन अय वतन" आजादी के आंदोलन का प्रमुख गीत था। मजाज़ की "इंकलाब" और मखदूम मुहीउद्दीन की "कहो हिन्दुस्तान की जय" इस दौर की अवस्मिरणीय रचनाएं हैं।

हिन्दी कवियों में मैथिलीशरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानन्दन पंत, दिनकर, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी आदि ने देश में छायी कुरीतियों, अस्पृश्यता, दहेज तथा धर्म के नाम पर होने बाले ढोंग, कुकर्म और धूर्तता की भर्त्सना की। 'साकेत' में मैथिलीशरण गुप्त के राम अतिमानव नहीं हैं, वे स्वर्ग से संदेश नहीं लाये हैं अपितु इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने के लिए अवतरित हुए हैं:

संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया,
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया।

ये तमाम कवि गांधीवादी थे, विश्वबंधुत्व के हामी थे। संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना को त्याग "वसुधैव कुटुम्बकम्" का आदर्श इनको मान्य था।

पंजाब में जलियांवाला बाग के नरसंहार की भयानक प्रतिक्रिया हुई थी। उपन्यासकार नानक सिंह की रचना " खूनी बैसाखी " का स्मरण हो आया है। धार्मिक भेदभाव मिटाकर देश के हित में एकजुट होने की भावना इस रचना में हैं। यही भावना ज्ञानी हीरा सिंह दर्द, अवतार सिंह आजाद, गुरूमुख सिंह मुसाफिर और भाई वीर सिंह की कविताओं में ध्वनित हुई है। पंजाबी की राष्ट्रीय कविता में लाला धनीराम चात्रिक का योगदान अप्रतिम है और उनकी कविताओं ने देशानुराग जगाने में सार्थक पहल की है। कश्मीर के कवि गुलाम अहमद महजूर और अब्दुल अहमद आजाद ने भी आजादी की चेतना की मशाल कश्मीरी जनता के दिलों में प्रज्वलित की।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी गई इन तमाम कविताओं और विभिन्न अंचलों की बोलियों में लिखे जा रहे लोकगीतों में गांधी बाबा और स्वदेशी के प्रति जनता का अटूट विश्वास यह सिद्ध करता है कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीय भाषाओं के बीच जो एकात्म की भावना पैदा की थी उसमें महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा का अभूतपूर्व योगदान था। तमाम भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय चेतना जगाने में गांधी जी और उनके असहयोग आंदोलन का प्रभाव रहा है और भारतीय साहित्य के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक महत्व प्राप्त कर चुका है। निश्चय ही भारतीय साहित्य की राष्ट्रीय काव्य परंपरा का यह अविस्मरणीय काल-खंड है। □

प्रान्तीय ईर्ष्या द्वेष दूर करने में जितनी सहायता हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी किसी दूसरी चीज से नहीं।

—सुभाष चन्द्र बोस

स्वभाषा-चेतना और ग्रामीणांचल

—डॉ. शीलम् वेंकटेश्वर राव*

"स्वभाषा-चेतना-आन्दोलन" ग्रामीणांचलों में किस प्रकार प्रारम्भ किया जाए। यह एक विचारणीय प्रश्न है। नगर-महानगर का जन-जीवन तो प्रदूषित हो चुका है। स्वदेशी-भावना और स्वभाषा-चेतना की कल्पना यहां नहीं की जा सकती। इस आन्दोलन के लिए ग्रामीणांचलों को केन्द्र बनाया जा सकता है। वहीं से इस आन्दोलन के लिए ऊर्जा मिल सकती है।

ग्रामीणांचलों में "स्वभाषा-चेतना-आन्दोलन" का उद्देश्य है—मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार व प्रसार किस प्रकार व्यापक बनाया जाए जिससे नई पीढ़ी में स्वभाषा-प्रेम के संस्कार बन सकें। वैसे भी सन् 1993 का वर्ष हिन्दी प्रचार-आन्दोलन का शताब्दी-वर्ष है। आज से सौ वर्ष पूर्व हिन्दी प्रचार व प्रसार के उद्देश्य से सर्वप्रथम काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणासी की स्थापना हुई थी। हिन्दी प्रचार आन्दोलन-शताब्दी वर्ष के संदर्भ में राष्ट्रीय-स्तर पर देश की सभी स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं के प्रचारकों का एक बृहद सम्मेलन आयोजित करने की आवश्यकता है। इस सम्मेलन में हिन्दी प्रचार व प्रसार की दशा-दिशा और हिन्दी विकास की बहुमुखी भावी कार्य-योजना बनाई जा सकती है। यह प्रसन्नता का विषय है कि इस अवसर पर आन्ध्र प्रदेश हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद ने राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी प्रचार-आन्दलोन-शताब्दी वर्ष मनाने का निश्चय किया है जिसके लिए पांच सदस्यों की एक उप-समिति गठित की गई है।

पूज्य बापू जी की प्रेरणा से दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार हेतु दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना मद्रास में हुई थी। तत्पश्चात् अनेक हिन्दी संस्थाओं की स्थापना हुई। बहुत शीघ्र ही हिन्दी प्रचार का आन्दोलन व्यापक हुआ। फलतः हिन्दी दक्षिण भारत में लोकप्रिय हुई। देश की बड़ी-बड़ी शक्तियां इस आन्दोलन में शरीक रहीं, जैसे महात्मा गाँधी, राजगोपालाचार्य, देवदास गांधी, आन्ध्र केसरी, टंगटूरि, प्रकाशम पन्तुलु, राजर्षि टण्डन, अनन्त शय्यंगार आदि। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं के असंख्य कार्यकर्त्ताओं ने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर अपूर्व निष्ठा, सेवा-त्याग-भावना से राष्ट्रभाषा हिन्दी के सन्देश को घर-घर तक पहुंचाया।

आज़ादी से पूर्व शहीदों ने यह सोचा था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा, तब अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भी सात समुद्र पार चली जाएगी और देश में राष्ट्रभाषा हिन्दी पूरी तरह स्थापित हो जाएगी। शहीदों का वह स्वप्न आज तक पूरा नहीं हो सका। आज भी अंग्रेजी सर्पराज की तरह देश की प्रगतिशील प्रतिभा पर अपनी कुण्डली मारकर बैठी हुई है। शोचनीय स्थिति यह है कि हिन्दी जहाँ राजभाषा और अंग्रेजी सहभाषा होनी चाहिए थी, वहाँ अंग्रेजी ही पटरानी बनी बैठी है। विडम्बना की बात तो यह है कि देश में गंगा ही उल्टी बह रही है। इस संदर्भ में तुलसी रामायण के मर्मज्ञ विद्वान् स्व० फ़ादर कामिल बुल्के के अनुसार "यहां हिन्दी ही बहुरानी बन सकती है और अंग्रेजी का स्थान दासी का हो सकता है लेकिन हम सब देख रहे हैं कि अंग्रेजी बहुरानी बनकर अकड़ मार रही है और हिन्दी को दासी सम घुमा रही है।" यह बहुत ही दुःख की बात है कि स्वतंत्रता के 45 वर्षों के बाद भी राष्ट्रभाषा की दृष्टि से हमारा देश अभी आज़ाद नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि स्वदेशी और स्वभाषा-प्रेम की भावना धीरे-धीरे देश से लुप्त-सी होती जा रही है। यह अत्यन्त चिन्ता की स्थिति है।

प्रश्न यह है कि हिन्दी प्रचार व प्रसार सम्बन्धी आन्दोलन इधर क्यों शिथिल हो गया। देश आज़ाद हो जाने के बाद हिन्दी प्रचार के कार्य में शिथिलता इस लिए आई कि हिन्दी संस्थाओं और हिन्दी प्रेमियों ने यह सोचा था कि हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठापित करने का दायित्व अब भारत सरकार का है और हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हिन्दी प्रचार के कार्य से वे निश्चिन्त हो गए और इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दी प्रचार का कार्य ठप्प हो गया। फलतः नौकरशाही तत्व हिन्दी की जड़ों को कमजोर करने में जुट गए। सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल ने अपने एक उपन्यास में लिखा है— "जागती हुई चींटी, सोते हुए हाथी से अधिक बलवान होती है।"

आज देश पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देश की सीमाओं पर अलगाववादी शक्तियां अपना सिर उठा रही हैं। देश की एकता एवं अखण्डता को आज चुनौतियां दी जा रही हैं। साम्प्रदायिकता की आग भड़क रही है। विदेशी शक्तियां देश को तोड़ने का षड़यंत्र रच रही हैं। अभी हाल में बम्बई तथा कलकत्ता में जो बम-विस्फोट हुए हैं, उनसे यह बात सिद्ध हो जाती है कि देश की आर्थिक स्थिति को विध्वंस करने में विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। नौकरशाही तंत्र अंग्रेजी भाषा को भारतीय भाषा निरूपित कर रहे हैं। आज देश में राष्ट्रीय चरित्र और स्वावलम्बन की भावना का अभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। अतएव स्वसंस्कृति एवं "स्वभाषा चेतना-आन्दोलन" चलाये जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इस घटाटोप अन्धकार में हिन्दी रूपी जुगनू को चमक, सूर्य के प्रकाश की भूमिका निभा सकती है। "स्वभाषा चेतना-आन्दोलन" के लिए ग्रामोणांचलों को केन्द्र बनाया जा सकता है।

भारत गांवों का देश है, जिसका मुख्य व्यवसाय खेती-बाड़ी है। देश की असली लक्ष्मी यदि कहीं निवास करती है, तो वह ग्रामीणांचलों में ही। भारतीय संस्कृति और परम्पराएं आज भी ग्रामीणांचलों में जिन्दा हैं। वहां का जन-जीवन, अपनी धरती से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। बाहर का प्रभाव वहां दिखाई नहीं पड़ता है। महात्मागांधी जी ने रामराज्य की जो कल्पना की थी, उसका मूलाधार ग्राम जीवन ही था। आचार्य विनोव भावे ने देश की पद-यात्रा द्वारा ग्रामों में नई चेतना जगाई थी। उन्होंने स्वावलम्बन पर बल दिया था। ग्रामों की लक्ष्मी को बाहर जाने से रोका था। ग्रामों में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को परम्पर विनिमयन करने का सुझाव दिया था। लोकनायक जय-प्रकाश नारायण ने "अन्त्योदय" का आन्दोलन चलाया था।

अब हम हिन्दीतर ग्रामीणांचलों में हिन्दी प्रचार व प्रसार की समस्याओं पर विचार करेंगे। मुख्य समस्या तो यह है कि मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिन्दी का महत्व क्या है, ग्रामीण जनता नहीं जानती है। विद्यालयों में अंग्रेजी का वर्चस्व छाया हुआ है। अंग्रेजी विषय को पाठ्क्रम में महत्वपूर्ण

*अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, धर्मवन्त कालेज, याकुतपुरा, हैदराबाद-500023

स्थान प्राप्त है। अंग्रेजी विषय का अध्यापक अपने आपको सर्वश्रेष्ठ समझ लेता है। उसका मनोबल बहुत ऊंचा होता है। हिन्दी शिक्षण को सब से अधिक पिछड़ा विषय समझा जाता है। प्रायः हिंदी के अध्यापक में हीनभावना पाई जाती है। वह अपने आपको उपेक्षित अनुभव करता है। दूसरी ओर वेलापत्रक में हिन्दी के पीरियड कम होने और उस विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य न होने के कारण विद्यार्थी हिन्दी शिक्षण में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते हैं। वे हिन्दी के घण्टों में उपस्थित नहीं रहते हैं। पाठ्य पुस्तिका में विशेष आकर्षण नहीं होता है। इसी प्रकार विद्यालय प्रशासन, अभिभावक और ग्रामीण समाज में हिन्दी के प्रति गौरव-सम्मान की भावना न होने के कारण हिन्दी प्रचार व प्रसार के मार्ग में अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में हिन्दी के अध्यापक कुछ कर नहीं पाते हैं। मास की पहली तारीख को वेतन पाने तक अपने को सीमित कर लेते हैं।

अब तक हिन्दी प्रचार व प्रसार सम्बन्धी कृष्ण पक्ष पर विचार किया गया है। उसके शुक्ल पक्ष पर भी विचार करना समीचीन होगा। राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार राष्ट्रीयता का ही प्रचार करना है। हिन्दी का प्रेम देश-प्रेम का ही प्रतीक है। हिन्दी के माध्यम से गांधीजी के प्रमुख सिद्धान्तों-सत्य, अहिंसा और शान्ति का संदेश, ग्रामांचलों में फैलाना है। हिंदी-प्रचारक वास्तव में गांधी जी के पक्के अनुयायी हैं। गांधी जी ने कहा था—"राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है।" उसी प्रकार आचार्य विनोबा भावे ने कहा था— "मातृभाषा और राष्ट्रभाषा देश की दो आखें हैं।" इसलिए हिन्दी प्रचारकों को सर्वप्रथम गांधी जी के सिद्धान्तों और आचार्य विनाबा भावे के संदेशों को आत्मसात कर लेना होगा। उसी प्रकार महर्षि दयानन्द, तिलक, केशव चन्द्र सेन, बंकिमचन्द्र, काका कालेलकर, राजर्षि टण्डन, डॉ लोहिया आदि मनीषियों का आदर्श जीवन एवं उनका विचार-दर्शन हिंदी प्रचारकों को जो विरासत में मिला है, वह अपने आप में अनमोल वस्तु है। उन महान् पुरुषों के संदेशों को प्रभात-फेरियों के द्वारा गांव-गांव, बस्ती-बस्ती घर-घर पहुंचाये जाने की आज नितान्तावश्यकता है।

हिन्दी का अध्यापक ही प्रायः हिन्दी प्रचारक होता है। वास्तव में हिन्दी अध्यापक, कोई साधारण अध्यापक नहीं होता, वह एक राष्ट्रीय अध्यापक है। उसके कर्तव्य एवं दायित्व अन्य अध्यापकों की अपेक्षा अधिक गुरुतर एवं महान् है। विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना को जगाकर उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में ले आना है। उनमें राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना, अध्यापक का मुख्य कर्तव्य है। उसके सामने अनेक विषम परिस्थितियां विद्यमान रहती हैं। उन सब से उसे ही संघर्ष करना होता है और उन विषम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। अपने छात्रों को मनोरंजनात्मक पद्धतियों-पौराणिक कहानियों, चुटकले, हास्य विलास, गीतों आदि द्वारा उनमें हिन्दी शिक्षण के प्रति अभिरुचि पैदा की जा सकती है। अपने विनीत एवं मधुर व्यवहारों के द्वारा अन्य अध्यापकों को अपने प्रभाव में लिया जा सकता है। उसको स्वयं यह अनुभव करना चाहिए कि वह केवल वेतन पाने या धन कमाने के लिए नौकरी नहीं करता है, बल्कि वह राष्ट्रीय सेनानी है। समाज एवं राष्ट्रसेवा उसका परमधर्म है। मिशनरी भावना से हिन्दी अध्यापक को विद्यालय समय के बाद बच्चों के अभिभावकों एवं ग्रामीणाचलों के सरपंचों व मुखियाओं से मिलकर मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी के महत्व को बताना चाहिए। उसके दूरगामी परिणामों से अवगत कराना और हिन्दी प्रचार प्रचार आन्दोलन में उनके अधिकाधिक सहयोग लेने की आवश्यकता है। बच्चों में उनके बाल्यकाल से ही स्वदेशी भावना एवं स्वभाषा प्रेम के संस्कार डालने चाहिए। मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा के महत्व को उन्हें अच्छी तरह से समझाना होगा। अधिकांश विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। लगातार उसी विषय में तीन-चार वर्षों तक असफल हो जाने से उनका जीवन-विकास रुक जाता है। वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। किसी भी समाज या सरकार को बालकों के विकास को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। ग्रामीणांचलों में अधिकांशा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर अपने पैतृक व्यवसायों में लग जाते हैं।

हिन्दी अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिन्दी प्रचार का मतलब हिन्दी संस्थाओं की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को सम्मिलित कराना मात्र नहीं है, बल्कि उन्हें व्याकरण सम्मत अच्छी हिन्दी सिखाना है। हिन्दी प्रचार आन्दोलन का मुख्य लक्ष्य तो वैसे सर्वधर्म-समभाव और मानवता का संदेश विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाना है। इस महान् लक्ष्य की पूर्ति तभी सम्भव हो सकेगी, जब हिन्दी का अध्यापक निस्सवार्थ व मिशनरी भावना से अनुप्राणित हो। वह स्वयं— "सादा जीवन उच्च विचार" का साधक हो और उसका व्यक्तित्व सत्यशीलता, नैतिकता, मानवता आदि दिव्य गुणों से मण्डित हो। □

किसी भाषा के शब्दों को अपना लेने में शर्म की कोई बात नहीं है। शर्म तो तब है, जब हम अपनी भाषा के प्रचलित शब्दों को न जानने के कारण दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करें। जैसे घर शब्द को "हाउस" कहें, माता को "मदर" कहें, पिता को "फादर" कहें, पति को "हसबैंड" और पत्नी को "वाइफ" कहें।

—महात्मा गांधी

(हिन्दी नव जीवन, 7-11-1929)

हिन्दी है भारत की बोली

—शंकर दयाल सिंह*

जब भी हिन्दी के बारे में मैं कुछ सोचना प्रारंभ करता हूं तो मेरे कानों में कविवर गोपाल सिंह नेपाली की ये पंक्तियां गूंजने लगती हैं—

"दो वर्तमान को सत्य, सरल, सुन्दर भविष्य के सपने दो,
हिन्दी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो।

बढ़ने दो इसे सदा आगे, हिन्दी जनमन की गंगा है।
यह माध्यम उस स्वाधीन देश का, जिसकी ध्वजा तिरंगा है।।
हो कान पवित्र इसी सुर में, इसमें हर हृदय तड़पने दो।
हिन्दी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो।।"

जिस तरन्नुम और अनुराग के साथ नेपाली जी इस गीत को गाते थे वह सुनकर रोमांच हो जाता था। जिस किसी ने भी नेपाली जी के मुंह से इस गीत को सुना होगा वह इसे भूल नहीं सकता।

आज से 7-8 सौ वर्ष पहले अमीर खुसरो ने "तोतए-हिन्द" उपनाम से हिन्दी में जो मुकरियां, दोहे, गजलें और नगमें लिखे थे, उनको पढ़ता हूं तो मन नहीं भरता है—

रात समय वह मेरे आवे। भोर भये वह घर उठि जावे।।
यह अचरज है सबसे न्यारा। हे सखि साजन? ना सखि तारा।।
नंगे पांव फिरन नहि देत। पांव से मिट्टी लगन नहिं देत।।
पांव का चूमा लेत निपूता। ऐ सखि साजन? ना सखि जूता।।

इसी भांति अमीर खुसरो का यह पद्य—

गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस।
चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुंदेस।।

सोचना रहता हूं कि जिस हिंदी को सरहपा से लेकर गोरखनाथ ने सजाया, चन्दबरदाई से लेकर विद्यापति ने चमकाया, कबीर से लेकर मीरा ने भक्ति की धारा बहाई, जायसी से लेकर तुलसीदास ने जिसे जनता के गले का हार बनाया, रसखान से लेकर बिहारी तक ने जिसे भूषणों से सजाया, गुरू अर्जुन देव से लेकर गुरू गोविन्द सिंह जी तक ने जिसे अपना माध्यम बनाया, देव से लेकर पद्माकर तक ने जिसे अलंकारों से मढ़ दिया और भारतेन्दु बाबू हरिचन्द्र से लेकर जयशंकर प्रसाद तक ने इसे समृद्धि के जिस शिखर पर पहुंचाया उसका लेखा-जोखा इतिहास करेगा, हम क्या करें।

नौवीं शताब्दी से लेकर आज तक हिन्दी की गाड़ी अनवरत जन-सामान्य की आशा-आकांक्षा को अपने साथ लेकर बढ़ रही है, उसे आप राष्ट्रभाषा कहिए, राजभाषा कहिए संपर्क भाषा कहिए या जनभाषा कहिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा गया है "घी का लड्डू टेढ़ों भला" इस मुहावरे के अनुसार हिन्दी भारत मां के ललाट की बिंदी है, हिन्दी चंदन लेप है और हिन्दी धूप-दीप अगरू, अक्षत तथा हल्दी के समान पवित्र समभाव है।

संभव है कि लोग कहें कि हिन्दी वाले ही हिन्दी का बखान करते हैं। तो आईए, समय-संदर्भ को हम इन बिन्दुओं के द्वारा देखें-परखें। उन महापुरुषों की शरण में चलें जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं थी लेकिन जिन्होंने महसूस किया कि हिन्दी के बिना राष्ट्र की अस्मिता, एकता खतरे में पड़ जायेगी।

गुन्नार मीर्डल का कहना था—"जब तक भारतीय संसद के वाद-विवाद अंग्रेजी में चलते रहेंगे, देश की राजनीति का जनता से कोई सरोकार नहीं होगा और वह एक छोटे से वर्ग की बपौती बनकर रह जायेगी।"

पोलैंड निवासी प्रो॰ मारिया स्टोफा ब्रिस्की ने उचित ही कहा है कि "भाषा और भाव का संबंध एक अति महत्वपूर्ण समस्या है। जो भाषा भाव को सीधे हमारे मन की गहराइयों तक नहीं पहुंचा पाती है, उस भाषा के माध्यम से हम कभी अपनी अंतरात्मा को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, चाहे इसके कितनी भी अलग-अलग व्यक्तिगत अपवाद क्यों न हों। भाषा के माध्यम से एक समस्त संस्कृति व समाज दृष्टिगोचर होता है। अंग्रेजी भाषा के सहारे हम विदेशी लोग न भारतीय समाज को ठीक से जान सकते हैं, न उसकी संस्कृति। भारत की आत्मा की पहचानने के लिए हिन्दी भाषा का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है।"

इसी भांति जर्मनी के सुप्रसिद्ध विद्वान डा॰ लोथार लुत्से का कहना है कि— "हिन्दी मध्य-देश की भाषा के रूप में दुनिया की सेवा कर सकती है, किन्तु हिन्दी के साथ अंग्रेजी नहीं चल सकती। हिन्दी और तमिल, हिन्दी और तेलुगु, हिन्दी और बंगला आदि साथ-साथ चल सकती हैं, किन्तु हिन्दी और अंग्रेजी से मामला गड़बड़ होने लगता है कि हम विश्व हिन्दी का समर्थन करते हैं मगर यह भी कामना करते हैं कि हिन्दी वाले भी हिन्दी को अपनाएं।"

मैं अपनी बात यहां कम से कम इसलिए कहना चाहता हूं कि संभव है उसमें कुछ आग्रह, दुराग्रह एवं अपनी मनःस्थितियों की झलक दिखाई दे, अतः मैं इससे बचते हुए या अपने को बचाते हुए कुछ ऐसे अहिन्दी भाषियों के मंतव्यों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो प्रेरणा और प्रण का काम कर सके। ऐसे ही कतिपय वरेण्य विभूतियों के वाक्यांश यहां प्रस्तुत हैं, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं थीं—

"हिन्दी भाषा की सहायता से भारत वर्ष के विभिन्न प्रदेशों में जो लोक एक्य-बंध स्थापित कर सकेंगे वे ही प्रकृत भारत-बंधु कहलाने योग्य होंगे। अतः हमें हिन्दी भाषा में पुस्तकें लिख कर और वक्तृता द्वारा भारत के अधिकांश स्थानों का मंगल-साधन करना चाहिए।"

— बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय

हिन्दी तो राष्ट्र भाषा है ही, भले ही कुछ नेता वैसा न मानें, सैंकड़ों

*संसद-सदस्य, 15 गुरूद्वारा रकाबगंज मार्ग, नई दिल्ली-1

वर्ष पूर्व हमारे संतों, व्यापारियों एवं धार्मिक यात्रियों द्वारा हिन्दी का यह रूप स्वीकार किया जा चुका है। उस लोक स्वीकृत भाषा को अपनाकर ही हम भारत की एकता को दृढ़ कर सकते हैं। सभी प्रांतीय भाषाओं द्वारा देवनागरी लिपि स्वीकार किए जाने पर निश्चय ही काफी अंश तक विविधता में एकता आ सकेगी। एक दूसरे की भाषाएं सीखने और लिखने, पढ़ने में लोगों की रुचि बढ़ेगी। हमें अपनी क्षेत्रीय संस्कृति के प्रति स्वाभिमान अवश्य होना चाहिए। किन्तु विराट भारत की सांस्कृतिक एकता जो अत्यंत प्राचीन काल से अखंड चली आ रही है बहुत बड़ी चीज है, उसे हम भुला नहीं सकते।"

— मामा वरेरकर

"हिन्दी समग्र भू-मंडल की तीसरी भाषा है , विश्व की मानव संतान के पंचमांश की होनहार राष्ट्रभाषा है। हिन्दी की अभिव्यंजना-शक्ति अपूर्व है।"

— डा॰ सुनीति कुमार चाटुर्ज्या

"यदि हम प्रजातंत्र को उसके वास्तविक रूप में देखने की अभिलाषा रखते हैं तो व्यापक नियंत्रण को वास्तविक बनाने के लिए राज्य की एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो जनता के बहुत बड़े भाग द्वारा बोली तथा समझी जाती हो। केन्द्रीय सरकार तथा कानून की भाषा और प्रांतीय सरकारों के परस्पर तथा भारत सरकार के साथ व्यवहार की भाषा हिन्दी अवश्य ही होगी शिक्षा के मामले में यदि हमें शक्ति के अपव्यय को रोकना है और संपूर्ण पीढ़ी को दंडित होने से बचाना है तो हमें कुछ ही वर्षों में वस्तुस्थिति का पूर्व ज्ञान कर लेना चाहिए। अतः वर्तमान पीढ़ी के लड़कों को हिन्दी तुरंत ग्रहण कर लेनी चाहिए। चाहे वह उनके विद्यालय के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती हो अथवा न हो।

भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हिन्दी हो चुकी है, लोगों ने हिन्दी को अपनी राष्ट्रभाषा माना है। यदि किसी की ओर से देरी हो रही है तो वह सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों की ओर से हो रही है।

विधान के स्वीकृत करने पर भी कर्मचारी अंग्रेजी में उत्तर देते हैं। यह निषेधनीय है। इसका स्पष्ट निषेध होना चाहिए।"

— श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

"यदि अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए सखी भाषा के रूप में रखा जाए तो ऐसा दिखाई देता है कि वह सखी नहीं, साम्राज्ञी भाषा बनी रहेगी। जिस भाषा को एक प्रतिशत लोग बोलते हैं, वह शेष निन्यानवे प्रतिशत पर लादी जा रही है, इस बात को कोई भी स्वाभिमानी भारतीय बर्दाश्त नहीं कर सकता।"

— न॰वि॰ गाडगिल

"विद्या की कोई भी संस्था वास्तविक अर्थ में भारतीय नहीं कही जा सकती जब तक कि उसमें हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन का प्रबंध नहीं है।

हिन्दी ही हमारे राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे शक्तिशाली और प्रधान माध्यम है। यह किसी प्रदेश या क्षेत्र की भाषा नहीं है, बल्कि समस्त भारत की भारती के रूप में ग्रहण की जानी चाहिए।

हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हम हिन्दी को केवल व्यवहार मात्र या शासन की भाषा बनाना चाहते हैं। हमको तो जैसी इंग्लैंड की अंग्रेजी भाषा और फ्रांस भाषा है, उसी तरह की भारत की भारती हिन्दी को बनाना है।"

— कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी

इसके साथ यह भी जरूरी समझता हूं कि कुछ महान नेताओं के उद्गारों को भी आपके सामने रखूं। बापू का यह सुप्रसिद्ध कथन - स्मरणीय है - "अगर मेरे हाथ में तानाशाही सत्ता हो तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम के जरिए दी जाने वाली हमारे लड़कों और लड़कियों की शिक्षा बंद कर दूं और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों से यह माध्यम तुरंत बदलवा दूं या उन्हें बर्खास्त करा दूं। मैं पाठ्यपुस्तकों की तैयारी का इंतजार नहीं करूंगा, वे तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे-पीछे अपने आप चली आएंगी। यह एक ऐसी बुराई है, जिसका तुरंत इलाज होना चाहिए।"

राष्ट्रभाषा के अनन्य प्रहरी बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन ने राष्ट्रभाषा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा था—"राष्ट्रभाषा की नींव वह हिन्दी है जिसकी परंपरा प्राचीन काल से होते हुए चंद, सूर, तुलसी, कबीर, रसखान, रहीम, जायसी, हरिश्चंदर, बालकृष्ण भट्ट और महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथों हमें मिली है और जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के प्रदेशों में लिखी-पढ़ी जाती है।

किन्तु उस राष्ट्रभाषा का स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रांतों में कुछ भिन्नता रखेगा। जिस प्रकार हिन्दी भाषा पर बहुत काल से अरबी और फारसी का असर पड़ा है उसी प्रकार जैसे-जैसे अंतर प्रांतीय व्यवहारों में राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ेगा वैसे-वैसे उस भाषा के विकास में प्रांतीय भाषाओं का असर पड़ना अनिवार्य है।

साहित्य और राष्ट्रीयता दोनों की दृष्टि से यह आदान-प्रदान हिन्दी को समृद्धिशाली बनाएगा।"

सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता डा॰ राममनोहर लोहिया का हिन्दी प्रेम सर्व-विदित है। अंग्रेजी को उन्होंने गुलामी का प्रतीक माना था। उनका कहना था—"मेरी समझ में वे लोग बेवकूफ हैं जो समझते हैं कि अंग्रेजी के रहते हुए भी जनतंत्र आ सकता है। हम तो समझते हैं कि अंग्रेजी के होते यहां ईमानदारी आना भी असंभव है।

थोड़े से लोग इस अंग्रेजी के जादू द्वारा करोड़ों को धोखा देते रहेंगे।"

प्रायः लोग प्रथम प्रधानमंत्री पं॰ जवाहरलाल नेहरु को अंग्रेजी के प्रबल समर्थक के रूप में व्यक्त करते हैं, जब कि सच्चाई यह है कि नेहरु जी इसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था—"मैं इस विचार का विरोधी हूं कि अंग्रेजी भारत की राजभाषा बनाई जाए। इसका विरोधी मैं इसलिए नहीं हूं कि मैं कोई संकीर्ण राष्ट्रवादी विचार वाला व्यक्ति हूं, बल्कि इसलिए विरोधी हूं कि अंग्रेजी के कारण अंग्रेजी जानने वाले लोगों और जनता में दुराव पैदा होता है, एक बड़ी खाई सी बन जाती है।

हम जितनी जल्दी अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को बिठा दें उतना ही अच्छा है। उसमें देर लगने से देश में और विदेशों में हमारी बदनामी होती है।"

अब तक जो तीन विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित हुए उनमें दो भारत में और दोनों श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधान मंत्रित्व काल में। हिन्दी की

प्रयोजनमूलक हिन्दी बनाम हिन्दी का प्रकार्यात्मक संदर्भ

—डॉ॰ श्यामसनेही लाल शर्मा*

विगत वर्षों कुछ वर्षों से 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' की संकल्पना को लेकर भाषा-चिंतकों में काफी विचार-विनिमय हुआ है। हिन्दी के 'प्रयोजनामूलक' विशेषण पर विद्वान आपत्ति भी उठाते रहे हैं। आपत्ति उठाने वाले विद्वानों का कहना है कि "प्रयोजमूलक विशेषण से ऐसा लगता है, जैसे कोई ऐसी हिन्दी भी है, जिसे 'निष्प्रयोजन' कहा जा सकता है।"[1] 'डा॰ विद्यानिवास मिश्र[2] भी इस विशेषण को भ्रामक मानते हैं। वस्तुतः 'प्रयोजनमूलक' शब्द आंग्ल भाषा के 'फंक्शनल' (FUNCTIONAL) के पर्याय रूप में हिन्दी में प्रचलित हुआ है।डा॰ मिश्र 'प्रयोजनमूलक' शब्द के स्थान पर 'फंक्शनल' के पर्याय के रूप में इस (प्रयोजनमूलक शब्द) का मौजू नहीं है, 'फंक्शनल' के 'व्यावहारिक' अधिक समीप होता[3] ठीक ऐसा ही विचार श्री रमा प्रसन्न नायक का भी है। वे कहते हैं कि "सभवतः इस संदर्भ में 'व्यावहारिक' शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त हो।"[4]

एक अन्य आपत्ति 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' की संकल्पना के स्वरूप और उसके कार्यक्षत्र को लेकर भी है। 'केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, ने इस दिशा में जो कार्य किया है, वह सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी के स्वरूप के निर्धारण तक ही सीमित रहा है, ऐसा कुछ विद्वान[5] मानते हैं, जबकि इसका बहुत बड़ा अंश व्यवहार में बोला जाने वाला रूप है। इन कुछेक आपत्तियों के होते हुए भी हिन्दी के 'व्यावहारिक' यानी 'प्रयोजनमूलक संदर्भ' की स्वीकृति सर्वानुमोदित रही है।

प्रयोजन हिन्दी क्या है?

— प्रयोजनमूलक भाषा, भाषा का वह रूप है, जिसका प्रयोग किसी प्रयोग विशेष अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में होता है।[6] अतः 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' से तात्पर्य विषयबद्ध एवं परिस्थितिबद्ध हिन्दी-भाषा रूप से है।[7]

— वस्तुतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर-भेद के साथ किसी भाषा के शैली रूप का निर्धारण उस भाषा की प्रयोजनसिद्धि है।[8]

— 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' का तात्पर्य हिन्दी के उन विविध रूपों से है, जो सेवा-माध्यम (सर्विस टूल) के रूप में सामने आते हैं।[9]

— जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिन्दी 'प्रयोजन मूलक हिन्दी' है।[10]

'प्रयोजनमलक हिन्दी' के स्वरूप को संकेतित करती उपर्युक्त परिभाषाओं के विवेचन-विश्लेषण से 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' की संकल्पना और उसके स्वरूप तथा व्यवहार-क्षेत्र को रेखांकित किया जा सकता है।

वस्तुतः भाषा, विचार-संप्रेषण, चिंतन तथा सामाजिक नियंत्रण का साधन है। भाषा-प्रयोग निष्प्रयोजन कभी नहीं होता। विचार-संप्रेषण का माध्यम है और विचार-संप्रेषण की संबद्धता किसी न किसी कार्य-विशेष से अवश्य होती है। फिर भी प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप माने जा सकते हैं: एक, सामान्य रूप और दूसरा, प्रयोगपरक रूप। भाषा के सामान्य रूप का प्रयोग सामान्य जीवन में दैनिक कार्यों के संदर्भ में होता है और जिसका अभ्यास, ज्ञान तथा अर्जन सामान्य जीवन के परिवेश से ही किया जा सकता है, किन्तु भाषा का प्रयोगपरक रूप विशेष कार्यों के संपादन में देखने को मिलता है और इसका अभ्यास, ज्ञान तथा अर्जन विशेष प्रयत्न से किया जा सकता है। भाषा का यह प्रयोगपरक रूप ही 'प्रयोजनमूलक भाषा' (फंक्शनल लैंग्वेज) कहलाता है। हिन्दी-भाषा के संदर्भ में हिन्दी के भी दो रूप मान्य हैं: (1) सामान्य हिन्दी (2) प्रयोगपरक हिन्दी। प्रयोगपरक हिन्दी रूप ही 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' है।

उदाहरण के लिए सरकारी कामकाज की हिन्दी, हिन्दी-भाषा का वह रूप है, जिसका प्रयोग कार्यालयों में किया जाता है। कार्यालय में प्रयुक्त हिन्दी और सामान्य हिन्दी में सदैव ही अंतर रहा है। कार्यालय-हिन्दी का एक विशिष्ट रूप 'प्रयुक्ति' (रजिस्टर) के रूप में विकसित हो गया है। "विषय विशेष के अनुकूल शब्दावली, पदबंध-वाक्यांश और वाक्यों का संयोजन 'प्रयुक्ति' कहा जाता है[11] अर्थात् विषय के अनुकूल भाषा का प्रयोग 'प्रयुक्ति' है। इस रूप में इसका सीधा संबंध कथ्य के प्रतिपादन से है। 'प्रयुक्ति' के आवश्यक तत्वों के रूप में तकनीकी तथा वैज्ञानकि शब्दावली, विशिष्ट शाब्दिक अन्विति तथा भाषा-संरचना की बात कही जाती है।[12] इन तत्वों के आधार पर यदि कार्यालयीन हिन्दी की प्रकृति का परीक्षण किया जाये, तो वह एक 'प्रयुक्ति' के रूप में विकसित होती देखी जा सकती है। हिन्दी-भाषा के कार्यालयीन रूप में प्रयुक्त 'मसौदा,' 'टिप्पणी', 'आवती', 'पावती', 'प्रशासी', 'खंड', 'प्रभाग', 'शाखा', 'कागज पत्र, 'कार्यसूची' 'अर्जित छुट्टी', 'वेतन' 'वेतनपर्ची' आदि सैकण्डों, तकनीकी शब्द केवल इसी प्रयुक्ति में रूढ़ हो गए हैं। इस प्रयुक्ति से इतर क्षेत्र में इन शब्दों का प्रयोग वैसे ही हास्यास्पद होगा, जैसे कोई करधनी को गले में पहनकर हास्यास्पद हो जायेगा। "यदि कोई व्यक्ति घर में या मित्रों/परिचितों के बीच 'भोजन प्रस्तुत कीजिए' या 'घरेलू बजट के बारे में टिप्पणी लिखकर स्वीकृति मांगिए' आदि प्रयोग करें तो उस व्यक्ति को 'क्लर्क मनोवृत्ति का' या सनकी ही कहा जाएगा।[13] "कार्यालयीन-हिन्दी में कर्मवाच्य, निर्वैयक्तिकता तथा कर्तृत्वविहीनता वाली संरचनाओं की प्रधानता रहती है, जो उसे सामान्य-हिन्दी से पृथक् कर एक प्रयोजन विशेष के लिए प्रयुक्त हिन्दी रूप से सम्बद्ध करती है।

आज वैज्ञानिक, औद्योगिक, वाणिज्यक और प्रशासनिक आदि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भाषा का जो रूप उभर रहा है, वह 'प्रयुक्ति' के रूप में ही विकसित हो रहा है। यहां तक कि 'वैज्ञानिक हिन्दी', 'वाणिज्यिक हिन्दी', 'तकनीकी हिन्दी', 'कार्यालयीन हिन्दी' जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। इन विषयों से संबंद्ध विचारणाओं और धारणाओं को व्यक्त करने में सक्षम हिन्दी का रूप प्रयोजन विशेष के लिए

*स्नाकोत्तर हिंदी विभाग, कुसुमबाई जैन कन्या महाविद्यालय, मिण्ड 477001

प्रयुक्त रूप को सामने ला रहा है। विषय-विशेष से संबंद्ध शब्दावली की संरचना हो रही है। नवीन शब्दों के साथ-साथ संरचना भी प्रभावित होती ही है। वैज्ञानिक विषयों को तटस्थता से व्यक्त करने के लिए कर्मवाच्य और भाववाच्य संरचनायें ही अधिक उपयुक्त हैं। तात्पर्य यह कि वैज्ञानिक, औद्योगिक, वाणिज्य-विषयक, तकनीकी, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों/विषयों में प्रयुक्त हिन्दी-भाषा के विविध रूप 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' के ही विविध रूप हैं, जिनकी शैली सामान्य भाषा की शैली से भिन्न होती है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी : संकल्पना का आधार

अब यह निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि भाषा की प्रकृति "समरूपी" न होकर "विषमरूपी" है। भाषा के विषमरूपी होने के सबसे बड़े प्रमाण "भाषा-भेद" और "भाषिक-विकल्पन" होते हैं। 'भाषिक विकल्पन' वे भाषिक इकाईयां या तत्व हैं, जो पृथक्-पृथक सामाजिक संदर्भों में पृथक्-पृथक् रूप में आये हैं।[14] अतः भाषा एक अमूर्त प्रतीतकरण प्रक्रिया ही न होकर एक सामाजिक यथार्थ भी है[15] और उसका संबंध ऐसे मानव से है, जो सामाजिक है। दूसरे शब्दों में मनुष्य समाज में रहने को विवश है और उसकी सत्ता सामाजिक-संदर्भों के बिना अधूरी है। चूंकि ये सामाजिक संदर्भ 'समरूप' नहीं होते, इसलिए भाषा भी अपने प्रकृत रूप में विषय होने को बाध्य है।[16] भाषायी-व्यवहार में जितने भाषा-भेद दिखाई देते हैं और सामाजिक संदर्भ के आधार पर जिस प्रकार इन भाषा भेदों में से एक भेद का चयन कर उसका प्रयोग किया जाता है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है, कि भले ही समाज एक समुदाय होता है, किन्तु उसमें परिस्थिति, विषय, व्यक्ति के सामाजिक स्तर-भेद आदि के आधार पर विविधता भी होती है। अगर भाषा समाज की वस्तु है और उसका प्रयोग किसी सामाजिक संदर्भ में ही अपेक्षित है, तब भाषा के लिए यह स्वाभाविक भी है, कि वह इस विविधता को पूरी तरह व्यक्त करे।[17]

वस्तुतः भाषा के प्रयोगगत रूपों से सर्वथा पृथक किसी एक मानक रूप की सत्ता मात्र मानसिक होती है। इसकी स्थिति 'ग्राम' (ध्वनिग्राम, रूपग्राम) जैसी है, जिसकी न तो भौतिक सत्ता होती है और न जिसका वास्तविक भाषा में प्रयोग होता है। जैसे 'ध्वनि के स्तर पर 'ध्वनिग्राम' का प्रयोग न होकर संध्वनियों या ध्वनि-परिवर्तों' का प्रयोग होता है, रूप के स्तर पर 'रूपग्राम' का प्रयोग न होकर 'संरूपों' अथवा 'रूप परिवर्तों' का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार कुछ अपवादों को छोड़कर समवेत रूप से भाषा के स्तर पर किसी मानक, एक रूप अथवा 'समरूप' भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता, प्रयोग उसके 'परिवर्तों' (variants) का होता है, जो 'संध्वनि' तथा 'संरूप' की तरह ही प्रयोग से नियंत्रित होते हैं। एक सामाजिक संदर्भ में एक का प्रयोग होता है, तो दूसरे में दूसरे का, तीसरे में तीसरे का ....। इस प्रकार 'ग्राम' और 'संध्वनि' का सिद्धान्त 'भाषा के समवेत रूप' (जिसमें ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ सभी समाहित हैं। पर भी लागू होता है और जैसे ध्वनीय या रूपीय परिवर्तों का वितरण भाषा की आंतरिक संरचना से प्रतिबंधित होता है, उसी प्रकार भाषा के प्रयोजनमूलक परिवर्त, सामाजिक प्रयोग से प्रतिबंधित होते हैं।[18]

भाषा, व्यक्ति और समाज अन्योन्याश्रित हैं। भाषा, व्यक्ति को समाज से जोड़ती है तथा व्यक्ति और समाज के बीच एक बड़ी का कार्य करती है। समाज के संदर्भ सदैव एकरूप नहीं होते। मानसिक, प्रायोजनिक, पारंपरिक तथा अभिव्यक्ति की दृष्टि से समाज के भी परिवर्त होते है। वैज्ञानिक अनुसंधान से संबद्ध संस्थान का समाज एक अलग समाज है और प्रशासनिक कार्यालय का समाज दूसरा भिन्न समाज है। इसी प्रकार वाणिज्य, बैंक, उद्योग का अपना-अपना विशिष्ट समाज है। समाज के इन परिवर्तों के विषय एक-दसरे से पृथक और विशिष्ट होते हैं। हर विशिष्ट समाज (जो बृहत्तर समाज का किसी स्तर पर एक खंड भर है) की अपनी भाषा होती है। "एक बृहत्तर समाज के भीतर विभिन्न प्रयोजनों से जितने भी विभिन्न छोटे-छोटे समाज गठित होते हैं, उन सबकी अपनी भाषा भी एक सीमा तक अलग-अलग होती है, जो प्रयोग के विशिष्ट प्रयोजन के कारण उस भाषा के सर्वमान्य रूप के परिवर्त कहे जा सकते हैं।"[19] किसी भाषा के ये विविध परिवर्त, उस प्रयोजन विशेष पर ही आधृत होंगे, जिनके लिए उनके अलग-अलग प्रयोग होंगे—विभिन्न प्रयोजन के लिए गठित समाज खंडों द्वारा भाषा के विभिन्न रूप या परिवर्त ही भाषा विशेष के प्रयोजनमूलक विभिन्न रूप हैं। हिन्दी-भाषा के संदर्भ में भी यही तथ्य प्रामाणिक सत्य है।

प्रयोजनमूलकता मूलत : सामाजिक गुण है

"प्रयोजनमूलकता मूलतः सामाजिक गुण है"[20] जब यह कहा जाता है, तब प्रयोजनमूलक दृष्टिकोण से अभिप्राय होता है कि "भाषा, मूलतः सामाजिक नियंत्रण का साधन है और इस कारण भाषायी प्रक्रिया मुख्यतः एक सामाजिक प्रक्रिया है।"[21] भाषा केवल विचार-संप्रेषण का ही साधन नहीं है अपितु वह सामाजिक संदर्भों एवं प्रयोजन-मूलक संदर्भों से जुड़कर विविध रूपों में जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवा माध्यम के रूप में सामने आती है। भाषा-भेद के कारण सामाजिक-संदर्भ ही हैं, जिनके आधार पर सभी मानवीय भाषाएँ एक धरातल पर समान होकर भी बाह्य अभिव्यक्ति में भिन्न हो जाती हैं।

वस्तुतः भाषा विवेचन में भाषा-विज्ञान संरचनात्मक विश्लेण का आधार लेता है। भाषा, स्वन-संरचना, व्याकरणिक संरचना तथा अर्थ-संरचना का संपृक्त रूप मानी जाती है। भाषा स्वरूप को निर्मित करने वाले घटक हैं-स्वनिम, रूपिम, पद, पदबंध, वाक्य, अर्थतत्व आदि। चाहे 'सामान्य भाषा' रूप हो या फिर 'प्रयोजनमूलक भाषा' रूप-दोनों में उपर्युक्त गठन समान ही होता है। अर्थ की संरचना वाक्य में प्रयुक्त शब्दों से प्रकट होती है। शब्द दो प्रकार के हो सकते हैं: (1) आधारभूत- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया-विशेषण आदि। इन शब्दों की जानकारी भाषा का प्रयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति रखता है। (2) दूसरे प्रकार के शब्द वे हैं, जो आधारभूत नहीं हैं। इनकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को नहीं हो सकती है। इन शब्दों का प्रयोग प्रयोजन विशेष, कार्य विशेष एवं क्षेत्र विशेष में ही होता है और इन विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति ही अपने-अपने क्षेत्र में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों तथा प्रयोगों से परिचित रहते हैं। उदाहरण के लिए-'प्रत्यक्ष कर', 'कराधान', 'अनुपाती कर', 'प्रतिगामी कर', 'अधोगामी कर' (मानविकी क्षेत्र से संबंद्ध पारिभाषिक शब्द हैं), अभिधा, लक्षणा, 'व्यंजना', 'प्रतीक', 'बिम्ब' (समीक्षा शास्त्र से संबंधित पारिभाषिक शब्द हैं), 'परमाणु ऊर्जा', 'गुरूत्वाकर्षण', 'कण' 'कार्बन' (वैज्ञानिक क्षेत्र के शब्द हैं) तथा 'आवती', 'पावती', 'मसौदा', टिप्पणी' प्रशासनिक शब्द हैं। इन शब्दों का अर्थ विभिन्न कार्य संदर्भों में प्रयुक्त होने पर तो स्पष्ट है, सामान्य-भाषा में इनका प्रयोग नहीं होता है। ये आधारभूत शब्द या प्रयोग नहीं हैं।

तात्पर्य यह कि प्रत्येक भाषा (अतः हिन्दी-भाषा का भी) का एक

आधारभूत व्याकरण होता है, जो विभिन्न सामाजिक संदर्भों में समरूप दृष्टिगोचर होता है, किन्तु अगर भाषा जीवंत है, तो विभिन्न परिस्थिति से संबद्ध होकर वह व्यक्त रूप में विभिन्न स्वरूप धारण करने में समर्थ है। आधारभूत व्याकरण का यह समाज संदर्भित विविध प्रतिफलन ही उस भाषा का 'प्रयोजनमूलक' रूप है। भाषा एक सामाजिक यथार्थ है तथा हिन्दी एक जीवंत भाषा के रूप में प्रचलित और प्रयुक्त हैं। अतः उसके प्रचलन और प्रयोग के अनेक रूप समाज में उपलब्ध हैं। हिन्दी-भाषा इस समय अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक साहित्यिक, शास्त्रीय या वैज्ञानिक और शैक्षिक संदर्भों में प्रयुक्त है।

प्रयोजनमूलक हिंदी के भेदः

'प्रयोजनमूलक हिंदी' के स्वरूप की व्याख्या भिन्न-भिन्न किंतु सार्थक सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासकीय-व्यवसायात्मक तथा शैक्षिक आधारों पर करनी होगी। केवल साहित्यिक दृष्टि से भाषा शिक्षण का नियोजन न व्यावहारिक होगा और न सार्थक। "आधुनिक भाषा विज्ञान, समाज विज्ञान और शिक्षा शास्त्र के आधार पर हिंदी-भाषा की प्रयोजनमूलक परिभाषा और उसके विविध रूपों का शैक्षणिक, प्रकरणों, शैलियों और संदर्भों की दृष्टि से वर्गीकरण किया जा सकता है।[22] समवेततः हिंदी के मुख्य प्रयोजनमूलक रूप सात माने जा सकते हैं: (1) सामान्य बोलचाल की हिन्दी (2) वाणिज्यिक हिन्दी (इसके अनेक उपभेद संभव हैं, जैसे-विविध मंडियों का भाषा रूप, सर्राफों-सुनारों-दलालों की भाषा, सट्टा-शेयर बाजार की भाषा आदि) (3) कार्यालय-हिन्दी (इसके अन्तर्गत भी भाषा के कई उपरूप दृष्टिगोचर होते हैं: संसद, मंत्रालय, सेना, बैंक आदि में प्रयुक्त भाषा में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य होता है। (4) शास्त्रीय हिन्दी (विभिन्न शास्त्रों में प्रयुक्त भाषा भी पारिभाषिक शब्द-प्रयोग के स्तर पर भिन्न हो जाती है। संगीत, समीक्षा, दर्शन शास्त्र, योग, राजनीति, विधि, चिकित्सा आदि शास्त्रों की भाषा (5) तकनीकी हिन्दी (अभियांत्रिकी, बढ़ईगीरी, लुहारी, प्रेस, फैक्टरी, मिल आदि की तकनीकी भाषा । (6) समाजी हिन्दी (इसका प्रयोग सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं-आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी लोगों की भाषा) और (7) साहित्यिक-सांस्कृतिक हिन्दी (इसके अन्तर्गत काव्य, कला, नाटकादि की भाषा आती है)।

प्रयोजनी हिन्दी का प्रयोग क्षेत्र व्यापक है। इसलिए केवल प्रशासकीय हिन्दी अथवा तकनीकी हिन्दी का विवेचन-विशलेषण करने मात्र से हिन्दी की प्रयोजनीय संकल्पना को सार्थक नहीं किया जा सकता । डा॰ विद्यानिवास मिश्र की भी मान्यता है कि "हिन्दी का संदर्भ अत्यन्त व्यापक और जीवित संदर्भ है।"[23] वे इस व्यापक संदर्भ के लिए चाहते हैं कि "प्रयोजनमूलक हिंदी का नक्शा साफ़ होना चाहिए।" ऐसे कल-कारखानों में जहां विभिन्न भाषा-क्षेत्रों से आये हुए लोग एक सामान्य माध्यम के प्रयोग के लिए मजबूर हो गये हैं और वह माध्यम अधिकांश स्थानों में हिन्दी है, उस हिन्दी का आकलन किया जाये, दफ्तरों के बाबुओं की बातचीत का आकलन किया जाये, अखबारी हिन्दी का आकलन किया जाये, राजनीतिक प्रचार के लिए छपाये गये पर्चों की हिन्दी का आकलन किया जाये, संसद, विधान मंडलों, जिला परिषदों, नगर परिषदों और ग्राम पंचायतों की हिन्दी का आकलन किया जाये, और विभिन्न स्तरों पर व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त हिन्दी का भी आकलन किया जाये, तब कहीं पूरा नक्शा साफ होगा।[24]

निष्कर्षः— निःसंदेह भाषा विज्ञान में आज भाषा-अध्ययन की दो दृष्टियां हैं: भाषा वैज्ञानिक और प्रयोजनवादी। प्रयोजनवादी दृष्टि यह मानकर चलती है कि भाषा समाज-सापेक्ष होती है अतः अपने व्यवहृत रूप में वह अनिवार्यतः वैविध्यपूर्ण है। भाषा व्यवहार की इसी विविधता को विश्लेषित करने के लिए भाषाविदों ने 'प्रयुक्ति' अथवा 'प्रयोग-क्षेत्र' की संकल्पना की है। ये दोनों संकल्पनाएं सामान्यता इस तथ्य का उद्घाटन करती हैं कि वस्तुतः व्यक्ति भाषा द्वारा क्या काम लेता है। यह भी सच है कि 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' के विपरीत यदि कोई हिन्दी है तो वह निष्प्रयोजन मूलक नहीं, अपितु 'आनन्दमूलक हिन्दी' है। आनन्द व्यक्ति-सापेक्ष है और प्रयोजन समाज—सापेक्ष। आनंद स्वकेन्द्रित होता है और प्रयोजन समाज की ओर इंगित करता है। वस्तुतः भाषा के व्यावहारिक और ललित दोनों ही पक्ष एक-दूसरे के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। समाज का एक बहुत बड़ा क्षेत्र इस भाषा के प्रयोजनमूलक संदर्भ से संबद्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं।

संन्दर्भ

1. 'प्रयोजनमूलक हिन्दी', पृ॰ 25, संपादक: रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा, द्वितीय संस्करण 1987 ग्रंथ में 'श्री रमा प्रसन्न नायक' का मत।
2. वही, पृष्ठ 107 "प्रयोजनमूलक हिन्दीः उद्देश्य और कार्यसीमा", डॉ॰ विद्यानिवास मिश्र।
3. वही पृष्ठ 107.
4. वही, पृष्ठ 25.
5. वही, पृष्ठ 107, डॉ॰ विद्यानिवास मिश्र की आपत्ति।
6. वही, "प्रयोजनमूलक हिंदी और शिक्षण सामग्री की समस्याएं, प्रो॰ न॰ वी॰ राजगोपालन पृष्ठ 129.
7. वही पृष्ठ 47 पर डॉ॰ शिवेन्द्र वर्मा का मत.
8. वही, पृष्ठ 47.
9. वही, पृष्ठ 21 पर श्री मोटूरि सत्यनारायण के विचार.
10. वही, पृष्ठ 21.
11. हिन्दीः स्वरूप और प्रयोग (भाग-3) पृष्ठ 130, प्रो॰ बालगोविन्द मिश्र एवं प्रो॰ कृ॰कु॰ शर्मा.
12. भाषा-प्रयुक्ति की संकल्पना और कार्यालय हिन्दी, पृष्ठ 138: ठाकुरदास "भाषा" (त्रैमासिक) विश्व हिन्दी सम्मेलन अंक 1975.
13. वही पृष्ठ 138.
14. हिन्दी भाषा की सामाजिक भूमिकाः पृष्ठ 10-11, तिवारी, प्रियदार्शिनी।
15. हिन्दी में सर्वनाम प्रयोग का सामाजिक-संदर्भ, पृ॰ 126, अशोक कालरा "भाषा" (त्रैमासिक) वि॰हि॰स॰ अंक 1975.
16. भाषा-प्रयुक्ति की संकल्पना और कार्यालय-हिन्दी, पृ॰ 136.
17. हिन्दी में सर्वनाम प्रयोग का सामाजिक संदर्भ, पृ॰ 126.
18. प्रयोजनमूलक हिन्दी, पृष्ठ 111-112 डॉ॰ भोलानाथ तिवारी.
19. वही पृ॰ 112.

भारतीय भाषाओं के प्रति भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का दृष्किोण

— डॉ॰ रमेश गुप्त*

भारत वर्ष को आजादी मिले 46 वर्ष हो चुके हैं पर भाषा समस्या सुलझाने के स्थान पर उलझती ही जा रही है। हिन्दी साहित्य के आधुनिक युग के प्रवर्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (सन् 1850-1885 ई॰) ने इस भाषा समस्या को सुलझाने के लिये आज से 116 वर्ष पूर्व जो सुझाव दिये थे, उन्हें यदि क्रियान्वित किया जाता तो आज भारत में भाषा-समस्या जैसी कोई समस्या ही न होती। भारतेन्दु के भाषा सम्बन्धी दृष्किोण का परिचय हमें मुख्यतः उनकी एक पद्यमय रचना — "हिन्दी की उन्नति पर व्याख्यान" में मिलता है। सन् 1877 ई॰ में रचित इस पद्यबद्ध रचना में भारतेन्दु हिन्दी भाषा की उन्नति को, भारत की बहुमुखी उन्नति का मूलमन्त्र बतलाते हुए कहते हैं:—

"निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल।।"

भारतेन्दु के विचार में अंग्रेजी पढ़कर चाहे कोई कितना भी गुणी क्यों न हो जाए पर अपनी भाषा के ज्ञान के बिना वह हीन ही बना रहेगा —

"अंग्रेजी पढ़ि के जदपि सब गुन होत प्रवीन।
पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन।।'

अंग्रेजी आदि भाषाएं तभी तक काम आती हैं जब बाहर बातें करनी हों, घर में ज्ञान के प्रकाश के लिये तो अपनी भाषा ही चाहिये क्योंकि नारी व पुत्र तो इन विदेशी भाषाओं से अनभिज्ञ हैं —

"यह सब भाषा काम की जब लौं बाहर बास।
घर भीतर नहिं कर सकत इन सों बुद्धि प्रकास।।
नारि पुत्र नहिं समझहीं कछु इन भाषन माहिं।
तासों इन भाषान सों काम चलत कछु नाहिं।।

माता अपने पुत्र को खेल-खेल में सब कुछ आसानी से सिखा सकती है। पर यह तभी सम्भव है जब शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो क्योंकि भारतीय नारी हिन्दी के अतिरिक्त अन्य कोई भाषा नहीं जानती—

"माता सब कछु पुत्र को सहजहिं सकत सिखाई,
सो माता हिन्दी बिना कछु नहिं जानत और।।"

भारतेन्दु अंग्रेजों का उदाहरण देते हुये बतलाते हैं कि यद्यपि अंग्रेजी भाषा में अनेक दोष हैं, लिखा कुछ और पढ़ा कुछ जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि अंग्रेजी अंग्रेजों की मातृभाषा है, अतः अनेक दोष होते हुये भी वे इसका त्याग नहीं करते बल्कि उन्होंने सभी प्रकार की विद्याओं के ग्रंथ अंग्रेजी में निर्मित किये हैं और यही अंग्रेजी की दिन प्रतिदिन उन्नति का कारण है —

"सब्द बहुत परदेस के उच्चारनहु न ठीक।
लिखत कछु पढ़ि जात कछु सब विधि परम अलीक।।
पै निज भाषा जानि तेहि तजत नहीं अंग्रेज।
दिन दिन याही को करते उन्नति पै अति तेज।।"

अंग्रेजों ने जहां से जो गुण मिला, वहां से वह लिया और इसीलिये आज अंग्रेज समस्त विद्याओं के स्वामी बन बैठे हैं —

"जहां जोन को गुन लह्यो लियों जहां सो तोन।
ताहीं सों अंग्रेज अब सब विद्या के भोन।।"

हिन्दी की उन्नति के सम्बन्ध मे दिये गए अपने व्याख्यान में भारतेन्दु जी भारतवासियों से राष्ट्रभाषा हिन्दी की उन्नति का स्पष्ट आग्रह करते हुए कहते हैं कि न केवल राजकार्य में अपितु समस्त संसार में हिन्दी भाषा को फैलाने के प्रयत्न करने चाहिये —

"प्रचलित करहु जहान में निज भाषा करि जत्न।
राज काज दरबार में फैलाबहु यह रत्न।।"

किन्तु साथ ही यह भी आवश्यक है कि सब लोग मिलकर अपनी इस हिन्दी भाषा को परिमार्जित करें, स्वयं पढ़ें, और दूसरों को पढ़ावें, लिखें और मिलकर के कुछ पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित करवाएं —

"भाषा सोधहु आपनि होई सबै एकत्र।
पढ़हु पढ़ावहु लिखहु, मिलि छपवावहु कछु पत्र।।

विदेशी लोगों की बुद्धि और विदेशी वस्तुओं की आशा करके और दूसरों के वश में होकर हम आखिर कब तक गुलामी का जीवन व्यतीत करेंगें? —

"परदेशी की बुद्धि अरू वस्तुन की करि आस।
पर-बस ह्वै, कब लौं कहो, रहि हो तुम ह्वै दास।।"

समय की यही पुकार है कि हम अपनी भाषा, अपना धर्म और अपने व्यवहार को शीघ्र बढ़ाएं —

"निज भाषा, निज धरम, निज मान करम ब्यौहार।
सबै बढ़ावहु बेगि मिलि, कहत पुकार पुकार।।"

यदि हम सचमुच देश की उन्नति चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम अपनी भाषा की उन्नति करनी चाहिये, क्योंकि यही देश के उत्थान का मूलमंत्र है —

"करहु विलम्ब न भ्रात अब उठहु मिटावहू सूल।
निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सब को मूल।।

कोई चाहे लाख उपाय कर लेकिन अपनी भाषा की उन्नति के बिना कभी देश उन्नति नहीं कर सकता —

"निज भाषा उन्नति बिना कबहूं न ह्वै है सोय।
लाख अनेक उपाय यों भले करों किन कोय।।"

भारतेन्दु जी जैसा दूसरों को करने के लिये कहते थे, वैसा ही स्वयं भी करते थे। भारतेन्दु जी हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगला, मराठी,

*रीडर, हिन्दी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)।

अवधी, ब्रज, राजस्थानी, भोजपुरी इत्यादि अनेक भाषाओं एवं बोलियों के ज्ञाता थे, किन्तु हिन्दी के उन्नति के लिये उन्होंने अपने साहित्य का माध्यम मुख्यतः हिन्दी ही बनाया और इन अनेक भाषाओं के साहित्य को हिन्दी में अनूदित कर उसकी उन्नति करने की चेष्टा की। उदाहरण के लिये—अंग्रेजी नाटक "मर्चेन्ट आफ् वेनिस" को उन्होंने हिन्दी में "दुर्लभ-बन्धु" के नाम से प्रस्तुत किया। "विद्यासुन्दर" बंगला से अनूदित है, "मुद्राराक्षस" संस्कृत से और "कर्पूर मंजरी" प्राकृत से।

हिन्दी भाषा के रूप को स्थिर करने के लिये ही भारतेन्दु ने सन् 1873 ई० में हरिश्चन्द्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली। भारतेन्दु नई परिष्कृत हिन्दी का उदय अपनी इस पत्रिका के जन्म के समय ही मानते हैं। इसीलिये अपनी "कालचक्र" शीर्षक रचना में विश्व की प्रमुख घटनाओं का कालक्रमानुसार विवरण प्रस्तुत करते हुए वे सन् 1873 ई० की केवल एक घटना को उल्लेखनीय मानते हैं — "हिन्दी नये चाल में सन् 1873 ई०।" आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में — "निस्सन्देह जिस प्यारी हिन्दी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ।"

हिन्दी के प्रसार के लिये ही भारतेन्दु ने पैनीरीडिंग क्लब, कवि समाज इत्यादि कई संस्थाएं स्थापित कीं। अपना एक विशाल पुस्तकालय बनाया। कार माइकैल लाईब्रेरी एवं बाल सरस्वती भवन की स्थापना में बड़ी सहायता की। 400 के लगभग हिन्दी में ग्रंथ लिखे, रुपया दे-देकर हिन्दी में पुस्तकें लिखवाईं। एक बार उन्होंने घोषणा की थी कि फ्रांसीसी युद्ध संबंधी एक नाटक पर वे 400 रुपये पारितोषिक देंगें।

कचहरियों में हिन्दी को स्थान दिलाने के लिये भी उन्होंने काफी प्रयास किया। हिन्दी के प्रश्न पर अपने गुरु एवं उस काल के समर्थ राजकीय अधिकारी राजा शिवप्रसाद सितारे-हिन्द से भी विरोध मोल ले लिया। परिणामस्वरूप भारतेन्दु को सरकार के कोप का भाजन बनना पड़ा। राजकीय शिक्षा विभाग ने उसकी "कवि वचन सुधा", "हरिश्चन्द्र चन्द्रिका" एवं "बाला-बोधिनी" और उनकी पुस्तकों की खरीद बन्द कर दी थी। बाबू साहब को आनरैरी मैजिस्ट्रेटी से हटा दिया गया था। सरकार में उनके अनेक देश-हितैषी कामों, हिन्द प्रैस का राजद्रोह सिद्ध किया गया। शिक्षा कमीशन के सामने उन्होंने स्वयं गवाही दी और अन्यों से दिलवाई कि उत्तर प्रदेश में हिन्दी को ही स्थान मिलना चाहिये। शिक्षा कमीशन को उत्तर देते हुये उन्होंने कहा, "मैं सदा से शिक्षा की ओर जी लगाता हूं। मैं हिन्दी, संस्कृत, उर्दू आदि का कवि हूं और मैंने बहुत से गद्य-पद्य के ग्रंथ बनाये हैं। मैंने "कवि वचन सुधा" हिन्दी का समाचार निकाला था जो अब तक प्रकाशित होता है। मेरा उद्देश्य सदैव यही रहा कि स्वदेशियों की शिक्षा सम्बन्धी उन्नति करूं, इन प्रान्तों की वर्नाक्यूलर की उन्नति करूं और मातृभाषा के साहित्य-भण्डार की वृद्धि करूं।" डॉ० ग्रियर्सन के शब्दों में — "इन्होंने (भारतेन्दु ने) हिन्दी साहित्य के प्रचारार्थ जितना उद्योग किया है उतना अन्य किसी वर्तमान भारतीय ने नहीं किया है।

उर्दू भाषा

भारतेन्दु हिन्दी और उर्दू भाषा में कोई विशेष अन्तर नहीं मानते थे। वे 8 सितम्बर, 1873 ई० की "कविवचन सुधा" में "हिन्दी बनाम उर्दू" शीर्षक के अन्तर्गत लिखते हैं — "हिन्दी और उर्दू में अन्तर क्या है? हम बिना संकोच के उत्तर देते हैं कि इन भाषाओं में कुछ अन्तर नहीं है, क्योंकि व्याकरण की विभक्तियां और नियम दोनों की एक हैं पर इतना ही अन्तर है कि हिन्दी में जिसके लिये हिन्दी शब्द नहीं मिलता वहां संस्कृत शब्द काम में आते हैं, और उर्दू में सहज हिन्दी शब्द होने पर भी और जहां शब्द नहीं मिलते हैं वहां तो अवश्य ही अरबी और फारसी के शब्द लिखे जाते हैं, यही दोनों में अन्तर हैं।

भारतेन्दु स्वयं उर्दू भाषा के अच्छे जानकार थे। उन्होंने "रसा" उपनाम से उर्दू भाषा में पद्य और गद्य दोनों में अनेक रचनाएं लिखी हैं जो इस बात का द्योतक हैं कि उन्हें उर्दू से भी लगाव था। भारतेन्दु द्वारा उर्दू भाषा में रचित साहित्य कम महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी उर्दू शायरी के कुछ उदारहण प्रस्तुत हैं —

"गां करती है बुलबुल याद में गर गुल के ए गुलचीं।
सदा इक आह की आती है जब गुंचे चटकते हैं
रिहा करता नहीं सैयाद हम को मौसिमें गुल में।
कफ़स में दम जो घबराता है सर दे दे पटकते हैं।
उड़ा दूंगा "रसा" मैं धज्जियां दामाने सहरा की।
अबस खारे बियाबां मेरे दामन से अटकते हैं।।"

* * *

"बुरा हो इश्क का यह हाल है अब तेरी फुर्कत में।
कि चश्मे खूं चंका से लखते दिल पै हम निकलते हैं।।

* * *

"कोई जाकर कहो यह आखिरी पैगाम उस बुत से।
अरे आ जा अभी दम तन में बाकी है सिसकते हैं।।
ख्वाबे गफ़लत से जरा देखो तो कब चौके हैं हम।।
क़ाफिला मुल्के अदम को जब रवाना हो गया।।

* * *

"रसा महवे फसाहत दोस्त क्या दुश्मन भी हैं सारे।
ज़माने में तेरे तर्जे सखुन की यादगारी है।।"

भारतेन्दु उर्दू की शायरी करते हुए भी अपने देश और अपनी संस्कृति को भूलते नहीं, उसकी महक आ ही जाती है, जब वे कहते हैं —

"शोलए इश्क भड़कता है तो कहता हूं "रसा"।
दिल जलाने के लिये आह यह आई होली।।"

निस्सन्देह भारतेन्दु देश के अधिकांश लोगों की कठिनाई का अनुभव करते हुए चाहे हिन्दी को राजभाषा बनाने के समर्थक रहे पर उन्हें उर्दू भाषा से भी बेहद प्यार था, विरोध का तो प्रश्न ही नहीं।

अन्य भाषाएं

भारतेन्दु हिन्दी, अंग्रेजी व उर्दू ही नहीं, अन्य भाषाओं के प्रति भी बहुत उदार दृष्टिकोण रखते थे। यही कारण है कि वे भारतवासियों को अन्य भाषाओं के अध्ययन के लिये प्रेरित करते हुए कहते हैं—

"अंग्रेजी अरू फारसी अरबी संस्कृत ढेर।
खुले खजाने तिनहिं क्यों लूटत लाबहू देर।।"

भारतेन्दु स्वयं हिन्दी, अंग्रेजी व उर्दू के साथ-साथ संस्कृत, प्राकृत व बंगला भाषाओं के भी अच्छे जानकार थे। उनका "कर्पूर मंजरी" नाटक प्राकृत भाषा से, "मुद्राराक्षस" संस्कृत से व "विद्यासुन्दर" बंगला से अनूदित हैं। फारसी भाषा के जानने के अभाव में व्यक्ति बातचीत करने की कला से अनभिज्ञ रहता है—

"बैठनि बोलनि, उठनि पुनि हंसनि मिलनी बतरान।
बिन पारसीन आवहि यह जिय निश्चय जान।।"

वस्तुतः भारतेन्दु के विचार में यदि कोई व्यक्ति सोचने-विचारने का कार्य अपनी भाषा में करता है तो कोई व्यक्ति लाख भाषाएं सीख ले तो अच्छा ही है—

पढ़ो लिखो कोउ लाख बिध, भाषा बहुत प्रकार।
पै जबहीं कछु सोचिहो निज भाषा अनुसार।।"

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारतेन्दु का भाषायी दृष्टिकोण अत्यन्त व्यावहारिक एवं यथार्थवादी था। हिन्दी की उन्नति में ही भारतवर्ष की उन्नति मानते हुए वे प्रत्येक भारतवासी के लिये हिन्दी सीखना अनिवार्य मानते थे। ज्ञान वृद्धि के लिये अंग्रेजी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार करते हुए वे भारतवासियों के लिये इसका अध्ययन भी आवश्यक समझते थे। पर इस सीमा तक नहीं कि अंग्रेजी सीखने के लिये हिन्दी की उपेक्षा कर दी जाये। भारतेन्दु को उर्दू भाषा से भी बहुत लगाव था। उनके विचार में हिन्दी और अंग्रेजी भाषा सीख लेने के पश्चात कोई भारतीय उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत सहित जितनी भी अधिक से अधिक भाषाएं सीख सके, सीखने का प्रयत्न करें। यदि हम अपने भावात्मक आग्रह (या दुराग्रह) भुलाकर भाषायी समस्या को निरपेक्ष रूप में देखें तो पायेंगें कि भारतेन्दु ने भारत की भाषायी समस्या का जो समाधान आज से एक सौ सोलह वर्ष पूर्व सुझाया था, वह आज भी अर्थपूर्ण एवं सर्वाधिक व्यावहारिक है।

हिंदी है ... [पृ०8 का शेषांश]

शक्ति को वह भलीभांति जानती थीं इसीलिए उन्होंने 1976 में इसके लिए एक अलग राजभाषा विभाग की स्थापना करवाई। उनके प्रधान मंत्रित्व काल में हिन्दी का विकास सरकारी और गैर सरकारी मंचों से उदारतापूर्वक हुआ।

संविधान सभा में जिस समय हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था उस समय पीठासीन अध्यक्ष की कुर्सी पर हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद विराजमान थे। उन्होंने उस समय अपने आपको किसी बहस में नहीं डाला, लेकिन राष्ट्रपति होने के बाद उन्होंने साफ कहा—"आज हिन्दी के आलोचकों का कहना है कि हिन्दी में राजभाषा बनने के लिए आवश्यक क्षमता या शब्दावली नहीं है, और अत्यंत सक्षम अंग्रेजी को हटाकर ऐसी कच्ची भाषा को भारत की राजभाषा बना दें तो देश के शासनतंत्र में अवांछनीय शिथिलता आ जायेगी, जिसके कारण देश की शांति और सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। इन आलोचकों का विरोध राजभाषा हिन्दी की क्षमता या सपन्नेता पर नहीं, बल्कि राजनैतिक राग-द्वेष पर ही मुख्यतः आधारित है। सतत प्रयोग और शाश्वत सुधार से ही कोई भी भाषा मंजकर, गठकर सक्षम और सशक्त माध्यम बनती है। इसके लिए आवश्यक अवसर हम अपनी प्रादेशिक भाषा और हिन्दी को भी दें, तो वे भी अंग्रेजी की तरह सक्षम और सशक्त अवश्य बन जाएंगी।"

इन संदर्भों के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप स्वयं निष्कर्ष निकालें कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा जनभाषा के रूप में हिन्दी का महत्व क्या है तथा उसका स्वरूप क्या हो? ☐

1-2 पृ० 11 का शेषांश ...

20. वही पृ० 17 "प्रयोजनमूलक हिन्दी और अनुवाद": रघुवीर सहाय.
21. वही, प्रस्तावना लेख, डॉ० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव.
22. वही. पृ० 64 "प्रयोजनमूलक हिन्दी का शैक्षिक संदर्भ": चौधरी हेमकांत मिश्र एवं माणिकलाल गो० चतुर्वेदी.
23. वही, "प्रयोजनमूलक हिन्दी : उद्देश्य और कार्यसीमा" मिश्र, पृ० 107.
24. वही पृ० 107.

"हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है, जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का कभी बहिष्कार नहीं किया।"

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

शाब्दिक समस्त्रोतीयता की अन्वेषण—पद्धति

— डॉ॰ सुरेन्द्र कुमार शर्मा*

[डा॰ सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने ग्रीक, लैटिन, प्राचीन जर्मन, अवेस्ता, चर्चस्लावोनिक आदि भाषाओं के व्यापक परिवेश में संस्कृत-हिंदी और रूसी समस्त्रोतीय शब्दावली का अन्वेषण किया है। अपने पांच सौ पृष्ठों के शोध ग्रंथ में रूसी शब्दों का व्युत्पत्तिमूलक अध्ययन करके अपने ध्वनि और अर्थपरक सिद्धान्त विकसित किए हैं। इन सिद्धान्तों के आधार पर उन्होंने संस्कृत और रूसी भाषाओं के सामान्य स्त्रोतों की खोज की है। इन स्त्रोतों से आधुनिक रूसी भाषा के लगभग पचास हजार शब्द निष्पन्न हुए हैं।

डॉ॰ शर्मा की मान्यता है कि संस्कृत धातु के परिवर्त एवं सार्थक खण्ड स्तर पर भी रूसी प्रतिरूप उपलब्ध होते हैं जो इन दोनों भाषाओं के घनिष्ठ संबंधों के द्योतक हैं। प्रस्तुत है—डॉ॰ सुरेन्द्र कुमार शर्मा का 'शाब्दिक समस्त्रोतीयता की अन्वेषण पद्धति' शीर्षक लेख। — संपादक]

इदम् अन्धः तमः कृत्स्न जायेत्
भुवनः त्रयम् यदि शब्दाह्वयं
ज्योतिरासंसारम न दीप्यते

(त्रिभुवन अन्धकार पूर्ण हो जाता यदि शब्द नामक दीपक की ज्योति सारे संसार को प्रकाशित नहीं करती)

* * *

एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु
प्रयुक्तः स्वर्गे लोके काम धुक् भवति

(एक शब्द का सम्यक् ज्ञान और सुष्ठु प्रयोग स्वर्ग और संसार दोनों में कामधेनु के समान फलदायक है।)

* * *

एक ही मूल के शब्दों को सममूलक अथवा समस्त्रोतीय शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को परस्पर "प्रतिरूप" भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी भाषा में इनको "काग्नेट" अथवा "कनजेनर" कहते हैं। इन दोनों शब्दों का अर्थ है—सहजात अथवा सहजन्मा। "काग्नेट" का "का—" उपसर्ग और 'कनजेनर' का 'कन' उपसर्ग दोनों संस्कृत 'सम' सो उपसर्ग के समस्त्रोतीय हैं। संस्कृत सध्वनि केन्तुम वर्ग में 'क' हो जाती है। संस्कृत जन् (जन्म देना) के ग्रीक प्रतिरूप "जिनोस" तथा लैटिन प्रतिरूप "जेनरारे" में उपलब्ध 'ज*न' तत्व के संकुचित कंठ्य परिवर्त "ग्न" में 'का' उपसर्ग जुड़ने पर काग्नेट शब्द निष्पन्न हुआ है—जन-"*ग्न" *ग्न ग्नेटस। "कनजेनर" के 'जेन' का सीधा संस्कृत प्रतिरूप 'जन्' है। कुछ विद्वानों ने समस्त्रोतीय शब्दों को पारिवारिक शब्द भी कहा है। क्योंकि इनकी समस्त्रोतीयता के आधार पर इनके एक भाषा-परिवार का होना सिद्ध हो चुका है। भारोपीय अथवा इण्डोयोरोपियन परिवार एक ऐसा ही विशाल भाषा परिवार है। इसको भारत-हित्ती ही विशाल भाषा परिवार है। इसको भारत-हित्ती अथवा इण्डो जर्मेनिक परिवार भी कहते हैं। इस परिवार ने विश्व की महत्तम साहित्यिक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विभूतियों को जन्म दिया है। इस परिवार की भाषाओं को बोलने वालों में चरम मानसिक उत्कर्ष उपलब्ध होता है। विलियम जोन्स, रैस्मस रास्क, फ्रान्स बोप्प, कार्ल ब्रुगमैन, याकोब ग्रिम, अडोल्फ श्लेगल, फ्रेड्रिख श्लेगल, विलहेल्म हम्बोल्ट, मैक्स फैस्मर ज्यूलियन पकोर्नी, जूल ब्लॉख, रोमान याकोब्सन आदि विद्वानों ने संस्कृत, अवेस्ता, ग्रीक लैटिन, प्राचीन जर्मन गॉथिक, चर्च स्लावोनिक, लिथूनियन, लैटवियन, प्राचीन प्रशन तोखारी आदि प्राचीन भाषाओं का ध्वनि, संरचना और अर्थ के धरातल पर गहन-सूक्ष्म अध्ययन करके समस्त्रोतीय तत्वों को खोजा और इन प्राचीन भाषाओं से निष्पन्न इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटेलियन स्पेनिश, रूमानियन, रूसी, फारसी, लिथूनियन लैटवियन, हिन्दी, बँगला, मराठी, गुजराती आदि आधुनिक भाषाओं के एक ही परिवार अर्थात् भारोपीय परिवार की भाषाएँ होने की बात सिद्ध की।

समस्त्रोतीयता के व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए शब्दों का व्युत्पत्ति मूलक एवं तुलनात्मक अध्ययन अनिवार्य है। एक ही भाषा के शब्दों की व्युत्पत्ति सिद्ध करने के लिए भी तुलनात्मकता बहुत आवश्यक है। इसके अभाव में संस्कृत कोशों में उपलब्ध बहुत सी व्युत्पत्तियां काल्पनिक हो गई हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत प्रकाश-ऊष्मा सूचक 'कम' (कमु कान्तौ) तत्व से कमनीय, कमन, कमल, काम, कामना, कमर (विषयी), कम्र, कामिन, काम्या, कामुक कान्त, कान्ति आदि शब्द निष्पन्न हुए हैं। कम का सम्बन्ध कन से है। इन शब्दों में कम का संरचनात्मक एवं लाक्षणिक अर्थ-विकास उपलब्ध होता है। काम, कामी, कामुक में लाक्षणिक अर्थ विकास है—ऊष्मा/वासना/इच्छा कम् का तालव्यीकृत परिवर्त 'चम्' है जिससे चम्पा, चम्पक, चमेली, चामीकर (सोना) चमक, चमकीला आदि रूप निष्पन्न हुए हैं जिनमें भास्वरता सूचक मूल भाव अनुस्यूत है। यदि कम् का महाप्राण परिवर्त प्रकाश ऊष्मा सूचक घर्म माना जाए, तो निम्नलिखित संभावित ध्वनि रूपान्तर सरणि उपलब्ध होती है:

घर्म—घ* (र का लोप)—स्क*म—स*म / —क*म

इस सरणि के प्रत्येक स्तर पर प्रकाश-ऊष्मा सूचक शब्द उपलब्ध होते हैं। 'घ म' का महाप्राण परिवर्त 'हम' हो सकता है जिससे संस्कृत में हर्म्य (स्वर्ण कलश वाले प्रासाद) 'हेम', फारसी में 'हमाम', अंग्रेजी में 'होम' (मूलार्थ रने की गर्मजगह) का सम्बन्ध है। संभावित स्क*म से महाप्राण तत्त्व "स्" के अलग हो जाने पर 'स*म' और 'क*म' संभावित तत्व उपलब्ध होते हैं दन्त्य 'सम' से तालव्यीकृत 'शम' तत्व उपलब्ध होता है जिससे संस्कृत शम्पा (बिजली), शमी, फारसी 'शमा' (दीपशिखा) आदि

* एफ-781, तिमार पुर (मुख्य बस स्टैंड के समीप), दिल्ली-110054

का सम्बन्ध सम्भव है। कम से सम्बद्ध संस्कृत कम् धातु से निष्पन्न शब्द रूप ऊपर दिए जा चुके हैं। 'कम' का लैटिन प्रतिरूप 'केंमिनस' (अंगीठी) और रूसी प्रतिरूप कामीन (अंगीठी) है। लै॰ 'केमिनस' से 'केबिनेट' (अध्ययन कक्ष) और रूसी 'कामीन' से 'कोमनाता' (कमरा) शब्द आधार-आधेय सम्बन्ध के आधार पर निष्पन्न हुए हैं क्योंकि अध्ययन कक्ष और कमरे को गर्म रखने के लिए उनमें अंगीठी बनी होती थी।

घर्म के 'म' को यदि प्रत्यय मूलक मानें, तो उसके निकालने पर "घर्" तत्व मिलता है जिससे निम्नलिखित संभावित ध्वनि रूपान्तर सरणि उपलब्ध होती है:

घर्—स्कर्—सर / शर-कर / चर

'घर्' के परिवर्त हर्/हल् (रलयोरभेदः, र/ल ध्वनि आपस में परिवर्तनीय है जैसे ज्वर/ज्वल, शुक्र/शुक्ल आदि) से हिन्दी होला, होली आदि रूप मिलते हैं। स्कर् के स् और क् के विपर्यय से 'क्षर्' उपलब्ध होता है जिससे संस्कृत क्षार (राख, छार) का सम्बन्ध है। श्रृंखला में उपलब्ध सर/सल के संघर्षीकृत रूप ज़र/ज़ल से फारसी ज़र (सोना×4न) न ज़र, 'ज़री' (स्वर्णिम वस्त्र), रूसी 'ज़ार्या' (प्रभात), ज़ोलो-तो (सोना) ज़ोर्की (तेज़ नजर वाला), ज़िल्योनी (हरा चमकदार रंग) आदि का सम्बन्ध है। सरणि में शर् के परिवर्त शल् से संस्कृत शलभ, शल्य (जो आग में तपाकर बनाया जाता है, बाण, तीर) आदि रूपों का सम्बन्ध है। उपर्युक्त सरणि में उपलब्ध संभावित 'चर्' का सम्बन्ध अंग्रेजी 'चार' (जल जाना), "चारकोल" (कोयला) आदि शब्दों का सम्बन्ध है।

धर्म के 'र' का लोप होने पर 'घम' तत्त्व उपलब्ध होता है जिससे 'क्रम' और क्लम्' उपलब्ध होते हैं (र् यहां पर महाप्राणत्व की क्षतिपूर्ति कर रहा है)। 'क्लम्' का सम्बन्ध संस्कृत 'क्लम्' धातु से है जिसका अर्थ है थक जाना। वास्तव में इसका अर्थ विकास गर्म होना—पसीना आना—थक जाना की अर्थ-सरणि से हुआ है। 'क्लम् से क्लिन्न, क्लान्त, क्लान्ति आदि शब्द निष्पन्न हुए हैं। अंग्रेजी शब्द 'क्लैमी' (चिपचिपा) का सम्बन्ध इसी क्लम तत्त्व से है क्योंकि गर्मी से पसीना आता है और पसीने से शरीर चिपचिपा हो जाता है।

उपर्युक्त तुलनात्मक विशद विवेचन से कम में निहित मूल प्रकाश-ऊष्मा सूचक भाव सुनिश्चित हो जाता है। संस्कृत व्युत्पत्तिकार से अन्य भाषाओं के प्रतिरूपों से तुलना की अपेक्षा तो नहीं की जा सकती, किन्तु संस्कृत के ही एक स्रोत से निष्पन्न प्रतिरूपों की तुलना हो सकती थी। अंसल, मांसल, ऊर्जस्वल आदि शब्दों में उपलब्ध बाहुल्य सूचक'ल' प्रत्यय कम् से निष्पन्न 'कम्' (वैदिक—अच् प्रत्यय) में जुड़ने से 'कमल' शब्द उपलब्ध होता है जिसके मूल में भास्वरता सूचक भाव है। कम से 'म्' का लोप होने पर 'क' शब्द उपलब्ध होता है जिसका अर्थ है जल। जल में भी चमक होती है। संस्कृत कोशों में इसकी व्युत्पत्ति "कम् जलम् भूषयति इति कमल" दी है जिसका अर्थ है जो जल को अलंकृत करता है, उसे कमल कहते हैं। वास्तव में यह व्युत्पत्ति काल्पनिक है। कहीं-कहीं एक ही शब्द की चौदह पन्द्रह व्युत्पत्तियां दी गई हैं। इससे उनका काल्पनिक होना स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार "कृपाण" की व्युत्पत्ति "कृपां नुदति इति कृपाण" भी काल्पनिक है। (यहां पर कृपा का अर्थ अनुकम्पा नहीं, अपितु करुणा है)। इस व्युत्पत्ति का अर्थ है जो करुणा उद्बुद्ध करे, वह कृपाण है। वास्तव में कृपाण के कृप में काटने का मूलभाव है जो संस्कृत शब्द कर्पणी (कैंची) में उपलब्ध होता है। कर्पणी में मूल 'कृप' का गुणीकृत रूप 'कर्प' निहित है। 'कर्प' का अंग्रेजी प्रतिरूप 'कार्य' (काटना—बात काटना—कटु आलोचना करना) है। इस गुणीकृत रूप कर्प के 'र' का लोप होने पर 'कप' उपलब्ध होता है जिसका मराठी प्रतिरूप 'कापणे' (काटना) है। 'कप' का तालव्यी कृत रूप च*प है जिसका सम्बन्ध अंग्रेजी चॉप (काटना) से है। मूल कृप् के संभावित परिवर्त क्लृप से रूसी 'क्लोप' का संबन्ध (काटने वाला खटमल) है। अंग्रेजी 'क्लिप' (कतरना), 'क्लीव' (खंड करना) 'कलेफ्ट' (खात) भी 'क्लप' के प्रतिरूप हैं। कृप का संबंध अंग्रेजी 'क्राफ्ट' (खुदाई कारीगरी) से है। कृप के परिवर्त क्लर्प (रलयोरभेदः) का सम्बन्ध संस्कृत क्लृप धातु से संभव है जिसमें काटने का मूल भाव है — क्लृप्त श्मश्रु (मूछ कटा। क्लृप धातु से कल्पना शब्द निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ विकास काटना—काट छांट करना—बनाना—रचना करना — मनोबिम्ब बनाना' की सरणि से हुआ है।

संस्कृत की घोष महाप्राण ध्वनियों 'घ ध भ' में घोषत्व भी है और महाप्राणत्व भी। इसलिए कृप के संभावित परिवर्त घृप को लिया जाए तो उससे निम्नलिखित ध्वनि रूपान्तर सरणि उपलब्ध हो सकती है।

घृप्—स्कृप्—स्कर्प / स्कल्प—सल्प / कल्प

स्कृप् का अंग्रेजी प्रतिरूप स्क्रेप (छीलना) है और रूसी प्रतिरूप 'स्क्राप' (धातु की छीलन), 'स्क्रेब-नित्सा' (घोड़े पर किया जाने वाला खुर्रा) स्क्रिप्का (वायलिन, जिसे कमानी से रगड़कर बजाया जाता है), 'स्क्रिपेत्' (खर्र खर्र की आवाज, चीखना) आदि हैं। संभावित स्कल्प का सम्बन्ध अंग्रेजी 'स्केल्पल' (सर्जन का चाकू), 'स्कल्पचर' (मूर्तिकला/मूर्तियों को तराशने के आधार पर) आदि से है जो लैटिन धातु स्कलपेरे के माध्यम से अंग्रेजी में आए हैं। **संभावित सरणि में उपलब्ध सल्प का संस्कृत शिल्प से सम्बन्ध है।** उपर्युक्त सरणि में उपलब्ध स्कर्प का सम्बन्ध अंग्रेजी 'स्कोर्पियन' (बिच्छू) से है। इस प्रकार प्रतिरूपों की अर्थ ध्वनिपरक तुलना करने पर कृपाण के मूल में "कृप्" में निहित काटने का मूल भाव सिद्ध होता है। संस्कृत व्युत्पत्ति 'कृपां नुदति' काल्पनिक है। अठारवीं शताब्दी में योरोपीय विद्वानों के संस्कृत अध्ययन से भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन आरंभ हुआ।

कुछ लेखकों ने संस्कृत धातुओं एवं मूल तत्वों के प्रतिरूप अन्य भारोपीय भाषाओं में खोजने की बजाय संस्कृत निष्पन्न शब्दों के प्रतिरूप खोजने का प्रयास किया और जब वे उनकी इच्छानुसार नहीं मिले तो फतवा दे दिया कि भारोपीय परिवार का अस्तित्व ही नहीं था। वास्तव में ये लेखक प्रतिरूपों की अन्वेषण पद्धति से नितान्त अनभिज्ञ हैं। उदाहरण के लिए अनिल (वायु) और अनल (अग्नि) संस्कृत से निष्पन्न शब्द हैं। इनके प्रतिरूप परिवार की अन्य भाषाओं में खोजने की बजाए इन दोनो में निहित संस्कृत 'अन्' धातु के प्रतिरूप खोजने चाहिए थे। निष्पन्न शब्दों के प्रतिरूप मिलना इसलिए कठिन होता है कि उनका विकास भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक सामाजिक परिस्थितियों में होता है। संस्कृत मूल तत्त्व 'अन्' के अनेक प्रतिरूप भारोपीय परिवार की भाषाओं में मिलते हैं। अन् का लैटिन प्रतिरूप "एनिम" (सांस, वायु) है जिससे अंग्रेजी 'ऐनिमल' (पशु), एनिमेट (चेतन), 'एनिमेशन (उत्तेजना) आदि शब्द निष्पन्न हुए है। वास्तव में अन् धातु में मूल भाव 'चलने' का है। सांस एवं वायु चलती रहती है। अन् का संभावित सम्बन्ध गतिसूचक अत्/अट् से है। गति सूचक अन् धातु लैटिन 'अन्नुस' की सगोत्रीय है जो सूर्य की गति की द्योतक है। इससे

'एनम' (वर्ष) 'एनुअल' (वार्षिक) 'एन्युटी (वार्षिक अनुदान) आदि शब्द निष्पन्न हुए हैं। अन् धातु की बजाए यदि अनल, अनिल के प्रतिरूप दूसरी भाषा में खोजेंगे तो वे कैसे मिलेंगे। अन् सम्बद्ध अत् गति सूचक धातु का अर्थपरक विकास वरिष्ठ व्यक्ति, माँ, बाप, भाई के अर्थ में—चलना—साँस चलना-समय बीतना-बड़ा होना-वरिष्ठ व्यक्ति-माँ/बाप/भाई—की अर्थ सरणि से हुआ है। अत् से संस्कृत में अत्ता (माँ) मराठी में आत्या(बुआ), अन् से अण्णा (बड़ा भाई) आदि शब्द निष्पन्न हुए हैं। संस्कृत अत् का हित्ती प्रतिरूप 'अत्ता' (पिता), लैटिन प्रतिरूप 'अत्ता' (पिता), ग्रीक प्रतिरूप 'अत्ता' (पिता), गॉथिक प्रतिरूप 'अत्ता' (पिता), आयरिश प्रतिरूप 'एते' (पिता), अलबानियन प्रतिरूप 'आत' (पिता) तथा रूसी प्रतिरूप 'अते-त्स' (पिता) है। भारोपीय परिवार की भाषाओं में 'अत्' तत्व का इतना व्यापक वितरण होने पर भी कुछ लेखकों ने रुसी अते-तस को उसका अपना ही शब्द माना है। ऐसा उनके अते-त्स (पिता) शब्द में निहित संस्कृत मूल अत् का प्रतिरूप अत' न देख सकने के कारण हुआ। रूसी 'आते-त्स में निहित "त्स" तो प्रत्ययमूलक है। अत् का लैटिन प्रतिरूप 'अतवस' है जिसका अर्थ है पूर्व पुरुष, पुरखा। इसी अत् तत्व से संस्कृत आत्मा शब्द निष्पन्न हुआ है। अत् के परिवर्त अन् से प्राण (प्र+अन्+अ-प्राण) निष्पन्न हुआ है। अत् के लैटिन प्रतिरूप 'अतमोस' से अंग्रेजी एटमॉस्फीयर (वातावरण) निष्पन्न हुआ है।

निष्कर्षतः कह सकते हैं कि दूसरी भाषा में संस्कृत के समस्रोतीय शब्दों को खोजने की सही पद्धति संस्कृत धातुओं (मूल तत्वों) के प्रतिरूपों को खोजना है, न कि संस्कृत निष्पन्न शब्दों के। दूसरी बात यह कि जिस भाषा में संस्कृत मूलों के प्रतिरूप खोजे जा रहे हैं उसकी शब्द संरचना की सही समझ होनी चाहिए। कुछ लेखकों ने उस भाषा का अधकचरा ज्ञान होने के कारण गलत ढंग से उपसर्गों को अलग किया और उसमें ऐसे शब्दों की कल्पना कर ली जिनका उस भाषा में अस्तित्व है ही नहीं।

कुछ लेखक भारोपीय परिवार की स्पष्ट परिकल्पना न होने के कारण कभी संस्कृत को ग्रीक लैटिन की जननी कहते हैं, कभी संस्कृत को ग्रीक लैटिन का अपभ्रष्ट रूप। वास्तव में संस्कृत, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन, प्राचीन जर्मन गॉथिक बाल्टो स्लाविक आदि भाषाओं में हजारों की संख्या में ध्वनि एवं अर्थ परक सम्बन्धों के आधार पर संभावित एक पूर्व भाषा की अवधारणा की गई जिसे **'भारोपीय' अथवा इण्डोयोरोपियन भाषा की संज्ञा दी गई। न तो संस्कृत ग्रीक लैटिन की जननी है और न ग्रीक लैटिन संस्कृत की। ये भाषाएँ समस्रोतीय हैं।**

अब जरा प्रतिरूपता और पर्यायता का अर्थ स्पष्ट कर लिया जाए। प्रतिरूप समस्रोतीय होते हैं और पर्याय समानार्थक। प्रतिरूप एक मूल स्रोत से विकसित होते है और विकास की प्रक्रिया में उनमें भिन्नार्थकता—यहाँ तक वि विलोमार्थकता आ जाती है। पर्याय भिन्न स्रोतीय होते है किन्तु उनका समानार्थक होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए भास्कर और सविता पर्याय हैं क्यों कि दोनों का अर्थ सूर्य है, किन्तु ये समस्रोतीय नहीं हैं। **भास्कर का मूल स्रोत प्रकाश सूचक भास धातु है और सविता का मूल स्रोत प्रजनन सूचक 'सू' धातु है। भास् से निष्पन्न भास्वर उद्भास, आभास, आभा, प्रतिभा, विभा, अनुभा आदि समस्रोतीय अर्थात प्रतिरूपी तो हैं किन्तु पर्याय नहीं। इसी प्रकार 'सू' धातु से निष्पन्न प्रसू, प्रसव, प्रसूत, प्रसविनी, सुत, सुता, सावित्री आदि रूप समस्रोतीय शब्द हैं, पर्याय नहीं।**

दो भिन्न भाषाओं में ऐसे प्रतिरूप भी उपलब्ध हो सकते हैं जो पर्याय भी हों। उदाहरण के लिए संस्कृत ग्रीवा और रूसी 'ग्रीवा', संस्कृत नासा और रूसी 'नोस', संस्कृत स्नुषा और रूसी "स्नोखा" संस्कृत धाम और रूसी "दोम", संस्कृत देवर और रूसी 'देवेर', संस्कृत विधवा और रूसी 'वदोवा' पर्याय भी हैं और समस्रोतीय होने के कारण प्रतिरूप भी। इनके स्रोत भी एक हैं और अर्थ भी। प्रायः प्रतिरूपों में लाक्षणिक अर्थ-सम्बन्ध होता है। उदाहरणार्थ कृप मूलतः काटने की अनुरणनमूलक ध्वनि है जिसका अर्थ विकास काटने, रोने चिल्लाने, करुणा करने, अनुकम्पा करने आदि में हुआ।

व्यावहारिक और शैक्षणिक जीवन में शब्दों का असाधारण महत्त्व है। शब्द हमारे सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक जीवन के मूलाधार हैं। समस्रोतीयता के आधार पर हम न केवल अपनी भाषा के अनेक शब्दों को याद कर सकते हैं अपितु दूसरी भाषाओं को भी आसानी से सीख सकते हैं। हिन्दी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, जर्मन एक परिवार की भाषाएं होने के कारण समस्रोतीय पद्धति से आसानी से सीखी जा सकती हैं। प्रशासन, विज्ञान, व्यापार, मानविकी आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में भी समस्रोतीय अध्ययन पद्धति अत्यन्त उपयोगी है। □

"अगर हिन्दुस्तान को सचमुच एक राष्ट्र बनाना है, तो चाहे कोई माने या न माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही हो सकती है क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है, वह किसी दूसरी भाषा को कभी भी नहीं मिल सकता।"

—महात्मा गांधी

तकनीकी शब्दावली को नई दिशा

—प्रो॰ सूरजभान सिंह*

आज टैक्नोलाजी के युग में कोई भी भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम तब तक नहीं बन सकती जब तक उसकी अपनी तकनीकी व पारिभाषिक शब्दावली न हो।

हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से अध्ययन-अध्यापन में समरूप तकनीकी शब्दावली के अभाव की समस्या बार-बार सामने लाई जाती है। तकनीकी शब्दावली के कठिन या सरल होने की बात भी कई बार कही जाती है। एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी शब्द न अपने में कठिन होता है न सरल। शब्द या तो परिचित होते हैं या अपरिचित। परिचित शब्द हमें सरल लगते हैं और अपरिचित शब्द कठिन। कुछ समय प्रयुक्त होने के बाद शब्द सहज हो जाते हैं। कक्षा में, पुस्तकों में, लेखों में तथा संभाषणों में बार-बार उनका प्रयोग होगा तो वे समाज द्वारा स्वीकृत हो जाएंगे और अंततः वे शब्द भाषा में बने रहेंगे जिन्हें प्रयोक्ता स्वीकार करेंगे। अतः तकनीकी शब्दावली का कार्यक्षेत्र केवल तकनीकी शब्दावली के निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह शब्दावली के प्रयोग, इसकी व्यवहारगत समीक्षा, संशोधन, मानकीकरण तथा अन्तिम सामाजिक स्वीकृति तक विस्तृत है। प्रयोगसिद्धता ही नवनिर्मित शब्दावली की एकमात्र कसौटी है। कौन से या किस प्रकार के शब्द अंततोगत्वा प्रचलन में आएंगे या प्रयोक्ताओं द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाएंगे, इसका पूर्वानुमान लगाना सामान्यतः कठिन है। कभी-कभी बिल्कुल अपरिचित या तथाकथित 'कठिन' शब्द भी प्रचलन में आ जाते हैं और तथाकथित 'सरल' शब्द भी प्रचलित नहीं हो पाते। दूसरी ओर, कभी-कभी शब्दावली निर्माण के सिद्धांत तथा व्यवहार में पर्याप्त अन्तर आ सकता है। कभी-कभी पर्याय सम्बन्धी निर्णय व्यक्तिनिष्ठ भी हो सकते हैं।

कभी-कभी तकनीकी शब्दों के सहज, सर्वग्राह्य या सिद्धांतसम्मत रूप उपलब्ध ही नहीं हो पाते और वैकल्पिक पर्याय देकर अन्तिम निर्णय प्रयोक्ताओं पर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए शब्द-निर्माण के बाद उसकी प्रयोगसिद्धता को मापने के लिए प्रयोक्ताओं से फीडबैक प्राप्त करना आवश्यक है जिसकी एक प्रमुख युक्ति है भाषा-प्रयोग सर्वेक्षण। पाठ्य-पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, व्याख्यानों और रेडियो-टेलीविज़न वार्ताओं आदि में, प्रस्तावित शब्दावली में से, कितने तकनीकी शब्द भाषाई व्यवहार में वस्तुतः प्रयुक्त हो रहे हैं, कितने शब्दों के लिए अलग पर्यायों का प्रयोग हो रहा है और कितने शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का ही यथावत् प्रयोग हो रहा है, इसका मूल्यांकन इसी प्रकार के सर्वेक्षण से सम्भव होगा। इस प्रक्रिया से प्राप्त या संशोधित शब्दावली ही अंततोगत्वा प्रयोगसिद्ध और मानक शब्दावली होगी।

तकनीकी शब्दावली का विकास : तकनीकी शब्दों और शैली-रूपों का विकास किसी भी भाषा-भाषी समाज में या तो प्राकृतिक विकास-प्रक्रिया द्वारा होता है या नियोजित विकास-प्रक्रिया द्वारा। सहज स्थिति तो यही है कि तकनीकी शब्दों और शैली-रूपों का विकास प्राकृतिक प्रक्रिया से हो जिसमें नई संकल्पनाओं और नए आविष्कारों के साथ ही उनका नामकरण हो जाता है। जो मस्तिष्क ज्ञान-विज्ञान के मौलिक चिंतन और नई संकल्पनाओं को जन्म देता है वही मस्तिष्क मूलतः उन्हें उपर्युक्त नाम और अभिव्यक्ति भी देता है। संबद्ध विषय-क्षेत्र के मौलिक ज्ञान तथा संदर्भ से जुड़कर प्रयोक्ता के सामने आने के कारण ये नए शब्द सहज रूप से बोध-गम्य और स्वीकार्य होते हैं। अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रांसीसी आदि भाषाओं में सामान्यतः इसी प्रक्रिया से तकनीकी शब्दों और शैली-रूपों का विकास हुआ है।

जो देश अन्य देशों में विकसित ज्ञान-विज्ञान का उपयोग करना चाहते हैं उन्हें अपनी भाषा को तदनुरूप सक्षम बनाने के लिए नियोजित रीति से भाषा का विकास करना पड़ता है जिसका प्रमुख दायित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं सरकार वहन करती है। ऐसी स्थिति में, किसी अन्य भाषा में मूलतः विकसित तकनीकी शब्दों के लिए अपनी भाषा में उपयुक्त पर्यायों का निर्माण तथा निर्धारण करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें बहुत हद तक अनुवाद-पद्धति का भी सहारा लेना पड़ता है। यह स्थिति कृत्रिम जरूर है, लेकिन अपरिहार्य है। यह समस्या न केवल भारत की है बल्कि ऐसे सभी विकासमान देशों की है जो एक लम्बे अरसे तक विदेशी प्रभुत्व में रहकर स्वतंत्र हुए हैं। मलेशिया, थाइलैंड, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान तथा अनेक अफ्रीकी देश इसी प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने भी हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की सामाजिक तथा संवैधानिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया (अनुच्छेद 343)। विभिन्न भाषाओं को संबंधित राज्यों की राजभाषा का पद प्रदान किया (अनुच्छेद 345) और स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनका स्थान सुनिर्धारित किया (कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1968)। भारतीय भाषाओं के कायिक विकास के लिए भी कई कदम एक साथ उठाए गए, जैसेः तकनीकी शब्दों का निर्माण व विकास, ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के लिए ग्रंथ तथा अन्य तकनीकी साहित्य की रचना, शब्द कोशों, विश्व-कोशों का निर्माण, भाषा-रूपों का मानकीकरण, भाषा-शिक्षण तकनीक का विकास, भारतीय भाषाओं के लिए उपयुक्त मुद्रण, टेलीप्रिंटर तथा कम्प्यूटर प्रणाली का विकास आदि। इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने कई निकाय स्थापित किए। हिन्दी के विकास तथा प्रचार-प्रसार के लिए 1960 में केन्द्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के विकास तथा ग्रंथ निर्माण के लिए 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। हिंदी शिक्षण तथा शिक्षण-विधि की तकनीकों के विकास के लिए 1961 में केन्द्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना हुई और गृह मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को हिंदी पढ़ाने के लिए हिंदी शिक्षण योजना की स्थापना की गई। इनके अलावा देश भर में स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को हिंदी शिक्षण तथा हिंदी के

---

*अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
छठी मंजिल खण्ड-7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली।

प्रचार-प्रसार से संबंधित अनेक कार्यक्रमों का दायित्व सौंपा गया। गैर-सरकारी स्तर पर भी विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं ने हिंदी की समृद्धि, विकास तथा शिक्षण के लिये कई प्रयास किए। अन्य भारतीय भाषाओं के विकास के लिए भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर की 1961 में स्थापना की गई। इसी प्रकार संस्कृत के विकास के लिए 1970 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई।

संविधान के अनुच्छेद 351 में व्यक्त भावों ने शब्दावली आयोग की भूमिका को और भी बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है। इसमें निहित भावना यह है कि समस्त भारतीय भाषाओं की आत्मा को आत्मसात् करते हुए और संस्कृत भाषा में विद्यमान अपार शब्द-निर्माण क्षमता को हृदयंगम करते हुए हिन्दी में ऐसे पर्याय निर्धारित किए जाएं जो सरलता से सार्वजनिक स्वीकृति प्राप्त कर सकें। इससे प्रेरणा प्राप्त करते हुए शब्दावली आयोग के प्रकार्यों का निर्धारण इस प्रकार किया गया:

1. सभी भारतीय भाषाओं के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का निर्माण।
2. विभिन्न भारतीय भाषाओं में किए गए शब्दावली कार्य का समन्वयन।
3. शब्दावली निर्माण के लिह मूलभूत सिद्धांतों का निरूपण।
4. शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तरीय मानक एवं संदर्भ ग्रन्थों को तैयार करना।

शब्दावली निर्माण जितना महत्वपूर्ण है उससे अधिक महत्वपूर्ण समाज द्वारा उसका प्रयोग है। अतः विभिन्न विषयों में निर्मित शब्दों के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा प्रयोक्ताओं तथा विषय-विशेषज्ञों से प्रतिक्रिया तथा फीडबैक प्राप्त करने के लिए कालांतर में आयोग के कार्यक्षेत्र में एक प्रकार्य और जोड़ा गया जिसकी पुष्टि नई शिक्षा नीति (1968) की कार्य-योजना में भी की गई:

5. विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए विभिन्न विषयों से संबद्ध तकनीकी शब्दावली कार्यशाला तथा अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन।

शब्दावली निर्माण के सिद्धांत : वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन राष्ट्रपति के 1960 के आदेश के अंतर्गत हुआ था। आयोग की स्थापना के संबंध में सरकारी घोषणा 21 दिसंबर, 1960 को की गई थी और इसकी पहली बैठक 24 अक्तूबर, 1961 को हुई जिसके अध्यक्ष सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डा॰ दौलतसिंह कोठारी थे। आयोग की दूसरी बैठक 18 नवम्बर, 1961 में हुई जिसमें आयोग ने शब्दावली निर्माण, उसकी समीक्षा तथा समन्वय के लिए आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किए। चूंकि इन्हीं सिद्धांतों को आधार मानकर गत दो-तीन दशकों में शब्दावली निर्माण का कार्य हुआ, इसलिए इनका संक्षिप्त सार नीचे दिया जा रहा है:

1. अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को यथासंभव उनके प्रचलित अंग्रेजी रूपों में ही अपनाना चाहिए और हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार ही उनका लिप्यंतरण करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के अंतर्गत ये उदाहरण लिए जा सकते हैं:

(क) तत्त्वों और यौगिकों के नाम जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन डाइआॅक्साइड आदि,

(ख) तौल और माप की इकाइयां और भौतिक परिमाण की इकाइयां जैसे डाइन, कैलोरी, एम्पियर आदि,

(ग) ऐसे शब्द जो व्यक्तियों के नाम पर बनाए गए हैं, जैसे फारेनहाइट के नाम पर फारेनहाइट तापक्रम, वोल्टा के नाम पर वोल्टमीटर और एम्पियर के नाम पर एम्पियर आदि,

(घ) वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, भू-विज्ञान आदि की द्विपदी नामावली,

(ङ) स्थिरांक

(च) ऐसे अन्य शब्द जिनका आमतौर पर सारे संसार में व्यवहार हो रहा है जैसे रेडियो, पेट्रोल, रेडार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि

(छ) गणित और विज्ञान की अन्य शाखाओं के संख्यांक प्रतीक, चिन्ह और सूत्र, जैसे साइन, कोसाइन, टेजेन्ट, लॉग आदि। (गणितीय संक्रियाओं में प्रयुक्त अक्षर रोमन या ग्रीक वर्णमाला में होने चाहिए।)

2. प्रतीक, रोमन लिपि में अन्तर्राष्ट्रीय रूप में ही रखे जाएंगे, परन्तु संक्षिप्त रूप नागरी में भी लिखे जा सकते हैं, जैसे सेन्टीमीटर का प्रतीक cm हिन्दी में भी ऐसे ही प्रयुक्त होगा परन्तु इसका नागरी संक्षिप्त रूप सें॰ मी॰ हो सकता है। यह सिद्धांत बाल-साहित्य और लोकप्रिय पुस्तकों में अपनाया जाएगा, परन्तु विज्ञान और शिल्प-विज्ञान की मानक पुस्तकों में केवल अन्तर्राष्ट्रीय प्रतीक जैसे cm ही प्रयुक्त करना चाहिए।

3. ज्यामितीय आकृतियों में भारतीय लिपियों के अक्षर प्रयुक्त किए जा सकते हैं जैसे अ, ब, स, या क, ख, ग, परन्तु त्रिकोणमितीय सम्बन्धों में केवल रोमन अथवा ग्रीक अक्षर ही प्रयुक्त करने चाहिए जैसे साइन A कॉस B आदि।

4. संकल्पनाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों का सामान्यतः अनुवाद किया जाना चाहिए।

5. हिन्दी पर्यायों का चुनाव करते समय सरलता, अर्थ की परिशुद्धता और सुबोधता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुधार-विरोधी और विशुद्धिवादी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए।

6. सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों में यथासंभव अधिकाधिक एकरूपता लाना ही इसका उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए ऐसे शब्द अपनाने चाहिए जो अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त होते हों और संस्कृत धातुओं पर आधारित हों।

7. ऐसे देशी शब्द जो सामान्य प्रयोग के वैज्ञानिक शब्दों के स्थान पर हमारी भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए जैसे telegraph, telegram के लिए तार, continent के लिए महाद्वीप, atom के लिए परमाणु आदि।

8. अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के ऐसे विदेशी शब्द जो भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं जैसे इंजन, मशीन, लावा, मीटर, लीटर, प्रिज्म, टॉर्च आदि इसी रूप में अपनाए जाने चाहिए।

9. अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों का देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण : अंग्रेजी शब्दों का लिप्यंतरण इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि उसके कारण वर्तमान देवनागरी वर्णों में नए चिन्ह व प्रतीक शामिल करने की आवश्यकता पड़े। अंग्रेजी शब्दों का देवनागरीकरण करते समय लक्ष्य

यह होना चाहिए कि वह मानक अंग्रेजी उच्चारण के अधिकाधिक अनुरूप हो और उनमें ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो भारत के शिक्षित वर्ग में प्रचलित हों।

10. लिंग: हिंदी में अपनाए गए अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों को, अन्यथा कारण न होने पर, पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त करना चाहिए।

11. संकर शब्द: वैज्ञानिक शब्दावली में संकर शब्द जैसे ionization के लिए आयनीकरण, voltage के लिए वोल्टता, ring stand के लिए वलय स्टैण्ड, saponifier के लिए साबुनीकारक आदि के रूप सामान्य और प्राकृतिक भाषाशास्त्रीय क्रिया के अनुसार बनाए गए हैं और ऐसे शब्दरूपों को वैज्ञानिक शब्दावली की आवश्यकताओं यथा सुबोधता, उपयोगिता और संक्षिप्तता का ध्यान रखते हुए व्यवहार में लाना चाहिए।

12. वैज्ञानिक शब्दों में संधि और समास: कठिन संधियों का यथासम्भव कम-से-कम प्रयोग करना चाहिए और संयुक्त शब्दों के लिए दो शब्दों के बीच हाइफन लगा देना चाहिए। इससे नई शब्द-रचनाओं को सरलता और शीघ्रता से समझने में सहायता मिलेगी। जहां तक संस्कृत पर आधारित आदिवृद्धि का सम्बन्ध है, 'व्यावहारिक', 'लाक्षणिक' आदि प्रचलित संस्कृत तत्सम शब्दों में आदि वृद्धि का प्रयोग ही अपेक्षित है परन्तु नव-निर्मित शब्दों में इससे बचा जा सकता है।

13. हलंत: नए अपनाए हुए शब्दों में आवश्यकतानुसार हलंत का प्रयोग करके उन्हें सही रूप में लिखना चाहिए।

14. पंचम वर्ण का प्रयोग: पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए परन्तु lens, patent आदि शब्दों का लिप्यतरण लेंस, पेटेंट या पेटेण्ट न करके लेन्स, पेटेन्ट ही करना चाहिए।

शब्दावली निर्माण संबंधी कार्यक्रम: इन सिद्धान्तों को आधारभूमि मानकर आयोग पिछले 28 वर्षों से अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से निर्वाह कर रहा है। इस दौरान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरी, कृषि तथा आयुर्विज्ञान आदि सभी विषयों के पांच लाख से अधिक शब्द विकसित किए जा चुके हैं, लेकिन तकनीकी शब्दावली एक अनवरत प्रक्रिया है और नई तकनीकी प्रगति और नए ज्ञान-विज्ञान के साथ नित नए शब्द बनते रहते हैं या पुराने शब्दों को नये अर्थ मिलते रहते हैं। दूसरे, इन शब्दों की सार्थकता तभी है जब ये समाज में वास्तविक प्रयोग में आएं। इसके लिए इनके प्रयोग को बढ़ावा देना, इनका प्रसार करना, अध्यापकों, छात्रों तथा लेखकों तथा इन शब्दों के अन्य प्रयोक्ताओं के बीच इनके प्रयोग की आवृत्ति का सर्वेक्षण तथा समय-समय पर इनकी समीक्षा करना आवश्यक है। इसके बाद वर्तमान तकनीकी शब्द भंडार में संशोधन तथा वृद्धि करते रहना आवश्यक है। यह सारा कार्य इतना जटिल और व्यापक है कि सामान्य मानवीय साधनों से यह प्रक्रिया समय पर पूरी करना संभव नहीं है। अतः अब वह स्थिति आ गई है कि इन सभी शब्दों का कम्प्यूटरीकरण कर इनका व्यापक डाटा बेस तैयार किया जाए। इसके आधार पर एक राष्ट्रीय शब्दावली बैंक विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें न केवल हिन्दी के, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं के पर्यायों का संकलन हो और आवश्यकतानुसार अविलंब अद्यतन विषयवार तथा भाषावार शब्द-संग्रहों की प्रतियां प्राप्त की जा सकेंगी। जैसे-जैसे नए शब्द बनते या विद्यमान शब्दों में संशोधन-परिवर्तन होते जाते हैं उनका समावेश डाटा-बेस में होता जाएगा। इस समय योजना आयोग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र तथा टाटा कन्सलटेन्सी के सहयोग से आयोग इस योजना पर द्रुत गति से कार्य कर रहा है। इसके लिए आवश्यक प्रोग्रामिंग विकसित की जा चुकी है और डाटाबेस में शब्द भरे जा रहे हैं। चार चरणों में विभक्त इस कम्प्यूटरीकरण योजना के तीसरे चरण में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित निटनेट (NITNET) योजना से इसे जोड़ा जाएगा जिससे कम्प्यूटर के माध्यम से देश के किसी भी स्थान पर तकनीकी शब्दों के अद्यतन पर्याय कम्प्यूटर के परदे पर प्राप्त किये जा सकें। तकनीकी शब्दों के देशव्यापी प्रसारण तथा इनके प्रयोग को बढ़ावा देने में यह प्रयास अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध होगा।

परिभाषिक शब्दावली तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य निर्माण से संबंधित विद्यमान स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:

(i) परिभाषिक शब्दावली: आयोग विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाए जाने वाले लगभग सभी प्रमुख विषयों की पांच लाख शब्दावली विकसित एवं प्रकाशित कर चुका है जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरी, कृषि, आयुर्विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान तथा प्रशासन आदि। ये पारिभाषिक शब्द विषयवार शब्दावलियों के रूप में भी प्रकाशित हैं और बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रहों के रूप में भी। बृहत् पारिभाषिक शब्द संग्रह अंग्रेजी-हिन्दी और हिन्दी-अंग्रेजी दोनों वर्णक्रमों में प्रकाशित किए गए हैं। कम्प्यूटर में इन शब्दों का डाटा-बेस तैयार करने के लिए इनका अद्यतनीकरण तथा समन्वय किया जा रहा है ताकि नए संस्करणों में इनका समावेश किया जा सके।

सम्प्रति आयोग पशु चिकित्सा विज्ञान, प्रबंध विज्ञान, इलेक्ट्रानिकी, मुद्रण प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरी की कुछ विशिष्ट शाखाओं की शाब्दावली का निर्माण भी कर रहा है।

(ii) अखिल भारतीय शब्दावली: ऐसे पारिभाषिक शब्दों की पहचान करने के लिए जो देश की सभी या अधिकांश भाषाओं में प्रचलित हैं अथवा जो स्वीकार्य हो सकते हैं, एक परियोजना चलाई जा रही है। इसके लिए अखिल भारतीय संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है जिसमें ग्यारह भारतीय भाषाओं के विषय के विद्वानों तथा भाषाविदों का सहयोग लिया जाता है। अब तक विभिन्न विषयों के लगभग 15,000 अखिल भारतीय शब्दों की पहचान की जा चुकी है। इन्हें विषयवार शब्दावलियों के रूप में प्रकाशित करके विषय के विद्वानों, लेखकों, अनुवादकों, पत्रकारों आदि के बीच निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। तत्पश्चात इन्हें समेकित रूप में प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रयास से देश के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के अध्यापकों, विद्वानों, विद्यार्थियों और तकनीशियनों के बीच परस्पर संप्रेषण में सुविधा होगी और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

(iii) कम्प्यूटर-आधारित राष्ट्रीय शब्दावली बैंक: हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध समस्त पारिभाषिक शब्दावली का संग्रह, समन्वय तथा विश्लेषण करने और शब्दावली सूचना-सेवा की स्थापना करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय शब्दावली बैंक का विकास किया जा रहा है। यह एक व्यापक योजना है जिसके अंतर्गत हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं की समस्त तकनीकी शब्दावली का एक बृहत् कम्प्यूटर डाटा-बेस तैयार किया जा रहा है। संकलन, विश्लेषण, वर्गीकरण, सूचना-प्रसारण तथा प्रकाशन में सहायक होने के साथ-साथ यह बैंक योजना मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की निटनेट उपग्रह योजना से जुड़ सकेगा जिससे यथावश्यक कम्प्यूटर की मदद से किसी भी स्थान पर बैठे पर्याय संबंधी अद्यतन सूचना प्राप्त की जा सकेगी।

(iv) विश्वविद्यालय-स्तरीय ग्रंथ निर्माण: विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन लाने के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय भाषाओं में ज्ञान-विज्ञान की सभी शाखाओं में पर्याप्त ग्रंथ उपलब्ध हों। इस उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों को एक-एक करोड़ रूपए का अनुदान दिया था जिससे वहां ग्रंथ अकादमियां अथवा राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल स्थापित किए गए थे। इनके कार्यकलापों के बीच तालमेल रखने और इनकी प्रगति का जायजा लेते रहने का दायित्व शब्दावली आयोग को सौंपा गया है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 2200 पुस्तकें हिन्दी और 6200 पुस्तकें अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। कृषि, आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी की पुस्तकों का निर्माण स्वयं शब्दावली आयोग के तत्वावधान में हो रहा है। अब तक कृषि की 200, आयुर्विज्ञान की 70, इंजीनियरी की 65 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

(v) परिभाषा कोश: शब्दावली आयोग द्वारा विकसित पारिभाषिक पर्यायों में निहित संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विषयों के परिभाषा कोशों का निर्माण किया गया है जिनमें अंग्रेजी शब्द, उनके अनुमोदित पर्याय तथा हिन्दी परिभाषाएं दी गई हैं। अभी तक ऐसे 40 परिभाषा कोश प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें भू-विज्ञान, तरल यांत्रिकी, शल्यविज्ञान, इलेक्ट्रानिकी और अर्थमिति जैसे विशिष्ट विषय भी सम्मिलित हैं। इस समय मानचित्र विज्ञान (कार्टोग्राफी) और पत्रकारिता के परिभाषा कोश प्रेस में हैं तथा प्रबंध विज्ञान, राजनीति विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, यांत्रिक इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी, सिविल इंजीनियरी, पैट्रोलियम टेक्नोलॉजी, पुरातत्व पर्यावरण विज्ञान, पुरावनस्पति विज्ञान आदि पर काम चल रहा है। निकट भविष्य में लगभग बीस-बीस हजार परिभाषाओं के दो बृहत् परिभाषा कोश एक विज्ञान विषयों का और दूसरा सामाजिक विज्ञानों तथा मानविकी का—प्रकाशित करने की योजना है।

(vi) शब्दावली कार्यशालाएं/नवीकरण कार्यक्रम: पारिभाषिक शब्दों का तब तक कोई मूल्य नहीं जब तक वे वस्तुतः प्रयुक्त न हों। प्रयुक्त होने के बाद ही उनमें आवश्यक परिष्कार और संशोधन संभव है और तभी उनके प्रयोग में सहजता आती है। विश्वविद्यालय तथा कालेजों में जिन विषयों का अध्ययन-अध्यापन हिन्दी के माध्यम से होता है उनमें हिन्दी तकनीकी शब्द स्थिर होते जा रहे हैं लेकिन जिन विषयों के अध्ययन-अध्यापन में हिन्दी का प्रयोग नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है वहां हिन्दी तकनीकी शब्दों की प्रयोग-परीक्षा पूरी तरह नहीं हो पा रही है। इसके लिए अध्यापकों, लेखकों तथा छात्रों से फीडबैक प्राप्त करना जरूरी हो जाता है।

दूसरे, हिन्दी माध्यम से पढ़ाने में अनेक अध्यापक हिन्दी अच्छी तरह जानते हुए भी संकोच महसूस करते हैं। हिन्दी शब्दावली तथा शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी का अभाव भी सामान्यतः इसका एक कारण रहता है। इसीलिए प्रामाणिक हिन्दी शब्दावली के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शब्दावली आयोग ने विश्वविदयालयों, महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिए 'शब्दावली कार्यशालाओं' या 'नवीकरण कार्यक्रमों' की एक नई योजना आरम्भ की है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा विकसित शब्दावलियों का प्रसार तथा उनके प्रयोग को बढ़ावा देना, और कार्यशालाओं में भाग लेने वाले अध्यापकों को उनके विषय से संबंधित शब्दावली से परिचित कराना तथा उनकी भाषायी क्षमता का विकास करना है ताकि वे और कुशलता के साथ हिन्दी माध्यम से अपना विषय पढ़ा सकें। इसका एक और उद्देश्य आयोग द्वारा तैयार की गई पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग/प्रचलन की व्यापकता के विषय में जानकारी (फीडबैक) प्राप्त करना है जिससे शब्दावली में यथावश्यक संशोधन संभव हो सके।

इस योजना के अंतर्गत उन नगरों में, जहां विश्वविद्यालय स्थित हैं अथवा जहां कई महाविद्यालय हैं, लगभग 8 दिन की कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। विश्वविद्यालयों अथवा महाविद्यालयों में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन करने वाले लगभग 25-30 अध्यापक प्रत्येक विषय की कार्यशाला में भाग लेते हैं। एक कार्यक्रम में सामान्यतः तीन या चार विषयों की कार्यशालाएं एक साथ की जाती हैं जिनमें सम्बद्ध विषयों के लगभग 100 सहभागी हो सकते हैं।

(vii) पाठमालाएं, चयनिकाएं आदि: हिन्दी माध्यम से पठन-पाठन करने वाले छात्रों-शिक्षकों को पूरक अध्ययन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों में अब तक लगभग 20 पाठमालाएं, चयनिकाएं, पाठ-संग्रह आदि प्रकाशित किए गए हैं। हाल ही में 'विश्व के प्रमुख धर्म' और 'सैन्य विज्ञान पाठ-संग्रह' नामक दो और प्रकाशन इस श्रृंखला में जुड़ गए हैं।

(viii) ज्ञान-विज्ञान के जटिल विवेचनों के लिए एक सहज शैली का विकास करने और हिन्दी में अद्यतन वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'विज्ञान गरिमा सिंधु' नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया है जिसके चार अंक निकल चुके हैं। बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के सहयोग से 'आयुर्विज्ञान एवं परिवार नियोजन' पत्रिका भी प्रकाशित की जा रही है। सामाजिक विज्ञानों के लिए भी त्रैमासिक पत्रिका 'ज्ञान गरिमा सिंधु' का प्रकाशन आरंभ किया जाएगा।

(ix) आयुर्विज्ञान के दक्षिण भाषायी शब्दों एवं वाक्यांशों का संकलन: डॉक्टर और अन्य चिकित्साकर्मी जब एक भाषायी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होते हैं तो उन्हें वहां की भाषा न जानने के कारण मरीजों से बात करने में बड़ी कठिनाई होती हैं। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय के आग्रह पर शब्दवाली आयोग ने आयुर्विज्ञान के आम प्रयोग के शब्दों और वाक्यांशों के दक्षिण भाषायी पर्यायों का संकलन करके उन्हें हिन्दी के साथ प्रकाशित करने की योजना बनाई है।अब इसमें गुजराती और मराठी को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

(x) पुस्तक प्रदर्शनियां एवं बिक्री: शब्दावली आयोग द्वारा समय-समय पर पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है जिनमें आयोग के प्रकाशनों के अलावा हिन्दी ग्रंथ अकादमियों के प्रकाशनों को भी सम्मिलित किया जाता है जहां उनकी बिक्री की व्यवस्था भी की जाती है। आयोग का अपना नियमित बिक्री केन्द्र भी है।

(xi) लेखकों और अनुवादकों की राष्ट्रीय पंजी: ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के साहित्य की श्रीवृद्धि करने वाले और माध्यम परिवर्तन में आस्था रखने वाले विद्वान लेखकों और अनुवादकों की एक राष्ट्रीय पंजी का संकलन किया जा रहा है ताकि इन व्यक्तियों की विशेषज्ञता के बारे में जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध हो सके और उनकी योग्यता का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

(xii) शब्दावली कम्प्यूटरीकरण: 1989-90 में शब्दावली आयोग ने शब्दावली कम्प्यूटरीकरण की एक बहत् योजना हाथ में ली है। आयोग द्वारा निर्मित पांच लाख तकनीकी शब्दों को कम्प्यूटर में डाला जा रहा है

जारी पृष्ठ 41...

राजभाषा कार्यान्वयन प्रबन्धन का एक नया डिसिप्लन

—मनमोहन चन्द्र मिश्र*

स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान है। भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर इसके पांच एकीकृत इस्पात कारखाने तथा दुर्गापुर एवं सेलम में दो मिश्र इस्पात कारखाने और भद्रावती (बीआईएसएल) तथा चन्द्रपुर (एमईएल) में लौह मिश्र धातुओं/मिश्र इस्पात का निर्माण करने वाली दो इकाइयां हैं। रांची में इसका एक लौह तथा इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र है। 'सेल' के इन 5 एकीकृत और 4 विशेष इस्पात कारखानों में कार्यरत 2,30,000 इस्पातकर्मी दिन-रात इस्पात तैयार करने और इस्पात की नई नई श्रेणियां विकसित करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। 'सेल' के कारखानों में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनसे हर श्रेणी और हर प्रकार का इस्पात तैयार किया जा सकता है।

इस्पात उत्पादन टैक्नोलॉजी में निरंतर सुधार करते हुए 'सेल' विश्व बाजार प्रतियोगिता में निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार 'सेल' जहां राष्ट्र के प्रति अपने औद्योगिक-आर्थिक दायित्वों की पूर्ति के लिए सजग है वहां यह राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए भी सतत प्रयत्नशील है। 'सेल' में हिन्दी विभाग की स्थापना सन 1975 में की गई थी। प्रारम्भिक वर्षों में हमने राजभाषा संबंधी आधारिक सुविधाएं जुटाने पर विशेष बल दिया और उसके बाद हिन्दी को कार्यालय व्यवहार में लाने के लिए विशेष प्रयासों की शुरूआत की गई। विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए 'सेल' में राजभाषा कार्यन्वयन नीति प्रारम्भ से ही स्वेच्छा, प्रेरणा और प्रोत्साहन की रही है। स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड में संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हिन्दी कार्यान्वयन के सभी प्रारम्भिक उपाय कर लिए गए हैं। कार्यालय में प्रयोग होने वाली सभी रबड़ की मोहरें, फार्म, रजिस्टर, नामपट्ट, साइनबोर्ड, पत्रशीर्ष व मानक मसौदे तथा अन्य लेखन सामग्री आदि द्विभाषी रूप में तैयार की जा चुकी है। वस्तुतः 'सेल' में 'हिन्दी कार्यान्वयन' एक अनवरत और उत्तरोत्तर विकसित होने वाली प्रक्रिया के रूप में कार्यालय की समग्र कार्य प्रणाली में आत्मसात हुआ है। राजभाषा कार्यान्वयन को गति देने के लिए हमारे प्रयास निम्नलिखित बिन्दुओं पर केन्द्रित है:

हिन्दी प्रशिक्षण

'सेल' तथा इसके अधीनस्थ कारखानों/कार्यालयों में लगभग 20,000 कार्मिक ऐसे हैं जिन्हें अभी हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन कार्मिकों की कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उन्हें नियमित कक्षाओं में भेज पाना संभव नहीं हो पाता था अतः 1990 में 'सेल' मुख्यालय ने हिंदी प्रशिक्षण के लिए एक विशेष **पत्राचार पाठ्यक्रम**, प्रारम्भ किया। पाठ्यक्रम के छः सत्रों में लगभग 7000 कार्मिकों ने भारत सरकार की प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अब सातवें सत्र में लगभग 1100 कार्मिक इन परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह विशेष पत्राचार पाठ्यक्रम 'सेल' कार्मिकों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण की एकमात्र सुविधा न होकर एक अतिरिक्त सुविधा है। इसके साथ-साथ भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना की सभी सुविधाएं और निजी संस्थाओं की मान्यताप्राप्त हिन्दी परीक्षाओं की सुविधा भी कार्मिकों को उपलब्ध है।

हिन्दी आशुलिपि एवं टंकण प्रशिक्षण

प्रारम्भ में 'सेल' मुख्यालय में हिन्दी आशुलिपि एवं टंकण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध थीं। लेकिन उसमें सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए कार्यालय परिसर में हिन्दी आशुलिपि एवं टंकण के प्रशिक्षण की निजी व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के अन्तर्गत 6 माह में ही हिन्दी आशुलिपि/टंकण प्रशिक्षण के 6 बेच निकल चुके हैं। इन कक्षाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 'सेल' के कार्मिकों ने अखिल भारतीय स्तर पर शत प्रतिशत अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान सत्र में 13 आशुलिपिक और 12 टाइपिस्ट क्रमशः हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

हिन्दी कम्प्यूटर प्रशिक्षण

आधुनिक व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप 'सेल' में पिछले कुछ वर्षों में कम्प्यूटरीकरण बहुत तेजी से हुआ है। कम्प्यूटर लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कार्यालय में आने वाले कम्प्यूटर पर हिन्दी में भी काम हो सके। कार्यालय के अधिकतर कम्प्यूटर हिन्दी में काम करने में सक्षम हैं। हिन्दी के साफ्टवेयर पैकेज भी प्राप्त किए गए हैं और इस पैकेज को इस्तेमाल करने के लिए कार्मिकों को हिंदी कम्प्यूटर प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की गई है। हिन्दी कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषी तैयार की गई है। पहला हिन्दी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम मई 1992 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिससे 'सेल' मुख्यालय के 8 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। दूसरा कार्यक्रम जुलाई 1992 में सेल के प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान रांची में आयोजित हुआ था। इसमें विभिन्न इस्पात संयंत्रों/यूनिटों के 24 कार्मिकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब 'सेल' के समग्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। अतएव द्विभाषी कम्प्यूटर प्रशिक्षण यूनिट स्तर के साथ-साथ केन्द्रीय स्तर पर प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान राज्यों में एक पूर्व नियोजित कार्यक्रमानुसार आयोजित होते रहेंगे।

कार्यालयीन हिन्दी डिप्लोमा पाठ्यक्रम

विकास चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो या कला अथवा साहित्य के, एक अनवरत प्रक्रिया है। विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में तो विकास के लिए गहन अध्ययन और अन्वेषण की आवश्यकता होती है जबकि भाषागत कौशल अभ्यास और व्यवहार से स्वतः प्राप्त हो जाता है। 'सेल' कार्मिक प्रौद्योगिकी और तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों तथा प्रबन्ध की विभिन्न विधाओं में कौशल प्राप्त करने में सिद्धहस्त हैं। भाषा के क्षेत्र में भी इस परम्परा का

*संपादक इस्पात भाषा भारती, स्टील अथारिटी आफ् इंडिया, लि०, इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

अनुसरण करने में वे पीछे नहीं रहेंगे—कार्यालयीन हिन्दी डिप्लोमा इसी मान्यता पर आधारित है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि 'सेल' में विगत कुछ वर्षों से राजभाषा के कार्यान्वयन के प्रयोजनमूलक पक्ष पर विशेष बल दिया जा रहा है। दो वर्ष पूर्व कार्मिकों को हिन्दी भाषा का ज्ञान दिलाने के लिए 'सेल' ने अपना **'हिन्दी शिक्षण' पत्राचार पाठ्यक्रम** प्रारम्भ किया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति 'सेल' कार्मिकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही और उसके परिणाम भी उत्साहवर्धक रहे। साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि जिन कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है उन्हें भी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने में कठिनाई होती है। इस समस्या के निवारण के लिए **'सेल' निगमित कार्यालय हिन्दी कक्ष'** द्वारा पत्राचार से कार्मिकों को हिन्दी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग का प्रशिक्षण देने के लिए **कार्यालयीन हिन्दी डिप्लोमा पाठ्यक्रम** प्रारम्भ किया गया है। यह डिप्लोमा पाठ्य क्रम 'सेल' के संयंत्रों/यूनिटों/कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों, पदबन्धों और वाक्यों का संकलन मात्र नहीं है। इसमें हिन्दी भाषा के कार्यालयी स्वरूप को पहचानने तथा सामान्य भाषा से उसकी भिन्नता को स्पष्ट करने का प्रयास है। इसमें प्रारूपण और टिप्पण के विविध रूपों का हिन्दी के संरचनात्मक पक्ष की दृष्टि से विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्मिकों को इन संरचनाओं का अभ्यास करा कर उन्हें विविध विषयों से संबंधित कार्यालयी कार्य हिन्दी में करने में समर्थ बनाने का उद्यम है।

पाठ्यक्रम के दो पक्ष हैं—एक सैद्धांतिक और दूसरा व्यावहारिक। सैद्धांतिक पक्ष में सरकार की राजभाषा नीति, संप्रेषण, सरल हिन्दी लेखन, कार्यालयी भाषा के मूल सिद्धांत आदि विषयों पर सविस्तार प्रकाश डाला गया है। व्यवाहारिक पक्ष में अंग्रेजी-हिन्दी अभिव्यक्तियों में अंतर, टिप्पणी और प्रारूप लेखन के विविध रूपों की उदाहरण देकर व्याख्या की गई है और यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है कि बहुधा अशुद्धियां किस प्रकार की और क्यों होती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। कार्मिकों की सुविधा के लिए प्रत्येक पाठ के अंत में सहायक शब्दावली भी दी जाती है। डिप्लोमा में उत्तीर्ण होने पर आकर्षक प्रोत्साहनों का प्रावधान है। इन प्रोत्साहनों की राशि 1500 रुपये से 2500 रुपये तक है। एक और विशेष प्रोत्साहन इस डिप्लोमा में अंतर्निहित है—डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के उपरांत कार्मिक कार्यालय के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग सरलता से कर ही सकेगा और साथ ही वह इसे यदि व्यवहार में लाता है तो एक वेतनवृद्धि का हकदार हो जायेगा, जिसका 'सेल' की हिन्दी प्रोत्साहन योजना में प्रावधान है।

हिन्दी कार्मिक विकास कार्यक्रम

कंपनी में 'राजभाषा कार्यान्वयन' को प्रबंध के एक विषय के रूप में अंगीकार किया गया है। इस धारणा के जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वे उत्साहवर्धक हैं। 'सेल' का यह प्रयास है कि प्रबंध के दूसरे विषयों में कार्मिक को कौशल सिद्ध कराने के लिए जिन प्रशिक्षण सिद्धांतों को अपनाया जाता है, उन्हीं के आधार पर 'राजभाषा कार्यान्वयन' में भी कौशल के विकास का प्रशिक्षण दिया जाए। इसी अवधारणा को क्रियान्वित करने के लिए कंपनी के रांची स्थित प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान में 30-31 अक्टूबर 1992 को एक द्वि-दिवसीय हिन्दी कार्मिक विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 'सेल' के अधीस्थ संयंत्रों एवं यूनिटों के 37 गैर-कार्यपालक हिन्दी कार्मिकों ने भाग लिया। हिन्दी कार्मिक विकास कार्यशाला राजभाषा संबंधित सांविधिक प्रावधानों राजभाषा अधिनियम, नियम की व्यवस्थाएं और इसके अनुपालन की जिम्मेदारियों आदि के विषय में बताया जाता है और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की रिपोर्ट तथा संसदीय समिति की प्रश्नावली को भरने की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ आवश्यक सूचना एकत्र करने के व्यावहारिक उपाय भी सुझाए जाते हैं। हिन्दी कार्यान्वयन के संबंध में मानीटर एजेंसियों की भूमिका और इनके प्रति प्रबंधन की जवाबदेही पर प्रकाश डाला जाता है। कार्यशाला में हिन्दी कार्मिक अपनी समस्याओं पर विस्तार के साथ चर्चा करते हैं और व्यावहारिक समाधानों पर नियमित कार्यालय के अधिकारीगण अपना मंतव्य व्यक्त करते हैं।

प्रोत्साहन योजनाएं

हिन्दी में काम करने के लिए : कार्यालय के दैनिक कामकाज में हिन्दी नोटिंग/ड्राफ्टिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "सेल" में एक आकर्षक प्रोत्साहन योजना सन् 1988 में लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत जो कार्मिक अपना कम से कम 30 प्रतिशत/एक तिहाई कार्य हिन्दी में करते हैं उन्हें एक वेतनवृद्धि के बराबर प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह दी जाती है। तीन माह में पच्चीस शब्दों से बड़े 180 नोट/पत्र आदि लिखने पर भी कार्मिक यह प्रोत्साहन पाने के हकदार हो जाते हैं। इस समय मुख्यालय में 102 कार्मिक प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा रहे हैं।

हिन्दी की परीक्षाएं पास करने के लिए

हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग व हिन्दी आशुलिपि की परीक्षाएं पास करने पर भी कार्मिकों को आकर्षक पुरस्कार/प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

नकद पुरस्कार	हिन्दी की परीक्षाओं के लिए	
	प्रबोध	प्रवीण/प्राज्ञ
70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर	300	450 रुपये
60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर	150	300 रुपये
55 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर	75	150 रुपये

आशुलिपि/टाइपिंग के लिए

95 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर 450 रुपये
90 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर 300 रुपये
85 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर 150 रुपये

एकमुश्त पुरस्कार : एकमुश्त पुरस्कार भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अनुसार केवल निजी प्रयत्नों से प्रशिक्षण प्राप्त करने पर दिए जाते हैं किन्तु सेल में कंपनी की विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने पर भी कार्मिक को ये पुरस्कार निम्नलिखित अनुसार दिये जाते हैं :

प्रबोध / प्रवीण परीक्षा के लिए	375 रुपये
प्राज्ञ परीक्षा के लिए	450 रुपये
हिन्दी टंकण के लिए	200 रुपये
हिन्दी आशुलिपि के लिए	500 रुपये

वैयक्तिक वेतन

— एक वर्ष के लिए एक वेतन वृद्धि (समायोजनीय)
— हिन्दीतर भाषी कार्मिकों के लिए हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने के लिए दो-दो वेतन वृद्धि (समाजोजनीय)।

विशेष पुरस्कारः अखिल भारतीय स्तर पर विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले कार्मिक को उपर्युक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त समुचित नकद पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र भी दिये जाते हैं। उनकी उपलब्धि संबंधी समाचार कार्मिकों के चित्र सहित गृह—पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जाते हैं।

सर्वथा निजी प्रयत्नों से प्रशिक्षण

हिन्दी टंकण के लिए	1,000 रुपये
हिन्दी आशुलिपि के लिए	1500 रुपये

वार्षिक प्रोत्साहन

पात्रता :

कैलेण्डर वर्ष में 10,000 से अधिक शब्द लिखने या टाइप करने पर

प्रथम	(दो)	500 रुपये प्रत्येक
द्वितीय	(तीन)	300 रुपये प्रत्येक
तृतीय	(पांच)	150 रुपये प्रत्येक

(उपर्युक्त पुरस्कार नोटिंग/ड्राफिटग/पत्र लेखन के अलग हैं और टाइपिंग के लिए अलग हैं। दोनों क्षेत्रों के पुरस्कारों की संख्या व राशि समान है।)

हिन्दी प्रतियोगिताएं

कार्मिक को हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित करने के अभिप्राय से विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। हिन्दी सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है। जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं वे इस प्रकार की होती है जिससे कार्मिक के कार्यालयीन हिन्दी ज्ञान में वृद्धि हो। जैसे कार्यालयीन हिन्दी प्रतियोगिता, हिन्दी नोटिंग/ड्राफिटंग प्रतियोगिता, राजभाषा नीति ज्ञान प्रतियोगिता आदि। प्रतियोगिताओं में हिन्दी व हिन्दीतर भाषी कार्मिकों को पुरस्कार/प्रोत्साहन अलग-अलग दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय स्तर पर सभी प्लाण्टों/यूनिटों के कार्मिकों के लिए हर वर्ष एक 'अन्तर संयंत्र राजभाषा प्रतियोगिता' का आयोजन किया जाता है जिसमें विजेता कार्मिकों का आकर्षक पुरस्कार दिये जाते हैं।

तकनीकी विषयों पर हिन्दी में विचार गोष्ठियां

'सेल' मुख्यालय में तकनीकी विषयों पर हिन्दी में विचार गोष्ठियां आयोजित करने का सूत्रपात 1988 में हुआ था, जब आई आई टी कानपुर के सहयोग से 'सेल' नई दिल्ली में हिन्दी तकनीकी लेखन विषय पर एक दो—दिवसीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, डा॰ विद्यानिवास मिश्र, डा॰ ओम विकास, श्री गिरिराज किशोर सरीखे मूर्धन्य वैज्ञानिकों/साहित्यकारों ने 'सेल' कार्मियों को अपने विचारों से लाभान्वित किया। यह एक ऋंखला की शुरुआत थी और कालांतर में इस ऋंखला में बोकारो, रांची, दुर्गापुर और भिलाई आदि स्थानों पर नई-नई कड़ियां जुड़ती गई। यह क्रम जारी है। तकनीकी विचार गोष्ठियों का जो यह सिलसिला राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों से प्रारम्भ हुआ उसे 'सेल' ने आत्मसात किया। अब तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के अभिप्राय से संयंत्र/यूनिट स्तर पर हिन्दी में तकनीकी सेमिनार आयोजित किये जाते हैं। उसमें सेल कार्मिकों से प्रौद्योगिकी, तकनीकी/इंजीनियरी विषयों पर आलेख आमंत्रित किये जाते हैं और उन्हें विचार गोष्ठी/सेमिनार में पढ़ा जाता है और हिन्दी में ही उनकी विवेचना होती है।

कार्यशालाएं

'सेल' मुख्यालय में कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक दोनों ही स्तर के कार्मिकों के लिए हिन्दी कार्यशालाएं सम्मिलित एवं अलग-अलग दोनों ही रूपों में लगाई जाती हैं। इन कार्यशालाओं का मुख्य प्रयोजन कार्मिकों को कार्यालय के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना रहता है। साथ ही उन्हें राजभाषा, नीति, राजभाषा के सांविधिक स्वरूप और इनके संबद्ध में उनके दायित्वों से भी परिचित कराया जाता है।

राजभाषा संबंधी प्रकाशन

'सेल' मुख्यालय एवं सेल अधीनस्थ संयंत्रों/यूनिटों के राजभाषा संबंधी समाचारों को सेल के तत्वावधान में प्रकाशित होने वाली गृह पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। इसके अतिरिक्त 'सेल' मुख्यालय से भारत सरकार की राजभाषा नीति और संबंधित अद्यतन आदेशों/नियमों आदि की समय-समय पर जानकारी देने तथा कार्मिकों में हिन्दी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से एक त्रैमासिक पत्रिका 'इस्पात भाषा भारती' का प्रकाशन 14 वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया। यह एक दशक तक इसी रूप में निकलती रही। बाद में 'सेल' में हिन्दी उन्मुख वातावरण बनने पर यह अनुभव किया गया कि 'इस्पात भाषा भारती' को फीचर पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया जाय और हिन्दी समाचारों के एक बुलेटिन अलग से निकाला जाए। तदनुसार नवम्बर 1989 से राजभाषा गतिविधियों के लिए 'इस्पात भाषा समाचार' बुलेटिन का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ और 'इस्पात भाषा भारती' का कलेवर फीचर पत्रिका का हो गया। इस नये कलेवर में पत्रिका ने हिन्दी कार्यान्वयन और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है।

संदर्भ-साहित्य और हिन्दी पुस्तकें

कार्मिक को कार्यालय का काम-काज हिन्दी में करते समय शब्दों अथवा वाक्य संरचनाओं आदि के लिए रुकना न पड़े इसके लिए पर्याप्त संख्या में हिन्दी संदर्भ साहित्य एवं शब्दकोश आदि कार्यालय में उपलब्ध कराए गए हैं। कार्यालय सहायिका, प्रशासनिक शब्दावली आदि हिन्दी में काम करने वाले प्रायः प्रत्येक कार्मिक को जारी की गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर की हिन्दी पत्रिकाएं भी कार्यालय में मंगाकर कर्मचारियों को वितरित की जाती है। पुस्तकालय में हिन्दी की पुस्तकों की खरीद पर विशेष ध्यान दिया गया है और हिन्दी की पुस्तकों की पाठक संख्या काफी उत्साहवर्धक है।

राजभाषा कार्यान्वयन कार्यों का निरीक्षण तथा मोनीटरिंग

'सेल' निगमित कार्यालय, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में दोहरी भूमिका है-एक मुख्यालय में राजभाषा नियमों का अनुपालन एवं संबंधित लक्ष्यों की पूर्ति अनुश्रवत करना और दूसरा, सम्पूर्ण भारत में फैले सेल के विभिन्न इस्पात संयंत्रों/यूनिटों/कार्यालयों में राजभाषा नीति कार्यान्वयन का मॉनिटरिंग करना। 'सेल' निगमित कार्यालय, हिन्दी कक्ष अपने दोनों ही दायित्वों के प्रति सजग है। इसकी सभी योजनाएं दोनों ही प्रकार के दायित्वों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। निगमित

...जारी पृष्ठ 41...

पहली किस्त

हिन्दी में तमिल परिचय

—डा॰ रामजीवन मल्या*

[हिंदी भाषियों को तमिल भाषा से परिचित कराने के उद्देश्य से यह लेखमाला शुरू की जा रही है। इस लेख के पढ़ने के बाद सहज रूप में ज्ञात होगा कि भारतीय भाषाएं एक-दूसरे के कितनी निकट हैं। किसी एक भाषा को जानने वाला दूसरी भाषा को कितनी सरलता से सीख सकता है। —संपादक]

समाचार पत्रों के पाठक देश की दैनंदिन समस्याओं से अवगत रहते हैं। और उनके समाधान के विषय में अनेक विचारवान लोगों की सम्मतियों का भी उन्हें ज्ञान रहता है। अतः उन्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं कि पिछले लगभग तीस वर्षों से तमिल भाई हिन्दी का विरोध कर रहे हैं। राजनीति के कर्णधारों ने उनको सदा यह आश्वासन देकर शान्त किया है कि हिन्दी जबरदस्ती उन पर थोपी नहीं जाएगी। यह सुनकर वे आश्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके विरोध का एक प्रकार से समाधान हो जाता है।

हिन्दी के आग्रही लोग यह चाहते हैं कि जब बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण हिन्दी सारे भारत की एकमात्र राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा स्वीकृत हो गयी तो भारत के सभी भाषाभाषियों को हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए। अतः उन्हें हिन्दी का विरोध बुरा लगता है और वे यह सोचते है कि किसी भाषा-भाषी द्वारा हिन्दी की अवमानना अनैतिक है।

देश में अधिकाशं व्यक्ति उस आयु वर्ग के हैं जिन्होंने महात्मा गांधी का नाम सुना है; पर वे उनके किये गये पूरे कामों से परिचित नहीं है। महान विचारक जब देश की किसी समस्या पर गांधी जी के शब्दों या कार्यों में समाधान ढूंढने की चर्चा करते हैं तो वर्तमान पाठक पढ़ तो लेते हैं; किन्तु उन्हें गांधी की गहराई और देश की एकता के लिए किए गए उनके रचनात्मक प्रयत्नों का पूरा आभास नहीं हो पाता।

प्रायः लोगों को यह तो ज्ञान है कि देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी जी ने सारे भारतवासियों में एकता की भावना पैदा की थी। परन्तु यह बहुत कम लोगों को ज्ञान होगा कि अपना पहला असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करने से भी तीन वर्ष पूर्व उन्होंने मद्रास में 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' की स्थापना कर दी थी। उसके तीन वर्ष बाद 1947 में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब तक 40 लाख लोग उस सभा द्वारा थोड़ी या अधिक हिन्दी सीख चुके थे। वह सभा आज भी सफलता-पूर्वक अपना काम कर रही है।

अनेक भाषा-भाषियों में अपनी-अपनी भाषाओं का अलग-अलग प्रान्त बनाने के आग्रह की भावना गांधी जी के दिवंगत होने के अनेक वर्ष बाद देखने में आई और पर्याप्त झगड़े-झंझट के बाद आज हम भारत को भाषावार प्रदेशों में विभाजित देखते हैं। समाचार पत्रों के पाठक इससे भी पूरी तरह अवगत हैं कि गोवा, बैलगांव, कावेरी विवाद आदि केवल भाषाओं के दुराग्रह का परिणाम है।

विचार कीजिए गांधी जी ने दिवंगत होने से वर्षों पहले यह कहा था कि दक्षिण की सभी भाषाएं देवनागरी में लिखी जा सकती हैं और उनके अप्रतिम व्याख्याता श्री विनोबाभावे ने उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा था कि देवनागरी के प्रचलन से दक्षिणी तथा उत्तरी सभी भाषाओं में समरूपता आकर भारत की एकता सुदृढ़ होगी। अनुमान लागइए कि भाषा भिन्नता का समाधान देने वाले गांधी जी कितने सूक्ष्म भविष्यद्रष्टा थे।

जनतंत्र की सफलता का एक ही आधार है कि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों की भावना का सम्मान करें; क्योंकि अवमानना से मनमुटाव पैदा होता है। भारत में हम हिन्दी भाषी चाहे बहुसंख्यक हैं पर हमसे अधिक सहनशील लोग कम ही पाये जाते हैं। अतः हिन्दी प्रदेश में तो लाखों लोग ऐसे हैं जो सुविधा मिले तो दक्षिण की भाषाएं पढ़ने को सहर्ष तैयार होंगे।

उक्त विचारों और भावनाओं को ध्यान में रखकर भाषा-संगम से सम्बद्ध हम गिनती के लोगों ने तमिल का अध्ययन शुरू किया। पाठकों को यह जानकर अति सुखद आश्चर्य होगा कि केवल 'अ' से प्रारंभ होने वाले तमिल कोश में प्राप्त 5504 शब्दों में से 3491 शब्द ऐसे थे जिनके मूल रूपों को हिन्दी भाषी सहज ही समझ सकते हैं। यदि उनमें कुछ अंतर आया है तो मात्र लिपि और उच्चारण भिन्नता के कारण ही। उच्चारण भिन्नता को यदि देखें तो पूर्ण-हिन्दी-भाषी उत्तर प्रदेश में ही बद्रीनायारयण से वाराणसी तक पहाड़ी, ब्रज, बुंदेलखंडी, अवधी, भोजपुरी में उच्चारण—भिन्नता है।

तमिल भाषा के लिपि-दुर्ग को देवनागरी द्वारा पारदर्शी बनाकर हम उन शब्दों के तमिल में लिखित तथा उच्चरित रूपों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं जिनसे आप अपने को पूर्व परिचित पाएंगे। हमारा अटल विश्वास है कि इस अभियान की सुगन्ध तमिल प्रदेश तक स्वतः पहुंचेगी और हम सबको भी देश की एकता के प्रति कर्तव्यपालन द्वारा आत्मतुष्टि और आत्म-संतोष होगा।

पाठ प्रथम

तमिल - भारत की सरलतम लिपि

जिन हिंदी-भाषी भाइयों ने कहीं लिखित तमिल का रूप देखा होगा उन्हें उसके अक्षरों की बनावट देखकर यह लिपि कठिन प्रतीत हुई होगी, परन्तु वास्तविकता यह है कि भारत में प्रचलित सभी लिपियों में तमिल-लिपि सबसे सरल है। हम भाषा-संगम के सहयोगी लोग पिछले

*220-टैगोर पार्क, नई दिल्ली

दस-पंद्रह वर्षों से स्कूलों के 10 से 17 वर्ष आयु के हज़ारों छात्र-छात्राओं को सम्पूर्ण तमिल लिपि के अक्षर हिन्दी अक्षरों के साथ उदाहृत करके केवल 40 मिनट में सिखाते आये हैं और उन बच्चों ने चार-छः घंटे तमिल वर्ण-लेखन का अभ्यास करके लिखित-परीक्षा में सफलता प्राप्त की है।

तमिल में भी हिन्दी की तरह 12 स्वर-वर्ण है किन्तु हिंदी के अं-अः वर्ण उसमें नहीं है। इसमें ए-आ दो स्वर अधिक हैं जिनका उच्चारण हिन्दी के ए-ओ वर्णों से कुछ हलका होता है। 'ऋ' वर्ण भी तमिल लिपि में नहीं है।

स्पर्श व्यंजनों में केवल क-ङ, च-ञ, ट-ण, त-न, प-म, हैं तथा इन पांच वर्गों के बीच के तीन तीन वर्ण यथा ख-ग-घ, छ-ज-झ, ट-ड-ढ, थ-द-ध, फ-ब-भ आदि नहीं हैं। य-र-ल-व हैं परन्तु श-ष-स-ह नहीं हैं।

मूल तमिल लिपि में चार वर्ण अधिक हैं, जिनकी ध्वनि न , र द्वित्व र = ट्र तथा दो अन्य वर्ण हैं जिनके लिए परिवर्धित हिन्दी लिपि में क्रमशः मराठी लिपि में प्रयुक्त होने वाला नीचे से बंद ळ 'ल' तथा उस 'ल' के नीचे बिंदी लगाकर ळ दूसरा अक्षर नियत किया गया है। यदि उक्त दोनों वर्णों का इन पाठों में प्रयोग किया जाए तो साधारण पाठक उनका उच्चारण न जानने के कारण कठिनाई अनुभव करेंगे। अतः उनके स्थान पर इन पाठों में ड़, ढ़ का प्रयोग किया जायेगा, जिनकी ध्वनियां लगभग उक्त तमिल उच्चारणों से मिलती-जुलती ही हैं।

इसके अतिरिक्त प्रचलित तमिल लिपि में पांच वर्ण और भी है। वे क्रमशः ज-ष-स-ह-क्ष है। किसी समय दक्षिण में संस्कृत ग्रन्थों के उच्चारण के समाधान के लिए ग्रन्थी-लिपि बनाई गई थी, ये पांच अक्षर उससे ले लिये गये हैं; परन्तु संस्कृत से आगत शब्दों के लिए लिखित तमिल में इनका प्रयोग कभी-कभी ही होता है। अन्यथा ज-श-स के लिए च, ह के लिए क, ष के लिए ट और क्ष के लिये 'ट्च' का प्रयोग प्रायः किया जाता है।

दूसरी सरलता यह है कि तमिल में द्वित्व और संयुक्त अक्षर बिलकुल नहीं है। दक्षिण की अन्य लिपियों यथा तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उत्तर की प्रायः सभी लिपियों में द्वित्व और संयुक्त अक्षर बनाने की जटिलता देखने में आती है। ऐसे अक्षरों की संख्या सैंकड़ों में है। निःसंदेह तमिल में द्वित्व उच्चारण हैं, परन्तु उन्हें प्रकट करने के लिए पहले अक्षर पर बिंदी लगाकर दूसरा अक्षर लिखकर वे उच्चारण प्रकट किये जाते हैं। अक्षर के ऊपर बिंदी लगाना उच्चारण का सूचक है।

एक तीसरी सरलता तमिल लिपि में और भी है। भारत की सभी लिपियों में अक्षर का रूप बनाने के लिए प्रायः कई बार लेखनी उठानी पड़ती है। तमिल में केवल तीन अक्षरों का रूप पूर्ण करने के लिए एक बार हाथ उठाना पड़ता है, शेष सारे अक्षर लेखनी कागज़ पर रख कर एक ही बार में पूरे बन जाते हैं।

इस प्रकार वर्ण-संख्या की न्यूनता, संयुक्त एवं द्वित्व वर्णरूपों की अनुपस्थिति तथा लेखन की सरलता के कारण तमिल लिपि भारत की सरलतम लिपि है, इसमें संदेह नहीं रह जाता।

पाठ—द्वितीय

उच्चारण के कतिपय संकेत एवं आरंभिक शब्द-परिचय

हिन्दी यदि अंग्रेजी-लिपि में लिखें तो उसे हिन्दी के जानकार ही शुद्ध पढ़ सकते हैं। संस्कृत शब्द यदि अंग्रेजी-लिपि में लिखे जाएं तो उन्हें केवल हिन्दी के जानकार नहीं अपितु संस्कृत शब्द रूप जानने वाले ठीक ठीक पढ़ सकते हैं। कारण कि अंग्रेजी-लिपि में इन भाषाओं की अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले अक्षर नहीं है। ठीक यही दशा तमिल लिपि की है। अतः अन्य भाषाओं से हज़ारों शब्द लेते समय तमिल भाइयों ने उन भाषाओं की ध्वनियों को अपनी सीमित लिपि में अपने ही ढंग से लिखित रूप दिया। परिणाम यह हुआ कि सामान्यजन उन शब्दों के लिखित रूप को भिन्न-भिन्न ढंग से बोलते हैं।

सभी भाषाएं स्वयं भी सौ-सौ दो-दो सौ किलोमीटर की दूरी पर अपना उच्चारण बदलती चलती हैं। इसलिये उत्तर में विजयवाड़ा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की सैंकड़ों किलोमीटर की दूरी में तमिल का उच्चारण बदलता चलता है।

भाषाओं को मानक रूप व्याकरण द्वारा दिया जाता है। तमिल व्याकरण में लगभग 400 नियम है। परन्तु वे केवल पंडितों के लिए हैं। सामान्य जन मातृभाषाओं को व्याकरण से सीखकर नहीं बोलते। हम हिन्दी भाषियों को तमिल शब्दों तथा भाषा के कुछ मोटे-मोटे नियमों से काम चलाना हैं। जिससे शब्दों के लेखन-उच्चारण को समझने में सुविधा हो जाए। अतः दो-चार नियम ये हैं:—

1—शब्द के मध्य या अन्त में लिखित क-च-ट-त-प प्रायः ग-ज-ड-द-ब बोलने की प्रवृत्ति है। श के लिए प्रायः च और ष के लिए ट लिखा जाता है।

2—तमिल में अनुस्वार की बिंदी जैसा चिन्ह नहीं हैं। अतः ङ् क-ञ्च-ण्ट-न्त-म्प क्रमशः ङ् ग- ञ्ज-ण्ड-न्द-म्ब बोले जाते हैं।

3—तमिल में शब्द के अन्त में बड़ी 'ई' की मात्रा की प्रवृत्ति नहीं है। अतः शब्दान्त में छोटी 'इ' की मात्रा ही लगी मिलती है।

4—पुल्लिंग शब्दों के अन्त में प्रायः हलन्त 'न्', स्त्रीलिंग में छोटी 'इ' या 'ड़' तथा दोनों के स्थान पर सम्मानार्थ में हलन्त 'र्' का प्रायोग होता है। शेष सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों के अन्त में हलन्त 'म्' का प्रयोग होता है।

अब कृपया शब्द रूपों का अवलोकन कीजिए। आवश्यक नियम मिलते चलेंगे।

शब्दारम्भ में 'ह' के स्थान पर तमिल में 'अ' का प्रयोग

अन्य भाषाओं के शब्दों के आरंभिक 'ह' को तमिल ने 'अ' ध्वनि में ग्रहण किया। अतः शिवशंकर वाची हर-अरन् और हरप्रिया (पार्वती)—अरप्पिरियै बोले जाते हैं। विष्णु वाची हरि-अरि तथा हरिप्रिया (लक्ष्मी)—अरिप्पिरिये हैं। तिरुपति की देवमूर्ति में दोनों देवों का निवास मानकर उसे अरिअरन्—हरिहरन कहा जाता है।

शुक्लपक्ष की एकादशी अरिदिनम्-हरिदिन तथा ज्योतिष का हरिवर्ष-अरिवरुडम्ल या अरिकण्डय हरिखंड कहलात हैं।

पीला चंदन अरिचन्दनम्-हरिचंदन तथा उसकी सुगन्ध अरिगन्दम्-हरिगन्ध है।

हरि का अर्थ सिंह भी है। अतः सिंहासन-अरियासनम् और राज्य-प्राप्ति की हस्तरेखा अरियासनरेके-हरि-आसन-रेखा है।

इन्द्र का पर्याय हरि होने के कारण इन्द्रप्रस्थ-अरिप्पिरत्तम् है। हस्तिन राजा द्वारा स्थापित हरिस्तनापुर-अस्तिनापुरम् है। हरिद्वार-अरित्तुवारम् लिखा जाता है।

हर, हरि शब्दों में तमिल मूल के शब्द जोड़कर अनेक यौगिक शब्द भी बनते हैं। यथाः—हरिवाहन (गरुड़) के लिए अरियूर्ति, सिंहवाची हरि से सिंहवाहिनी दुर्गा के लिए-अरियेरि तथा सिंहद्वार-अरिकूडम् हैं।

हिरन का संस्कृत रूप हरिण तमिल में अरिणम्-अरुणम् तथा हरिणी-अरिणि होते हैं।

हलधर बलराम तमिल में अलायुदन्-अलायुध तथा हलवान्-अलन् हैं। यज्ञ का हविष्य-अविसु बोला जाता है।

हलवा (भोज्य)-अलवा तथा हलवाहा (किसान)-अलवर् होता है। पहना जाने वाला हाथ का कड़ा अस्तकटकम्-हस्तकटकम्; हस्तान्तर-अस्तान्तरम्; हस्तिनी-अत्तिनी होते हैं।

भोजन से पहले धार्मिक लोग दायें हाथ से बायें हाथ की हथेली पर कुछ जल डालकर आचमन करते हैं। उसे तमिल में अस्तोदकम्-हस्तोदक कहते हैं।

तमिल प्रदेश में तिरुपति की यात्रा करके घर लौटकर भक्त लोग नृत्य-कीर्तन आदि का आयोजग करते हैं। इसे वहां अरिसेवे-हरिसेवा कहा जाता है।

पुलिस का हवालदार तमिल में अवालदार या अवालुदार बोला जाता है।

नोटः—अन्य भाषाओं के मध्य में आने वाले 'ह' का कभी लोप हो जाता है तो कभी उसकी ध्वनि 'क' द्वारा प्रकट की जाती है। इस समय केवल स्मरण रख लें।

['ह' के स्थान पर 'क' लिखा जाना]

मूल भाषाओं से आये वे शब्द जिनके मध्य में 'ह' वर्ण होता है उसके स्थान पर तमिल में 'क' लिखते हैं, पर उसे बोलते 'ह' हैं। उनका 'ह' कुछ 'ग' जैसा होता है। नीचे लिखित-उच्चरित दोनों रूप दिये हैं, जिससे आपको अन्य परिवर्तनों का भी अभ्यास हो जाए।

अनुग्रह-अनुक्किरकम्-अनुक्किरहम्, अहंकार-अकङ्कारम्-अहङ्गारम्, अहन्ता-अकन्ते-अहन्दे, अहिंसा-अकिञ्चै-अहिम्सै, अहंभाव-अकम्पावम्-अहम्बावम्, आवाहन-आवाकनम्-आवाहनम् आजानुबाहु-आचानुपाकु-आजानुबाहु, अहि-अकि, आहार-आकारम्-आहारम्, आहुति-आकुति-आहुदि, ऊहा-ऊकम्-ऊहम्, कलह-कलकम्-कलहम् कुतूहल-कुतुकलम्-कुतुहलम्, कुलद्रोही-कुलत्तुरोकि-कुलत्तुरोहि, कोलाहल-कोलाकलम्-कोलाहलम्, कौतुहल-कौतुकलम्-कौतुहलम्, चन्द्रग्रहण-चन्तिरकिरकणम्-चन्दिरगिरहणम्; तहसीलदार-तकसिल्तार-तहसिल्दार, दाह-ताकम्-दाहम्, देह-तेकम्-देहम्, द्रोह-तुरोकम्-दुरोहम्, निर्वाह-निरुकाकम्-निरुवाहम्, पुरोहित-पुरोकितन्-पुरोहिदन्, प्रवाह-पिरवाकम्-पिरवाहम्, महा-मका-महा, महाकवि-मकाकवि-महाकवि, महाकाली-मकाकालि-महाकालि, महाकाव्य-मकाकावियम्-महाकाव्यम्, महात्मा-मकात्मा-महात्मा, महादेव-मकातेवन्-महादेवन्, महादोष-मकातोषम्-महादोषम्, महारानी-मकाराणि-महाराणि, महिमा-मकिमै-महिमै, महेश्वर-मकेस्वरन्-महेस्वरन्, महोत्सव-मकोत्सवम्-महात्सवम्, मुहूर्त-मुकूर्तम्-मुहूर्दम्-, मोहन-मोकनम्-मोहनम्, मोह-मोकम्-मोहम्, मोहिनी-मोकिनि-मोहिनि, रहस्य-रकचियम्-रहसियम्, वाहन-वाकनम्-वाहनम्, विग्रह-विक्किरकम्-विक्किरहम्, विद्रोह-वित्तुरोकम्-वित्तुरोहम्, विवाह-विवाकम्-विवाहम्, सन्देह-चन्तेकम्-सन्देहम्, सहज-सहचम्-सहजम्, सहाय-सकायम्-सहायम्, साहस-चाकचम्-साहसम्, स्नेह-चिनेकम्-सिनेहम्।

अभ्यासवश 'ह' उच्चारण प्रवृत्ति

सामान्य जनों ने जब 'क' का 'ह' उच्चारण देखा तो वे ऐसे शब्दों में भी 'ह' या 'ग' बोलने लगे जहां 'क' बोल सकते थे, क्योंकि उन्हें मूल भाषा के उच्चारण का ज्ञान नहीं था। अतः वे उच्चारण चल पड़े। यथा :—अखिल-अकिलम्-अहिलम्, अंगीकार-अङ्गीहारम्, अगर-अकरु-अहरु, अधिक-अतिकम्-अदिगम्, अधिकार-अतिकारम्-अदिगारम्, अधिकारी-अतिकारि-अदिगारि, अधोगति-अतोकति-अदोगदि, अनुराग-अनुराकम्-अनुराहम्, अपकार-अपकारम्-अपगारम्, आकर्षण-आकर्षणम्-आहर्षणम्, आकाश-आकायम्-आहायम्, आकाशवाणी-आकाचवाणि-आहासवाणि, आलेखन-आलेकनम्-आलेहनम्, उपकार-उपकारम-उपहारम्, उपकारी-उपकारि-उबहारि, उपयोग-उपयोकम्-उबयोहम्, एकान्त-एकान्तम्-एहान्दम्, गणिका-कणिके-कणिहै, त्रिकाल-तिरकालम्-तिरहालम्, त्रिकोण-तिरकोणम्-तिरहोणम्, त्रिलोक-तिरलोकम-तिरलोहम्, नख-नकम्-नहम, नग-नकम्-नगम्, नगर-नकरम्-नगरम, नगरवासी-नकरवाचि-नगरवासि, नाटक-नाटकम् नाडहम्-नाडगम्, नामकरण-नामकरणम्-नामगरणम्, पत्रिका-पत्तिरिकै-पत्तिरिहै, परलोक-परलोकम्-परलोहम्, पुस्तक-पुस्तकम्-पुत्तकम्-पुत्तगम-पुस्तहम्, प्रकाश-पिरकाचम्-पिरगासम् बालक-पालकन्-पालहन्, भूकम्प-पूकम्पम्-पूहम्बम्, भूगोल-पूकोकम-पूहोलम्; भोग-पोकम्-बोगम्, मण्डूक-मण्डूकम्-मण्डूहम, मरकत-मरकतम्-मरहदम्, मानसिक-मानचीकम्-मानसीहम्, मुकुट-मुकुटम्-मुहुडम्, मुख-मुकम्-मुगम्, मेखला-मैकलै-मैहलै, मेष-मेकम्-मेहम, मोदक-मोतकम-मोदहम्, यमलोक-यमलोकम्-यमलोहम्, याग-याकम्-यागम्, यागकुंड-याककुण्टम्-यागकुण्डम्, याचक-याचकन्-यासहन्, युग-युकम्-युहम्, योगासन-योगाचनम्-योगासनम्, रसिक-रचिकन्-रसिहन्, राग-राकम्-रागम्, रेखा-रैकै-रैहै, रोग-रोकम्-रोगम्, रोगी-रोकि-रोहि, लाघव-लाकवम्-लाहवम्, लोक-लोकम्-लोहम, वंचक-वच्चकन्-वच्चहन्, वाणिक-वाणिकन्-वाणिहन्, वशीकरण-वचीकरणम्-वसीकरणम्, विनियोग-विनियोकम्-विनियोहम् वैदिक-वैदिकम्-वैदिहम्, शकुन-चकुनम्-सहुनम् शिखर-चिकरम्-सिरहम्, शिखा-चिकै-सिहै, शौक-चौकम्-सोहम्, श्लोक-चिलोकम-सिलोहम्, सकल-चकलम्-सहलम्, सागर-चाकरम्-साहरम्, सुख-चुकम-सुहम, सेवक-चेवकन्-सेवहन्, सात्विक-चातुवीकम्-सातुवीहम्, सौकर्य-चवुकरियम्-सवुकरियम्।

'ह' के मात्रायुक्त या संयुक्तवर्ण रूप में प्रयुक्त शब्दों के तमिल रूप

१- हिण्डोला-इन्दोलम्, हिंसा-इम्सै, हित-इतम-इदम्, हिन्दू-इन्दू हिमगिरि-इमकिरि-इमगिरि, हिमाचल-इमाचल, हिमालय-इमालयम्, हिरण्य-इराणियम् और हींग-इङ्ग होते है। हुंकार-उङगारम्, हुक्का-उक्का,

हुण्डी-उण्टि-उण्डि हेतु-एतु-एदु, हेमन्त-एमन्तम्-एमन्दम्, और होम ओमम्।

२- उहाहरण-उतारणम्-उदारणम्, ओहदा-औता-औदा, शोहदा-चोदा-सोदा, कचहरी-कच्चेरि, पहरा-पारा, महसूल-माचूल-मासूल, महावत-मावुत्तन्, साहूकार-सावकार-सावगार, साहूकारी-सावकारि-सावगारि, चिह्न-चित्रम्, ब्रह्मचारी-पिरम्मचारि होते हैं।

३- सिंहासन-चिम्माचनम्-सिम्मासनम् होता है परन्तु सिंह् चिङ्कम्-सिङ्गम-सिम्पन्, संहार-सङ्कारम्-सङ्गारम्-सम्मारम् दो रूप मिलते हैं।

ऋ युक्त मूल शब्दों का तमिल रूप

संस्कृत शब्दों में 'ऋ' का प्रयोग होता है। तमिल में उक्त अक्षर न होने के कारण उसे 'इरु' द्वारा प्रकट किया जाता है।

नीचे संस्कृत शब्दों के साथ पहले तमिल का लिखित रूप और फिर उच्चरित रूप दिया जा रहा है:-

(क) ऋतु-इरुतु-इरदु, कृपा-किरपै-किरुबै, मृग-मिरुकम्-मिरुगम्, मृदु-मिरुतु-मिरुदु, दृष्टि-तिरुष्टि-दिरुष्टि, वृथा-विरुता-विरुदा, अदृष्ट-अतिरुष्टम-अदिरुष्टम, अमृत-अमिरुतम्-अमिरुदम्,

(ख) मध्य में आने वाली 'ऋ' के शब्द रूप।
आवृति-आविरुचित्त, आकृति-आकिरुति-आगिरुदि।

(ग) परन्तु जिन शब्दों में द्व हो तो तमिल में द्वित्व 'त्त'द का ही प्रयोग होता है। यथा
वृद्धि-विरुत्ति, अभिवृद्धि-अपिविरुत्ति।

(घ) व्यक्ति के सम्मान में जिस प्रकार हिन्दी में 'जी' लगाया जाता है तमिल में शब्दान्त में हलन्त 'र्' का प्रयोग होता है । यथा:- वृद्ध-विरुत्तर् लिखा तथा बोला जाता है।

(ङ) 'न्त' लिखकर तमिल में 'न्द' बोला जाता है। यथा:-
दृष्टान्त-तिरुष्टान्तम्-दिरुष्टान्दम्, मृदंग-मिरुतङ्कम्-मिरुद्गम्, वृत्तान्त-विरुत्तान्तम-विरुत्तान्दम् आदि।

(च) तृप्ति-तिरुप्ति, अतृप्ति-अतिरुप्ति ही लिखते बोलते हैं। परन्तु जागृत-जाक्किते-जाकिरुदे लिखा व बोला जाता है। सृष्टि-चिरुष्टि-लिखी और सिरुष्टि बोली जाती है।

(छ) 'क्ष' वर्ण के लिए लिखित तमिल में वर्ण संकेत होने पर भी वृक्ष-विरुट्चम् लिखा जाता है और लगभग ऐसा ही बोला जाता है।

(ज) अनेक ऐसे शब्द भी मिलते हैं कि जिनमें संस्कृत शब्द में 'ऋ' होने पर भी तमिल में बिलकुल तद्भव रुप हो गया है। जैसे : अनृत-अनुत्तम् और दृढ़ता-तिटम-दिडम् हो गया है।

नोट : ऐसे हजारों शब्द हैं जो संस्कृत, प्राकृत, पाली से तमिल में गए हैं। अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि से आए हुए शब्द भी तमिल में चलते हैं। उक्त सभी भाषाओं से आए हुए शब्द हिन्दी-तमिल में किंचित भिन्न रुप में हैं उनकी अगलें अनेक पाठों में झाकियां प्रस्तुत की जायेंगी।

आकाश शब्द के सहयोग से बनने वाले तमिल शब्द

आकाश शब्द के आकाचम् व आकायम् दो रूप तमिल में चलते हैं। तमिल में उक्त शब्द क्रमशः आगासम् - आहासम्-अहायम् आदि बोले जाते हैं। पंडित लोग आपस में संस्कृत रूप तथा सामान्य जन वार्त्तालाप में तमिल रूप उच्चरित करते हैं।

उक्त शब्दों से मिलकर जो तमिल शब्द बने हैं, उनमें हिन्दी में प्रचलित शब्दों से कुछ भिन्नता अवश्य है किन्तु वे संख्या में अधिक हैं। ये शब्द ज्ञानवृद्धि भी करते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। जीवन के धार्मिक, कलात्मक, साहित्यिक, ज्ञान-विज्ञान, रीति-नीति आदि अनेक क्षेत्रों का इन शब्दों में समावेश है।

1. आकाचम्-आकायम् के अर्थः—1-पृथ्वी के ऊपर छाया हुआ तेजोमय तत्व, 2-पंचभूतों में प्रथम, 3-वायु, 4-वायुमंडल, 5-स्वर्ग की दिशा, 6-ब्रह्म। हिन्दी में शून्य, अवकाश, छिद्र-रंध्र, अभ्रक आदि कुछ अन्य अर्थ भी कोशों में हैं। अन्य शब्दों से सन्धि होने पर इन तमिल शब्दों के अन्तिम 'म्' का लोप हो जाता है।

2. आकाच चैप—आकाश सभा कांचीपुरम के नटराज मंदिर के खुले प्रांगण में नृत्य का वाची है। आकाशलिंगम् चिदम्बरम् मंदिर के शिवलिंग का संकेत करता है। जो पंचलिंगों में एक, अदृश्य-शिवरूप का द्योतक है।

3. आकाशस्तिकायम् (जैन) जो स्थिति-विस्तार में सबको समाहित करने वाला और किसी में न समाहित होने वाला तत्व है। अकाशत्तिरियम्-आकाश द्रव्य, छः द्रव्यों में से एक है।

4. आकाशवाणी तमिल में आकाचवाणि, आकाश ध्वनि-आकाचत्तुवनि, आकाश दुन्दुभि-आकाचतुन्तुपि होते हैं। उपदेवता, यज्ञ-गंधर्व आदि आकाचवाचिक्कल्-आकाशवासीगण, आकावासिर्-आकाशवासर् हैं।

5. आकाशगंगा-आकाचकङकै-आकायकङ्कै लिखा तथा आकाश में व्याप्त असंख्य तारों के अतिक्ति ओस-कणों के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। आकाच पलम्-आकाशफल तमिल में उल्कापात तथा हिन्दी में संतान अर्थ देता है।

6. नाटक में जब पात्र आकाश की ओर देखकर प्रश्नोत्तर करता है तो उसे हिन्दी में आकाशभाषित और तमिल में आकाशच्चोल् कहते हैं।

7. तमिल में आकाशमण्डल 1-दिव्यमण्डल, 2-घूम-घूमकर नाचने की एक रीति का संकेत करता है। परन्तु हिन्दी में खगोल तथा हठयोग में कथित सहस्रार-चक्र का पयार्य अर्थ का संकेत करता है।

8. कार्तिकमास में एक उत्सव होता है जिसमें ऊंचे बांस के सिरे पर दीपक जलाया जाता है, जो विष्णु देव को प्रसन्न करने के लिये माना जाता है, संभवतः उत्तर भारत में प्रचलित दीपदान जैसा ही है। उसके लिये तमिल शब्द आकाशदीपम् है। परन्तु वहां उससे समुद्र के किनारे बनी मीनार पर प्रज्वलित दीपक के संकेत में भी प्रयोग करते हैं जो नाविकों को मार्ग दिखाता है। यह अंग्रेजी के लाइटहाऊस का पर्याय है। हवाई जहाज तमिल में आकाशकप्पल् तथा आजकल लड़ाई में चलनेवाले मिसाइल, स्काई राकेटों के लिये पुरातन शब्द आकाशवाणम् का उपयोग किया जाता है।

9. प्राचीन काल में 64 कलाओं एक कला का वर्णन मिलता है जिसमें मंत्र-तंत्र या जादू से लोग आकाश में उड़ते तथा ग़ायब भी हो जाते थे। इन संकेतों में तमिल में आकाशप्पिरवेशम्-आकाशप्रवेश, आकाशगमनम्, आकाशगामी तथा उस शक्ति के लिये आकाशगामिनी आदि शब्द प्राप्त

...जारी पृष्ठ 41...

मूक-बधिरों के लिए संकेत-भारती

—कृपा नारायण**

[मूक-बधिरों के लिए दूर-दर्शन पर समाचार-वाचक द्वारा संकेतों के माध्यम से समाचार सूचित किए जाते हैं जोकि सामान्य पाठक के लिए कौतूहलजनक होते हैं। राजभाषा विभाग के पूर्व सचिव एवं अध्यक्ष, मंगलम के प्रस्तुत लेख के माध्यम से आशुलिपि की भांति 'संकेत-भारती' से परिचित होंगे। यह लेख ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी है। —सम्पादक]

यह संकेत भाषा भारत की भाषाओं को मूक-बधिर के लिए सुबोध एवं सुगम बनाने का माध्यम है। अक्षरों तथा संख्या अंकों को दोनों हाथों के प्रयोग से संकेत चिन्हों द्वारा चित्रित किया गया है। संस्कृत-देवनागरी अक्षरों का वर्गीकरण कंठ, तालु, दंत एवं ओष्ठों द्वारा उच्चारण ध्वनि के अनुरूप है। अतएव इन अक्षरों को इनकी ध्वनि के अनुसार क्रमबद्ध रूप में इस संकेत भाषा में भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। हाथों की अंगुलियों, मुट्ठियों तथा अंगुष्ठों की सहायता से बनाए गए चिन्हों का उपयोग, यथासंभव एक क्रम में, इन अक्षरों की ध्वनियों को दर्शाने में हुआ है। जहां ऐसा क्रम सम्भव नहीं हो पाया है, अन्य अंग्रेजी संकेत-भाषा के चिन्हों को प्रयोग में लाया गया है। व्यवहार की दृष्टि से यही श्रेयस्कर समझा गया।

प्रारम्भ में सुगमता के विचार से इस संकेत भाषा को सरल ही रखा गया है। इसीलिए अं, अः, ङ, म, ण, ष, क्ष, त्र, ज्ञ, ऋ आदि के लिए कोई संकेत चिह्न नहीं रखे गये हैं। म और न की ध्वनियों से ही अन्य अनुनासिक वर्णों का काम चलाया गया है।

संयुक्त अक्षरों की समस्या से निपटने के लिए अर्ध-अक्षर के लिए संकेत चिह्न हैं जो उस अक्षर के तुरन्त बाद दर्शित करने से उस अक्षर को आधा समझा जायेगा—उदाहरणतः मन्जन, बन्दर, आर्य, पराप्त, चिह्न आदि।

स्वर-वर्णों में केवल ह्रस्व के लिए संकेत-चिह्न दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्वर में दीर्घ मात्रा के लिए उस स्वर के तुरन्त बाद दीर्घ मात्रा के संकेत चिह्न से उस स्वर की दीर्घ ध्वनि दर्शाई जा सकती है जैसे-क+ओ+क+इ+ल+इ+दीर्घ=कोकिला। नये शब्द के प्रारम्भ को दर्शित करने के लिए अलग से संकेत चिन्ह है। अर्ध-विराम, विराम अथवा नए प्रस्तर को प्रारम्भ करने के लिए संकेतो के प्रवाह में ही यथानुसार व्यवधान कर लिया जायेगा।

संख्या-अंकों के लिए दोनों हाथों की अंगुलियों और शून्य के लिए अंगुष्ठ और तर्जनी के गोले का उपयोग किया गया है जो सभी भाषाओं के लिए समान रूप से सरल है।

प्रत्येक संकेत-भाषा प्रारम्भ में कुछ कठिन प्रतीत होती है, पर अभ्यास से उसमें गति प्राप्त हो जाती है। मोर्स और सिगनल्स का प्रयोग भी ऐसे ही शुरू में काफी कठिनाई प्रस्तुत करता रहा है, परन्तु इनका उपयोग विस्तृत-रूप से सब जगह हुआ। प्रत्येक संकेत भाषा—विशेषतः हाथों के प्रयोग से बनी संकेत—भाषा में एक काम यह भी है कि "बात" करते हुए आप थकते नहीं। बोलने की भाषा में आधा घंटा लगातार बोलते हुए कण्ठ सूख जाता है और थकान महसूस होती है। संकेत-भाषा में चिल्लाने का प्रश्न नहीं उठता और विचारों का आदान-प्रदान शान्त ढंग से अधिक समय तक किया जा सकता है।

भारत देश की प्रत्येक भाषा, कतिपय आवश्यक परिमार्जन और परिवर्धन के पश्चात्, देवनागरी के अक्षरों द्वारा ध्वनित की जा सकती है। अतएव इस संकेत भाषा को मूक-बधिरों द्वारा देश की सभी भाषाओं को समझने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। यदि उस भाषा में किसी ध्वनि-विशेष का अक्षर है तो उसके लिए विशेष संकेत चिह्न निर्धारित किया जा सकता है।

इस प्रकार यह संकेत भाषा भारत की सभी भाषाओं को देश के मूक बधिर भाई बहनों के लिए बोध-गम्य बनाती है। अतएक इसका उपयुक्त नाम "संकेत-भारती" ही है।

संकेत-भारती देश के लगभग 2 करोड़ मूक-वधिरों की भाषा होगी। जिसके माध्यम से वे हिन्दी, तमिल, कन्नड़, मलयालम्, बंगला, गुजराती, मराठी, तेलुगू अंग्रेजी आदि किसी भी भाषा में साक्षरता प्राप्त कर सकेंगे। इसका अधिकाधिक लाभ उन सुदूर ग्रामीण एवं जन-जातीय क्षेत्रों में होगा जहां अंग्रेजी की संकेत-भाषा बिल्कुल नहीं पहुंच पाई है और न पहुंच सकती है। संकेत-भारती के प्रयोग से ही देश में मूक बधिरों में साक्षरता और शिक्षा का संचार हो सकेगा जिससे वे अपने अन्य भाई-बहनों से भाषा—सम्पर्क बना कर नया जीवन प्रारम्भ कर सकें।

संकेत भारती के इस प्रथम संस्करण में व्यावहारिक अनुभव के आधार पर आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। मूक-बधिरों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग में लाने पर जो कठिनाइयां प्रगट होंगी उनका निवारण एक सुसंगठित योजना के अंतर्गत करना होगा जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं और समाज के अन्य अंगों का सहयोग नितान्त वांछनीय है।

*ए-13, स्वास्थ्य विहार, दिल्ली-110092

संकेत - भारती

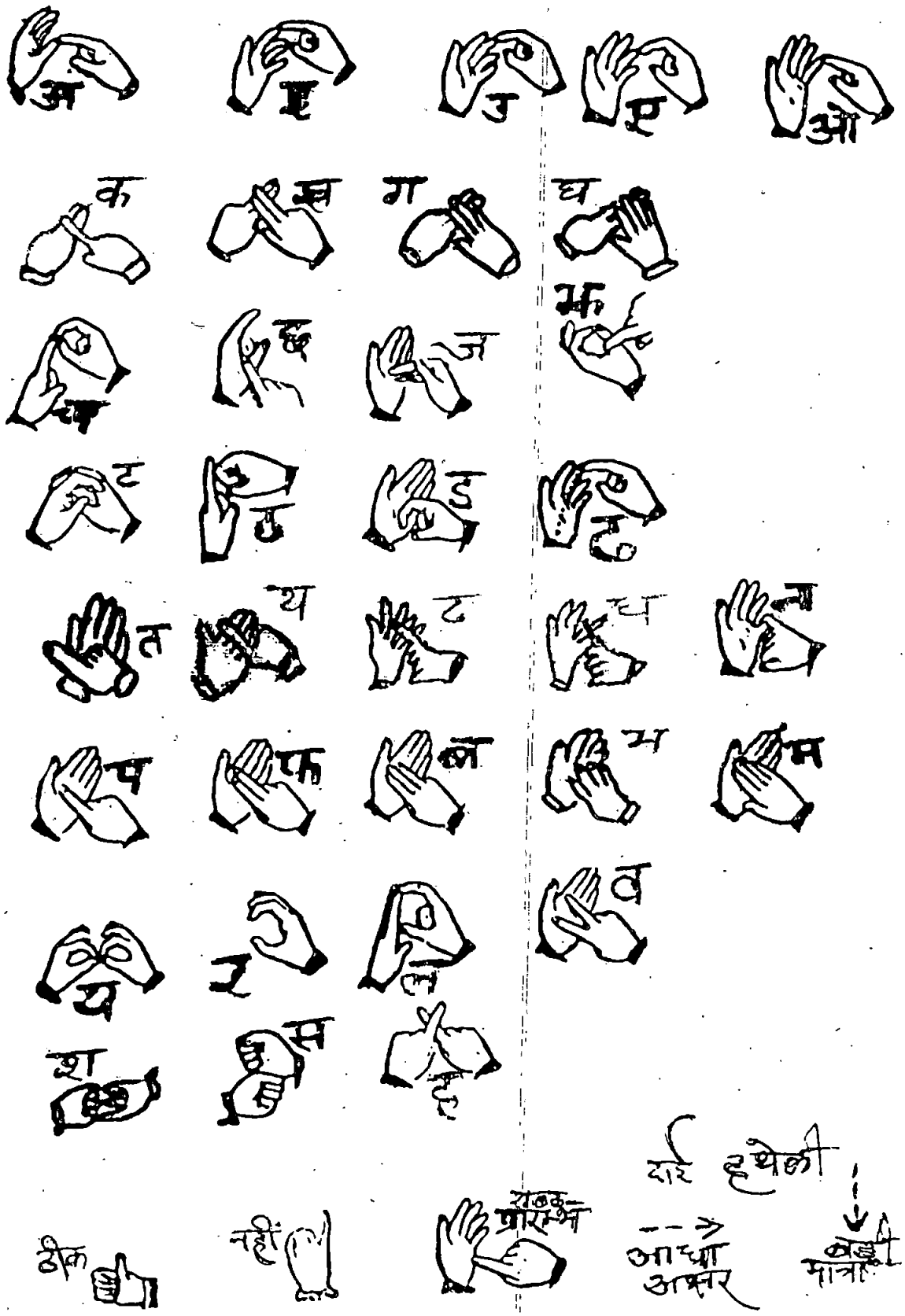
अ
इ
उ
ए
ओ
क
ख
ग
घ
च
छ
ज
झ
ट
ठ
ड
ढ
त
थ
द
ध
न
प
फ
ब
भ
म
व
य
र
ल
श
स
ह
ठीक
नहीं
राजभाषा प्रारम्भ
दाईं हथेली
आधा अक्षर
बड़ी मात्रा

ध्वनि, लिपि और आशुलिपि

— डा॰ (श्रीमती) पी॰पी॰ आंडाल)*

प्रकृति के अस्तितत्व का एक संकेत है—ध्वनि! ध्वनि को अनन्त सृष्टि का मूलाधार माना गया है। सृष्टि के हर क्षेत्र में हमें किसी न किसी प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। विशाल सागर की लहरों से, घने जंगलों के वृक्षों की डालियों से, आकाश को चूमने वाली पर्वत मालाओं में छिपी एकांतता से अलग-अलग प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं। सृष्टि में निरंतर होने वाले परिवर्तन का संकेत भी ध्वनि ही है। भारत में यह मान्यता है कि भाषा की मूल ध्वनियों की उत्पत्ति भगवान शंकर के डमरू से हुई है। हिन्दू धार्मिक ग्रन्थों में वर्णित ऊ॰ (आ+उ+म्) ईसाइयों के "आमेन" और इस्लामी धार्मिक ग्रन्थों में वर्णित "आमीन" को आदि ध्वनि, पवित्र शब्द या The Holy Word कहा गया है।

ध्वनियों का व्यवस्थित समुच्चय रूप भाषा है। संसार की सभी भाषाएं इन्हीं ध्वनि समुदायों पर आधारित हैं। भाषा शास्त्रियों के मतानुसार मानव द्वारा भाषा, संबंधी ध्वनि प्रयोग उसके देश की भौगोलिक स्थिति, वातावरण उसकी आहार संबंधी आदतों पर निर्भर करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि एक ही भाषा के प्रयोक्ता का उच्चारण भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार होता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा का उच्चारण अमरीका में, ब्रिटेन में, अफ्रीका में और भारत में अलग-अलग होता है।

भाषा का मूर्त्त रूप ही लिपि है। विश्व की अलग-अलग भाषाएं अलग-अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। कहीं-कहीं एक ही लिपि का प्रयोग भिन्न-भिन्न भाषाओं के लिए (जैसे रोमन लिपि) होता है, तो कहीं एक भाषा अनेक लिपियों में (जैसे भारत में कोंकण) लिखी जाती है। खैर, स्थिति जो भी हो, वर्तमान संदर्भ में विभिन्न लिपियों के विकास क्रम की गहराइयों में न जाते हुए हम इस बात पर विचार करेंगे कि अमुक लिपि वैज्ञानिक है या नहीं। भाषा शास्त्रियों ने उन भाषाओं की लिपियों को वैज्ञानिक माना है जिन्हें उच्चारण के अनुसार लिखा जा सके अर्थात् जिस भाषा की लिपि में उस भाषा की सभी उच्चरित ध्वनियों को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित / पर्याप्त वर्ण उपलब्ध हों और जो लिखने में सरल हो। इस आधार पर यदि हम विश्व की दो प्रमुख लिपियों, अर्थात् रोमन और देवनागरी, पर विचार करें तो हमारे सामने कई रोचक बातें आती हैं। यद्यपि ये दोनों आर्यकुल की भाषाओं की लिपियां हैं, इन दोनों की ध्वनि प्रणाली में जमीन-आसमान का अन्तर है। अंग्रेजी के अलावा जर्मन, फ्रेंच, रूसी जैसी अन्य भाषाएं भी रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। जहां तक देवनागरी लिपि का संबंध है, इसका मूल भारतीय होने के कारण, भारत में संस्कृत, सिंधी, हिन्दी और मराठी भाषाएं इस लिपि में लिखी जाती हैं।

रोमन और देवनागरी लिपियों की वैज्ञानिकता और क्षमता पर जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि रोमन लिपि की तुलना में देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक और सुन्दर भी है। रोमन लिपि की वर्णमाला में केवल 26 अक्षर हैं जिनके आधार पर विश्व की अन्य भाषाओं की ध्वनियां पूर्णरूप से ठीक-ठीक प्रस्तुत नहीं की जा सकतीं। इसीलिए रूस ने रूसी भाषा की अतिरिक्त ध्वनियों के लिए कुछ अतिरिक्त वर्णों का आविष्कार कर लिया और कुछ रोमन अक्षरों में परिवर्तन भी कर लिया, जैसे И Я ,Ц आदि। देवनागरी लिपि में 52 मूल वर्ण हैं अर्थात् रोमन लिपि से दुगुने वर्ण। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विश्व की किसी भी भाषा को लिखने की सुविधा जितनी देवनागरी में है उतनी रोमन में नहीं। देवनागरी वर्णों की यह भी एक विशेषता है कि जैसा ध्वनि का उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। रोमन लिपि की सीमित क्षमता के अलावा उसके कई वर्ण भ्रामक हैं। उसके एक ही वर्ण के भिन्न-भिन्न उच्चारण होते हैं चाहे वह व्यंजन हो या स्वर। उदाहरण के लिए रोमन लिपि का 'g' व्यंजन 'guage' में पहला 'ग' के रूप में होता है तो Geography में पहला 'ज' के रूप में दूसरा 'ग' के रूप में तथा Geology में दोनों ही 'g' 'ज' के रूप में उच्चरित होते हैं। किन्तु देवनागरी में 'ग' का उच्चारण 'ग' और 'ज' का उच्चारण 'ज' के रूप में ही होता, चाहे शब्द जो भी हो जैसे, गणित, गंगा, जंगल, भजन, पंकज आदि। रोमन लिपि के स्वरों की भी यही स्थिति है। उदाहरण के लिए स्वर य का उच्चारण put में 'उ' के रूप में 'cut' में 'अ' के रूप में होता है। रोमन लिपि में वर्णों का कोई मानक उच्चारण नहीं है।

इसी पृष्ठभूमि पर हम आशुलिपि पर विचार करेंगे। आधुनिक विश्व में त्वरित संचार के लिए आशुलिपि का व्यापक प्रयोग होता है, चाहे कार्यालयों में पत्राचार में हो या पत्रकारिता में संवाददाताओं द्वारा सूचना संग्रहण के लिए हो या महान व्यक्तियों के भाषणों को रिकार्ड करने के लिए हो। सामान्य लिपि की तुलना में आशुलिपि में एक 1 / 6 मेहनत और समय की बचत होती है।

आशुलिपि के उद्भव और विकास की कहानी काफी रोचक है, ध्वनि की दृष्टि से और लिपि की दृष्टि से भी। आशुलिपि का जन्म ई॰पू: 63 में रोम में हुआ माना जाता है। इस लिपि का आविष्कर्ता सिसेरो (यूनानी दार्शनिक) के मित्र मार्कस तुलुइस टायर हैं। मार्कस ने इस लिपि का आविष्कार रोम के सेनेट में भाषाणों को रिकार्ड करने के लिए किया था। मार्कस की आशुलिपि प्रणाली कई सदियों तक प्रचलन में रही। वर्तमान युग में प्रयुक्त आशुलिपि प्रणाली का उद्भव सन् 1837 में हुआ। इसे इंलैंड के एक स्कूल के अध्यापक सर आइजेक पिटमैन ने प्रवर्तित किया। पिटमैन की प्रणाली पूर्वप्रचलित सभी आशुलिपि प्रणालियों से अत्यन्त वैज्ञानिक मानी गई और रोमन लिपि में लिखी जाने वाली अंग्रेजी के प्रसार के साथ-साथ पिटमैन आशुलिपि प्रणाली भी विभिन्न देशों में लोकप्रि होने लगी। पिटमैन ने पहले अपनी प्रणाली को "फोनोग्राफी" की संज्ञा दी। उनके अनुसार "मौखिक ध्वनियों को वर्ण या लिपि में प्रस्तुत करने की कला ही आशुलिपि है।" लेकिन किसी भी विद्यार्थी के मन में यह संदेह उठ सकता है कि यदि "मौखिक ध्वनियों को वर्ण या लिपि में लिखना ही आशुलिपि है' तो सामान्य लिपि के वर्णों तथा आशुलिपि के वर्णों में मूल अन्तर क्या है? इसका उत्तर प्राप्त करने से पहले, आशुलिपि का प्रयोग जिस भाषा के लिए किया जाता है, उस भाषा की वर्ण व्यवस्था पर विचार करना आवश्यक है।

*प्लाट नं॰ 100, ललिता नगर, हैदराबाद-44 (आंध्र प्रदेश)

भारत में प्रान्तीय भाषाओं को भी राजभाषाओं के रूप में अपनाने के कारण आशुलिपि का प्रयोग लगभग सभी भारतीय भाषाओं में होने लगा है। यह स्पष्ट है कि शब्दों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण में आने वाली विभिन्न ध्वनियों को प्रस्तुत करने के लिए रोमन लिपि में केवल 26 वर्ण हैं। अंग्रेजी भाषा की ध्वनि प्रणाली के आधार पर पिटमैन ने अपनी आशुलिपि प्रणाली में 24 रेखाओं को तैयार किया किन्तु ये 24 रेखाएं अंग्रेजी की 36 विभिनन ध्वनियों को पूरी तरह प्रस्तुत करने की क्षमता न रखने के कारण रोमन लिपि के स्वरों से उत्पन्न होने वाली अन्य 30 ध्वनियों को प्रस्तुत करने के लिए पिटमैन ने 12 स्वर चिह्नों को तैयार किया। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा की 66 (36+30) ध्वनियों को प्रस्तुत करने के लिए पिटमैन की आशुलिपि में 36 चिह्न हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है रोमन लिपि में एक ही स्वर अलग-अलग शब्दों में अलग-अलग ध्वनि प्रकट करता है, और एक ही व्यंजन एक ही शब्द में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग रूप से ध्वनित होता है। इसके अलावा रोमन लिपि में एक ही अक्षर में दो या तीन ध्वनियां भी निहित हैं, जैसे F, H, L, M, N, Q, R, S, W, X, Z। अतः अंग्रेजी के सामान्य वर्णों पर आधारित कोई भी आशुलिपि प्रणाली उच्चरित सभी ध्वनियों को स्पष्टता और तत्परता से लिखने के लिए, (जो आशुलिपि का मुख्य उद्देश्य है) अपूर्ण और बोझिल सिद्ध होगी। सामान्य लिपि में विभिन्न ध्वनियों के लिए जिस प्रकार एक ही अक्षर का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार आशुलिपि में विभिन्न ध्वनियों के लिए यदि एक ही संकेत का प्रयोग किया जाता है तो, प्रतिलेखन (Transcription) जटिल हो जाएगा। आशुलिपि विज्ञान के अनुसार रोमन लिपि के C, Q, X अक्षरों के लिए संकेत अनावश्यक हैं क्योंकि C का उच्चारण कहीं 'स' के रूप में कहीं 'च' के रूप में और कहीं 'क' के रूप में होता है जिनके लिए अलग-अलग आशुलिपि संकेत उपलब्ध हैं (जैसे S के लिए) 'चे' के लिए/; 'के' लिए —। अंग्रेजी शब्दों की सामान्य वर्तनी और ध्वनि प्रधान वर्तनी में अन्तर निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है।

पहला व्यंजनों से संबंधित है। उपर्युक्त Geography शब्द को हो लें। इस शब्द का उच्चारण होगा जियाग्राफी। इसमें व्यंजन g की उच्चारण पहले 'ज' के रूप में और दूसरा 'ग' के रूप में हुआ। यदि आशुलिपि में g अक्षर के लिए एक ही संकेत अपनाया जाता है तो इस शब्द के उच्चारण में काफी गड़बड़ी होगी। यही स्थिति geography, George, Gun आदि शब्दों की भी है।

दूसरा उदाहरण स्वरों से संबंधित है। रोमन स्वर 'u' का उच्चारण tub, rut, cup but आदि में 'अ' के रूप में, tube , mute, cute आदि में 'यू' के रूप में होता है । पिटमैन आशुलिपि प्राणली के व्यंजन तथा ध्वनि संकेत (हल्के, मोटे) इस प्रकार हैं—

व्यंजन संकेत (24)

रोमन अक्षर	ध्वनि	संकेत	
P	P	(पी)	(ह)
B	B	(बी)	(मो)
T	T	((टी)	(ह)
D	D	(डी)	(मो)
CH	Chay	(चे)	(ह)
J	Jay	(जे)	(मो)
K	K	(के)	(ह)
G	gay	(गे)	(मो)
F	ef	(एफ)	(ह)
V	Vee	(वी)	(मो)
TH	ith	(इथ)	(ह)
Th	thee	(दी)	(मो)
S	ess	(एस)	(ह)
Z	zee	(ज़ी)	(मो)
SH	ish	(इष)	(ह)
ZH	ish	(झी)	(मो)
M	em	(एम)	(ह)
N	en	(एन)	(ह)
NG	ing	(इंग)	(मो)
L	el	(एल)	(ह)
R	ar ray	(आर, रे)	(ह)
W	way	(वे)	(ह)
Y	yay	(ये)	(ह)
H	hay	(हे)	(ह)

दीर्घ स्वर (6) चिह्न स्थान

रोमन अक्षर	ध्वनि	चिह्न व स्थान
ah	आ	(प्रथम)
a	ए	(द्वितीय)
e	ई	(तृतीय)
aw	आ	(प्रथम)
o	ओ	(द्वितीय)
oo	ऊ	(तृतीय)

ह्रस्व स्वर (6)

a	अ	(प्रथम)
e	एँ	(द्वितीय)
i	इँ	(तृतीय)
o	आँ	(प्रथम)
u	ओँ	(द्वितीय)
oo	उ	(तृतीय)

ये हुए आशुलिपि के कुल 36 मूल वर्ण संकेत जिन पर समग्र आशुलिपि कला आधारित हैं। इन संकेतों के अलावा अंग्रेजी के कारकों, पदबन्धों के लिए भिन्न संकेत हैं जिन्हें ग्रामलाग्स (कारक चिह्न) डिफ्तांग्स (संयुक्त स्वर) फ्रेजियोलोजी (पदबन्ध) कहा गया है जिनका विवरण यहां आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रस्तुत संदर्भ में हमें केवल इस बात पर विचार करना है कि ध्वनि प्रधान अंग्रेजी आशुलिपि रोमन लिपि ध्वनि प्रणाली के मुकाबले देवनागरी ध्वनि प्रणाली के कितने निकट है।

यह बताया जा चुका है कि अंग्रेजी आशुलिपि में 36 ध्वनि संकेत हैं, किन्तु रोमन लिपि के स्वरों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न ध्वनियों को संकेतित करने के लिए इन्हीं रेखाओं में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके लिखा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि विश्व की अन्य भाषाओं की ध्वनियों को प्रस्तुत करने के लिए पिटमैन की आशुलिपि कितनी उपयोगी हैं।

... जारी पृष्ठ 76 ...

मानचित्र पढ़ना

हुकूमत राय लूथरा

मानचित्र पृथ्वी के धरातल पर किसी भी भू-भाग का प्राकृतिक व मानव-निर्मित आकृतियों का निश्चित पैमाने पर उनकी सही-सही भौगोलिक स्थिति एवं ऊंचाइयों को रेखीय रूप में दर्शाना है।

अतः मानचित्र संचार-साधनों को रेखीय रूप में प्रदर्शित करने का माध्यम है। एक प्रकार से मानचित्र पृथ्वी की सतह पर भौतिक आकृतियों को सही रूप में उजागर करना है।

मानचित्र मानव द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का एक ज्वलंत उदाहरण है तथा भविष्यत-योजनाओं को कार्य रूप देने में आधुनिक नीले प्रिन्ट (छाप) अत्यंत उपयोगी हैं। ये विभिन्न कार्यों के लिये निर्देश-पुस्तिका के रूप में उपयोग किये जाते हैं।

2. मानचित्र की मुख्य आवश्यक विशेषताएं/गुण

अच्छे मानचित्र की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिएं:—

(i) विशुद्धता
(ii) अभिव्यक्ति
(iii) सादगी
(iv) स्वच्छता
(v) पूर्णता

मानचित्रों के वर्ग/प्रकार

(अ) स्थलाकृतिक मानचित्र—सामान्यतया मानचित्र 1:25,000 से 1:250,000 पैमानों पर बनाये जाते हैं तथा इनमें धरातल पर स्थित मानव-निर्मित व भौतिक वस्तु-स्थितियों को उनकी ऊंचाई एवं सम्मोच्च रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है ताकि मानचित्र का उपयोग करने वाला इन पर क्षेत्र-स्थिति के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सके।

(ब) भौगोलिक मानचित्र—ये मानचित्र काफी छोटे पैमानों पर होते हैं तथा इनका पैमाना 1:250,000 से भी छोटा हो सकता है। ये सीधे सर्वेक्षण पर आधारित नहीं होते, लेकिन स्थलाकृतिक मानचित्रों को छोटे पैमाने पर एवं सामान्यीकरण करके तैयार किये जाते हैं। इन पर सभी प्रकार आकृतियां न दर्शाकर सम्पूर्ण राष्ट्र का स्वरूप को दर्शाना है। सामान्यतः इन मानचित्रों में बड़े क्षेत्र जैसे सम्पूर्ण जिला, राज्य, एक राष्ट्र एवं कभी-कभी सम्पूर्ण विश्व को भी दर्शाया जाता है।

(स) शहर तथा कस्बा मानचित्र—यह मानचित्र मुख्यतः बड़े-बड़े शहरों एवं अन्य स्थलों जो पर्यटन-दृष्टि से लाभकारी हों, बनाये जाते हैं। ये 1:25,000 से 1:10,000 पर भी होते हैं तथा इनमें सड़कें, गलियां, कालोनियां, मनोरंजन स्थल, पार्क एवं खेलने के मैदान आदि दिखाये जाते हैं।

(द) भू-सम्पत्ति मानचित्र—इस प्रकार के मानचित्र बड़े पैमाने पर बनाये जाते हैं। तथा इनमें मुख्यतः किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति की सीमा, रूपरेखा एवं भूखंड का सीमांकन दर्शाया जाता है। मुख्यतः ये 1:10,000, 1:5,000 पैमानों पर बनाये जाते हैं ताकि भूमि एवं सम्पत्तियों आदि के कानूनी अभिलेख तथा स्वामित्व का विवरण ठीक प्रकार से रखा जा सके।

(इ) प्रकरण सम्बन्धी मानचित्र—साधारणतया इस प्रकार के मानचित्र जिन पर एक विशेष "प्रकरण" या विषय दर्शाया जाता है, काफी छोटे पैमानों पर बनाये जाते हैं। इनको "विषयात्मक", "एकल करण" भी कहते हैं तथा ये किसी विशेष उद्देश्य अथवा आर्थिक सामाजिकता के लिये होते हैं।

इसमें विभिन्न प्रकार के मानचित्र आते हैं। प्रकरण सम्बन्धी मानचित्रों को "इस प्रकार का मानचित्र भी कहा जा सकता है जिसमें एक विशिष्ट वस्तु (आकृति) के विषय में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सूचनाएं एक स्थलाकृतिक मानचित्र में जो जानकारी चाहिए, दर्शाते हैं।"

(क) समुद्री (न्योटिकल) अथवा हाइड्रोग्राफिक मानचित्र-इस प्रकार के मानचित्र भी एक प्रकार से छोटे पैमानों पर बनाये गये मानचित्रों का समूह होता है। न्योटिकल मानचित्र समुद्री जहाज चालकों द्वारा उपयोग में लाये जाते हैं।

(ग) अतिरिक्त स्थलीय मानचित्र—उपग्रह, आकाशीय राकेट, रिमोट सेन्सिंग में आकर्षक/आधुनिक प्रगति के कारण मनुष्य के लिये यह संभव हो गया है कि विभिन्न प्रकार के मानचित्र भी बना सके। आज के युग में चांद व अन्य आकाश में स्थित खंड-ब्रह्मांडों के मानचित्र भी बनाये जा सकते हैं।

(ह) अंकीय अथवा डिजिटाइज़्ड मानचित्र—यह मानचित्र अत्यधिक आधुनिक विधि द्वारा तैयार किये जाते हैं। इसके लिये आज भी अग्रणी देशों द्वारा और भी शोध कार्य किये जा रहे हैं।

इसमें मानचित्र से संबंधित पूर्ण जानकारियों/सूचनाओं को अंकीय रूप में चुम्बकीय टेप/डिस्क पर अंकित किया जाता है तथा इसको इच्छानुसार इलैक्ट्रोनिक संगणक द्वारा किसी भी मनचाहे पैमाने पर चित्रोत्पादन किया जा सकता है।

(इ) प्लास्टिक ऊंचाई मानचित्र—यह मानचित्र प्लास्टिक सतह पर तीन परिमाप संबंधी होते हैं तथा इनका उपयोग निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है:—

(i) भौतिकीय-भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु।
(ii) सेना कमांडरों द्वारा रेखाओं/लाइनों (फायर) स्थापित करने हेतु।
(iii) परियोजना सर्वेक्षण के लिये योजना को कार्य रूप देने हेतु।
(iv) पर्यटन तथा अधिक प्रचार-प्रसार हेतु।

4. परियोजना मानचित्रों के वर्ग

(i) बाढ़ नियंत्रण-प्रबंधक मानचित्र
(ii) हाइड्रोइलैक्ट्रोनिक परियोजना मानचित्र

*उप महासर्वेक्षक (उत्तरी क्षेत्र) भारतीय सर्वेक्षण विभाग, चण्डीगढ़

(iii) (मिट्टी) भू-संरक्षण परियोजना मानचित्र

(iv) कस्बा/शहर मानचित्र

(v) हिम संबंधी संयुक्त-मानचित्र

(vi) छावनी-विस्तार क्षेत्र मानचित्र

(vii) सुरंग-क्षेत्र संबंधित मानचित्र

(viii) पुल-निर्माण संबंधित मानचित्र

(ix) शोध-यात्रा संबंधित मानचित्र

(x) निर्वाचन क्षेत्र संबंधित मानचित्र

(xi) सीमा पट्टी संबंधित मानचित्र

(xii) वन-संस्थान संबंधित मानचित्र

(xiii) सिंचाई-परियोजना मानचित्र

(xiv) भू-मापक संबंधित मानचित्र

(xv) प्रायोगिक बांध संबंधित मानचित्र

(xvi) भू-पुनरूद्धार संबंधित मानचित्र

(xvii) मूल्यावस्था सर्वेक्षण मानचित्र

(xviii) कोयला खान संबंधित मानचित्र

(xix) पाइप लाइन संबंधित मानचित्र

(xx) जल-संस्थान परियोजना मानचित्र

(xxi) विद्युत-ताप संबंधित मानचित्र

(xxii) परिवहन-सर्वेक्षण मानचित्र

5. स्थालाकृतिक मानचित्र के मूल तत्व

स्थलाकृतिक मानचित्रों के निम्नलिखित मूल तत्व होते हैं:-

(अ) **निर्देश पद्धति**

(i) **भौगोलिक ग्रिड**—प्रत्येक मानचित्र में बिन्दुओं की स्थिति ज्ञात करने का एक उपाय होना चाहिए जिससे उसमें पूरे मानचित्र का अथवा किसी भी बिन्दु का मान आंका जा सके। यानि उनकी स्थिति पृथ्वी के धरातल पर स्पष्ट की जा सके। यह निर्देश-खाका मानचित्रों में **अक्षांश** व देशान्तर से दर्शाये जाते हैं जिनको क्रमशः समानान्तर व मध्यावहन से भी जाना जाता है।

(ii) **लेम्बर्ड ग्रिड**—लेम्बर्ड आयात ग्रिड को भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने सन् 1929 में अपनाया तथा यह हमारे सभी स्थलाकृतिक मानचित्रों जिनका पैमाना 1:250,000 अथवा उससे बड़े पैमानों पर हैं, उपयोग में लाया जाता है।

(अ) प्रलम्बता—किसी भी निर्देश पद्धति के लिये प्रलम्बता अति आवश्यक है। अल्प आकाशीय खंड-ब्रह्मांडों की तरह पृथ्वी भी गोलाकार है लेकिन मानचित्रों में सादे कागज़ की सतह पर दर्शायी जाती है। अतः किसी भी भू-भाग को सभी कोणों से दृष्टि में रखते हुए किसी समतल सतह पर दर्शाया जाता है और यह प्रलम्बता द्वारा किया जाता है।

मानचित्र प्रलम्बता की व्याख्या हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, "गोलाकार धरातल को किसी समतल सतह पर रूपान्तरित करना" अथवा हम यह भी कह सकते हैं हमारे स्थालाकृतिक मानचित्रों पर जो प्रलम्ब प्रयोग किये जाते हैं वे "एवरेस्ट गोलार्द्ध" पर बहु-आयामी प्रलम्ब हैं।

(स) पैमाना -प्रत्येक मानचित्र जो कि एक निश्चित पैमाने पर बनाया जाता है जिससे उसकी समानता/पैमाना पूरे मानचित्र में एक ही रहे। उसका अर्थ है कि मानचित्र पर किन्ही दो बिन्दुओं के बीच की दूरी और भूमि पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को दर्शाता है। निम्नलिखित पैमानों पर निम्न मानचित्र बनाये जाते हैं:—

सी॰ए॰एस॰ सर्वेक्षण	
भू-सर्वेक्षण	1:15,000
वन सर्वेक्षण	
राजस्व सवक्षण	1:10,000
जल-विभाजन सर्वेक्षण	1:20.000
हिम अध्ययन संबंधी	
भू-गर्भ संबंधी सर्वेक्षण	1:25,000
यंत्र-विज्ञान/अभियांत्रिक सर्वेक्षण	
जल स्रोत सर्वेक्षण	1:50,000
भू-सम्पत्ति सर्वेक्षण	1:4,000
छावनी विस्तार सर्वेक्षण	1:1500
शहरी सर्वेक्षण	1:500 से 1:5,000

(द) चिह्न:-हम चिह्नों को निम्नलिखित चार भागों में बांट सकते हैं।

(i) बिन्दु चिह्न : झोपड़ियों, कुओं मंदिरों आदि के लिये।

(ii) रेखीय चिह्न : नहर, सड़क, रेलवे लाइन आदि के लिये।

(iii) क्षेत्रफल चिह्न : पानी के टैंक एवं बाग बगीचे आदि।

(iv) क्षेत्रफल चिह्न:-समोच्च रेखण, आकृति रेखा, शैड व सतह आदि।

चिह्न या कोड वह भाषा है जिसके द्वारा मानचित्र प्रयोग करने वाला मानचित्र की अभिव्यक्ति को समझ सके। उदाहरणार्थ एक नीले रंग का ठोस बिन्दु स्थलाकृतिक मानचित्र पर एक कुएं को प्रदर्शित करता है जबकि लाल रंग का ठोस वर्ग एक झोंपड़ी या भवन को दर्शाता है।

(इ) पार्श्व सूचनाएं—मानचित्र सीमा के बाहर स्थित खाली स्थानों को "मानचित्र पार्श्व" कहते हैं। यह आवश्यक सूचनाएं जो मानचित्र के भीतरी भाग में नहीं दिखाई जा सकतीं लेकिन मानचित्र पहचानने अथवा उपयोगकर्ता के लिये अति आवश्यक है, उनको (किनारों) पार्श्व में दर्शाया जाता है।

ऐसी ही कुछ आंशिक सूचनाऐं मानचित्र के "उत्तरी पार्श्व" में दिखाई जाती है जबकि मुख्यतः "दक्षिणी पार्श्व" में अधिक दर्शायी जाती हैं। "उत्तरी पार्श्व" में दर्शायी जाने वाली सूचनाएं मुख्यतः मानचित्र शीर्षक, मानचित्र संख्या, उसका नाम, प्रकाशन समय सुरक्षा एवं वर्गीकरण आदि होते हैं।

दक्षिणी पार्श्व में मुख्यतः चिह्न तालिका, फुटनोटस, पेमाना, प्रमाणिकता, मानचित्र के इर्द-गिर्द लगने वालों मानचित्रों की तालिका, प्रशासनीय सीमाएं आदि आते हैं।

(फ) मानचित्र अन्तर्लेखा-यह मान चित्र का सबसे उपयोगी एवं महत्वपूर्ण भाग है, देखा जाये तो यही वास्तव में मानचित्र है।

मानचित्र अन्तर्लेखा को निम्नलिखित पांच भागों में विभाजित किया जाता है।

(i) **जल-संबंधी सूचनाएं**-इसमें जलप्रवाह संबंधी सभी प्रकार की सूचनाएं होती हैं जैसे कि बारह मास पानी वाली नदियां, सूखी अर्थात बरसाती नदियां, प्राकृतिक व मानव निर्मित। उदाहरणार्थ धाराएं, चश्में, नदियां, नहरें, झील, कुएं, झरने, समुद्री क्षेत्र तथा समुद्री तट आकृतियों सहित आदि सूचनाएं दर्शायी जाती हैं।

(ii) **ऊंचाई-संबंधी सूचनाएं**-इसमें पहाड़ एवं पर्वत होते हैं जिनको मुख्यतः समोच्च रेखाओं एवं आकृति रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। रेतीले अथवा मरुस्थल क्षेत्र, खड़ी चट्टान, शैल, भूमि से निकली चट्टान, पथरीले बंजर आदि भी रेखाओं व आकृतयों द्वारा दर्शाये जाते हैं।

(iii) **संवर्धन(मानव निर्मित)**-इसमें मानव-निर्मित आकृतियों को ही दर्शाया जाता है जैसा कि भवन व गांव, बैलगाड़ी पथ, सड़कें, रेलवे, पुल, संचार साधन, रज्जुमार्ग, पाइप लाईन, सीमायें व स्तम्भ आदि। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि सभी सूचनाएं जो प्राकृतिक नहीं हैं, दर्शायी जाती हैं।

(iv) **वनस्पति**-इसमें वन संबंधी सभी सूचनाएं जैसे कि पेड़ पौधे, वन, झाड़ियां, घास, बाग व बगीचे आदि दर्शाये जाते हैं।

अक्षर-लेखन/अक्षरांकन/लिखाई-कोई भी मानचित्र तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसमें नाम, वर्णन-टिप्पणी एवं ऊंचाइयां न दर्शायी गई हों। ये हाथ छपाई द्वारा, टंकन द्वारा अथवा फिल्म पोजिटिव चिपका कर (जो फोटो नामांकन द्वारा प्राप्त होते हैं), दर्शाये जाते हैं।

6. स्थलाकृतिक मानचित्रों पर संख्याक्रम देना

(अ) 1/एम शीटः आई० एवं ए० सीरीज़

पूरा भारत एवं संलग्न राष्ट्रों को 4° अक्षांश × 4° देशांस के ब्लाक में विभजित किया जाता है तथा प्रत्येक ब्लाक को एक संख्या से संबोधित किया जाता है। प्रत्येक संख्या 1/एम शीट या आई० एवं ए० सीरीज़ कहलाती है।

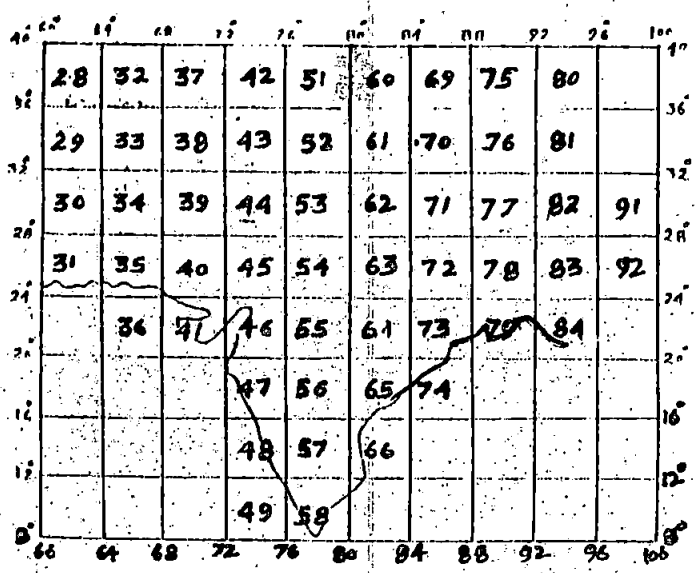

(ब) डिग्री शीट 1 : 250,000 क्रम माला

प्रत्येक 4° बे ब्लाक को सोलह छोटे-छोटे ब्लाक 1° × 1° में विभाजित किया जाता है तथा उनका क्रम अंग्रेजी अक्षरों में A से P तक दिया गया है। एक डिग्री शीट 1 : 250,000 पैमाने को संबोधित करती है।

इस प्रकार 1/एम शीट से जो सोलह एम डिग्री शीटें प्राप्त होती हैं, वे पहले आई० एवं ए० सी० सीरीज से जानी जाती थी। उन्हीं सोलह भागों को हम A से P तक क्रम देते हैं जैसे कि 53 B

प्रत्येक शीट में एक भिन्न नाम दिया जाता है जो क्षेत्र में विशेष स्थान को इंगित करता है जैसे 53 B चण्डीगढ़।

कृपया यह चित्र देखें।

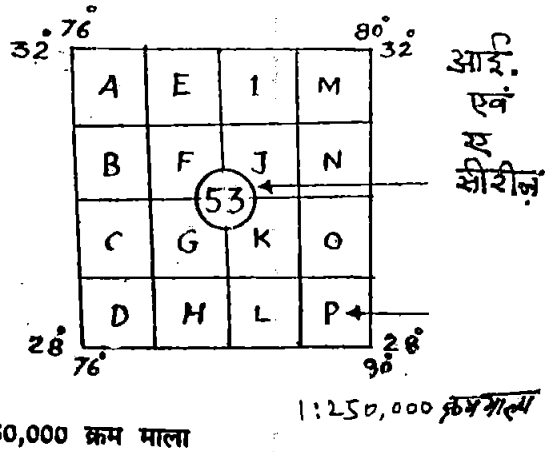

(स) 1:50,000 क्रम माला

अब प्रत्येक 1 : 250,000 पैमाने की शीट (1° × 1°* को आगे पुनः सोलह भागों में विभाजित किया जाता है जो कि 15° (अक्षांश) × 15° (देशांश)को दर्शाता है। इसको एक से सोलह तक की क्रम संख्या दी जाती है।

इस प्रकार 1/4 डिग्री शीट एक संख्या द्वारा पहचानी जाती है। जिसमें 1/4 एम शीट का एवं डिग्री शीट का संदर्भ, जिस क्षेत्र में यह पड़ती है एक विशेष संख्या द्वारा जाना जाता है जैसे कि 53 B/161

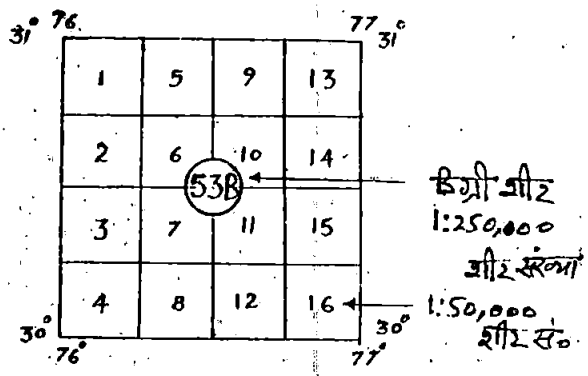

(द) 1:25,000 क्रम माला

इस क्रम की प्रत्येक शीट (जो 1 : 50,000 पैमाने पर है) $7^{1/2}$° (अक्षांश) × $7^{1/2}$° (देशांश) में विभाजित किया जाता है। अतः 1 : 50,000 पैमाने पर चार भागों में बांटा जाता है जिनको निम्नलिखित संख्या क्रम दिया जाता है।

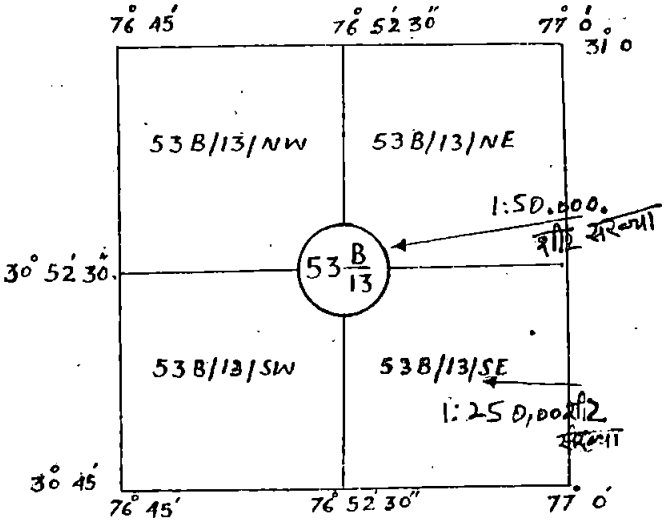

7. मानचित्र के उपयोग

(i) अभियन्ताओं द्वारा परियोजनाओं को प्रारूप व अंतिम रूप देने हेतु।

(ii) जनपद प्रशासन द्वारा कानून, आदेशों एवं समाज कल्याण योजनाओं हेतु।

(iii) सेनाओं द्वारा रक्षा-प्लान हेतु।

(iv) विद्यार्थियों द्वारा अनुसंधान हेतु।

(v) पर्यटकों द्वारा मार्गदर्शन हेतु।

(vi) गुप्तचर संस्थाओं द्वारा पूछताछ/छानबीन हेतु।

(vii) ठेकेदारों द्वारा बिलों की सही स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु।

निम्नलिखित पैमानों पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए तत्पर तालिका

मानचित्र पैमाना	समोच्च रेखा अंतराल मीटर में			सर्वेक्षण का उद्देश्य
	समतल	पहाड़ी क्षेत्र	अधिक ऊंचाई वाले	
1 : 1,000 तक	0.2	0.5	1.0	भवन स्थल
1 : 2,000	0.5	1.0	2.0	सड़क, रेलवे, बांध, सी०ए०डी० परियोजना की सिंचाई/लाइन हेतु
1 : 5,000	1.0	2.0	5.0	शहरी, राजस्व, हाईडल/जल व विद्युत परियोजना हेतु।
1 : 10,000	2.0	5.0	10.0	पर्वतीय क्षेत्रों के मार्गदर्शन हेतु।
1 : 15,000				वन व नहर सर्वेक्षण हेतु।
1 : 20,000	5.0	10.0	20.0	समतल क्षेत्र के मार्गदर्शन हेतु।
1 : 25,000	5.0	10.0	20.0	सामान्य योजनाओं एवं सैनिक पर्यवेक्षणस्थलाकृतिक मानचित्र।
1 : 50,000	10	20	50.0	सशस्त्र सेनाओं एवं परियोजनाओं को प्राम्भिक रूप देने के लिए।
1 : 100,000	20	40	100.0	
1 : 250,000	50	100	200	

8. **मानचित्र की विशुद्धता**

किसी भी नियंत्रण बिन्दु की वस्तुस्थिति में अधिकतम त्रुटि। = 0.125 मी॰मी॰

किसी भी नियंत्रण बिन्दु की ऊंचाई में अधिकतम त्रुटि। = 1/10 समोच्च रेखा अंतराल

किसी भी ब्यौरे की वस्तुस्थिति में अधिकतम त्रुटि। = 0.5 मी॰मी॰

किसी भी ऊंचाई बिंदु में अधिकतम त्रुटि = 1/4 समोच्च रेखा अंतराल

सवोच्च रेखाओं में अधिकतम त्रुटि अधिकतम त्रुटि = 1/2 समोच्च रेखा अंतराल

शीट के किनारों के समायोजन में = 0.25 मी॰मी॰

9. **मानचित्र विशिष्टीकरण**

किसी भी मानचित्र को तैयार करने के लिए मुख्यतः दो विशिष्टताओं पर ध्यान आकर्षित किया जाता है जैसा कि मानचित्र का "आकार व पैमाना एवं "समोच्च रेखाओं का अन्तराल

(i) किसी भी मानचित्र का आकार उसके मुद्रीकरण की अधिकतम सीमा पर निर्भर करता है।

(ii) पैमाना मानचित्रों के प्रयोजन पर निर्भर है। विभिन्न पैमानों पर "न्यूनतम" दर्शायी जाने वाली दूरी निम्न प्रकार है:—

पैमाना	न्यूनतम दूरी
1:50,000	12.5 मीटर
1:25,000	6.25 "
1:15,000	3.75 "
1:10,000	2.50 "
1:5,000	1.25 "
1:4,000	1.00 "
1:2500	0.62 मीटर
1:2,000	0.50 "
1:500	0.12 "

यह पैमाना मानचित्र के दक्षिणी पार्श्व में अंकों व रेखाओं दोनों रूप में दर्शाया जाता है।

1:50,000 पैमाने पर मानचित्र का संकेत

1 सें॰मी॰ कागज़ पर दूरी = 50,000 सें॰मी॰ दूरी भूमि पर
अर्थात 2 सें॰मी॰ कागज़ पर दूरी = 1 किलोमीटर दूरी भूमि पर इसी प्रकार

1:25,000 पैमाने पर मानचित्र का संकेत

4 सें॰मी॰ कागज़ पर दूरी = 1 कि॰मी॰ दूरी भूमि पर

1:10,000 पैमाना पर मानचित्र का संकेत

10 सें॰मी॰ कागज़ पर दूरी = 1 कि॰मी॰ दूरी भूमि पर

1:5.000 पैमाना पर मानचित्र संकेत

20 सें॰मी॰ कागज पर दूरी = 1 कि॰मी॰ दूरी भूमि पर

(iii) **समोच्च रेखा अन्तराल:** दो क्रमगत समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी को समोच्चरेखा अन्तराल कहते हैं। (धरातल पर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को समोच्च रेखा कहते हैं।)

समोच्च रेखा अन्तराल = 20f/से॰मी॰/कि॰मी॰ संख्या जहां पर f= गुणनखंड जिसमें (1) समतल भूमि के लिये (2) पहाड़ी क्षेत्र के लिये (3) पर्वतीय क्षेत्र के लिए प्रयोग होता है। यह निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है।

(i) पृथ्वी की प्राकृतिक रचना
(ii) मानचित्र का पैमाना
(iii) सर्वेक्षण का प्रयोजन/उद्देश्य
(iv) सर्वेक्षण काल एवं खर्च/लागत

10. **मानचित्र अध्ययन**

(i) **उत्तरी पार्श्व :** वास्तविक उत्तर, उत्तरी ध्रुव को संबोधित करता है। मानचित्र पर वास्तविक उत्तर की दिशा देशान्तर द्वारा दर्शायी जाती है। यह चुम्बकीय उत्तर से भिन्न दिशा में होती है। यह भिन्नता वास्तविक उत्तर के साथ विवरण सहित "उत्तरी पार्श्व" में दर्शायी जाती है।

(ii) **सर्वेक्षण काल :** यह मानचित्र के उत्तरी पार्श्व में लिखा जाता है। कभी-कभी कुछ ब्यौरे बाद में भी प्रमाणित किये जाते हैं जिसकी सूचना मानचित्र के दक्षिणी पार्श्व में "फुटनोट" द्वारा दी जाती है।

(iii) **प्रशासकीय स्थिति :** मानचित्र में प्रशासकीय स्थिति एक झलक में ही स्पष्ट हो जाती है। राज्य का नाम मानचित्र के मध्य में लिखा जाता है। जिले के नाम उत्तरी पार्श्व में पश्चिमी किनारे पर अंकित होता है तथा यह सूचना दक्षिणी पार्श्व में प्रशासकीय तालिका द्वारा अंकित की जाती है। जिले की तहसीलों के नाम मानचित्र के भीतरी भाग में अन्तराल पर दिया जाता है अथवा संबंधित क्षेत्र में उसकी बाहरी सीमा पर भी दिया जाता है।

(iv) **शीट संख्या/शीट क्रम :** मानचित्र के चारों और संलग्न शीटों की शीट संख्या का विवरण मानचित्र के दक्षिणी पार्श्व में शीट-सूचांक में दर्शाया जाता है।

(v) **दूरी पत्थर :** नहरों के साथ-साथ दूरी पत्थर व सड़कों व रेलवे के साथ किलोमीटर पत्थर ही दर्शाये जाते हैं जब फुटनोट में कोई विशेष विवरण न दिया हो।

(vi) **मोटर-वाहन रास्ते :**—कच्ची सड़कों, बैलगाड़ियों के रास्तों का विवरण मानचित्र में ही उनके साथ-साथ लिखा जाता है अथवा दक्षिणी पार्श्व में विशेष विवरण के साथ फुटनोट में दिया जाता है।

(vii) **महत्वपूर्ण सूचनाएं :**— महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे डाकघर, डाक व तार घर, थाना, पशुओं का हस्तपताल, औषधालय, आराम-घर आदि संबंधित हर या गांव के पास मानचित्र के भीतरी भाग में दर्शाये जाते हैं।

(viii) **कुओं की गहराई :**— 30 मीटर से अधिक गहराई वाले कुओं की गहराई-विवरण के साथ ही दर्शाया जाता है।

(ix) अगर किसी विशेष कुएं का पानी खारा या पानी पीने योग्य नहीं होता तो उसका विवरण भी उसके चिन्ह के साथ दिया जाता है।

... जारी पृष्ठ 56 ...

साहित्यिकी

उर्दू ग़ज़ल और हिन्दी

डा॰ रामदास नादार*

उर्दू ग़ज़ल का वैयक्तिक वैशिष्ट्य है। यह एक ऐसी विधा है जिसने उर्दू काव्य को चार चांद लगा दिए हैं और उर्दू कविता को विशिष्टता प्रदान की है। आज उर्दू शायरी को जो महत्व प्राप्त है, उसका अधिकतर श्रेय ग़ज़ल को ही जाता है। अनय भाषाओं में उर्दू ग़ज़ल का अनुकरण करने के प्रयास हुए हैं । हिन्दी कवियों ने भी ग़ज़ल लिखने के प्रयास किए हैं और अनेक ग़ज़लें हिन्दी में लिखी भी गई हैं। रचनाकार अपनी किसी रचना को "ग़ज़ल" का नाम देकर सन्तोष कर सकता है किन्तु किसी जानकार आलोचक के लिए इस प्रकार की आत्म-प्रवंचना न तो सम्भव है और न उचित ही। कतिपय हिन्दी कवियों ने ग़ज़ल को "गीतिका" अथवा अनुगीत के नाम से अभिहित किया है। इस तरह की मिलती-जुलती किसी भी रचना को आप कुछ भी कह लें लेकिन ग़ज़ल तो ग़ज़ल ही है। इस विधा के वास्तविक सवरूप को समझने के लिए उर्दू ग़ज़ल के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी। तब कहीं हमें इसके विषय, शिल्प, स्वरूप एवं प्रकृति का ज्ञान हो सकेगा। हिन्दी रचनाकारों के इस दिशा में किए गए प्रयास स्तुत्य हैं किन्तु यदि ग़ज़ल के स्वरूप को पूरी तरह समझ कर ग़ज़ल लिखने का कोई प्रयत्न हो तो हिन्दी कविता की वास्तविक सेवा हो सकती है।

'ग़ज़ल' उर्दू शायरी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण काव्य-रूप है। सच पूछो तो उर्दू शायरी ग़ज़ल की भित्ति पर ही खड़ी है। 'ग़ज़ल' का शाब्दिक अर्थ "औरतों से बातें करना है"। इसलिए ग़ज़ल के विषय प्रायः यौवन-वर्णन, प्रेम तथा श्रृंगार की अभिव्यक्ति मात्र हैं। उर्दू के एक आलोचक "सरवरी साहब" ग़ज़ल का अर्थ "जवानी का हाल बयान करना" कहते हैं।

एक अन्य स्थान पर वे ग़ज़ल को "रुह" "इश्क" मानते हैं। यही ग़ज़ल का वैशिष्ट्य है। इसके कारण इसे "गिनाई शायरी" अथवा नीति-काव्य के अन्तर्गत परिगणित किया जाता है। "कादिरी साहब" ग़ज़ल का अर्थ "इश्क व जवानी का ज़िक्र मानते हैं। यहां तक हर वह चीज़ ग़ज़ल में अवांछनीय है जो माशूक (नायिका या प्रेमिका) की शान के विरुद्ध है।

डा॰ सय्यदः जाफ़र के विचार में ग़ज़ल शुरु से "दिलबरों की बात" कहती आई है। आल अहमद सरुर ग़ज़ल को हल्के-फुल्के एवं कोमल भावों की अभिव्यक्ति का बहुत अच्छा माध्यम स्वीकार करते हैं। किन्तु अब ग़ज़ल का क्षेत्र सीमित न रहकर अत्यन्त विस्तृत हो गया है। विषय की दृष्टि से अब हर प्रकार के विषयों पर गज़लें लिखी जाती हैं। नैतिक, राष्ट्रीय, देशभक्तिपूर्ण, धार्मिक, सूफियानाः किसी भी प्रकार के विचार ग़ज़ल का विषय बन सकते हैं। ग़ज़ल का प्रत्येक शेअर अथवा पद अर्थ की दृष्टि से स्वतन्त्र होता है। ग़ज़ल के शेअरों अथवा पदों मे पूर्वापर कोई सम्बन्ध होना अनिवार्य नहीं। इसलिए यह उर्दू काव्य की एक ऐसी विधा है जो सरल भी है और कठिन भी। उर्दू के नए कवि प्रायः अपना काव्य-सृजन अभ्यास ग़ज़ल लेखन से ही प्रारम्भ करते हैं।

ग़ज़ल के सम्बन्ध में उर्दू काव्य-शास्त्र में इतना चिन्तन हुआ है कि इस सम्बन्ध में सभी चिन्तकों के मतों का उल्लेख कर पाना इस लेख की सामर्थ्य से बाहर है, फिर भी यह प्रयास किया गया है कि दरिया को कूजे में बन्द किया जाए। जहां तक शिल्प की दृष्टि से ग़ज़ल के स्वरूप का सम्बन्ध है, ग़ज़ल के तीन भाग होते हैं। (क) मत्लाअ—यह ग़ज़ल का पहला शेअर होता है "मतलाअ" के अर्थ तुलूअ अथवा उदय होने के है, किन्तु "सरवरी साहब" के शब्दों में

> "शेअरो इस्सिलाह (काव्य-शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दावली) में इसके मानी (अर्थ) ग़ज़ल की इब्तिदा (आरम्भ) के होते हैं।" इसमें दोनों मिस्रों की तुक समान होती है। एक से अधिक "मतलाअ" को मतलाअ-ए-सानी (दूसरा) मतलाअ कहते हैं। ग़ज़ल में इस प्रकार कई "मतलेअ" हो सकते हैं। (ख) मकतअ—यह ग़ज़ल का अन्तिम पद होता है जिसमें कवि प्रायः अपना उपनाम प्रयोग होता है। (ग) मध्यम भाग—यह भाग ग़ज़ल का मुख्य कलेवर है जिसमें ग़ज़ल के समस्त पद शामिल रहते हैं। ग़ज़ल के शेअरों (पदों) की संख्या की कोई पाबन्दी नहीं। फिर भी प्रायः दस या बारह शेअरों से अधिक की गजलें कम ही लिखी जाती हैं। "मतलाअ" के अतिरिक्त अन्य सभी पदों के पहले मिस्रे की तुक समान नहीं होती। दूसरे मिस्रों की तुक का समान होना जरूरी है। छन्द की समानता भी अनिवार्य है। सारी ग़ज़ल एक ही छन्द में होनी चाहिए। ग़ज़ल के सबसे उत्कृष्ट शेअर को "शाहे बैत" या बैतुल-ग़ज़ल कहते हैं।

उर्दू शायरी फ़ारसी शायरी का अनुकरण है और फारसी शायरी अरबी का। अरबी शायरी में कसीदों (प्रशंसा-गीत) की तश्बीब (आरम्भ) में ग़ज़ल भी शामिल थी अर्थात् कसीदों के आरम्भ में आशिकानः (प्रेम-परक) विषय भी लिखे जाते थे। इसको ग़ज़ल अथवा तग़ज़्ज़ल कहा जाता था। यह तम्हीद (आरम्भ) धारावाहिक होती थी। फारसी कवियों ने इस अंश को ग़ज़ल के नाम से एक स्थाई काव्य-रुप बना लिया। उर्दू

*20/30, मोती नगर, नई दिल्ली-110015

भाषा के शैशव काल में कवियों ने ऐसी ग़ज़लें कहना शुरु कर दी थीं जिनमें एक मिस्रा (पदांश) उर्दू में और एक फारसी में होता था। इसके बाद तो उर्दू गज़ल ने आधुनिक युग तक कई मंजिलें तय की हैं। सरवरी साहब के शब्दों में, ग़ज़ल गोई (ग़ज़ल कहना) उर्दू के कदीम (प्राचीन) और जदीद (नवीन) शायरों का बड़ा मकबूल प्रिय मशगल (मनोरंजन का साधन) रहा है। ग़ज़ल को सदा ही आनन्द प्रदान करने वाली विधा स्वीकार किया गया है। यदि इससे आनन्द प्राप्ति न हो, तो "इस्माईल" के शब्दों में इसे ज्वर के आवेग की बुड़बुड़ाहट समझना चाहिए।

डा० सय्यद अब्दुल्ला भी ग़ज़ल को बडे मज़े की चीज मानते हैं। उनका कथन है कि, सबसे पहले उर्दू ग़ज़ल को लीजिए। पहले तो ग़ज़ल खुद ही मज़े की चीज़ है फिर इसमें "मीर" व "ग़ालिब" की गज़ल बड़ी खूबसूरत चीज़ है। इसमें अद्वितीयता के जौहर पाए जाते हैं। यह विशेष शैलियों व प्रतीकों की मालिक हैं और इस में देशीय रंगो और स्वभाव या प्रकृति है बावजूद मानवता और सार्वभौमिकता की असीम अपील भी पाई जाती है। आल अहमद सरूर ग़ज़ल को उर्दू का सबसे अधिक सर्वप्रिय काव्य रूप स्वीकार करते हैं। उनके विचार में "गज़ल शायरी की तीनों आवाज़ों का काम लेती हैं और उर्दू शायरी का सबसे सर्वप्रिय काव्य-रुप है। इस के जलवे के बाद इंसान बहुत से जलवों से विरक्त हो जाता है। यद्यपि उर्दू गज़ल फ़ारसी की देन है। किन्तु उर्दू कवियों ने समय-समय पर इसमें ऐसे खुशनुमा रंग भरे कि उर्दू ग़ज़ल फारसी काव्य-रुप से पर्याप्त भिन्न हो गई। आल अहमद सरूर इसे "सौंदर्य गाथा" से अधिक "इश्क गाथा" मानते हैं मगर उन्हें ग़ज़ल में शायर का व्यक्तित्व भी उजागर होता प्रतीत होता है। वैसे वह भी ग़ज़ल को "महबूब से बातें करने की ही एक विधा का नाम देते हैं। वे लिखते हैं, "गज़ल वैसे तो महबूब से बातें करने का नाम हैं। मगर इसमें सौंदर्य गाथा से ज्यादा इश्क की हिकायत है। इसी इश्क पर परम्परा एवं सभ्यता प्रचलित विचारधारा के नक्श (चिह्न) हैं। मगर शायर के व्यक्तिव के महत्वपूर्ण चिह्न इसमें उजागर हो ही जाते हैं। जैसाकि उपर कहा जा चुका है कि उर्दू के आरम्भिक युग में ग़ज़ल फारसी की नक्ल बन कर हमारे सामने आई किन्तु मीर जैसे कवियों ने इसे सौंदर्य का प्रतीक तथा हृदय की आन्तरिक पीड़ा एवं जलन की अभिव्यक्ति का माध्यम बना दिया और "ग़ालिब" ने इसमें चिन्तन का पुट भरा। इसमें संदेह नहीं कि ग़ज़ल गीतिकाव्य का एक रूप है किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हम किसी दूसरे रूप में गा नहीं सकते। ग़ज़ल किसी अन्य काव्य रूप की प्रतिद्वन्दी नहीं। डा० मसऊद हुसैन खां के शब्दों में यह किसी दूसरे काव्य-रूप की हरीफ (प्रतिद्वन्द्वी) नहीं क्योंकि इसका अपना कार्य-क्षेत्र है लेकिन यह स्वरूप के एतिबार से बेवक्त की रागनी कभी नहीं होती। यह एक पैमाना है जिसमें जिस प्रकार की कशीदे-दिल चाहिए, भर दीजिए और हमारे कवि भरते भी रहे हैं।" डा० 'शौकत सब्ज़वारी' ने "गज़ल की आप बीती" नामक लेख में गज़ल को कहानी की संज्ञा दी है और कहानी भी "दुनिया-ए-दिल" की। यह एक अनोखी दुनिया की कहानी है। उनका मत है, "ग़ज़ल भी एक कहानी है और जैसा कि बाज़ आलोचकों का ख्याल है, "दुनिया-ए-दिल की कहानी है। दिल की दुनिया एक विस्तृत दुनिया है जो बसती भी है और उजड़ती भी है। जब बसती है तो बाह्य संसार की चहल-पहल के मुकाबले में कोई वास्तविकता नहीं रहती और जब उजड़ती है तो इस दुनिया का हर उजाड़ इसके सामने ग़र्द होता है। ग़ज़ल इस अनोखी दुनिया की कहानी है। एक अन्य स्थान पर उन्होंने गज़ल को "दिल की बातों" का नाम दिया है और इसे "इश्क व उल्फत' की रंगीन दास्तान कहा है। और उनके विचार में "गज़ल किसी एक दिल की कहानी नहीं होती, वह हर दिल की कहानी होती है। ग़ज़ल का शायर अगर वह सचमुच शायर है तो जिन भावों को वह अभिव्यक्ति करता है, उसमें उसके अपने दिल की, आपके दिल की और मेरे दिल की कहानी छिपी रहती है। बाह्य संसार और हृदय की दुनिया के बीच यह सब भेद मिटा देता है। समस्त सृष्टि को अपने हृदय में उतार कर वह सृष्टि और अपने हृदय का अन्तर समाप्त कर देता है। "कादिरी साहब" इस विचार से सहमत नहीं। वह इसे शायर के अपने हृदय की अभिव्यक्ति स्वीकार करते हैं। उनका मत है कि, गज़ल अस्ल में शायर अपने लिए कहा करता है। कसीदः मस्नवी शायर की जबानी दूसरों के हालात हैं और गज़ल शायर की कहानी शायर की ज़बानी है, ग़ज़ल वही ग़ज़ल है जिस पर शायर की शख्सीयत (व्यक्तित्व) असर अन्दाज़ हो। यही चीज़ है जो शायर को साहिबे तर्ज बनाती है। यही चीज़ है जो शायर का (व्यक्तिगत स्थान) कायम करती है। ग़ज़ल एक अर्न्तमुखी काव्य है। इसके द्वारा कवि अपने अन्तर्मन का विश्लेषण, विवेचन करता है। इसके माध्यम से कवि अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करता है। यह अपनी अन्तः चेतना में इतना डूब जाता है कि उसे बाह्य संसार का पर्यवेक्षण करने की न तो आवश्यकता अनुभव होती है और न उसे उसके लिए अवकाश ही होता है। "युसफ हुसैन खां" ने गज़ल के इस गुण को इन शब्दों में व्यक्त किया है "ग़ज़ल का एक विशेष (गुण) यह है कि इस में हद दर्जे का अन्तर्वेक्षण मिलता है। ग़ज़ल गो जो कुछ कहता है, अपने आप में डुब कर कहता है। इसका (जीवन) व सृष्टि के प्रति दृष्टिकोण अन्तर्मुखी होता है। यह अपने दिल की दुनिया की सैर में ऐसा तल्लीन होता है कि उसे ऊपर नज़र उठाने और बाहरी संसार का सर्वेक्षण करने का अवकाश और आवश्यकता नहीं रहती। यह अपनी जात में सब कुछ पा लेता है।"

ग़ज़ल के विषय में विभिन्नता के बावजूद एक प्रकार की कर्ण प्रिय लय अथवा संगीतात्मकता होती है। डा० नूरूल हसन "हाशिमी" इसका कारण मिस्त्रों में छन्द-समानता, तुकों की पुनरावृति, रदीफ के कारण स्वर-एकात्मकता आदि को मानते हैं और कहते हैं "यह सब मिलकर गज़ल की रचना में खुद ही ताल व सुर, नग्मा व संगीत की एक प्रिय लय पैदा कर देते हैं। बस ग़ज़ल एक ऐसा बजता हुआ साज़ है जिससे संगीत का उद्गम होता है। "रशीद अहमद सिद्दीकी" गज़ल की प्रभावात्मकता के काइल हैं और उनके विचार में तो "हमारी शायरी में असर का जादू तो गज़ल से ही जगाया गया है।"

कुछ लोगों के ख्याल में छन्द और तुक की पाबन्दी ग़ज़ल के पांव में पड़ी बेड़ियां हैं। वे आजाद नज़्म को इसकी तुलना में विचारों की अभिव्यक्ति का एक सरल माध्यम समझते हैं किन्तु देखा जाए तो यही छन्दबद्धता एवं तुक ही ग़ज़ल को प्रिय बनाने का कारण है। इन्हीं से ही गज़ल मे लय एव संगीतात्मकता का संचार होता है। छन्द एवं तुक विचारों की अभिव्यक्ति में बाधक न होकर साधक ही है। डा० "यूसफ खां" का कहना है कि छन्द और तुक मन और स्मृति को एक बिन्दु पर केन्द्रित करदते हैं ताकि मनोभाव अपने आपको नियन्त्रण के सांचे में ढालें और शेअर का जो बाह्य रूप प्रकट हो वह उसकी द्वितीय प्रकृति मालूम हो न कि उसके

पांव की श्रृंखला। शेअर के इस बाह्य रूप में मूल्य छिपे होते हैं जो स्वंय सृजन के प्रेरक बन जाते हैं और जब वह कलाकार की आत्मा से जुड़ते हैं तो अभिव्यक्ति में इनसे मदद मिलती है। यह ख्याल ठीक नहीं कि वजन व काफिया (छन्द एवं तुक) जो गज़लें की बाह्य तकनीक से सम्बद्ध हैं अभिव्यक्ति में रूकावट पैदा करते है।

इतना जरूर है कि ग़ज़ल को प्रभावात्मक तथा हृदयग्राही बनाने के लिए शब्दों के चयन में विशेष सावधानी बरती जाए। मौलाना नद्वी ने इस संबंध में अपनी पुस्तक शेअरूल हिन्द, भाग दो, में यह लिखा है,, गज़ल के शब्द मधुर, लचकदार सुबोध, सुकुमार अगुण्ठित और स्पष्ट होने चाहिए और इसके लिए ऐसा शब्द-समूह ग्रहण करना चाहिए जो स्पष्ट अर्थवत्ता सम्पन्न), नरमतर और साफ़ एवं स्वच्छ) हो जो उद्विग्न को खुश कर दे और व्यक्ति के लिए गाम्भीर्य का द्योतक हो। मौलान "हाली" ने ग़ज़ल के लिए उचित शब्द-चयन पर बल दिया है। उनका कथन है कि गुलाब की टहनी में काटें भी फूलों के साथ निभ जाते हैं मगर गुलदस्ता में एक कांटा भी खटकता हैं।

"फिराक गोरखपुरी" ने तो ग़ज़ल के स्वरूप एवं प्रकृति को बड़े सुंदर शब्दों में विश्लेषित किया है। उनका मत हैं कि "जहां" तक शब्द-दपर्ण या शब्द-चषक का संबंध है, वास्तविक ग़ज़ल के पदों का कवित्व-सौंदर्य तथा आनन्द-मदिरा, दर्पण एवं चषक को द्रवीभूत करते प्रमाणित होते ह। पदों के शब्द कवित्व की जलन में पिघलते हुए प्रतीत होते है। उनका यह भी कथन है कि "गज़ल में एक नुकीली एकाग्रता होती है जो बाह्य जगत् का अतिक्रमण करती हुई हमें एक अनिर्वचनीय अलौकिक जगत् में ले जाती है। बीच की मंज़िलों पर गज़ल के पदों का विराम नहीं होता हैं।

गज़ल जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, उर्दू का एक विशिष्ट काव्य-रूप है और प्रत्येक उर्दू भाषी इससे आनन्दित होता है। किसी अन्य काव्य-रूप की अपेक्षा ग़ज़ल के पद शीघ्र से शीघ्र हृदयगंम हो जाते हैं। अतः इस काव्य रूप का प्रभाव भी अन्य काव्य रूपों की तुलना में अधिक होता है। यह भी बताया जा चुका है कि गज़ल का विषय अधिकतर श्रृंगारिक ही होता है। मौलाना "हाली" का कहना है कि "गज़ल के लिए यह एक ज़रूरी सी बात करार पा गई है कि इसका आधार श्रृंगारिक विषयों पर रखा जाए और हक यह है कि अगर गज़ल में इश्कों-महुब्बत की चाश्नी न दी जाए तो वर्तमान स्थिति में इसका सरसब्ज और सर्वप्रिय होना ऐसा ही मुश्किल है जैसा शराब में सिरका बन जाने के बाद आनन्द कायम रहना"।

किन्तु शुद्ध प्रेम का भी अपना महत्व है। कुछ लोग केवल श्रृंगारिकता की पुट देने के लिए ही गज़लें लिखते हैं और उनका उद्देश्य केवल अन्यों का अनुकरण मात्र ही होता है। मौलाना "हाली" के अनुसार "ऐसी गज़लों का प्रभाव भी फिर उतना ही होता है जितना कि एक भांड के अनुकरण का, जो मजनू या फर्हाद बनकर मजलिस में आता है"।

प्रेम के अनेक रूप हैं। बन्दे को खुदा के साथ, सन्तान को माता-पिता के साथ, माता-पिता को अपनी सन्तान के साथ तथा भाई बहनों में भी तो परस्पर प्रेम ही होता है। देश-भक्ति भी प्रेम की कोटि में आती है सच तो यह है कि प्रेम का ही विश्व में साम्राज्य एवं आधिपत्य है और डा॰ "यूसफ खां" के शब्दों में "शीघ्र ही इसका एक आदर्श रूप स्थापित हो जाता है। इसलिए गज़ल को केवल श्रृंगारिक प्रेम की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना एक भूल है। मौलाना "हाली" को वासनापरक इश्क एक बेकार का मशगलः प्रतीत होता है। उन्होंने गज़ल को केवल "इश्किया मज़ामीन" का आधार बनाने पर आपत्ति की है तथा गज़ल में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करने पर बल दिया है जिनसे खुलमखुला स्त्री या पुरूष अभिप्रेत हों।

गज़ल उर्दू भाषा को ईरानी शायरी की देन है। मौलाना "हाली" के मतानुसार ईरानी गज़लों में लिंग का ज्ञान कम प्राप्त होता है। ईरान के सभी प्रमुख कवियों की गज़लों में औरतों की विशेषताएं इस कदर कम हैं जैसे कि बिल्कुल ही न हों। मगर मौलाना "शिब्ली" ईरान की गज़लों में वर्णित "महबूब " को बाज़ारी एवं घृणित मानते हैं। उनका ख्याल है कि "वह हर एक के हाथ आ सकता है। सैकड़ों से सम्बन्ध रखता है। आज इसकी गोद में है, तो कल उसके अंक में। जब सभा में प्रकट होता है तो चारों ओर से प्रेमियों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वह किसी से आंखें लड़ाता है, किसी से संकेत करता है, किसी की ओर देखकर मुस्कराता है। किसी को प्रवंचना भरी निगाहों से झूठे प्रेम का विश्वास दिलाता है। किन्तु उर्दू में गज़लें लिखने वाले कवि प्रेमिका को इतना गिरा हुआ और निर्लज्ज ख्याल नहीं करते। मीर कहते हैं-

पर्दा ही हमने देखा चहरे पे गाहो बेगाह
इतना भी मुह छिपाना कुछ खुश नुमा नहीं।
(मीर)

ग़ज़ल का सौंदर्य और प्रेम एक आदर्शात्मक सौंदर्य और प्रेम है। फ़िराक गोरखपुरी" के शब्दों में तो गज़ल के शेअरों में इन्सानियत को अपना होश आ जाता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उर्दू की ग़ज़लों के विषय में जो परिवर्तन आया है, वह ठीक ही है। पहले उर्दू ग़ज़ल का कुछ भी आशय रहा हो, किन्तु आज के युग में इसका विषय-विस्तार होना समीचीन है। अब उर्दू ग़ज़ल अपने कलेवर में प्रत्येक विषय को समेट सकती है। इस पर भी उसकी उपादेयता एवं उपयोगिता में कोई अन्तर नहीं आता। भले ही इस परिवर्तन पर पुरानी डगर पर चलने वाले कुछ आलोचकों को आपत्ति हो। डा॰ "गोपी चन्द नारंग" का कथन है कि प्राचनी आलोचना के समर्थक इस लिहाज़ से हमदर्दी के मुस्तहिक हैं कि वह यह बात सुनने तक के रवादार न होंगे कि काम-वासना में भी उच्चता एवं पावनता की संभावनाएं हो सकती है। यह वास्तविकता है कि ग़ज़ल की सौंदर्य कल्पनासे बहस करते हुए हमारी तनक़ीद लौकिकता एवं अलौकिकता और आन्तरिकता एवं बाह्यता के चौराहे पर मारी गई है"। मूल स्वर वही रहने पर भी गज़ल के शेअरों में हर विषय पर लिखा जा सकता है क्योंकि गज़ल का प्रत्येक शेअर मुक्तक के समान अपने स्वतन्त्र अर्थ रखता है। डा॰ "एजाज हुसैन" के कहा है कि "गज़ल का खास विषय हुस्नों इश्क था। इसको राष्ट्रीयता व राजनीति से कोई खास लगाव न था लेकिन प्रेम ही के सिलसिले में या कभी-कभी और लिहाज़ से प्रभावित होकर गज़लों में भी ऐसे अंश मिल जाते हैं जिनमें वतन की महुब्बत, जनता से दिलचस्पी, मानवता का सम्मान बड़ा शानदार मिल जाता है।

गज़ल का विषय केवल "इश्कियः मज़ामीन" समझकर इसका महत्व घटाना कदापि उचित नहीं। गज़ल अपने बदले हुए रूप में पहले से भी अधिक उपयोगी काव्य रूप बन गई है। "एहतिशाम हुसैन " ने अपनी पुस्तक "तनकीदी जाहज़े" में फ़ानी बिदायूंनी" एक समीक्षात्मक निबन्ध लिखते हुए कहा है कि "अच्छा गज़ल गो अक्ल के मसाइल से बहुत ज्यादा दूर नहीं रहता"। इसका अर्थ कदापि यह नहीं समझना चाहिए कि

गज़ल और नज़्म का भेद मिट गया है। दोनों काव्य-रूपों का अपना-अपना स्थान एवं उपादेयता है। नज़्म और गज़ल का अन्तर डा० "यूसुफ खां" ने बड़े सुन्दर शब्दों में इस प्रकार प्रकट किया है।

गज़ल लिखने वालों की चाल नज़्म लिखने वालों की रफतार से कुछ न कुछ भिन्न जरूर रहेगी। नज़्म लिखने वाले की रफतार इसकी बातों की तरह सीधी-सादी होगी और गज़ल लिखने वाला हमेशा डगमगाता हुआ मस्तान वार लहरिया चाल चलेगा। इसलिए कि इसके कदम ठीक तौर पर सीधे उठ ही नहीं सकते। उसके कदम की हर डगमगाहट उसके दिल की धड़कन की आईनः दार होगी और चूंकि दिल जिन्दगी का केन्द्र बिन्दु है, इसलिए उसका गायन चाहे प्रत्यक्षतः जिन्दगी से असम्बद्ध ही मालूम हो, लेकिन वास्तव में यथार्थ जीवन में हम सम-स्वर होगा। वह भाव की तरह अस्पष्ट रहेगी, मगर इसकी प्रभविष्णुता असीम होगी गज़ल में जब दार्शनिक संकेत प्राप्त होते हैं, तो गज़ल का सौन्दर्य और अर्थवत्ता और बढ़ जाती है, जब इन संकेतो का सम्बोध्य "महबूबे हक़ीकी" हो। गज़ल के लिए विषय को कैद न होते हुए भी जरूरी है कि शेअर कवि के व्यक्तित्व की भट्टी में तप कर उसके मनोभावों का एक अनिवार्य अंग बन कर निकलें, तभी वे गज़ल की प्रकृति के साथ मेल खा सकते हैं तथा एक स्वर हो सकते हैं"। इतना ज़रूर है कि हर ग़ज़ल-गो शायर की अनुभूति अपनी-अपनी होती है। डा० "खुरशीदुल इस्लाम" के शब्दों में "हर बड़े गज़ल गो का आन्तरिक तजर्बः एक ही समय वैयक्तिक और अवैयक्तिक होता है। यानी बाह्य दूसरे शब्दों में उसका "महबूब" सबका "महबूब" होता है कादरी साहब ख्याल की बलन्दी" फिक्र की बारीकी" "बयान की पेचीदगी" का मैयार ग़ज़ल मानते हैं" इन्हीं गुणों के कारण ग़ज़ल एक सर्वप्रिय कान्य-रूप है। ग़ज़ल अब हिन्दी में भी अपना स्थान बना रही है किन्तु हिन्दी कवियों को अभी इस दिशा में बहुत प्रयास करना होगा। हिन्दी गज़ल को अभी अपना रूप स्थापित रूप करना है।

पृष्ठ 21 का शेषांश...

जिसके आधार पर विज्ञान व मानविकी के बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रहों के संशोधित/समेकित रूपों के साथ-साथ विषयवार लघु शब्द-संग्रह भी प्रकाशित करने का प्रस्ताव है। ये विषयवार शब्द-संग्रह विशिष्ट विषयों से संबद्ध लेखकों, अध्यापकों तथा छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इन शब्द-संग्रहों का समन्वयन, संशोधन, सम्पादन और अद्यतनीकरण भी कम्प्यूटर के माध्यम से सरलता से किया जा सकेगा। इन शब्द-संग्रहों के अंग्रेजी-हिन्दी रूपों के साथ-साथ हिन्दी-अंग्रेजी रूप भी हमें कम्प्यूटर के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। अग्रता के आधार पर प्रशासन शब्दावली के संशोधित अंग्रेजी-हिन्दी रूप और हिन्दी-अंग्रेजी रूप सर्वप्रथम निकट भविष्य में हमारे समक्ष होंगे। □

पृष्ठ 28 से आगे...

होते हैं। ऐसी विद्या को जानने वाले को आकाश कपाली कहते थे। परन्तु ज्ञात होता है उस समय भी लोग उन पर अविश्वास करते थे, क्योंकि उक्त शब्द का ही एक पर्याय आकाशप्पुरट्टन् तमिल में मिलता है जिसका दूसरा अर्थ वंचक, छली भी होता है।

10. आकाशपट्चि-आकाशपक्षी का अर्थ चकवा या साधक पक्षी होता है।

11. दो उद्भिज आकाशवल्लि-आकाशबेल या अमरबेल तथा आकाशमंजरि जटामांसी भी तमिल में प्रचलित शब्द हैं।

12. आकाशमयम् से खाली जगह का बोध होता है और आकाशमार्ग तमिल में आकाचम्मर्क्कम् लिखा जाता है। काजल को आकशकरडम् कहते हैं।

13. अनहोनी वस्तु के लिये प्रयुक्यत आकाशपुष्प तमिल में आकाशपुष्पम्-आकाशप्पू-आकाशतामर। इसी तरह हवाई किले का पर्याय आकाशकोट (कोट-किला) होता है। इसी भाव के तमिल शब्द आकशप्पन्दल,आकशकंर, आकशकरकट्टु तथा आकाशप्पालम् भी हैं। उक्त भाव की दूसरी छाया आकाशपंचागम् शब्द में प्रकट होती है जिसका अर्थ होता है बड़ा भारी झूठ। मन्तव्य है कि जैसे कोई आकाश में लिख रहा हो। एक और शब्द है आकाशरामन जिसका अर्थ होता है जिसका कोई नाम हो, अनामधेय।

.... क्रमशः आगामी अंक

पृष्ठ 24 से आगे...

कार्यालय के अधिकारी अधीस्थ कार्यालयों में जाकर राजभाषा संबंधी कार्यों का निरीक्षण करते हैं। पायी गई कमियों को वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है और उनको दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश/सुझाव दिए जाते हैं और बाद में अनुपालन-स्थिति की समीक्षा भी की जाती है।

राजभाषा कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग दोनों को समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित करने के लिए सभी 'सेल' अधीनस्थ संयंत्रों/यूनिटों के हिन्दी अधिकारियों की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है जिसमें प्रत्येक संयंत्र की कार्ययोजना निश्चित की जाती है तथा पूर्व कार्य योजना की समीक्षा होती है। इन बैठकों में हिन्दी संबंधी दैनन्दिनी समस्याओं पर भी विचार-विमर्श होता है और इनके निवारण उपाय भी ढूंढे जाते हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र असीमति हैं। किंतु 'सेल' ने इनमें से जिन कुछ क्षेत्रों में जो भी प्रयास किये हैं उनको सराहना मिली है। 'सेल' एवं इसकी यूनिटों को इस्पात मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दूसरे संस्थानों से अपनी राजभाषा कार्यकलापों के लिए वैजयन्तियों से पुरस्कृत किया गया है।

फिर भी अभी लक्ष्यों से दूर हैं, किन्तु इरादे पक्के हैं और कार्मियो के मन में उन्हें पा लेने का संकल्प है। व्यावहारिक कठिनाइयों के बावजूद सेल प्रबन्धन कार्यालय के काम-काज में हिन्दी उत्तरोत्तर विकास और प्रगामी प्रयोग के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। □

कहानी

जोंक

सतीश कुमार गुप्त*

रात से हो रही बूंदा-बांदी की वजह से आज ठंड बढ़ गई है बिस्तर से निकलने को मन ही नहीं होता। सुबह के सात बज चुके हैं मन में एक कशमकश चल रही है - आज दफ्तर जाया जाए या नहीं। दिसम्बर चल रहा है और मेरी सात कैज़ुअल लीव बाकी हैं। इसी उधेड़बुन में था कि कालबेल बजी। मैं समझ गया मास्टर साहब होंगे। मैंने आवाज दी "निर्मल! जरा दूध की बोतलें पकड़ लो।"

"अब छोड़ भी दो रजाई का पीछा" निर्मल के स्वर में झुझलाहट देखकर मैं अनिच्छा से बगलों में हाथ दबाये सी-सी करता हुआ कमरे से बाहर निकला। हल्की-हल्की बूंदें पड़ रही हैं। चप्पल ढूंढने का कष्ट मैंने गवारा नहीं किया था अतः गीले फर्श पर पैर रखते ही एक बार तो जैसे जान ही निकल गई मैंने भाग कर गेट खोला। सामने मास्टर साहब सिर से पैर तक भीगे खड़े थे। पानी की बूंदे उनके बालों से चू-चू कर उनके मुहं में पड़ रही थीं। साइकिल के दोनों तरफ लटके हुए बोरों में दिल्ली दुग्ध योजना की बोतलें भरी हुई थीं।

मुझे एकाएक धक्का लगा। मास्टर साहब को मैं पिछले 35 सालों से जानता हूं। बल्कि उनसे में तीसरी और चौथी कक्षा में पढ़ा भी हूं। रिटायर होने के बाद उन्होंने सबेरे और शाम को डी०एम०एस० की बोतले सप्लाई करना शुरू कर दिया। दोपहर को वे घर पर ही दूसरी से लेकर पांचती छठी तक के दस-पन्द्रह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते। हालांकि जब से डाक्टर ने बिट्टू को डी०एम०एस० का बोतलों वाला दूध रिकमेंड किया है, मैं मास्टर से ही दूध मंगवाता हूं, पर आज इतनी सर्दी में, इतने खराब मौसम में मास्टर साहब को ठिठुरते देखकर बड़ा दुख हुआ। सोचने लगा आखिर कब तक मास्टर साहब ऐसे हड्डियों को घिसटते रहेंगे। अनजाने में मुझे उनके परिवार वालों पर बड़ा क्रोध आया। आखिर इंसान और एक पशु में क्या फर्क रह गया? पशु से भी काम लेते समय हम सोचते हैं कि जितना कम खाना देकर जितना काम ले सकें उतना ही अच्छा है, वैसे ही तो आज इंसान के साथ भी हो रहा है। अब क्या मास्टर साहब के बच्चे अंधे हैं जो यह नहीं देख सकते कि 70 वर्ष की अवस्था में यह बेचारे कैसे साइकिल पर बोतलें लादकर मरे कदमों से होले-होले चलते हैं आखिर क्या फर्क रह गया यूरोप के देशों में और हमारे देश के दृष्टिकोण में? वहां पर बच्चे जवान हो जाते हैं तो माता-पिता को भूल जाते हैं, हम बात-बात पर इसको बुरा और अमानवीय बताते हैं, आज हमारे देश में क्या हो रहा है? "बड़ी देर लगा दी बेटा" की आवाज ने मेरी विचार-श्रृंखला को तोड़ा। मैंने मास्टर साहब की ओर देखा। उनका चेहरा आज भी सदा की तरह खिला हुआ था। मैंने बोतलें ले लीं फिर बोला "मास्टर साहब एक कप चाय लीजिए न, आज सर्दी बहुत है।"

"नहीं फिर कभी सही" सदा की तरह कहकर वह जाने लगे। पर मेरे आग्रह पर वह साइकिल खड़ी कर अन्दर आ गये। मैं चाय ले आया। चाय का कप पकड़ाते हुए मैंने कहा "मास्टर साहब आपके लड़के आजकल क्या कर रहे हैं?"

"एक लड़का मिलिटेरी में कैप्टेन है दूसरा इंजीनियरिंग करके दो साल से बेकार बैठा है।"

"कमाल है, इंजीनियरों की तो बड़ी मांग है"

"भई अच्छी नौकरी मिलती नहीं, छोटी नौकरी वह करना नहीं चाहता।"

"आपको बड़े लड़के ने काम करने से मना नहीं किया। आखिर आपकी अब काम करने की उम्र थोड़े ही है।"

मास्टर साहब कुछ देर तक मौन रहे फिर बोले "रिटायरमेंट के बाद पहले हम लोग उसके पास देहरादून चले गये थे। बाद में उसने वहीं किसी ब्रिगेडियर की लड़की से शादी कर ली। उसके बाद मैंने यह महसूस किया कि हमारे और उनके बीच विचारों की एक खाई है। जब भी घर पर कोई पार्टी होती तो हमें बाहर भेज दिया जाता। अब रात के दस बजे पार्टी खत्म होनी है तो मैं रात के दस बजे तक आवारा कुत्ते की तरह पार्क में पड़ा रहूं। दस पैसे की भी जरूरत होती तो मुझे उनका मुंह जोहना पड़ता और भी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें आदमी महसूस कर सकता है, बता नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता जैसे कि हम लोग कैदी हैं। इसलिए मैंने ठीक समझा कि वापिस यहीं आकर कोई छोटा-मोटा काम कर लूं।

"अब पैसे-वैसे नहीं भेजता ?"

"पहले एक-दो महीने दो-दो सौ रुपये आये थे। फिर कभी सौ आते कभी लिख देता, इस बार इस चीज पर खर्च हो गया, इस बार उस चीज पर, हां चिट्ठी में यह जरूर लिख देता कि आप आराम से रहें। काम न करें।

मुझे समझ नहीं आता कि आजकल के ये नौजवान चाहते क्या हैं। मां-बाप को खाने-पीने के लिए वे दे नहीं सकते क्योंकि उनको सोसायटी में अपने को मेंटेन करना है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, मंहगाई बढ़ गई है-मां-बाप को कोई काम करने नहीं देता चाहते क्योंकि इससे उनकी समाज में सोसायटी में नाक कटती है, तो आखिर हम बढ़े लोग क्या करें, कहां जायें, हवा खाकर जीएं?" फिर कुछ देकर रूक कर बोले "मैंने आखिर तंग आकर उसको लिख दिया कि बेटा तुम हमारी चिंता न करो अब पैसे-वैसे तो नहीं आते, हां कभी-कभार चिट्ठी जरूर आ जाती है दो लाइनें लिखी होती हैं और वह भी अंग्रेजी में। वह अच्छी तरह जानता है कि उसकी मां को अंग्रेजी

... जारी पृष्ठ 64 ...

*4247-त्रिनगर, जयमाता मार्किट, त्रिनगर, दिल्ली-35.

सचित्र समाचार

बैठक की अध्यक्षता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव। साथ में मंचासीन (बाएं से) गृह मंत्री श्री शंकर राव चव्हाण, डॉ. सीताकान्त महापात्र, सचिव (राजभाषा) तथा उप गृह मंत्री श्री रामलाल राही।

बाएं से मंचासीन सदस्यगण—श्री सुखराम, संचार राज्य मंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह, वित्तमंत्री तथा कु० शैलजा, उपमंत्री

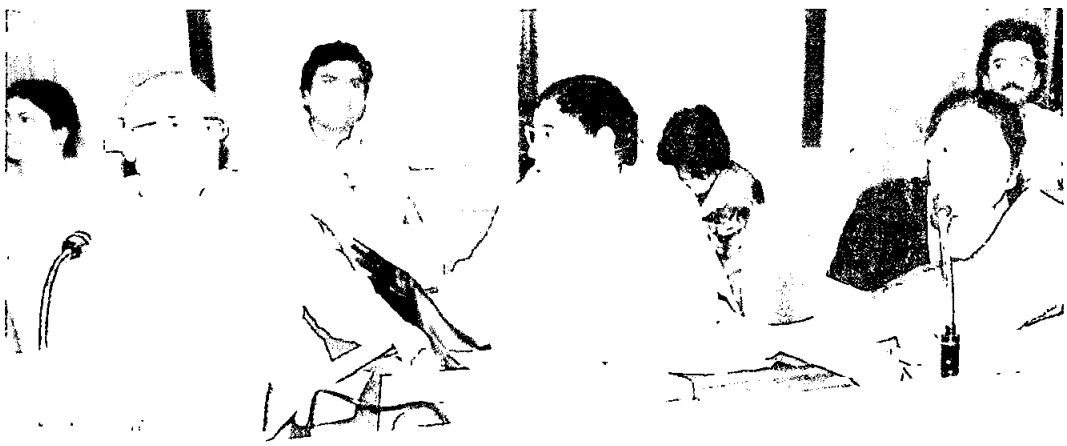

बाएं से श्री भजन लाल, मुख्य मंत्री, हरियाणा; श्रीमती शान्ति राठी तथा सांसद श्रीमती वीणा वर्मा, उपाध्यक्ष, संसदीय राजभाषा समिति

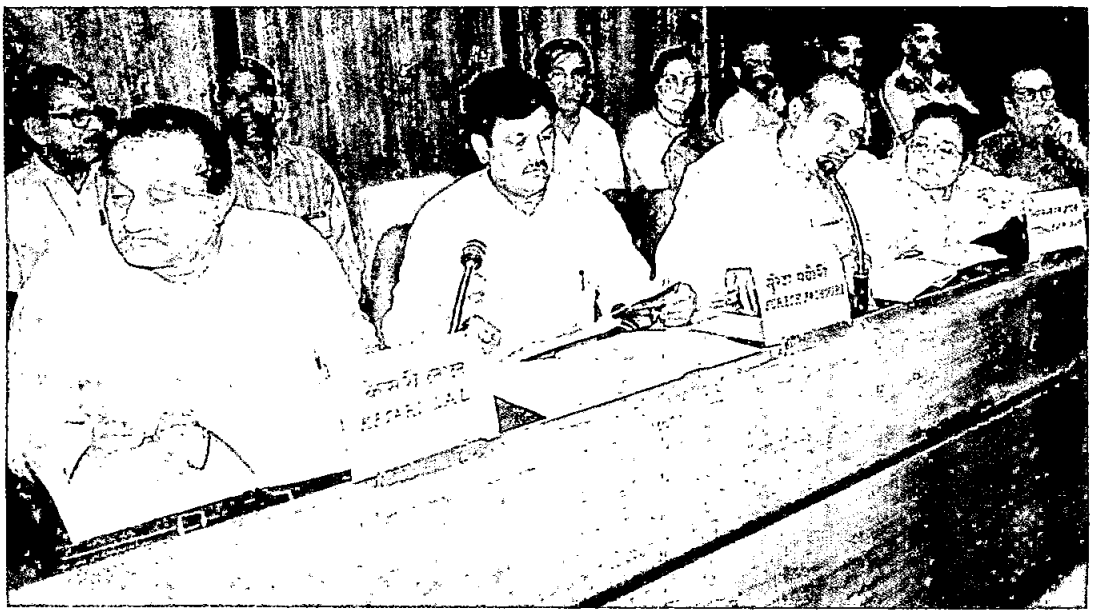

बैठक में भाग लेते हुए सदस्यगण—श्री केसरी लाल, श्री सुरेश पचौरी, श्री विट्ठल राव एम० जाधव, कु० निर्मला देशपाण्डे तथा श्री बशीर अहमद मयूख

बाएं से सुश्री कुसुम लता मित्तल, सचिव (सेवा निवृत्त), श्री पांडुरंग ढगे तथा श्रीमती बी.एस. शान्ता बाई।

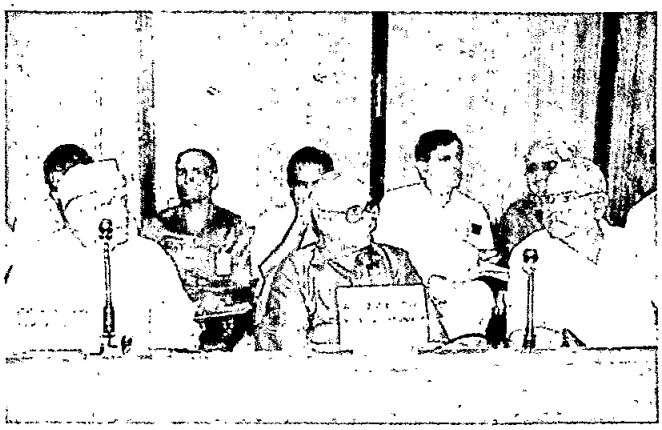

मंचासीन (बाएं से) श्री रामलाल पारिख, श्री महादेव सुब्रह्मणियन, तथा श्री अ० रामास्वामी

समारोह की अध्यक्षता करते हुए श्री चंद्रधर त्रिपाठी, सचिव, राजभाषा विभाग। साथ में (बाएं से) श्री राजमणि तिवारी, डॉ. सूरजभान सिंह, पूर्व न्यायमूर्त्ति महावीर सिंह श्री राकेश शर्मा तथा डॉ. माजदा असद।

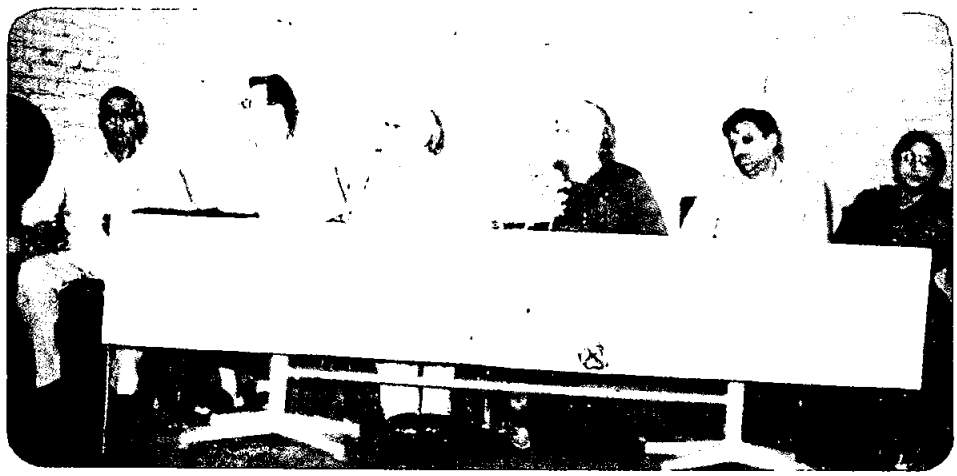

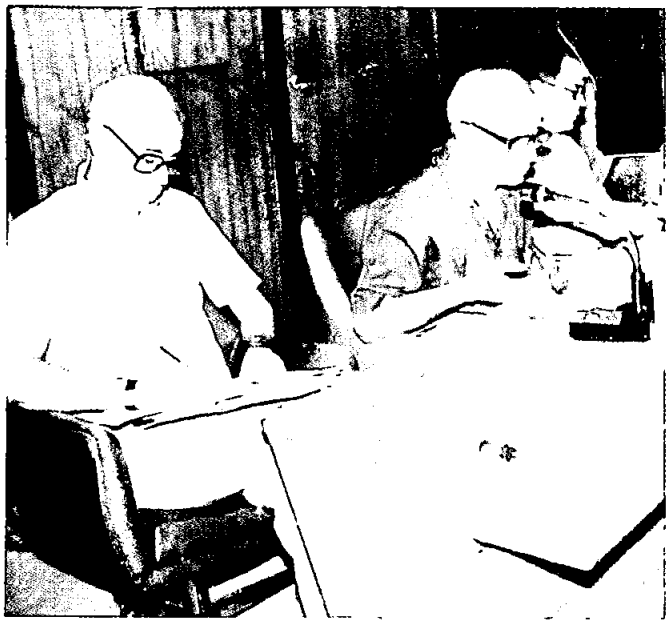

केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में भाग लेते हुए गृहसचिव श्री एन.एन. बोहरा तथा वरिष्ठ अधिकारीगण

समिति की बैठक में भाग लेते हुए सदस्य डॉ. पांडुरंग राव (एकदम दाएं) तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण

गुवाहाटी: अध्यक्षीय भाषण देते हुए पू॰सी॰ रेलवे के महाप्रबंधक श्री जी.के. खरे। साथ में श्री हरिओम् श्रीवास्तव, तथा श्री रजनीकान्त चक्रवर्ती।

श्रीमती रोज़ मिलियन बैथ्यू, अध्यक्ष से पुरस्कार लेते हुए श्री अम्बरीश कुमार। बीच में हैं निदेशक (राजभाषा) श्री पूर्णानन्द जोशी।

कालिकट: आकाशवाणी केंद्र में उद्घाटन करते हुए हिंदी एवं मलायलम के प्रसिद्ध कवि श्री वि॰ए॰ केशवननंपूतिरी, केंद्र निदेशक श्री एम॰ राधाकृष्णन तथा स॰के॰नि॰ श्री के॰ राजन

डॉ. सीताकान्त महापात्र (तत्कालीन सचिव) राजभाषा विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए। साथ में (बाएं से) श्री राजकुमार सैनी, श्री अजमेर सिंह सिद्धू, श्री महेन्द्र नाथ, संयुक्त सचिव, श्री भगवानदास पटैरया तथा श्री सरूप सिंह महरा।

जयपुर में सम्पन्न बैठक की एक झलक

कलकत्ता: आकाशवाणी केंद्र में हिंदी सप्ताह का उद्घाटन करते हुए श्री विज्ञान प्रकाश, मुख्य अभियन्ता।

आकाशवाणी केंद्र, कोहिमा में हिंदी दिवस समारोह में संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री के॰पी॰ लोधा।

कार्यक्रम की एक झलक

ओड़िया रचना

तथापि लेखिब कबि

—पल्ली कबि श्रवणकुमार*

अग्नि बीणार प्रत्येक तंत्रीरे
प्रतिबादर स्फुलिंग
उड़ि बुले आकाश मण्डले
कलम कमाणर कला धुआं
तथापि लेखिब कवि से पर्यन्त
मानबर सुप्त चेतनारे
बिप्लबर जुआर आसिबा पर्यन्त
तथापि लेखिब कबि से पर्यन्त
हजार लाठि उठिबा पर्यन्त
बसुधा मागुछि भिक्षा
कबि सम्मुखरे
अत्याचारिर जघन्य ज्वलनरे
मसिमुने से गुरु सप्त बाण
गर्जुछि समुद्र लहड़ीपरि
गांधारिर चक्षु पटलरे
अन्ध जनतार शत आशा
पलायन पथे जुगर चेतना
तथापि लेखिब कवि
अन्ध जनतार चक्षुचिकित्सा पर्यन्त
से लेखिब ओलंग आदिवासी संगीत
से लेखिब झड़ बतासर कविता
लेखिब भीष्म शरशज्यार कविता
पंगु भीरु देहे शतसिंह शब्दर आबाज देबा पाइँ
मुंडतलु तकिया खसुछि
ना पृथिवी खसुछि
खसुछि अतड़ा बालिबन्ध
खसुछि कन्या जुबति-कन्या
इटाबोहुथिबा ट्रक डाला उपरु
तथापि लेखिब कबि
सेहि अत्याचारित जउबन काहाणि
से पर्यन्त येउँठारे
शतभुजा उठिवे मुक्त केशा होइ
अग्नि बीणार तन्त्री सबु
गर्जि उठुछि सेहि महाभारतर
गुरु गंभीर युद्ध ध्वनिपरि

*प्राचार्य इन्द्राबती कालेज
जयपाटणा (कलाहांडी)

हिंदी रूपान्तर

फिर भी लिखना कवि

अग्नि-वीणा की प्रत्येक तंत्री में
प्रतिवाद का स्फुलिंग
उठता घहराता नभ मंडल में
लेखनी मुख से बारूदी काला धुआं
अहरह निःसृत
फिर भी लिखना कवि; तब तक
मानव की सुप्त चेतना में
विप्लव का ज्वार उठे जब तक
कवि.... लिखना
तब तक।
धरित्री माँग रही भीख
मात्र इतना ही कवि से
कि.....अत्याचार की जलती
जघन्य ज्वाला से
फूटे मसिमुखी अमोघ सप्तवाण।
गरज रहा समुद्रों के तरंग सा
गान्धारी के अन्ध चक्षुओं में
अन्धों की शत आशा
पलायन पथ पर मूक मौन
युग की चेतना; बन गई है उन्मना
फिर भी लिखना कवि
भीष्म शर-शैया का काव्य
आंधी तूफान का पद्य
पंगु; भीरू लोगों में उमगाने
शतसिंहों के पराक्रमी शब्द।
सिरहाने से खिसक रहा है तकिया
या खिसक रही है धरित्री
या ढह रही है बालुई बांध
या दम तोड़ रहा है सद्यः जात
यौवना का यौवन
ईंट ढोती ट्रक के डाले पर
देखना सोचना अर्ज्जसित होना
फिर भी लिखना कवि
उस अत्याचारित यौवन का करूण राग
तब तक..... जब तक
शतभुजा के खुल न जाएं केश
और अग्निमुखा हो न जाए परिवेश
अग्नि वीणा के प्रत्येक तार से
ध्वनित हो महाभारत की
गुरु गम्भीर युद्ध ध्वनि।

चिठि

श्रद्धेय! अंतरंगगण
मुँ आसुछि अति निकटरे
श्राबणर प्रान्त दिबसरे।
रे! बिमाता सन्तानगण
तुम पाइँ आणुछि मुँ
अनेक बन्या ओ थोइर सरपुलि
मौ पुअमानंक पाइँ आणुछि मुँ
नर मदिरा ओ भोगर स्वर्णथालि,
बासि खालि तुम पाइँ
चुड़ा ओ गुड़ा शेष जबिनरे।
एकइर बला
धइर्ज्य ओ सान्त्वना
घर प्रति पान्च टंका
आसुछि मुँ तुमकु चलचित्रर
नाइका करिबा पाइँ
देखाइ देइ यिबि तुम बलिष्ठ
यानु ओ यउबन
अन्टानइ चालुथिबा बुढ़ा पुअगण
चालिबार हेलाणि अभ्यास
तेणुकरि नेइ यिबि यष्ठिखण्ड
तांक हस्तु मुहिं
कबिर कबितारे देइ यिबि रुपकल्प
गाल्पिकर आर्थिक खुराक
राजनैतिक पाइँ देह यिबि
आगामी निर्बाचनर बिजय आभास।
जन्त्री मानंक शूट पाउँ भांगि देबि पुल
नेत्तृवर्ग दृष्टिकोणे देइ यिबि छलनार अश्रु
जनसेबी पाइँ कष्ट
देइ यिबि दरदीकुं दुख।
मुँ आसुछ अति निकटरे
धुइ यिबि माठि
देइ यिबि मुक्त हस्ते
बालुका मुठा मुठा शस्य क्षेत्रे,
गाढ़ि देबि पठा
इति; श्री हितचिन्तक।

---

*उपर्युक्त दोनों कविताओं के अनुवादक डा० प्रद्युम्न दास वैष्णव हैं।
राष्ट्र भाषा कुटीर पझरापाली रायपुर मत प्र० पिन 493558

चिठि

श्रद्धेय! अन्तरंग बन्धुगण
मैं आ रहा हूं
अति शीघ्र वर्षान्त में तुम्हारे पास।
रे! विमाता सन्तानो
ला रहा हूं बाढ़ एवं दुर्भिक्ष
और मेरे पुत्रों के लिए ला रहा हूं
मन की मदिरा और विलास की स्वर्णिम थाली
अवशेष; तुम्हारे निमित्त
चूड़ा और मीठे से चाँवली अक्षत
शेष जीवन के लिए
मेरी एक मात्र सन्तान
धैर्य और सान्त्वना
प्रत्येक का अधिकार
प्रति घर पांच रुपए मात्र।
आ रहा हूं
तुम्हें बना दूंगा चित्रपट की नायिका
जिससे देख सकें लोग
तुम्हारा उन्मुक्त नग्न यौवन,
कमर झुका चलने वाले मेरे बूढ़े पूत
अब चलने में हो चुके हो अभ्यस्त
अतः ले जाऊंगा तुम्हारे हाथ से
अवलम्ब की लाठी
और कर दूंगा तुम्हें पूर्ण स्वतंत्र।
कवि की कल्पना में
दूंगा कवितायी प्राण
कहानीकारों को दूंगा आर्थिक खुराक
राजनैतिकों को दूंगा
आगामी निर्वाचन में विजयी होन का आभास।
अभियन्ताओं के शूट के लिए
लाऊंगा नये पुलों का शिलान्यास,
नेताओं के नेत्रों में भर दूंगा
छलछदमी घूर
जनसेवियों के लिए लाऊंगा
दुखियों का दम भरने दुख।
मैं आ रहा हूं ; समय समीप है
धो दूंगा धरती को
और मुक्त हस्त से कर दूंगा पूर्ण
बालुका अंजुरी में भर भर कर
शस्य श्यामला धरित्री पर
बना दूंगा अनुर्वर अशक्त
इति; श्री हितचिन्तक।

विश्व हिंदी दर्शन

दक्षिण अफ्रीका में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की स्थिति

— ब्रह्मदत्त स्नातक*

"सन् 1984 से दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के पृथक स्कूलों में गुजराती, हिंदी, तमिल, उर्दू, तेलगू और अरबी भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं। इन विद्यालयों में बच्चे आठ वर्ष तक वैकल्पिक तौर पर मातृभाषा की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हिन्दी और तमिल सीखने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है।

वहां भारतीयों के लिए मातृभाषा की शिक्षा संबंधी परिस्थितियां हमेशा चुनौती के रूप में विद्यमान थीं। दक्षिण अफ्रीका में सन् 1860 से भारतीय लोग आकर बसने लगे। सबसे बड़ी संख्या में हिन्दी एवं तमिलभाषी मजदूर थे, जो अक्षरज्ञान से रहित होते हुए भी धर्म और संस्कृति से अनभिज्ञ न थे। अपने जन्मदिन 15 नवम्बर, 1985 को जब मैं डर्बन हवाई अड्डे पर उतरा तो उपस्थित स्त्री-पुरुषों ने हैपी बर्थडे कहकर स्वागत किया। मैंने इसके प्रत्युत्तर में आजा-आजी (बाबा-दादी) की पुरानी भाषा का सहारा लिया और इससे वे बहुत प्रसन्न थे।

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से ही भारतीय अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण में प्रवृत्त हो गये थे। मातृभाषा के लिए उन्होंने स्कूल और कक्षाएं शुरू कीं। संगीत और नाटक के माध्यम से भी मातृभाषा और संस्कृति में रुचि बढ़ाने के प्रयास किये। ये भारतीय लोग प्रारंभ से ही दक्षिण अफ्रीका के जीवन में घुल-मिल रहे थे। लेकिन उन्होंने यह भी उचित समझा कि अपनी व्यक्ति, धर्म और संस्कृति को बनाये रखने के लिए मातृभाषा की शिक्षा की बहुत आवश्यकता थी। इनके प्रयत्न इस दिशा में अधिकाधिक बढ़ने लगे।

भारतीयों के लिए अपना धर्म संस्कृति को जीवित रखने के मार्ग बाधा रहित नहीं थे। इनमें से अधिकांश अनपढ़ थे। सबसे पहली समस्या थी अध्यापकों का अभाव। अतः जो भी थोड़ी बहुत जानकारी रखता था वही मातृभाषा का अध्यापक बन गया। भाषा की केवल मोटी जानकारी ही दी जा सकती थी, क्योंकि अध्यापक स्वयं व्याकरण के नियमों तथा साहित्य से अपरिचित थे। फिर भी मातृभाषा की शिक्षा के क्षेत्र में इन अध्यापकों का योगदान स्तुत्य है।

इस समय तक हिन्दी व तमिल भाषी जनता अत्यन्त निर्धन और साधनहीन थी। तथापि इनमें अपनी भाषा एवं संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का संकल्प दृढ़ था और इसके लिए वे त्याग और परिश्रम करने के लिए तत्पर थे।

हिन्दी शिक्षा संघ की स्थापना

प्रशासन की ओर से इस संस्था ने अपनी परीक्षाएं रखनी शुरू कर दी हैं। दक्षिण अफ्रीका में हिन्दी प्रचार का कार्य हिन्दी शिक्षा संघ की स्थापना के साथ विकासशील हुआ और इसका श्रेय पं० नरदेव जी वेदालंकार को है, जिन्होंने संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने समस्त जीवन को भारतीय धर्म, संस्कृति और भाषाओं के विकास को अर्पित किया। पं० जी अभी भी इस महान यज्ञ में लगे हुए हैं। भारत के स्वतंत्र होते ही पं० जी ने गुजरात छोड़कर द० अफ्रीका को अपना कार्यक्षेत्र बना लिया।

सन् 1959 से सन् 1980 तक हिन्दी और कभी-कभी अन्य भाषाओं में संध्याकालीन (पार्ट-टाइम) कक्षाएं चलती थीं। पं० नरदेव जी इसी संस्था में विद्यार्थियों को राष्ट्रभाषा परिषद वर्धा की परीक्षाओं के लिए तैयार करते थे।

जब से भारतीयों की उच्चतर शिक्षा के लिए पृथक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, भारतीय भाषाओं को उसमें स्थान मिला विश्वविद्यालय के छात्र प्रारम्भ से ही उच्चस्तरीय भाषा एवं साहित्य का अध्ययन करते हैं। यहां भी समस्याएं उत्पन्न हुईं; पहले इस विश्वविद्यालय का जमकर विरोध हुआ, लेकिन अब दृष्टिकोण बदल रहा है। यह यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बन (वेस्टविल) भारतीय भाषाओं की अब एक खुली संस्था हो गई है। यद्यपि यहां हिन्दी और अन्य भारतीय विषयों को स्थान प्राप्त है, पर मातृभाषा के अध्यापन के लिए योग्य शिक्षक एवं अध्यापक नहीं मिलते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर भाषा और साहित्य में प्रशिक्षण देने के लिए भारत में शिक्षित अध्यापक अपेक्षित हैं। इन विभागों को अंतराष्ट्रीय मान्यता तभी मिल सकती है जब योग्य और अनुभवी विद्वान इस विश्वविद्यालय में पद ग्रहण करेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सांस्कृतिक और राजनैतिक संबंध गत 50 वर्षों में न होने के कारण भारतीय विद्वान हमारी सहायता के लिये नहीं आ सकते। अतः इस समस्या का एक दुखद परिणाम यह है कि कई वर्षों से तेलुगु की कक्षाएं रुक गई हैं। भारत से प्रवक्ता लाने के हमारे अनेक प्रयास विफल हुए हैं। हिन्दी और संस्कृत की स्थिति अधिक संतोषजनक है। इन भाषाओं के प्रवक्ता प्रो० राम विलास एवं डा० सीताराम भारतीय विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर उपाधियां लेकर आये हैं और उन्हें भाषा और साहित्य दोनों क्षेत्रों में अनुभव है।

दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मूल निवासियों को अपनी मातृभाषा क्यों जीवित रखनी चाहिए यह प्रश्न अनेक संदर्भों से पूछा जाता है। भारतीय लोग इस देश के नागरिक हैं और इसकी जनता में गिने जाते हैं। दैनिक जीवन में अंग्रेजी और अफ्रीकी भाषाएं उपयोगी हैं, और जुलू का महत्व बढ़ रहा है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमें किसी और भाषा से मातृभाषा के शिक्षण के लिए कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। अतः कक्षाएं चलाने हेतु मकान अथवा पाठशाला न थीं। इन परिस्थितियों में, भारतीयों ने जहां भी स्थान उपलब्ध था, वहीं कक्षाएं प्रारंभ कीं। अर्थात कभी घर के बरामदे में कभी मंदिर के किसी कोने में।

... जारी पृष्ठ 85...

*सी-4-बी, 332-बी, जानकपुरी, दिल्ली-110058

पुस्तक समीक्षा

वांङ्मय—मन्थन

—डॉ॰ विद्यानिवास मिश्र

[गत दिनों भारतीय वाङ्मय के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ—'बौद्ध धर्म दर्शन' (आचार्य नरेन्द्र देव) और 'उपनिषद् सहस्य' भाग—I (पं॰ चन्द्रबली त्रिपाठी) प्रकाशित हुए हैं। दैनिक नवभारत टाइम्स के संपादक, दार्शनिक चिन्तक एवं हिंदी के प्रसिद्ध लेखक समालोचक डॉ॰ विद्यानिवास मिश्र ने इन दोनों ग्रंथों की समीक्षा की है। इस समीक्षा को पाठकों के लाभार्थ यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

—संपादक]

उपनिषदों और बौद्धदर्शन के ग्रंथों का मनन देश के और विदेशों के विद्वानों ने बार-बार किया है। एक तरह से निरंतर मंथन के प्रयत्न से हमारा वैचारिक वाङ्मय और समृद्ध हुआ है। लोग अपने को पहचानने के लिए अपनी परम्परा का जब प्रत्यवगाहन करते हैं तो उनका प्रयत्न पूरे समाज के लिए मार्गदर्शन हो जाता है। उपनिषदों और भगवद्गीता पर व्याख्यायें जब-जब हुईं, उनकी गुणवत्ता के अनुपात में उनका पाठक समाज न केवल प्रबुद्ध हुआ, बल्कि वह स्वयं अभिप्रेरित हुआ कि हम भी अपनी गहराइयों में डुबकी लगायें। इसी प्रकार बौद्ध वाङ्मय में भी डुबकी लगाकर मोती निकालने का प्रयत्न पाठक को पर्युत्सुक बनाता है कि एक बिसारी हुई थाती को सम्भालने के लिए हम पात्रता पायें। ऐसे दो मंथनों की चर्चा हम यहां करना चाहते हैं। एक है पुनर्मुद्रित बौद्ध धर्म-दर्शन जो स्व॰ आचार्य नरेन्द्रदेव की ज्ञान साधना की चरम परिणति है। दूसरा है स्व॰ पं॰ चन्द्रबली त्रिपाठी की कृति 'उपनिषद रहस्य' जिसका एक खण्ड पहले छप चुका है, दूसरा छप रहा है और तीसरा छपने जा रहा है। दोनों ज्ञान-साधकों ने एकाग्र होकर अपने-अपने ग्रंथ लिखे, उन्हें किसी सम्मान की आकांक्षा नहीं थी, न यह कार्य उनके जीवन क्रम से साक्षात सम्बन्ध रखता था। आचार्य जी राजनीति के अखाड़े के धुरन्धर थे, जेल में रहते हुए उन्होंने दो ही काम किये। भारत की अमूल्य विरासत की जानकारी पं॰ नेहरू को करायी और स्वंय इस ग्रंथ के अध्ययन में लगे रहे। पं॰ चंद्रबली जी महामना मालवीय के निजी सचिव लम्बी अवधि तक रहे। उसके बाद वे उपनिषदों के अनुशीलन में अहैतुक भाव से लगे और लगभग अस्सी वर्ष की अवस्था में अपने अनुशीलन के फलस्वरूप यह ग्रंथ लिखना शुरू किया, लगातार पाँच वर्षों में पूरा किया। इन दोनों अध्ययनों का चुनने का विशेष प्रयोजन है। आचार्य जी का ग्रंथ बहुत दिनों पूर्व प्रकाशित हुआ था। जब मिल नहीं रहा था, पुनः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के सहयोग से नयी भूमिकाओं के साथ प्रकाशित हुआ। पहले संस्करण में स्व॰ महामहोपाध्यय गोपीनाथ कविराज की लम्बी और गंभीर भूमिका थी। भूमिका क्या थी, एक तरह से पूरक ग्रंथ ही थी। इन सबके साथ देखने पर भारतीय ज्ञान साधना की समग्रता की झांकी मिलती है। पं॰ चन्द्रबली त्रिपाठी का अनुशीलन भी उपनिषदों के ज्ञान को दैनन्दिन जीवन के अनुभव से जोड़ने का समग्र प्रयत्न है, आज के विकलीकृत विश्व में सकलीकरण के इन प्रयासों की ओर ध्यान दिलाना बहुत समीचीन और सामयिक जान पड़ा है।

अस्तु बौद्ध धर्म-दर्शन की विशिष्टता इस माने में है कि यह केवल बौद्ध दर्शन के विभिन्न प्रस्थानों का परिचय मात्र नहीं है, वह भी है और सर्वांगीण है पर परिचय के अतिरिक्त बहुत कुछ है, यह सभी प्रस्थानों का संयोजन और समामकलन भी है, साथ ही ज्ञान का साधना के पक्ष से आचार के पक्ष से समन्वय भी है। आचार्य जी ने अपना जीवन अध्यापन से शुरू किया था, इसलिए वे अपनी बात ऐसे रखते हैं जैसे मंजा हुआ शिक्षक सम्पूर्ण शास्त्रों को आत्मसात करके विनयी शिष्य के सामने उसका क्रमबद्ध सार रखता है। आचार्य जी ने अपना अनुशीलन भगवद्गीता से प्रारंभ किया था, इसलिए स्वभावतः उनकी दृष्टि एकांगी नहीं, उन्होंने मार्क्स के ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया और पुरातत्व के योग्य विद्यार्थी होने के कारण उन्होंने इतिहास की पर्तों को शीघ्र ही समझ लिया।

आचार्य जी इसीलिए पहले विचारक हैं, जिन्होंने कहा कि आस्तिक का अर्थ वेदनिन्दक या ईश्वरवादी नहीं है। आस्तिक का अर्थ जो पणिनि ने दिया वही मूल अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो दिष्ट में विश्वास करता है, परलोक को मानता है। स्वयं बुद्ध ने मिथ्यादृष्टि सम्पन्न व्यक्ति को नास्तिक कहा है। कर्मफल को मानने वाले जैन और बौद्ध पूर्ण आस्तिक हैं। आचार्य जी के शब्दों में मानव समाज की स्थिति और उन्नति के लिए समाज में व्यवस्था का होना आवश्यक है और यह तभी हो सकती है, जब सब लोग इसमें प्रतिपन्न हों कि अशुभ कर्म का अशुभ, शुभ कर्म का शुभ और व्यामिश्र का व्यामिश्र फल होता है। यह सदाचार तथा नैतिकता की भित्ति है।

बौद्ध धर्म दर्शन में प्रारंभ में बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला गया है और बुद्ध की व्यावहारिक शिक्षा का सार्वभौम महत्व समक्षाया गया है, इसके बाद पालि-वाङ्मय का सर्वेक्षणात्मक परिचय दिया गया है, उसके बाद बौद्ध साधना के सोपानों का। फिर हीनयान और महायान बाङ्मय का सर्वेक्षण किया गया है और महायान के अनुसार साधना क्रम का विस्तृत पर्यालोचन किया गया है। इसके बाद आचार्य जी का अपना प्रतिपादन शुरू होता है। उन्होंने समग्र दृष्टि से बौद्ध धर्म-दर्शन को भारतीय प्रज्ञा के परिणाम के रूप में देखने का उपक्रम किया है। वे यह दिगदर्शित करना चाहते है कि हीनयान और महायान में विरोध न देखकर तारतम्य देखना चाहिए दोनों दो प्रकार के अधिकारियों के लिए हैं इसलिए परस्पर विरूद्ध दिखते हुए भी एक-दूसरे के पूरक हैं, विरूद्ध नहीं। अंतिम अध्याय ने न्याय का तर्क भी दूसरी प्रणालियों को आमने-सामने रखते हुए बौद्ध न्याय की स्थापनाओं का समझाया है। आचार्य जी ने सौत्रान्तिक, वैभाषिक विज्ञानवादी और माध्यमिक चारों प्रस्थानों को एक निर्माण के रूप में देखा और माध्यमिक की स्थापना में पूर्व तीनों की उपयोगिता ही प्रतिपादित की।

इसलिए उनके अभिन्न मित्र और इस शताब्दी के वरेण्य ज्ञानसाधक कविराज जी ने अपनी भूमिका में यथार्थ ही कहा कि ऐसा समग्र ग्रंथ हिन्दी में नहीं है, दूसरी भाषाओं में भी नहीं। इस ग्रंथ की समग्रता और विशिष्ट हो गयी है। कविराज जी की भूमिका से जिसमें उन्होंने नैरात्म्यवाद और आत्मवाद के बीच शैवशाक्त साधना और बौद्ध साधना के बीच अपूर्व सेतु का निर्माण किया है और यह समझाया है कि एक ही भारतीय

प्रतिभा कई रूपों में स्फुटित हुई है। आगम परम्परा किस प्रकार शाक्त, शैव, वैष्णव और बौद्ध सभी में कहीं न कहीं एक बिन्दु पर मिली है, यही भारतीय संस्कृति की एकोन्मुखता है।

आचार्य जी ने समतावादी व्यवस्था के लिए आध्यात्मिक आधार की आवश्यकता अनुभव की और उन्हें बौद्ध दर्शन में निहित करूणा उपयुक्त आधार के रूप में दिखी। इस आधार पर उन्होंने आज के युग के अनुरूप नव संस्कृति के प्रवर्तन की बात की। इस दृष्टि से बौद्ध दर्शन समस्त भारतीय बुद्धि जीवियों के लिए पठनीय है। पं० चन्द्रबली त्रिपाठी का उपनिषद मंथन दूसरे प्रकार का प्रयत्न है उसे आचार्य जी का पूरक प्रयत्न कहा जा सकता है। औपनिषद विचारधारा में से ही चरम सत्य के शोध की जिज्ञासा तीव्र हुई। उसी तीव्रता का एक रूप श्रमण चिन्तन है। औपनिषद विचाधारा वेद का अंगभूत होते हुए भी वेद के कर्मकांड पक्ष का अतिक्रमण करती है और वह यज्ञ के व्यापार को अंतर्मुखी करते-करते ब्रह्मात्मैक्य की ओर जाती है। त्रिपाठी जी ने पाश्चात्य और पौरस्त्य दोनों दर्शनों का गहन अध्ययन किया था। इसलिए उनका चिंतन एक और यूरोपीय चिन्तन की तर्क पद्धतियों से छना हुआ है, दूसरी ओर अपनी देशी व्याख्या-परम्परा से समेकित है। वे आज होते तो सौ वर्ष पूरे करते। आज के दिन उनका पुण्यस्मरण करते हुए उनकी सर्वोत्तम कृति की चर्चा और सार्थक हो जाती है।

त्रिपाठी जी का 'उपनिषद रहस्य' वस्तुतः तिलक के गीता रहस्य से प्रेरित है और यह रहस्यात्मक भाषा में नहीं लिखा गया है, रहस्य को सुबोध भाषा में यहां हृदयंगम कराया गया है। त्रिपाठी जी ने समस्त उपनिषदों का गहरा अध्ययन किया। उनके प्राप्त भाष्यों का अध्ययन किया, रानाडे और राधाकृष्णन समेत विदेशी विद्वानों के उपनिषत्परक ग्रंथों का अनुशीलन किया। तब उन्होंने औपनिषद चिन्तन की अन्विति की बात की। समस्त उपनिषदों के वाक्यों को निहित सामान्य सिद्धान्तों का निष्कर्ष पहले निकाल कर, अलग-अलग उपनिषदों के रहस्य समझाने का प्रयत्न उन्होंने किया है। प्रारंभ कठोपनिषद से किया है और छोटे-बड़े 108 उपनिषदों के रहस्यों का प्रकाशन बहुत मनोयोग से किया है। उनका ग्रंथ तीन खंडों में विभक्त है।

त्रिपाठी जी ने अपने पूर्ववर्ती चिन्तन में जहां कहीं विरोध है, जहां कहीं संगति नहीं बैठती है, वहां संगति बिठलाने का भी प्रयत्न किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि ब्रहाज्ञान में समस्त मनुष्यों को समान अधिकार है, प्रतिबंध यही है कि उसे प्राप्त करने की उत्कट इच्छा हो, और सभी इच्छायें इसके आगे नगण्य हो जायें। उन्होंने ब्रह्मसूत्र और शांकर भाष्य से असहमति जतलाते हुए समग्र दृष्टि से उपनिषदों का यही मंतव्य निकाला कि ब्रह्मज्ञान सार्वभौम है। त्रिपाठी जी ने उपनिषदों में ब्रह्मा और आनंद की एकता पर शास्त्रार्थ का निचोड़ देते हुए यह संगति दिखलायी है कि 'उपनिषद में आनंदमय आत्म सांसारिक जीव को उद्दिष्ट करके निर्दिष्ट नहीं है, बल्कि उसकी प्रस्तावना ब्रह्म से जीव की एकता प्रतिपादन करने के निमित्त की गयी है। भेद को अवास्तविक दिखाकर जीवन और ब्रहा का एकत्व प्रतिपादन करना उपनिषद का प्रयोजन है। इसलिए आनंदमय आत्मा से सांसारिक जीव न समझकर ब्रह्म समझना उपयुक्त है। जीवात्मा और ब्रह्म अभेद होते हुए जीव अविद्या के कारण शरीरादि के संयोग से अपने को परमात्मा से भिन्न समझता है उसे यह उपदेश करना कि वह शरीरी नहीं अशरीरी ब्रह्म है, इस भेद को समझाने के लिए कहा गया 'रसों वै सः रसं ह्योवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति, वह अर्थात परमात्मा सचमुच सच है यह अर्थात संसारी जीव रस को ही प्राप्त करके आनन्दी होता है। यहां जीव और ब्रह्म का भेद इस प्रकार दिखाया गया कि जीव को जो कुछ आनंद मिलता है वह उसे रसरूप ब्रह्म के अर्थात् आनन्द के मिलने से ही होता है। इसका निष्कर्ष यह है कि जीव में स्वतः रूप-आनन्द नहीं है और उसे जो आनंद मिलता है वह परमात्मा के आनंद सागर का एक बिन्दु मात्र है । समस्या यह कि रस (आनन्द) का प्राप्तिकर्ता जीव जिस ब्रह्म से रस की प्राप्ति करता है, ब्रह्म से भिन्न ज्ञात होता है, ऐसे अवस्था में जीवात्मा और ब्रह्म एक नहीं हो सकते। इस परिप्रेक्ष्य में शंकर तर्क करते हैं कि जो प्राप्त करनेवाला है, वही प्राप्तव्य नहीं हो सकता, इसका अभिप्राय यह है कि यह बात सिद्ध है कि आनन्द प्राप्त करने वाला संसारी जीव तथा प्राप्त आनंद एक नहीं अलग-अलग (पृथक-पृथक) है।'

इस अलग होने का भाव तभी तक है जब कि आनंद के अपार सागर के साथ एकता नहीं होती, होने पर अपने आप इस प्रकार के ज्ञान के लिए अवकाश नहीं रह जाता। इस लम्बे अवतरण को देने का अभिप्राय यह भी है कि इससे त्रिपाठी जी की प्रतिपादन शैली की झलक मिल जायेगी। इसी शैली में समस्त उपनिषदों की व्याख्या की गयी है। शंका उठायी गयी है। उसका समाधान किया गया है, अन्य उपनिषदों के वाक्यों से संगति बिठलायी गयी है।

उपनिषद रहस्य न केवल उपनिषदों की सत्यान्वेषी परम्परा का दिग्दर्शन करायेगा, अपितु कैसे भारतीय किसी तत्व को समझने की कोशिश सहज भाव से करता है, इसका भी ज्ञान होगा। हम लोगों की विचारभाषा कितनी गँठीली होती है, यह हम जानते है, त्रिपाठी जी की भाषा अथवा आचार्य जी की भाषा उतनी ही सुलझी हुई क्रमबद्ध और सहज है। यह सहजता अपनी परम्परा को समग्र रूप से ग्रहण करने से अपने आप आती है। ये दोनों ही ग्रंथ आज के जिज्ञासु पाठक के लिए अमूल्य निधि हैं।

चर्चित ग्रन्थ

बौद्ध धर्म दर्शन० लेखकः आचार्य नरेन्द्र देव (पुनर्मुद्रण 1993)० मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली।

उपनिषद रहस्य (भाग-1)० लेखकः चन्द्रबली त्रिपाठी० नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। भाग 2 एवं 3 प्रकाशनाधीन। मूल्य चार सौ रुपये (प्रथम खंड)

(नवभारत टाइम्ज़ से साभार)

भीष्म साहनी की चर्चित कहानियां

श्री भीष्म साहनी हिन्दी जगत के एक लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। अब तक उनके 6 उपन्यास, 4 नाटक तथा 8 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी कुछ चुनी कहानियों को "चर्चित कहानियां" शीर्षक के अन्तर्गत सामयिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है।

साहनी जी ने उपर्यक्त संग्रह में संकलित अपनी रचनाओं के माध्यम से आम भारतीयों का विदेशी वस्तुओं के प्रति मोह, माता-पिता द्वारा बच्चों को शिष्टाचार सिखाने का चक्कर तथा अपने कैरियर की धुन में बच्चों के प्रति उदासीनता एवं इस सबमें उलझ कर रह गया बचपन, अधिकारों के प्रति जागरूक होता आज का निर्धन वर्ग व पुरानी और नई पीढ़ी की सोच में अंतर आदि मौलिक विषयों को उठाया है तथा इनके समाधान की बात समाज पर ही छोड़ दी है।

कहानियों की भाषा बहुत ही स्वाभाविक, सहज और सर्जनात्मक है।

उसमें सार्थकता और प्रवाह है। कहानियों का शिल्प अत्यन्त स्पष्ट है व उनमें जीवन के मनोवैज्ञानिक पक्ष को बड़ी सूक्ष्मता के साथ उद्घाटित किया गया है। घटनाओं के निरूपण में हृदय को स्पर्श करने की क्षमता है तथा पात्र-पात्राओं का चित्रण आज के सामाजिक यथार्थ की पृष्ठभूमि में कलात्मक बन पड़ा है। साहनी जी ने इन कहानियों के माध्यम से जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक व वैयक्तिक सभी पक्षों को यथार्थ की भूमि पर उठाया है।

यूँ तो उपर्युक्त संग्रह में संकलित सभी 16 कहानियां रोचक हैं किन्तु "खिलौने", "पिकनिक", "संभल के बाबू", "प्रादुर्भाव", त्रास", और "मरने से पहले "आज के संदर्भ में अत्यधिक सटीक और सोद्देश्य रचनाएं हैं। निश्चय ही संकलन का प्रकाशन स्वागत-योग्य है।

चर्चित कहानियां॰ लेखक : भीष्म साहनी

॰प्रकाशन : सामयिक प्रकाशन, 3543 जटवाड़ा, दरियागंज, नई दिल्ली-2. मूल्य : 90.00 रुपये

यह भी झूठ है।

'यह भी झुठ है' उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है लेकिन इसमें लेखिका ने पात्रों को नये ढंग से प्रस्तुत किया है। उपन्यास के प्रत्येक पात्र का अलग अध्याय है और वह आत्मकथात्मक शैली में पाठकों से बात करता है।

यह एक समस्या-प्रधान उपन्यास है। उपन्यास में बड़े घर की महिलाओं की समस्याओं को उजागर किया गया है। स्त्री चाहे किसी भी कुटुम्ब से संबंध रखती हो, उसका जीवन कष्टमय ही रहता है। ऐसा प्रतीत होता है मानों प्रकृति ने स्त्री को प्रताड़ित होने के लिए ही बनाया है। अपयश से डरती हुई वह कोई बोल्ड स्टैप भी नहीं उठा पाती और सारा जीवन होम कर देती है। "प्रश्न है नारी और जीवन की विकृत वास्तविकताओं का, उसकी सृष्टि के घटना-चक्रों का, उसके सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का, भीषण विपन्नता में जीने वाली प्रणम्य नारी को निर्वस्त्र गन्दे नालों में स्नान करा कर आज की अनैतिक असभ्यता सैकड़ों सवालों को जन्म दे रही है।"

इस उपन्यास में छः नारी पात्र हैं और तीन पुरूष । ऐसा नहीं कि पुरूषों का जीवन सहज है। उनकी समस्याओं वेदनाओं को भी लेखिका ने उजागर किया है जिसे इस उपन्यास की विशेषता कहा जा सकता है। जिस समाज में सच के पक्ष में खड़े होना एक दुर्लभ दृश्य बन गया हो, जिस समाज में सरे आम सच्चाई पर झूठ और पाखण्ड का शासन चल रहा हो, जिस समाज में सच जीवित इन्सानों के सीनों में दम तोड़ते सपनों में बदल गया हो, उसी समाज में लेखिका ने अपने पात्रों से अपने-अपने सच कहलवाये हैं। दूसरे शब्दों में पात्र, पाठकों की अदालत में अपने-अपने सच कह रहे है और निर्णय पाठकों पर छोड़ते हैं।

उपन्यास के अध्याय अलग अलग होते हुये भी एक दूसरे के साथ इस कदर गुथे है कि अलग नहीं किये जा सकते। सबसे बड़ी खूबी जो मुझे प्रतीत हुई वह यह कि पुरूष पात्र केवल अपने-अपने सच कह रहे हैं, तथा एक दूसरे की पीड़ा को समझने का प्रयास नहीं करते। अपने दोषों पर आवरण डालने के लिए वे दूसरों की गलतियां पकड़ लेते हैं। स्वयं हीन-भावना से ग्रस्त होने के लिए भी वे परिस्थितियों को दोषी मान लेते है और स्वयं अपने हाथ ऐसे झाड़ देते है मानों उनके हाथ में कुछ हो ही नहीं। पुरूषों का यह अधूरापन, हीन-भावना इस उपन्यास की विशेषता भी है और कमजोरी भी।

उपन्यास की भाषा सरल है तथा मन को छूने वाली है। उपन्यास पठनीय है। एक पात्र को पढ़ने के साथ-साथ हम दूसरे के बारे में जिज्ञासु हो जाते हैं।

इस उपन्यास में छः महिला पात्रों में एक है—भुवन मोहिनी दूसरी है, पल्लवी, तीसरी मेखला, बहुला, अर्पणा और कामनी। तीन पुरूष पात्रों में पहला है केशव जो घर का बड़ा बेटा है, दूसरा है विभूति जो मंझला है तथा तीसरा है रोहिल, सबसे छोटा बेटा ।

भुवन मोहिनी बड़े घर की बहु जो बाल बच्चों को पोसती, अपने दायित्व निभाती है लेकिन नारी आंतरिक स्थिति से सन्तुष्ट नहीं। उपन्यास का प्रारम्भ भुवन मोहिनी से ही होता है।

वह कहती है "हुकुमतें बदल गई लेकिन नारी की आंतरिक स्थितियों में क्या फर्क आया उसकी समस्याएं तो मुहं बाए ज्यों की त्यों खड़ी रह गई। औरत की आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज़ की तरह ऐसे बुझ गई जैसे स्नेह बिना चिराग। भुवन मोहिनी एक अत्यंत समृद्ध घराने की बहु है जिसने अपना सारा जीवन अपने घराने, बच्चों के लिए और जिस पल वह घर छोड़कर जाने की या वहीं रहने की विवशता के बीच जूझ रही थी उसी क्षण उनकी बेटी अपने ससुराल से निकाल दिये जाने के बाद उनके समक्ष आ खड़ी होती है। ऐसे में वह क्या निर्णय ले। स्थिति इतनी ही सोचनीय रहती तो भी सहनीय था। भुवन मोहिनी जिसकी बड़ी बहू को उनका हीन-भावना से ग्रस्त बेटा कभी स्वीकार न कर सका था, वह भी अब भुवन मोहिनी की जिम्मेदारी थी। बहू और बेटी को इस स्थिति के लिए शायद वह स्वयं को कहीं न कहीं जुड़ा मानती है और ताउम्र परिवार को बांधे रखने में लगी रहती है। भूवन मोहिनी के पति के न रहने के बाद स्थितियां और बिगड़ जाती हैं।

डोर एक बार हाथ से फिसल जाये तो बहुत दूर चली जाती है। यही केशव के साथ भी हुआ, वह डार का छोर न पकड़ पाया उसकी वेदना व अर्न्तद्वन्द को भी लेखिका ने सुन्दर अभिव्यक्ति दी है।

बड़े घर की बहू बनकर भी बेहुला असंतुष्ट रहती है और वह अक्सर कालेज के प्रांगण में जा पहुंचती है जहां "छः फुटे कद का वह बंगाली युवक-सुदीप चटर्जी...नदी

के पाट-सा चौड़ा वक्षस्थल, बिल्लौरी आंखें... उसके चेहरे का तेज ही बता देता, किसी शाही परिवार से जुड़ा अवश्य होगा। कालेज में कभी सामने पड़ जाता तो नाज-नखरे में ठुमकते मेरे पैर भी ठिठक जाते। मेरी सहेलियां ठिठोली करती।

इस उपन्यास के अन्य नारी पात्र चाहे वह बहू है या बेटी सबके सब समस्याओं से जूझते हुये, भारतीय, नारी होने का कर्तव्य निबाहते हुये दिखते है। औरत होने का अर्थ केवल सहना और कष्टों का भोगना ही है चाहे वह किसी भी परिवार में जन्मी हो। इस विडम्बना को इस उपन्यास ने भरपूर उजागर किया है।

आईये आपकी मुलाकात उपन्यास के एक सशक्त पुरूष पात्र से कराऊं जो सबके बारे में सोचता है और परिवार में मंझला होकर भी उत्तरदायित्व निभाता है; अपनी मां के बारे में वह कहता है "स्त्रियों का अस्तित्वहीन होना या कर दिया जाना कितना दयनीय लगता है। खास तौर पर उस स्त्री का जो अपने अस्तित्व के बल खड़ी होकर दुनिया की चुनौतियां झेलने के लिए कभी तैयार रही है।"

अपने बड़े भाई केशव की पत्नी बेहुला के बारे में भी वह सोचता है "अपने घर को छोड़ कर ससुराल पहुंच जाना ही काफी नहीं होता, आनेवाले दिनों के प्रति सतर्क रहना पड़ता है। पति अनुकूल न हो तो मछली बनी देह को कहीं न कहीं तो जल की तलाश करनी पड़ती है...." किसी से कह रही थी एक दिन।

"पति जब पति न हो तब उसके संबंधों की सीमा कैसी? मैं भी सोचता हूं..."

विभूति एक ऐसा पात्र है जिसके कन्धों पर पूरे व्यापार और घर की जिम्मेदारी है, वह सब निभा भी रहा है लेकिन वह भी संतुष्ट नहीं क्योंकि घर के अन्य कुछ पात्र उसे स्वार्थी समझते है।

इस उपन्यास में एक अन्य पात्र है रोहिल। घर का नन्हें। 'सबसे छोटा बेटा, जो प्रायः बीमार रहता है और उसकी तीमारदारी करती है बेहुला यानि उसकी भीभी। भाभी और देवर के भावनात्मक संबंध हो जाते है। इस कशमकश को भी लेखिका ने बखूबी उभारा है। बेहुला जानती है बाद में रोहिल शादी कर लेगा फिर कभी भाभी को पूछेगा भी नहीं। रोहिल भाभी के प्रति पूर्ण समर्पित है वह कहता है—'भाभी ने अपनी श्वासें मेरे मुंह में भर कर मेरी श्वासों को जीवन दिया है। मेरे हृदय के स्पंदनों को जाग्रत किया है।'

भाभी को उपचार और औषधियों का कितना ज्ञान था। वह कितनी सहिष्णु, धैर्य-सम्पन्न और स्नेहसिक्त है....

इस उपन्यास के दो पात्र और हैं, बड़े घर की बेटियां जो स्वछन्दता चाहती हैं उसे प्राप्त भी कर लेती है लेकिन स्वछन्दता संतुष्टि नहीं होती अतः वह भी असंतुष्ट है। बहनें अपने भाईयों के बारे में चिंतित हैं। कामिनी का कहना है उसके बड़े भाई को उसकी मां ने बिगाड़ा है, क्योंकि वह उसकी सारी बुराइयों को अपने आंचल में छिपा लेना चाहती थी। कामिनी की एक शिकायत यह भी है जो केवल बड़े घर की नहीं, सभी की है।

"अपनी आंखों के सामने ही बहकती हुई पराम्पराओं को हम देख रहे थे। न बड़ों की इज्जत, न बराबर वालों से सद्भाव, न छोटों के लिए प्यार....हमारे घर की बहुएं मां की कोई गिनती ही न कर पातीं थी और मां ने भी ऊपरी सम्पर्क उनसे तोड़ कर कुछ अच्छा नहीं किया था। रणछोड़ रीति धीरे-धीरे आपको पैरों के नीचे की जमीन भी निकाल लेती है। हालांकि बेटों से उन्हें अजहद प्यार रहा....बहुएं हमेशा पराई रहीं।

मेरी मां दरअसल अपनी सोच के साथ आधुनिक सोचों का समन्वय करने में नितांत असफल रहीं।"

इस उपन्यास की अन्य पात्र है मेखला जो बहादुर भी है और पुराने संस्कारों को तोड़कर किसी विदेशी युवक से शादी करना चाहती है' लेकिन परिवार को पता लगते ही भूचाल आ जाता है। वह आगे क्या करती है एक लंबी कहानी है। इस उपन्यास के छः नारी पात्र एवं तीन पुरूष पात्र अपनी अपनी कहानी खुलकर कह रहे है। उपन्यास पठनीय तो है ही पाठकों को बांधे भी रखता है। किसी बड़े, अत्यंत समृद्ध परिवार में भी महिलाओं को कोई परेशानी हो सकती है यह बात सामान्यतः तो गले नहीं उतरती लेकिन यह भी उतनी ही सच्चाई है जितना यह कि "धरती गोल है" कहने पर पहले-पहले कितना हंगामा हुआ था।

अनुभव की प्रमाणिकता और लंबे जीवन-संघर्ष की अमूल्य विरासत से जुड़ी लेखिका का "यह भी झूठ है" एक सामाजिक उपन्यास है, जो आने वाले समाज के लिए एक धरोहर है। इसका स्वागत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

सविता चड्ढा

0यह भी झूठ है0 लेखिका : दिनेश नंदिनी डालमिया
0प्रकाशक—राधाकृष्ण प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली
0पृष्ठ-375 मूल्य—200 रुपए

सदी को बेचैन करने वाली: एक सदी बांझ

मैंने अब तक सिर्फ कहानियां ही लिखीं हैं इसलिए इस 472 पृष्ठों के एपिकल उपन्यास को भी मैं कहानी ही कह रहा हूं, हालांकि यह कहानी ऐसी है जिसमें पूरी बीसवीं सदी की धड़कन है, तीन पीढ़ियों तक चीलने वाले डेढ़ सौ से ज्यादा चरित्र हैं और शायद अगली सदी की जद्दोजहद के लिए एक ब्लूप्रिंट भी है।

उपन्यास का पहला हिस्सा "एक अटूट सिलसिला" तो मैं फर्राटे से पढ़ गया। कथा की रवानी इतनी सहज थी कि कहीं रुकना नहीं पड़ा। हिमाचल प्रदेश के तीन गांवों, गदियारी, दत्तल और खैरा में कहानी घूमती है। खैरा के पंडित नित्यानंद का परिवार जिसमें उनकी पत्नी पार्वती, जवान बेटा दिवाकर है, तलवानी के गरम चश्मों की यात्रा पर निकले हैं। उनके साथ है गदियारी गांव का एक युवक अमर जो पं० नित्यानंद के स्वर्गीय मित्र का पुत्र है और जिसे बचपन में ही पं० नित्यानंद ने अपनी बेटी रमा के लिए मांग लिया था। पं० नित्यानंद अब अमर के साथ रमा की सगाई पक्की करना चाहते हैं। पंडिताइन ने उसे देखने के लिए ही उसे यात्रा में साथ आने के लिए कहा था। इस पार्टी के साथ रूपा नाम की एक हरिजन लड़की है जिसे अमर बैजनाथ के बस-अड्डे से सामान उठाने के लिए ले आया था। रूपा बहुत सुंदर है और पंडिताइन को इस बात से परेशानी होती है। यात्रा के दौरान एक जगह रात का पड़ाव डाला जाता है। रूपा

को कंबल नहीं मिलता और वह ठंड में ठिठरती तथा सिसकती रहती है। अमर की जब नींद टूटती है तो वह उस पर अपना कंबल डाल कर खुद घूमने निकल जाता है। सुबह अमर का कंबल रूपा के रूपर देख कर पंडिताइन को कुछ शक होता है और अपनी बेटी की सगाई अमर के साथ करने का उसका इरादा बदल जाता है। लेकिन इसी यात्रा के दौरान रूपा और दिवाकर का प्रेम-संबंध हो जाता है जो शारीरिक-मानसिक दोनों प्रकार का संबंध बन जाता है।

पं० नित्यानंद को अमर पर विश्वास होता है। लेकन पंडिताइन की जिद्द के कारण अमर और रमा की सगाई की बात टूट जाती है। उधर रूपा गर्भवती होती है तो रूपा और दिवाकर के संबंध की बात खुलती है। पं० नित्यानंद दिवाकर को रूपा के साथ बंबई भाग जाने की सलाह देते हैं और फिर बिरादरी के आगे प्रायश्चित करने के बजाय बिरादरी से निकाला जाना स्वीकार करते हैं। इस पर उनकी यजमानी छूट जाती है और घर का गुजारा चलना मुश्किल हो जाता है। रमा की सगाई अमर के दोस्त कृष्ण से हो जाती है लेकिन बिरादरी के बायकाट के कारण शादी में अड़चन आती है। बिरादरी की चुनौती को स्वीकार करने के लिए अमर को ही रमा से शादी करनी पड़ती है।

इस कथा के ताने-बाने के रूप में हिमाचल के गांवों की आर्थिक -सामाजिक-राजनैतिक स्थितियों की कहानी कही गई है। अमर कालेज की शिक्षा लेने के बाद गांव में नई पीढ़ी के युवकों के साथ मिलकर कुछ नया करना चाहता है। उसका टकराव गांवों की जड़ताओं और अंधविशवासों से होता है। अमर को जमींदारों-काश्तकारों, सवर्णों-हरिजनों के संघर्ष में उलझना पड़ता है। गांव के निहित स्वार्थ जो आजादी के बाद नये हुक्मरानों के खैरख्वाह बन गए थे, अमर और उनके साथियों की पिटाई करते हैं और कम्युनिस्ट कह कर जेल भी भिजवानते हैं। अमर जिन हरिजनों, भूमिहीनों के लिए सारे कष्ट झेलता है वे पंचायत के चुनावों में जमींदार-सरपंच के आदमियों को ही जिता देते हैं। इस पर अमर को इतनी निराशा होती है कि वह गांव छोड़ कर शहर जाने का इरादा बनाता है। लेकिन अंत में नाटकीय स्थितियां उसे अपना इरादा बदलने को मजबूर करती हैं।

पहला हिस्सा आजादी के बाद शुरू हो कर जवाहरलाल नेहरु की मृत्यु के आस-पास खत्म होता है और दूसरा हिस्सा "तीसरी आंख का दर्द" इमर्जेसी के माहौल में शुरू हो कर जनता सरकार के पतन के करीब खत्म होता है। शिव की तीसरी आंख गोया खुलने को कसमसाती है।

हालांकि घटना-क्रम कुछ गांवों के आस-पास ही घूमता है तथापि सामाजिक आंदोलन के कारण पूरे देश का वातावरण इसमें प्रतिबिंबित होता है।

इन सारी स्थितियों के बीच उपन्यास के प्रमुख पात्र अपनी-अपनी स्थितियों से जूझते हैं। रूपा को दिवाकर अपनी कठोर मां के रहम पर छोड़ कर कहीं चला जाता है। बेरोजगारी की मायूसी उसे गलत रास्ते पर ले जाती है और वह एक धनी व्यक्ति की मौज-मस्ती करने वाली बेटी का खिलौना बन जाता है। रूपा अपने ही घर में अछूत की जिंदगी जीती है और सास उसे बेटे से भी अलग कर देती है। फिर उसके एकमात्र शुभचिंतक ससुर पं० नित्यानंद की भी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद जब सास लकवे से अपाहिज हो जाती है तो वह सास और बेटे के पालन-पोषण के लिए जिंदगी की नई लड़ाई लड़ने लगती है। अमर और मुरली (जो बंबई के प्रवास के दौरान रूपा के मास्टर जी थे) उसे किसी बहाने एक भैंस ला कर देते हैं और उसके सहारे वह न सिर्फ घर चलाती है बल्कि गांव वालों की मदद करके उनका प्यार भी जीतती है। इस सारी जद्दोजहद में उसे टी.बी. हो जाती है और वह जीने की लालसा ही खो बैठती है किंतु मुरली उसका इलाज करा कर उसमें फिर जीने की चाह पैदा करता है और दोनों के बीच नया संबंध भी बनने लगता है। तभी दिवाकर थका-हारा और टूटा हुआ घर लौटता है। रूपा दिल पर पत्थर रख कर मुरली से क्षमा मांग कर दिवाकर को सहारा देती है। उधर अमर जाति-युद्ध की स्थिति में बीच-बचाव करते हुए दर्दनाक हालात में शहीद हो जाता है। रमा सारे सदमे को धैर्य के साथ झेल कर पति के अधूरे काम को पूरा करने के लिए महिला केन्द्रों और समाज-सेवा के काम जारी रखती है तथा विधायिका भी बनती है हांलाकि विरोधी पार्टी द्वारा उनके खिलाफ चरित्र-हनन का अभियान चलाया जाता है जिसे वह बड़ी हिम्मत के साथ सहन करती हैं।

इस खंड को पढ़ने के बाद लगता है कि लेखक की रूचि कहानी से अधिक स्थितियों के विश्लेषण में है। विचार-पक्ष कथा-पक्ष से अधिक सबल हो जाता है।

तीसरा खंड "स्वप्न-भंग" है। ऐसा लगता है उपन्यास के प्रथम नायक स्वप्नद्रष्टा अमर की मौत के साथ वे सारे सपने टूट जाते हैं जिन्हें ले कर आजादी के समय की नौजवान पीढ़ी चल रही थी। बड़ी तकीलीफों से मिली आजादी लूट-खसौट में बदल गई थी। नैतिक मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं रही थी और पत्रकारिता, व्यापार और अपराध-जगत सब गड्डमड्ड हो गए थे। सारी विचारधाराएं अधूरी सिद्ध हो रही थीं और सारे शब्द झूठे पड़ रहे थे। इस अवधि की एक विशेषता थी भारत की पश्चिम की उपभोक्ता संस्कृति के आगे हार और चंद धनी लोगों द्वारा बेहद गरीबी के सागर में एश-ओ-आराम का "मिनि स्वर्ग" बनाने की योजनाएं।

अमर की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रमा सामाजिक क्षेत्र के कामों में पूरी शक्ति से लग जाती है और सिलाई-बुनाई केन्द्रों, कुटीर उद्योगों का जाल बिछा कर हजारों महिलाओं को रोजगार और स्वाभिमान का जीवन देती हैं। मुरली पहले सफल पत्रकार बन कर "अमर संदेश" के माध्यम से सरकार को गिराने में भूमिका निभाता है और फिर नई सरकार में शामिल हो जाता है। रूपा सास की मृत्यु के बाद और पति-पुत्र को वापस पाने के बाद रमा के साथ लोक समितियों के काम में जुट जाती है और धीरे-धीरे प्रदेश की अत्यंत लोकप्रिय नेता बन जाती है। रमा मुरली को आतंकवाद के रास्ते पर जाने से रोकती है। सांतो से ब्याह करने के बाद वह बच्चे का बाप बनता है। सांतो सांसद बनने के बाद राजधानी की राजनीति की चकाचौंध में भटक जाती है और मूर्ति-तस्करी के स्कैंडल में नाहक फंस जाती है। मुरली मंत्रिपद छोड़ कर एक नये संघर्ष में जुट जाता है। रमा भी महिला मंडलों का काम स्वेच्छा से छोड़ अपनी बेटी किरन की पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगती है। यह पता चलने पर कि कैंसर ने उसके लिए छः-सात महीने ही छोड़े हैं वह बड़े शांत मन से मृत्यु का स्वागत करती है।

उपन्यास के कथ्य और चौखट का छोटा-सा परिचय देने के बाद में समझता हूं कि मेरा काम पूरा हो गया और इस पर और कुछ कहने की

जरूरत नहीं है। इसका मूल्यांकन करना (साहित्य के इतिहास में इसकी जगह तय करने के अर्थ में) समकालीन लेखक के लिए न तो मुमकिन है और न उसे उसकी कोशिश ही करनी चाहिए। फिर भी उपन्यास पढ़ने के बाद जो कुछ सवाल मेरे मन में उठे उनका जिक्र मुझे जरूर करना चाहिए।

मुझे याद नहीं आता कि मैंने लगभग सौ साल के पीरियड में फैला उपन्यास, गार्ल्सवर्दी के एक उपन्यास को छोड़ कर, पढ़ा है। वैसे कुछ उपन्यासों में इतिहास की कई सदियों को भी कवर किया गया है जैसे कुर्रतुल-एन हैदर के "आग के दरिया" में। लेकिन इस उपन्यास की कहानी यथार्थ नहीं, फेंटेसी है और जिसके पात्र हाड़-मांस के नहीं, कुछ विचारों के प्रतीक मात्र हैं। एक डर था कि लगभग चार दशकों की अवधि में लिखे गए इस उपन्यास में कथा कहीं टूट सकती है, पात्र अधूरे छूट सकते हैं या नाम-रूप बदल सकते हैं। लेकिन यह सब नहीं हुआ यह इस बात का प्रमाण है कि लेखक ने इसे कितनी तन्मयता से लिखा है।

इस उपन्यास में एक पात्र ऐसा है, दिवाकर, जो केवल मन की लड़ाई लड़ता है और यह दिखाता है कि भीतर की लड़ाई कम महत्वपूर्ण नहीं होती। शुद्ध शारीरिक आकर्षण ही ऐसा प्रेम बन सकता है जो जाति-भेद और रंग-भेद के खिलाफ़ विद्रोह करे। अपने मन की कमजोरियों से लड़ते-लड़ते दिवाकर अंत में इतना मजबूत विद्रोही बन जाता है कि संतान का मोह और समाज का उपहास भी उसे अपने निश्चय से नहीं डिगा सका।

—बलराज वर्मा,

○ एक सदी बांझ ○ मस्तराम कपूर ○ लेखक-मंच, दिल्ली
○ वितरकः किताब घर, अंसारी रोड़, दरिया गंज, नई दिल्ली-2
○ मूल्यः 160 /- रुपए

ऐतिहासिक काल खण्ड का रचनात्मक उपयोग

1739 में नादिरशाह के आक्रमण से लेकर 1765 में लाहौर पर सिक्खों का अधिकार होने तक के कालखंड को सर्जनात्मक कथा-शिल्प में ढाल कर चरितार्थ करने वाली प्रस्तुति कृति " बोले सो निहाल" सर्वथा समकालिक और प्रासंगिक है क्योंकि वह अपने स्वरूप में ऐतिहासिक होते हुए भी अपनी अंतर्वस्तु में वर्तमान पंजाब-संकट को प्रतिध्वनित कर देती है। श्री हंसराज "रहबर" उन कथाकारों में से हैं जिन्होंने सामाजिक जीवन-मूल्यों की शर्त पर कलात्मक मूल्यों को स्वीकार किया है। उनकी रचनाएं इस सिद्धांत की जीती-जागती मिसाल हैं कि कला कला के लिए नहीं, जीवन के लिए, बल्कि बेहतर सामाजिक जीवन के लिए समर्पित होती है। श्री रहबर भारतीय पाठकों में निर्भीक और बेबाक लेखन के एक प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं और अब तक वे हिंदी साहित्य को पचास से अधिक कृतियां दे चुके हैं।

प्रस्तुत ऐतिहासिक उपन्यास "बोले सो निहाल" सामान्य रूप से पंजाब के ऐतिहासिक कालखंड को और विशेष रूप से सिक्खों के अदम्य जीवन-संग्राम की महाकाव्यात्मक वीरगाथा को औपन्यासिक रूप से ढालने का एक अर्थपूर्ण प्रयोग है। "बोले सो निहाल" इस सोच का पुनः अहसास कराता है कि सिख-समुदाय एक बहादुर और जुझारू समुदाय है। सहज सद्भावना परस्पर प्रेम और शांति-परक सतत् संवाद द्वारा इस समुदाय के मन को जीता जा सकता है। सद्भाव के आधार पर ही उसके खोए विश्वास को लौटाया जा सकता है।

सरल, रोचक, सरस और विचारोत्तेजक शैली में "रहबर" ने सिक्खों द्वारा अपने अस्तित्व क लिए किए गए संघर्ष और बलिदान की अद्भूत कथा रची है। इस कथा-रचना के लिए लेखक ने काफी तैयारी की है तथा उसने सिखों के इतिहास का विशद और शोधपरक अध्ययन किया है।

उपन्यास का प्रमुख पात्र **जस्सा सिंह** कोई सांप्रदायिक नेता नहीं है, वह गरीबों का मसीहा है। दुखार्त कोई भी हो, हिंदू या मुसलमान अथवा सिख, जो कोई भी फरियाद लेकर पहुंचता है, उसकी फरियाद की सुनवाई होती है। जस्सा सिंह अपने प्राणों को संकट में डाल कर भी फरियादी की मदद करता है। वह मुसलमान और हिंदू औरतों को रिहा कराने के लिए संघर्ष करता है। बाइस सौ के करीब औरतें मुक्त करायी जाती हैं, उनमें ढाई सौ के करीब हिंदुस्तानी मुसलमान औरतें थीं। हिन्दू औरतों को भी मुक्त कराया जाता है।

एक हिन्दू लड़की **सावित्री** को यवनों से मुक्त कराने के बाद जब **भूपसिंह** (एक अन्य नौजवान सिख योद्धा) **सावित्री** को उसके पिता के घर ले जाता है। तो पिता उसे अपनी कन्या के रूप में अपनाने से गुरेज़ करता है **भूपसिंह सावित्री** के पिता को समझाता है, लेकिन पिता को कुल मर्यादा का सवाल ज्यादा अहम् लगता है। **सावित्री** पिता और अपने रक्षक **भूपसिंह** के संवाद को सुन रही है। एक सिख वीर युवक अपनी जान की बाजी लगा कर उसे यवनों के चंगुल से छुड़ा कर लाया है लेकिन ब्राह्मण-पिता बेटी को अपवित्र समझ कर उसे पहचानने और अपनाने से इंकार कर रहा है। **सावित्री** क्षुब्ध हो उठती है और पिता से कहती है —

"मतलब यह कि अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं रही?"
पिता कहता है — "हां नहीं रही। तुम जहां चाहो जा सकती हो।"

"तो मैं..... तुम्हारी कुल मर्यादा पर थूकती हूं — थू थू - थू।"

सावित्री ने तीन बार धरती पर थूका और सिख नौजवान भूपसिंह से कहा —

"चलो भैया —"मैं इस चंडाल का मुंह भी देखना नहीं चाहती।

उपन्यास में स्थान-स्थान पर ऐसे प्रसंग हैं जो इस वीर और दुर्दम्य समुदाय के राष्ट्रीय और मानवीय गुणों को उद्घाटित करते हैं।

उपन्यास के चरित्रों में पंजाबी सूफी कवि वारिसशाह का चरित्र विशेष रूप से आकर्षित करता है। वारिसशाह कहता है — "आज मैंने जो कुछ सीखा वह मकतब में नहीं सीख पाया। बुल्लेशाह ठीक कह गये हैं — "फड़ नुकता छड किताबां नूं" — मैंने नुकता पकड़ लिया है। मैं हीर की कहानी फिर से लिखूंगा। दरअसल वह इस सोच की कहानी

होगी जो उथल-पुथल की कोख से पैदा हुई है और उथल-पुथल की गोद में परवान चढ़ी है। यार लोग इस सोच के कारण ही मजलिसों में बैठकर इश्क का मजा लेंगे। मैं इस कहानी को नया रूप दूंगा। यह कहानी महज कहानी नहीं, इस उथल-पुथल से जन्म रहे नये पंजाब की भरी पूरी खूबसूरत तस्वीर होगी। (पृ० 96)

"बोले सो निहाल" में रहबर ने उसी सोच के अहसास को लेकर एक ऐतिहासिक कालखंड की कहानी को अभिनव रूप दिया है। उपन्यास देखने में ऐतिहासिक है लेकिन इसका चेहरा वर्तमान से मिलता-जुलता है। समकालीनता और वर्तमानता यहां नमूदार हो उठी हैं।

इस उपन्यास में यथार्थवादी साहित्य और कला का विकास देखने को मिलता है। 1739 से 1765 तक के संघर्ष की यह वीर-गाथा है। सिक्खों ने पहले मुगलों से लोहा लिया और फिर इरानियों और दुरानियों का मुकाबला किया। अपने अस्तित्व के लिए, अपनी जिजीविषा के लिए किये गये दुघर्ष-संघर्ष में उन्होंने जिस शौर्य और वीरता का परिचय दिया, जो बलिदान दिये, उसी का यहां कलात्मक चित्रण हैं। देश के एक महत्वपूर्ण समुदाय की सकारात्मक पहचान को यहां रेखांकित किया गया है।

— राज कुमार सैनी

*** बोले सो निहाल (उपन्यास) *लेखक हंसराज रहबर**
*** राजपाल एण्ड संस, कश्मीरी गेट दिल्ली।**

लोकोन्मुख कविताएं

"क्या चाहा था उसने
एक बीड़ी
और हद से हद
दो तीलियां।"

यह काव्यांश दिविक रमेश की एक कविता "मकान बनवाते समय" का है। प्रत्येक कवि का एक काव्य-व्यक्तित्व होता है। वह उसकी चेतना की अभिव्यक्ति ही नहीं पूरे सांस्कृतिक परिवेश की महक से सौन्दर्यनिष्ठ होता है। उसकी अवधाराणा, उसकी कमियां, उसके हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व तो करता ही है, टोटल में उसकी कला सजगता का भी प्रमाण होता है। यह व्यक्तित्व सदा स्थिर नहीं रहता, समय और टकराव के साथ-साथ बदलता रहता है।

दिविक रमेश का नया काव्य संग्रह "हल्दी, चावल और अन्य कविताएं" — की कविताओं को पढ़कर दिविक रमेश के काव्य-व्यक्तित्व से साक्षात्कार तो होता ही है, उनकी कला-सजगता में आ रहे बदलाव का भी स्पष्ट संकेत मिलता है। जिस संवेदना को उजागर करती रचनाएं "हल्दी, चावल और अन्य कविताओं" में मौजूद हैं, वैसी कविताएं समकालीन दूसरे कवियों के संग्रहों में भी मिल जाती हैं, परन्तु इसके बावजूद वह सहज कवि हैं और अपने आसपास की चीजों को तेज निगाहों से परखने वाले हैं तथा जीवन के उद्गम की ओर बार-बार संकेत करते हैं। उनमें अनुभूति की सघनता है और शिल्प की सहजता है। यथाः—

आ तो गये हो फुंकता हुआ घर देखते
पर तमाशा नहीं होता भाई
फुंकता हुआ घर
किसी का

उनकी एक कविता है — "जड़ से भी देखना होता है वृक्ष को"। कवि कहता है कि वृक्ष और पनपना समूचे सत्य तक पहुंचाता भी कहां है। वृक्ष को देखना होता है उसकी जड़ों से भी बल्कि समझना होता है" यह कविता मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना की ओर संकेत करती है।

'जड़ें कहां से क्या सोखती हैं। जड़े कहां से कैसे फैलती हैं। इन दो ही प्रश्नों के उत्तर से दो समानधर्मी वृक्षों को/दो अलग-अलग कतारों में खड़ा कर सकते हैं। एक को उखाड़ फेंकते हुए दूसरे को पूरे गर्व से सींच सकते हैं।'

दिविक रमेश की भावभूमि सीमित नहीं है। उसमें व्यापकता है। काव्योचित विस्तार है। कविता को वर्तमान परिस्थितियों में बहुत लोगों को छूना भी चाहिए। समय जटिल है। बहुत से भ्रम सत्य का आभास देते हैं। दहशत भी है। ऐसे में जहां बहुत रोशनी खींचकर लानी है और यकीन से देखना है उसे जो रोशनी पहुंचाने में लगा है। "कहां है पहलगांम" कविता कश्मीर और "दहशत" कविता पाश के बहाने पंजाब के संताप को खोजती है।

उनकी अनेक कविताओं में प्रांतीय भाषा के शब्दों का उपयोग हुआ है। परन्तु ऐसे प्रयोग काव्य को खंडित नहीं करते, न ही सम्प्रेषण में विषमता अथवा कठिनाई का एहसास करवाते हैं। कहीं जाकर कवि की अलग छवि भी बनाते हैं।

आलोचक कई दफे शिकायत करते हैं कि आजकल कविता में ईमानदार अभिव्यक्ति मुश्किल से मिलती है। कदाचित उन्हें भावों के ग्रहण करने और भाविक रूपान्तरण में एक फासला नजर आता है, परन्तु काव्य की एकनिष्ठता और दीर्घ अनुभव से इस फासले को काफी हद तक मिटाया जा सकता है। दिविक अपने अनुभव के बल पर सामान्य से उपकरणों से अर्थ-विस्तार देते हैं —

तवा नाराज था
बड़बड़ा रहा था खुद-ब-खुद
करनी होगी पड़ताल
यह भी कोई जिन्दगी हुई
किसी भी दिन तो उतार नहीं पाया हूं
कुनबा भर रोटियां।

कविता में भाषा वाचक के रूप आती है और व्यंजना के स्वरों को झंकृत कर जाती है। रचनात्मकता माननीय आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करती है।

"हल्दी चावल और अन्य कविताओं" में जिस बदलाव की ओर संकेत किया गया है। वह है कवि का लोकोन्मुख होते चले जाना। दृश्य, रंगत के पास और पूर्व पीठिका के तौर पर कवि अब स्थानीय

रंगत के पास आ रहा है। आशा की जा सकती है कि काव्य का यह बदलाव दिविक रमेश की आने वाली कविताओं की शक्ति बन पर उभरेगा।

—डॉ॰ तरसेम गुजराल

0हल्दी चावल और अन्य कविताएं 0 दिविक रमेश 0 पराग प्रकाशन, विश्वास मार्ग, दिल्ली-110032 0मूल्यः साठ रुपये।

चौराहे—संवेदनाओं का आत्ममंथन

समाज और शासन व्यवस्था की जैसी कल्पना की गई थी, वह आरम्भ के वर्षों में ही ढहती नजर आने लगी थी। तथाकथित विकास और आधुनिकीकरण ने मूल्यों, नैतिकताओं और व्यक्ति को महत्व देने वाली प्रवृत्तियों को ही हास्य-व्यंग्य की चीज बना दिया। जो संवेदनाओं का गला घोंट सके, वे 'समय' के सात तालमेल बैठाकर 'सफल' हो गए। जिनके भीतर संवेदनायें बची रही, संकट उनके लिए हो गया।

प्रेमपाल शर्मा का उपन्यास 'चौराहे' इस बची हुई संवदेना वाले व्यक्ति का आत्ममंथन ही है। सुखद यह है कि इस आत्ममंथन में उसका विश्वास टूटता नहीं, और पुख्ता होता जाता है। यों उपन्यास में कोई लम्बा कथानक नहीं है। अपनी कहानियों की तरह यहां भी प्रेमपाल स्थितियों व प्रवृत्तियों को सहज ही कथानक में परिवर्तित करते जाते हैं। उपन्यास आजादी के बाद की सांस्कृतिक व मूल्यगत पतनशीलता पर तीर की नजर रखे हुए है। अभय प्रकाश प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है। ट्रेनिंग के बाद छुट्टी लेकर अधूरे छूटे शोध को पूरा करने में लगा है। शोध वह किसी उद्देश्य को लेकर नहीं, बस एक अधूरे काम को पूरा करना है सो कर रहा है। विश्वविद्यालय में उसका परिचय छवि घोषाल से हो जाता है। छवि घोषाल उसे कई स्तरों पर झकझोरती है। यहां छवि घोषाल एक प्रतीक के रूप में अधिक है। आधुनिकता के उस प्रतीक के रुप में जो वर्ग-विशेष के तमाम आकर्षणों को तो संजोए हुए है, पर मूल्यों और संवेदनाओं को भी अपने भीतर सुरक्षित रखे हुए हैं। अभय प्रकाश का उसके प्रति आत्मीय भाव चलायमान शब्दों वाला प्रेम नहीं है। बल्कि उसकी तलाश का एक पड़ाव बिन्दु भी है। व्यक्ति के भीतर वह जिन आस्थाओं को बनाए रखना चाहता है, छवि घोषाल के भीतर उसे वे पहले से ही मौजूद दिखाई देती हैं।

असल में अभय प्रकाश मौजूदा व्यवस्था से किसी भी प्रकार संतुष्ट नहीं है। बेहतरी की कामना उसके भीतर कुलबुलाती रहती है। प्रशासनिक सेवा के अपने मिथों से भी वह यही अपेक्षा करता है। उनको लम्बे-लम्बे पत्र लिखता है। उनसे लम्बी-लम्बी बहसें करता है। उम्मीद करता है वे जहां हैं, वहीं सुधार में जुट जायें। व्यवस्था को बदलने की कोई क्रांतिकारिता उसके भीतर जोर नहीं मार रही। पर अपने-अपने काम में सभी निष्ठावान रहें, यह वह जरुर चाहता है। उसकी यह चाह कोरा आदर्श नहीं है, उसका व्यावहारिक पक्ष भी उसके पास है। दक्षिण में कार्यरत अपने एक मित्र को वह लिख रहा है—जब सारी उम्र वहीं रहना है तो उसे क्षेत्रीय भाषा लेनी चाहिए ताकि वह स्थानीय लोगों व उनकी समस्याओं को उनकी भाषा, सांस्कृतिक व भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में समझ सके। मित्र उससे सहमत भी हैं और हल्के-हल्के ठंग से उसकी 'आदर्शवादिता' का उपहास भी कर रहे हैं। उनके पास भी तर्क हैं। 'आउट आॅफ द वे' जाकर कुछ करने का उत्साह उनमें भी हैं। पर फील्ड की 'व्यवहारिक' परेशानियों से भी वे परिचित हैं। सत्ता और जनता के संबंध व सत्ता तथा व्यवस्था बदलने वालों के बीच के रिश्ते की जितनी जानकारी उनको है, उतनी और किसको हो सकती है। इस 'नाजुक' रिश्ते में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए इसका व्यवहारिक ज्ञान ही उनकी कार्य कुशलता की सीमारेखा भी है। व जानते हैं—सत्ता 'आडर आॅफ द वे' जाने की छूट देती भी है और नहीं भी देती। देखना यह है कि इसमें सत्ता का कितना हित है। यही उनके लिए साधनों और सुविधाओं को कब्जाने का हक भी तय करता है।

अभय प्रकाश के भीतर का अफसर इस दोहरी सोच से तालमेल नहीं बैठा पा रहा। दोहरा व्यक्तित्व उसकी संवेदनाओं को भी झकझोरता है और सोच को भी। उपन्यास का असल थीम यही है। अभय प्रकाश का असंतोष मौजूदा कार्यप्रणाली से है। अधिकार संपन्न वर्ग की उस मानसिकता से है जिसके तहत उसका सारा प्रयास अपने को और अपनी सुविधाओं को बचाए रखने का है। जनता और लोकहित दूसरे नम्बर पर हैं। अभय प्रकाश शोध कर रहा हो या नौकरी। उसे अपने कार्य का औचित्य समझ नहीं आ रहा। समाज और देश के लिए उसका क्या उपयोग रहा, यह सवाल उसे चौराहे पर ला देता है।

लोकतंत्र में व्यक्तियों के तीन हिस्सों—शासक, प्रशासक और जनता में बंट जाने की जो प्रक्रिया शुरु हुई वह थमने की बजाय और अधिक विभाजन कर गई। जनता को भी इतने वर्गों में बांट दिया गया कि नीचे की श्रेणी में आने वालों को आदमी ही नहीं माना गया। अपने एक संबंधी सुशील की मौत पर अभय प्रकाश दुःखी है। उसे अफसोस है। अगर सुशील को समय पर रोजगार मिल गया होता तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं हुई होती। अभय प्रकाश उसकी मौत के लिए अपने को जिम्मेदार मान रहा है—'तुम्हें गोर्बाचोफ के पैरैस्त्रोइका से उम्मीद है! तुम रंगभेद के खिलाफ कांफ्रेस में अफ्रीका जाना चाहते हो! कि तुम साहित्य और कला का समाज-सापेक्ष मूल्य-तलाश रह हो! लेकिन उससे पहले काश! तुम इन हाथों को काम देने के बारे में सोचते जो हताशा में अपना ही गला भींच रहे हैं।' यहां अभय प्रकाश एक व्यक्ति नहीं, प्रशासन का प्रतिनिधि है। इन आत्महत्याओं को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है—शासन और प्रशासन की। फिर ऐसे प्रबन्ध क्यों नहीं किए जाते कि जो सबसे ज्यादा जरुरतमंद है, उसे पहले रोजगार दिया जाये। असंतोष पैदा करना और उसे बनाए रखकर खास समय में उसके इस्तेमाल के राजनैतिक खेल में जब प्रशासन भी शामिल हो जाता है, तब अभय प्रकाशों की तकलीफ बढ़ जाती है। अपने मित्रों से उसका आग्रह इस परंपरा को तोड़ने का है।

व्यक्तित्व के इस दोहरेपन को अभय प्रकाश हर स्तर पर देख रहा है। वह साहित्यिक रुचि का आदमी है। पर साहित्य की दुनिया से भी निराश है। एक तरफ तो मूल्यों और आदर्शों की बड़ी-बड़ी बातें हो रही है। दूसरी तरफ छोटे-छोटे पुरस्कारों और पदों को पाने के लिए जोड़-तोड़ हो रही है। यानी जिस वर्ग से नैतिकता की सबसे ज्यादा उम्मीद की जाती है, वही छद्म ओढ़े हुए है। असल में यह छद्म व्यवस्था-जनित है। परिणाम यह कि हमेशा एक भ्रामक स्थिति बनी रही। इसने ऐसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बनाई कि व्यक्तिगत संपन्नता के बाद ही सामाजिकता की बात की जानी चाहिए। इस भ्रामकता से कोई अछूता नहीं रह सका न शहर न गांव। अभय प्रकाश देख रहा है—गांव में भी इधर जो परिवर्तन हुए हैं उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति के विश्वास की हत्या की है। स्कूल पंचायत व अन्य सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करने और विरोध का बन्दूक से मुकाबला

करने का साहस और मनोवृति अचानक नहीं आई। नई पीढ़ी नैतिकताओं का मजाक़ उड़ाकर पैसा बटोरने के धंधों का समर्थन कुछ देख-सुन और सीख कर ही कर रही है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अभय प्रकाश के लिए यह प्रश्न बड़ा है। इसी प्रश्न को लेकर अभय प्रकाश अपने वर्ग के चरित्र को विश्लेषित कर रहा है।

इन स्थितियों से लड़ने के लिए अपने को तैयार कर रहा अभय प्रकाश भी व्यक्तिगत जीवन में इस दोहरेपन से बच नहीं पाया है। शायद मौजूदा व्यवस्था की यह सफलता है कि अभय प्रकाश जैसे भी इस विडम्बना के शिकार हो गए। छवि घोषाल जहां प्रतीक के रूप में आई, अभय प्रकाश को मजबूत कर गई। जहां अभय प्रकाश का निज उभरा, वहां पत्नी उपेक्षित हो गई। छवि घोषाल उसकी आन्तरिक जरुरत बन गई। इसमें उसके व्यक्तित्व की ईमानदारी भी संदिग्ध हो गई। अपने को छवि घोषाल के और नजदीक लाने की अपनी विवशता का जामा पहनाने के तर्कों में वह भीतर से पत्नी से और दूर होता चला गया। जो कुछ छवि घोषाल में अच्छा लगा, उसे पत्नी में भी ढूंढ़ने लगा। वह भूल गया कि अलग-अलग परिवेशों और संस्कारों से आए लोगों का एक ही अचारण नहीं हो सकता।

यहां भी कारण परोक्ष में उसी 'आधुनिकता' को पकड़ने की विडम्बना है जो संवदेनाओं का संहार कर रही है। हालांकि छवि घोषाल उस अर्थ में आधुनिक नहीं है, पर जब दोनों की तुलना का सवाल आता है तो अभय प्रकाश छवि घोषाल के प्रतीक रूप से ज्यादा व्यक्ति रूप को महत्व देने लगता है। छवि घोषाल आधुनिक और आकर्षक है—वह सुन्दर है, सुशिक्षित है, संभ्रांत परिवार से संबंधित है। इसके विपरीत पत्नी परंपरागत मध्यवर्गीय नारी है। तमाम पारिवारिक, सामाजिक प्रतिबंधों और मर्यादाओं के बोझ तले दबी है। उसके संस्कार और परिवेश उसे छवि घोषाल की सीमा तक 'आधुनिक' नहीं होने दे रहे।

छवि घोषाल और पत्नी के बीच अभय प्रकाश का यह मानासिक द्वंद्व पूरे मध्यवर्ग का द्वंद्व है। वह न अपने विगत से मुक्त हो पाता है, न 'एलिट क्लास' की तरह का आधुनिक बन पाता है जबकि मंजिल उसकी 'एलिट क्लास' को छूने की ही होती है। यह द्वंद्व मूल्यों और नैतिकताओं का द्वंद्व भी है। एक वर्ग के लिए जो नैतिकताएं है, दूसरे के लिए वह पिछड़ापन है। संभवतः अभय प्रकाश के भीतर का द्वंद्व इस रवाई के कारण भी है।

—क्षितिज शर्मा

○ चौराहे ○ प्रेमपाल शर्मा ○ साहित्य सहकार ○ ई-10/4 कृष्णानगर, दिल्ली-110051 ○ मूल्यः 50 रुपए, ○ पृष्ठः 198

बंगला में रचित मूल का हिन्दी रूपांतर

किसी भी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि अन्य समृद्ध भाषाओं में लिखित श्रेष्ठ रचनाओं का भी उसमें अनुवाद हो। हिन्दी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए कई विद्वान एवं हिन्दी प्रेमी इस क्षेत्र में लगे हैं। मूलतः बंगला में लिखित श्री गणेश शंकर शुल्क द्वारा हिन्दी में अनूदित "पिंजरा" उपन्यास उन्हीं अनथक प्रयासों में एक कड़ी है।

उपन्यास देश के विभाजन के उपरान्त पूर्वी बंगाल से विस्थापित तथा पश्चिमी बंगाल में बसे एक बंगाली परिवार की भूख, बीमारी व अभावों से संघर्ष करते परिवार की कहानी है। परिवार का लड़का नवेन्दु शिक्षित है, रोजगार चाहता है और रोजगार न मिलने पर परिवार की भुखमरी से बचने के लिए बैंगन तोड़ते हुए पुलिस की गोली का शिकार हो जाता है।

लेखक ने उपन्यास के माध्यम से सम्मान का जीवन बिताने के लिए प्रयत्नशील उन युवकों की ओर जो अपने परिवार में भूख, बीमारी न देख पाने के कारण समाज-विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, समाज का ध्यान खींचा है तथा अभावों में जी रहे मगर अतिथि को देवता मानकर चलने वाले परिवार के माध्यम से बंगला समाज के जीवन-यापन के दैनिक परिहारों का सजीव चित्रण किया है।

कथानक में प्रवाह है तथा भाषा मार्जित है। कहीं भी ऐसा एहसास नहीं होता कि उपन्यास मूलतः किसी दूसरी भाषा में लिखा गया है।

—सतीश कुमार गुप्ता

○ पिंजरा ○ लेखकः प्रफुल्ल राय
○ हिन्दी रूपांतरः गणेश शंकर शुक्ल ○ प्रकाशकः न्यू बंगाल प्रेस (प्रा॰) लि॰
68-कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता-700 077
○ पृ॰-231 ○ मूल्यः 70.00 रुपये

जीवन-मूल्यों में गिरावट से असंतोष

श्री हंसराज रहबर हिन्दी जगत के लोकप्रिय लेखक हैं। वे एक लम्बे अर्से से साहित्य सृजन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनके अब तक 14 उपन्यास, 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

श्री "रहबर" उन यथार्थवादी लेखकों में से हैं जिन्होंने आजादी के लिए संघर्षरत भारत को देखा है तथा स्वतंत्र भारत के बारे में उन दिनों भारतीयों के सुनहले स्वप्न भी उन्हें भली-भांति याद हैं। वे आजादी के बाद हमारे समाज में चली आ रही कुरीतियों के आलोचक हैं और सामाजिक जीवन मूल्यों में आती गिरावट से खिन्न हैं।

"पथ-कुपथ" में संकलित उनकी 15 कहानियां आजादी के दिनों में जनवादी भाव से देश की सेवा में लगे लोगों व स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश के जन-जीवन में गिरते नैतिक मूल्यों की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। लेखक के जीवन में कुछ आदर्श हैं। उन आदर्शों का जहां-कहीं भी हनन होता है, वह उससे समझौता करना नहीं चाहता। यही बात "बलजीत कौर" की बलजीत "पथ-कुपथ" की माया व "घर और रोमान की" जसबीर कौर के माध्यम से उभर कर सामने आई है। श्री "रहबर" का यह मानना है कि" यह पाने और न सह पाने का संबंध पढ़ाई से इतना नहीं जितना संस्कार से है (कहानी पड़ाव)। "जिस राष्ट्र का विचार बौना हो जाए, वह राष्ट्र बौना हो जाता है, (हो भी और नहीं भी)।

कहानी "मेरा नाम ब्रह्मदत्त है" में छुआछूत को दूर करने के लिए प्रेम और सेवाभाव का मार्ग बताया है; संभवतः वही एक स्थाई हल भी हो सकता है। वे इस समस्या के समाजिक समाधान की ओर इशारा करते हैं।

"नई कहानी" में" मैं, मेरा युग, उसका ज्ञान उसकी कहानी पुरानी हो गई है।" "अब इस देश में पुराना युग मिट रहा है और नया युग जन्म ले रहा

है। मुझमें नए युग को समझने की सामर्थ्य नहीं है" के माध्यम से संभवतः लेखक आज के वातावरण से संतुष्ट नहीं है; अपने उसी असंतोष को लेखक ने उक्त शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। अधिकांश कहानियां रोचक हैं। कला पक्ष, भाव पक्ष, भाषा-शिल्प की दृष्टि से ये कहनियां प्रेमचंद की आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परम्परा को अपने ढंग से आगे बढ़ाती है।

—सतीश कुमार गुप्ता

○चर्चित कृतिः पथ-कुपथ (कहानी संग्रह)

○ लेखकः हंसराज रहबर ○प्रकाशकः साक्षी प्रकाशन, एस-16, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 ○ मूल्यः 60.00 रुपये पृ. 164

वह दिन कब आयेगा

"कविता वह भारतीय नारी है जिसे ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं और ग़ज़ल वहां की नियमित सदस्या है।"

सविता चड्ढा की प्रस्तुत कृति "वह दिन कब आयेगा" 96 कविताओं का संग्रह है। भारत में नारी की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कवयित्री कहती है कि "वह इन्सान नहीं एक कठपुतली है। आज़ाद भारत की औरत आज भी कांटों पर खड़ी है।" "अखिरकार मर्यादा, इज्जत, कर्त्तव्य, धैर्य, सहनशीलता, केवल औरत के हिस्से में ही क्यूं? एक भविष्य संबंधी जिज्ञासा की आशा लिए हुए पूछती है कि "वह दिन कब आएगा"।

यह मानते हुए भी कि "औरत ने औरत के साथ जमकर दुश्मनी निभाई है, तो भी क्या पुरुषों ने इस वृत्ति को नकारने में सक्रिय या वैचारिक भागीदारी निभाई है? ये कविताएं स्त्री-पुरुष संबंधी सामाजिक और पारिवारिक व्यवहार से संबंधित हैं तथा नारी के ऊपर पुरुष के वर्चस्व का निषेध करती हुई नारी की अस्मिता और स्वाभिमान को रेखांकित करती है।

अधिकांश कविताएं विविध काव्य रूपों को अपनाती हैं जैसे कि इस संकलन में गज़लें, मुक्तक, छंदोबद्ध कविताएं तो हैं ही, छंद मुक्त कविताएं भी हैं। भाषा सरल तथा सहज एवं संवेद्य है।

विविधता लिए हुए ये कविताएं मन को छूती हैं तथा कुछ न कुछ संदेश देती हुई नाना नई-पुरानी स्मृतियों को उकेरती हुई कुछ प्रश्नों पर सोचने के लिए विवश करती हैं।

सविता जी कहानीकार के रूप में तो चर्चित हैं ही, काव्य जगत में भी अपने इस दूसरे संग्रह द्वारा एक कवयित्री के रूप में एक पहचान बनाती है, इसमें सन्देह नहीं।

—शान्ति कुमार स्याल,

लेखिकाः सविता चड्ढा
प्रकाशकः तक्षशिला प्रकाशन, 23/4762, अंसारी रोड़,
दरिया गंज, नई दिल्ली 110 002
मूल्यः रुपये 75.00

साक्षी (कविता संग्रह)

वास्तव में कविता जिन्दगी का दूसरा नाम है। यह मनुष्य का सहज स्वाभाव है कि वह जो कुछ देखता है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यह सौभाग्य कम ही व्यक्तियों को मिलता है कि वे अपनी प्रतिक्रिया को प्रतीकों और बिम्बों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकें।

सन्तोष खन्ना की प्रस्तुत कृति "साक्षी" 120 कविताओं का संग्रह है। इन कविताओं में लेखिका ने अपने विचारों को और अपने चिन्तन को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है जो देश, समाज, मनुष्यता के चित्रण दर्शाती हुई कहती हैं "अचानक कहीं खेलने लगते हैं राम और रहीम, नफरत के उत्सव पर खून की होली, सीता की मांग होती सूनी, भरती आंसुओं से फातिमा की सोली"। "इन्सान की फितरत है खाता है जिस थाली में, करता है उसी में छेद," नेताओं पर कटाक्ष करती है अच्छी से अच्छी योजना का, करना हो अगर कबाड़ा, दे दो नेता के हाथ।"

मजदूरों के प्रति सहानुभूति सम्प्रेषित करते हुए कवयित्री कहती हैं—"खशहाली के खेतों में हमीं हैं हल चलाते, निर्माण और विकास में हमीं कंधा लगाते, नींव के पत्थर मगर झोपड़े नहीं कभी हमारे होते, जीवन के नाम पर हम मौत जीते हैं।"

समाज की बुराइयों पर चोट करते हुए कहती हैं "घुल रहा कब से नानक चंद, बेटी व्याह की चिन्ता में, नहीं आया कोई राम चाहने उसकी भोली-भाली सीता को।" गांधी और गौतम की यह धरती अब कदापि नहीं लगती।" "शिशु के समक्ष बड़ा भी हो जाता है बच्चा, वह कहे तो राजा भी हाथी या घोड़ा बन जाता है, कितने भी ऊंचे हो चांद और तारे पर उतार लाता है।" "कहती ममी डाक्टर बनना, दुःखी-जनों की सेवा करना। कवयित्री अपने बचपन की यादों को ताजा करती है "कैसे रहूं ममी मैं क्रेच में, वहां नहीं तुम होती, नहीं सुहाती दूध की बोतल न विस्कुट न टाफी।"

अपनी कविता के बारे में कवयित्री कहती हैं "कविता मेरी सखी सहेली, कविता मेरी बहिना, जीवन के दुःख दर्द सदा कविता से ही कहना"। "कविता और दर्द का नाता, युग-युग से पुराना है।"

ये कविताएं सावन में टप-टप करती हुई वर्षा-बूंदों की भांति बिखरने लगती हैं, एक से एक नई कल्पना, एक से एक अछूता विचार, हृदय स्पर्शी भावनाएं, उड़ान भरती उपमाएं और अमिट छाप छोड़ जाने वाली विचार-धारा को प्रस्तुत करना लेखिका का उद्देश्य रहा है जो हिन्दी साहित्य जगत में एक और सुगन्धित पुष्प के खिलने जैसी सूचना देता है।

तथापि, सन्तोष खन्ना की अधिकांश कविताएं सपाट बयानी के अन्दाज में लिखी गई हैं। सांकेतिक की बजाय यहां इतिवृतात्मक विवरण पद्धति अपनाई गई है।

—शान्ति कुमार स्याल

° लेखिकाः सन्तोष खन्ना
° प्रकाशकः भारत ज्योति प्रकाशन, बी०एच-48 (पूर्वी)
शालीमार बाग, दिल्ली-110052 °मूल्यः 60.00 रुपये

वितृष्णा

यह उपन्यास आज की झूठी परम्पराओं, मान्यताओं व स्वार्थ परता को झकझोरता है।

कथानक व शैली अच्छे बन पड़े हैं। एक बार शुरू करने पर उपन्यास समाप्त करके ही संतोष होता है। सुरुचि लगातार बनी रहती है। कथा-निर्वाह कौशल-पूर्ण है।

सुलभा का चरित्र-निर्माण बहुत ही सुन्दर है। भाइयों ने पति से अलग कराया निजी स्वार्थवश। बाद में राजनीतिक स्वार्थवश उसके पुत्र को मुअत्तल कराया। सौत जो इर्ष्यावश बात नहीं करना चाहती वही अपने लड़के का भार उस पर दे डालती है। सुलभा सबको कुछ न कुछ देती है। अदम्य साहस है उसमें, धीरज भी। कटुता का घूंट लगातार पीते हुए भी अपने त्याग से दूसरों को प्रसन्न रखती है।

लगता है उसके दुःख को उसकी औलाद समझती है। वह विद्रोह कर बैठता है और बदला लेता है पर अन्त में उसका भी अन्त होता है।

कितनी वितृष्णा है सुलभा के मन में समाज के प्रति, राजनीति के दावपेंच के प्रति व अपने कहलाने वाले भाई आदि के प्रति। अन्त में बाला शर्मा के ये शब्द "प्रभो दया करो मेरे देश, मेरे प्रान्त, मेरे नगर, मेरी जातियों पर। जगा दो मनुष्यता कि हम मानव है" उचित ही जान पड़ते हैं।

—राम निवास तिवारी,
663, सै० 28 नोएडा-201301

○ लेखकः श्रीमती बाला शर्मा ○ प्रकाशकः वातायन प्रकाशन, 73 बनारसी दास स्ट्रीट, लखनऊ रोड, दिल्ली ○ मूल्यः 48 रुपये

डूबते उतराते (कहानी संग्रह)

"डूबते उतराते" कहानी संग्रह में लेखिका की 29 कहानियां संकलित की गई हैं। इन कहानियों में सामान्य व्यक्ति के संघर्ष, गिरते नैतिक मूल्य, बुद्धि-जीवी वर्ग के जीवन में अर्थाभाव तथा मानवीय मनोविचारों का मनोवैज्ञानिक का चित्रण है। भाषा परिमार्जित है एवं कहानियां निश्चय ही रोचक हैं। संकलन आकार में भले ही छोटा है, मगर इसी प्रकार की कहानियां हिंदी साहित्य मे अपनी पहचान बनाएंगी, ऐसी संभावना है। निसंदेह ये कहानियां रोचक, पठनीय और सहज संबेध हैं।

—सतीश कुमार गुप्ता

○ लेखिकाः सुधा
○ प्रकाशकः संस्कृति संदर्भ, बुद्ध मार्ग, पटना-800001
○ पृष्ठ-112
○ मूल्यः 45.00 रुपये

मानचित्र पढ़ना

पृष्ठ 37 का शेषांश

(x) धाराएं, नदियों नहरों एवं नालियों के प्रवासों की दिशा को मानचित्र में तीर के निशान द्वारा दर्शाया जाता है।

(xi) वनस्पति व पेड़-पौधे को उनकी गहनता के आधार पर चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है।

(xii) जिन नदियों/धाराओं पर पुल नहीं है वहां पर इनको पार करने के लिये यातायात साधनों को विवरण सहित दर्शाया जाता है। जैसे कि पैदल (अक्तूबर से जुलाई) या नौका (फेरी) द्वारा (जुलाई से सितम्बर) तक आदि।

(xiii) वनों का वर्गीकरण जैसे आरक्षित या संरक्षित वनों के विवरण भी संबंधित क्षेत्रों में दर्शाया जाता है।

(xiv) जनापद से संबंधित परम आवश्यक/महत्वपूर्ण स्थलों का ब्यौरा, सेना-स्थापना, संस्थान विवरण, हवाई क्षेत्र, दूरभाष-केन्द्र, विद्युत सब-स्टेशन आदि सूचनाएं कभी भी जनता के लिये जारी मानचित्रों पर नहीं दर्शाये जाते।

(xv) पूजा-स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, ईदगाह, गिरजाघर आदि आसानी से पहचाने जाने वाले चिन्ह से दर्शाये जाते हैं।

(xvi) पर्वतीय-क्षेत्र, भू-/खलन क्षेत्र, ग्लेशियर, हिमाद, हिम बिदर आदि चिन्ह द्वारा विवरण सहित दिखाया जाता है।

(xvii) झरना, गर्मपानी का झरना, जलप्रपात, हिम रेखा, हिम पुल, रास्ता क्रास (Pass) आदि को विवरण सहित नामांकित किया जाता है।

(xviii) मानचित्र में विभिन्न नदियों, व धाराओं की चौड़ाई भी ज्ञात की जा सकती है। पुलों के निरीक्षण/निर्माण के लिये संकीर्ण स्थल व बांध बनाने की स्थिति का आसानी से अवलोकन किया जा सकता है।

(xix) ऊंची घास वाले क्षेत्रों को मानचित्र में विशेष विवरण के साथ दर्शाया जाता है। इसी प्रकार दलदल भूमि को भी विवरण सहित दर्शाया जाता है।

(xx) रेलवे लाइन का झुकाव, सड़कें, रास्ते व नदियों/धाराओं के उतार-चढ़ाव को समोच्च रेखाओं के कटान द्वारा आसानी से देखा जा सकता है।

(xxi) उच्च व निम्न तल वाली पानी की सतह दर्शाये मानचित्र से समुद्री तट के निकट ज्वार-भाटा रेखा का अनुमान लगाने में बहुत आसानी होती है।

अतः यह कहा जा सकता है कि मानचित्र विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। व्यक्ति के लिए मानचित्र का ज्ञान/अध्ययन अति आवश्यक व महत्वपूर्ण है ताकि व अपने इतिहास या राष्ट्र के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके।

वास्तव में मानचित्र का अध्ययन स्कूलों/कालेजों में हाई स्कूल की कक्षाओं से एक विषय के रूप में पढ़ाया जा सकता है।

किसी-किसी राज्य में अब यह एक विषय के रूप में अपनाया जा रहा है। □

केंद्रीय हिंदी समिति की 23वीं बैठक

केंद्रीय हिंदी समिति की 23वीं बैठक प्रधानमंत्री माननीय श्री नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में दिनांक 24 जुलाई, 1993 को आयोजित हुई। गृहमंत्री श्री एस०बी० चव्हाण ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए, "हिंदी को सरल और आसान" बनाने का अनुरोध किया, ताकि सभी लोग उसे समझ सकें। उन्होंने "त्रिभाषा सूत्र" को कारगर ढंग से लागू करने पर भी ज़ोर दिया।

समिति की 22वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा हुई तथा निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

1. पूर्वांचल समेत भारत के सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा अनिवार्य करने एवं त्रिभाषा सूत्र और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के संदर्भ में समिति को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए गठित "राममूर्ति कमेटी" ने त्रिभाषा सूत्र को यथावत लागू करने के लिए सिफारिश की है।

2. हिंदी के प्रचार-प्रसार से संबंधित संस्थाओं को रख-रखाव के लिए अनुदान दिए जाने के संदर्भ में समिति को सूचित किया गया कि स्वैच्छिक संस्थाओं को हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं विकास के लिए 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जा रही है।

3. अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में भी रामलाल पारिख ने कहा कि यह वर्धा में स्थापित होना चाहिए। यह मामला 20 साल से चल रहा है। इसका जल्दी ही कोई निर्णय होना चाहिए। एक अन्य सदस्य श्री पांडुरंग राव ने कहा कि सन् 1975 में वर्धा में इसका शिलान्यास किया गया था तथा संत विनोबा भावे ने भी कहा था कि वर्धा में विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए।

समिति को सूचित किया गया कि इस संदर्भ में डा० शिवमंगल सिंह सुमन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 1 मई, 1993 को प्रस्तुत कर दी, है जोकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विचाराधीन है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उपमंत्री कुमारी शैलजा ने बताया कि सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

4. द्विभाषिक इलैक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर के उत्पादन में शीघ्रता लाने तथा सभी टैलेक्स आदि को द्विभाषिक कराने के संदर्भ में समिति को सूचित किया गया कि इन उपकरणों का मुख्य निर्माता "हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड, मद्रास" है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 16,000 उपकरणों की है। इस संदर्भ में श्रीमती वीणा वर्मा, सांसद ने कहा कि संसदीय राजभाषा समिति जिन कार्यालयों का निरीक्षण करने जाती है, वहां पता चलता है कि द्विभाषिक टेलीप्रिंटर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस पर संचार राज्य मंत्री श्री सुखराम ने बताया कि अब उक्त उपक्रम, मांग के अनुसार द्विभाषिक टेलीप्रिंटरों का उत्पादन कर रहा है, इसलिए इन उपकरणों की उपलब्धि में अब कोई कठिनाई नहीं है।

5. सभी मंत्रालयों / विभागों में हिंदी के पदों को भरे जाने के संदर्भ श्रीमती वीणा वर्मा, सांसद ने कहा कि पदों के सृजन के बहुत से मामले वित्त मंत्रालय में अटके हुए हैं। वित्त मंत्रालय उदार दृष्टिकोण अपना कर उन्हें शीघ्र स्वीकृत करे। इस पर गृहमंत्री श्री शंकर राव चव्हाण ने बताया कि अब संबंधित विभाग के सचिव, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर राजभाषा द्वारा पारित मानदण्ड के अनुसार हिंदी के पदों को स्वीकृत कर सकते हैं।

6. मैडीकल और इंजीनियरी विषयों पर हिंदी में पुस्तकें शीघ्र तैयार करने और इन विषयों में हिंदी भाषी राज्यों में उच्च शिक्षा के लिए हिंदी का विकल्प दिए जाने के बारे में समिति को सूचित किया गया कि डा० मुकुलचन्द्र पाण्डेय की अध्यक्षता में गठित "चिकित्सा शिक्षा माध्यम समिति" ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जोकि सरकार के विचाराधीन है। कुछ राज्य सरकारों ने डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी शिक्षा, हिन्दी माध्यम से प्रारम्भ कर दी है। डिग्री स्तर पर इंजीनियरी, आयुर्विज्ञान और कृषि विषयों में शिक्षा, हिन्दी माध्यम से करने के संदर्भ में प्रमुख समस्या पुस्तकों की है, जिसके लिए हिन्दी भाषी राज्यों में स्थापित हिन्दी ग्रंथ अकादमी / हिंदी विश्वविद्यालय के सेलों ने हिंदी में 2776 ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। इन ग्रंथों में "शब्दावली आयोग" द्वारा इंजीनियरी, आयुर्विज्ञान और कृषि में प्रकाशित 375 ग्रंथ भी शामिल हैं। इस संदर्भ में सासंद, श्री सुरेश पचौरी ने कहा कि जो पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं तथा उनका स्तर भी उपयुक्त नहीं है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल ने कहा कि अब शब्दावली-ग्रंथ तथा पुस्तकें उपलब्ध हैं फिर भी हम हिंदी माध्यम नहीं अपना पा रहे हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं है। इस पर निर्णय लिया गया कि **इसकी समीक्षा करा ली जाए कि किन-किन विषयों में कौन-कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और वे किस स्तर की हैं और जो भी कमी पाई जाए, उसे दूर करने के प्रयास किए जाएं।**

7. केन्द्रीय हिंदी समिति के निर्णयों के कार्यान्वयन तथा संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदनों पर शीघ्रता से कार्रवाई करने के संदर्भ में समिति को अवगत कराया गया कि सभी संबंधितों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस ओर दिलाया कि समिति की यह बैठक 4 साल बाद हो रही है। एक सदस्य का यह भी विचार था कि वर्ष में इसकी 4 बैठकें कराई जाएं। **इस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वर्ष में इसकी एक बैठक अवश्य कराई जाए।**

8. संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को मान्यता दिए जाने के बारे में प्रधानमंत्री जी ने समिति को बताया कि पिछले 13 वर्षों से इस हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, किन्तु अभी समय इसके अनुकूल नहीं है, पर हम इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। यह भी बताया गया कि "संयुक्त राष्ट्र संघ" में हिंदी के प्रवेश के संदर्भ में विगत कुछ वर्षों से यह व्यवस्था की गई है कि

"संयुक्त राष्ट्र महासभा" के अधिवेशन के दिनों में अगर विदेश मंत्री अथवा महासभा में शामिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल का कोई सदस्य हिंदी में बोलना चाहे तो उसके लिए अनुवाद आदि की व्यवस्था भारत के स्थायी मिशन, न्यूयार्क में उपलब्ध है। इस विषय में प्रधानमंत्री श्री राव ने यह भी कहा कि यदि हिंदी जानने वाले विदेश मंत्री होंगे, तो वे संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में बोलने का अवश्य प्रयास करेंगे।

9. केन्द्रीय सरकार के विदेशों में स्थित कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अलग से "वार्षिक कार्यक्रम" बनाने के संदर्भ में सदस्यों को सूचित किया गया कि ऐसे कार्यालयों के लिए "राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम" निर्धारित कर दिया गया है तथा विदेश मंत्रालय/अन्य संबंधित मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं। इस परिप्रेक्ष्य में "तिमाही प्रगति रिपोर्टें" का प्रोफार्मा संबंधित मंत्रालयों को भेज दिया गया है तथा उक्त कुछ कार्यालयों से ऐसी रिपोर्टें भी प्राप्त होने लगी है।

चर्चा के दौरान सदस्यों ने बताया कि भारतीय दूतावासों में हिंदी के टाइपराइटर उपलब्ध नहीं हैं और न ही हिंदी के आशुलिपिक/टंकक हैं। **इस पर प्रधान मंत्री जी ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि 10-12 प्रमुख भारतीय दूतावासों में एक-एक द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर उपलब्ध कराया जाएगा तथा हिंदी जानने वाले आशुलिपिक/टंककों की भी व्यवस्था की जाएगी।**

10. विदेशों में आयोजित भारतीय उत्सवों में सभी सूचना पट्ट तथा महोत्सवों में रखी गई प्रदर्शनी की वस्तुओं आदि का विवरण हिंदी में प्रस्तुत करने के संदर्भ में समिति को बताया गया कि **भविष्य में विदेशों में आयोजित भारतीय महोत्सवों में हिंदी का प्रयोग करने के बारे में विचार किया जाएगा।** इस पर कुछ सदस्यों ने समिति का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि हमारे देश में ही आयोजित कुछ समारोहों में बैनर, सूचना पट्ट आदि सिर्फ अंग्रेजी में लिखे हुए दिखाई देते हैं। इस पर निर्णय लिया गया कि, **देश में आयोजित होने वाले सभी महोत्सवों, समारोहों आदि में बैनर, नाम पट्ट, सूचना पट्ट आदि राजभाषा नियमों के अनुसार द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) रूप में प्रदर्शित किए जाएं।**

11. दूरदर्शन और आकाशवाणी से हिंदीत्तर भाषी लोगों के लिए विशेष समाचार वाचन की व्यवस्था करने के विषय में सदस्यों को बताया गया कि आकाशवाणी द्वारा दिन में अपराह्न 2.40 से 3.00 बजे तक धीमी गति के समाचार प्रसारित किए जाते हैं, परन्तु टेलीविजन पर इस प्रकार के समाचार संसार में संभवतः किसी भी देश के टेलीविजन द्वारा प्रसारित नहीं किए जाते हैं। सदस्य श्री सुरेश पचौरी ने कहा कि अगर आकाशवाणी के माध्यम से धीमी गति के समाचारों का प्रसारण का समय 20 मिनट है तो दूरदर्शन पर केवल 5 मिनट की ही व्यवस्था कर दी जाए। इस पर प्रधान मंत्री जी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को स्थिति स्पष्ट करने को कहा। विचार-विमर्श के पश्चात **यह निर्णय लिया गया कि दूरदर्शन पर भी धीमी गति से समाचार प्रसारण की व्यवस्था की जाएगी।**

चर्चा के दौरान एक सदस्य ने समिति का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि **मूक बधिरों के लिए धीमी गति के जो समाचार पढ़े जाते है वे अंग्रेजी भाषा में होते हैं, इसका प्रसारण हिंदी में भी होना चाहिए। इस संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।**

12. उच्चतम न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग के संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की "फुल बैंच" द्वारा गंभीरता पूर्वक विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि उच्चतम न्यायालय की कार्रवाइयों में हिंदी का प्रयोग वर्तमान समय में करना व्यावहारिक नहीं है।

13. "क" और "ख" क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग के संबंध में समिति को अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के उच्च न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत कर दिया गया है। **उच्च न्यायालय दिल्ली में हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत करने का मामला विचाराधीन है। अन्य उच्च न्यायालयों में भी हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।**

14. अधिकरणों में हिंदी के प्रयोग के संबंध में समिति को सूचित किया गया है कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ पत्राचार किया जा रहा है और इस संबंध में निर्णय लिए जाने पर समिति को अवगत करा दिया जाएगा।

15. केंद्रीय अधिनियमों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने के संबंध में समिति के पूर्व सदस्य श्री बालकृष्ण द्वारा अध्यक्ष महोदय को एक विस्तृत नोट भेजा जाना था जो कि उनसे प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड केंद्रीय अधिनियमों को, संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित सभी भारतीय भाषाओं में तैयार करने लगा है। इस संबंध में एक **कार्यक्रम तैयार किया गया है और सभी राज्यों से इसे पूरा करने का अनुरोध किया गया है। विधि मंत्रालय इस संबंध में राज्यों से सम्पर्क बनाए हुए है।**

16. समिति को सूचित किया गया कि विधि शब्दावली के प्रयोग के संबंध में एकरूपता लाने के लिए एक उप समिति गठित कर दी गयी है तथा वह समन्वय का कार्य कर रही है। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने बताया कि जो "हिंदी शब्दावली" प्रयोग में आ रही है और जो हिंदी अनुवाद किया जाता है वह इतना कठिन होता है कि समझ में नहीं आता। इस पर प्रधान मंत्री जी ने कहा कि अनुवाद एक कला है। हम अंग्रेजी में सोचकर हिंदी में अनुवाद करते हैं। इसलिए ये सब कठिनाई आती हैं। **यदि हम मूल रूप से हिंदी में सोचें और लिखें तो यह कठिनाई स्वतः दूर हो जाएगी।**

17. विधेयकों को अंग्रेजी और हिंदी में साथ-साथ बनाने के संबंध में समिति को सूचित किया गया कि हिंदी में मूल प्रारूपण की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया है, वह है—"हिंदी में विधेयकों के प्रारूपण खंडों के मानक तैयार करना", जिनका प्रयोग संघ और राज्यों की विधियों में किया जा सकेगा। ऐसे हिंदी खंड का संकलन प्रकाशित किया जा चुका है। **इस पर प्रधान मंत्री जी ने कहा "हम मूल प्रारूपण हिंदी में प्रारंभ करें और इस प्रक्रिया को चालू रखें।" इस संदर्भ में सांसद, श्री वी॰ एम॰ जाधव ने कहा कि विधेयकों का मूल प्रारूपण विधि मंत्रालय हिंदी में यथाशीघ्र शुरू करें।**

18. देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में क्रमिक रूप से हिंदी माध्यम से पढ़ाई का विकल्प तैयार करने के संबंध में समिति को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयीन शिक्षकों के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में कोई विशिष्ट भाषा निर्धारित नहीं की है। विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाता है। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया है कि इस बात के प्रयास किए जाएं कि अंग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं का भी विश्वविद्यालयों और उनके समस्त कालेजों में शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल हो।

दिनांक 12 अगस्त, 1991 को हुई अपनी बैठक में आयोग ने विश्वविद्यालयों में काम-काज हिंदी के स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को शुरू करने के प्रश्न पर विचार किया। कामकाजी हिंदी में पाठ्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इस प्रयोजन के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में चुने हुए विश्वविद्यालयों को अनुदान उपलब्ध कराने पर सहमति प्रकट की। आयोग ने आगे यह इच्छा प्रकट की कि कामकाजी हिंदी में बी०ए० (आनर्स) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को अवसर प्रदान किया जाना चाहिये।

19. हिन्दी और सामान्यतः अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समिति को सूचित किया कि भारतीय भाषा एकक की स्थापना के साथ-साथ विशेषज्ञों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों को "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" ने मान लिया है।

20. समिति को सूचित किया गया कि भारत सरकार के मेडिकल कालेजों की प्रवेश परीक्षाओं (एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस०) में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में प्रश्न-पत्र तैयार करने संबंधी मामले में स्थिति इस प्रकार है:-

(i) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले ही सन् 1991 से मेडिकल और बी०डी०एस० कालेजों में स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के प्रश्न-पत्र में हिंदी माध्यम को लागू कर दिया है।

(ii) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने शैक्षिक सत्र 1992 से प्रवेश परीक्षा के प्रश्न-पत्र में हिंदी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया था। उनसे पुष्टि की प्रतीक्षा है।

(iii) "जिपमेर" पांडिचेरी ने चालू वर्ष से हिंदी माध्यम लागू करने में अपनी असमर्थता दिखाई है।

(iv) सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज, पुणे ने प्रश्न-पत्र में हिंदी माध्यम अपनाने में असमर्थता व्यक्त की है तथापि उनसे पुनः विचार करने का अनुरोध किया गया है।

(v) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से सूचना मिली है कि उनसे सम्बद्ध मेडिकल कालेजों में "प्रवेश परीक्षा" के प्रश्न पत्रों में हिंदी माध्यम लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(vi) मेडीकल तथा पैरा-मेडीकल कालेजों में हिन्दी माध्यम से पढ़ाई शुरू करने के संबंध में "क" तथा "ख" क्षेत्र की राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से जून, 1993 में टिप्पणियां मांगी हैं। उनसे अभी उत्तर अपेक्षित है।

(vii) उत्तर प्रदेश, राजस्थान इत्यादि राज्यों में पालिटेक्निक कालेजों में शिक्षा का माध्यम हिंदी है। अन्य हिंदी भाषी राज्यों में इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(viii) आई आई टी एवं रूड़की विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा में हिंदी में उत्तर देने का विकल्प है।

(ix) ए०एम०आई०ई० परीक्षा में हिंदी को वैकल्पिक माध्यम बनाने के लिए विचार किया जा रहा है।

(x) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिले के लिए अखिल भारतीय स्तर पर "संयुक्त प्रवेश परीक्षा" आयोजित की जा रही है। सन् 1990 से छात्रों को इस बात की छूट है कि वे इस परीक्षा में, 14 भारतीय भाषाओं में से किसी एक में, जो कि 10+2 स्तर पर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के लिए, उनके शिक्षण का माध्यम रही हो, में उत्तर दे सकते हैं। **इस विषय में सतत् प्रयास करने की आवश्यकता है।**

21. भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करने के बारे में समिति को बताया गया कि प्रो० सतीश चन्द्र की अध्यक्षता में गठित "विशेषज्ञ समिति" ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं जो कि सरकार के विचाराधीन हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मंत्रिमंडल के बैठक में भी विचार हुआ है एवं तदनुसार मामले के कानूनी पहलुओं पर विधि मंत्रालय से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

22. पुलिस बेतार हिंदी में भेजने के संदर्भ में समिति को अवगत कराया गया कि बेतार संदेश भेजने के लिए अब फैक्स मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। इस पर कुछ सदस्यों ने कहा कि सभी बेतार केंद्रों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए अंग्रेजी में संदेश भेजे जाते हैं। **अतः हिंदी में भी संदेश भेजे जाने चाहिए। निर्णय लिया गया कि इसके लिए अपेक्षित कार्रवाई की जाए।**

23. स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले हिंदी प्रशिक्षण को मान्यता दिए जाने के संदर्भ में समिति को अवगत कराया गया कि 'अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, नई दिल्ली से जुड़ी 20 ऐसी स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं हैं जिनकी परीक्षाओं को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने कहा कि स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा हिंदी माध्यम से दिए जाने वाले प्रशिक्षण को बी०एड० के समकक्ष मान्यता दी जानी चाहिए। सदस्यों को बताया गया कि यह मामला संबंधित विश्वविद्यालयों से जुड़ा हुआ है। फिर भी स्वैच्छिक संस्थाओं के इस संदर्भ में जो भी सुझाव या कठिनाई हो, तो इस संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

24. अहिंदी भाषी प्रदेश के छात्रों की छात्रवृत्ति संबंधी प्रक्रिया में सुधार के संदर्भ में समिति को अवगत कराया गया कि हिंदी में मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए अहिंदी भाषी राज्यों के छात्रों को "अनुदान/सहायता छात्रवृत्ति योजना" राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। छात्रों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करने, आवेदन पत्र पर कार्रवाई करने तथा इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए छात्रों का अंतिम चयन करने संबंधी सारी कार्रवाई संबंधित राज्य

सरकार/संघ शासित प्राधिकारियों द्वारा की जाती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए, केवल अधिसूचना जारी करता है। तथापि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस योजना के अन्तर्गत की जाने वाली कार्रवाई को मॉनीटर करना चाहिए।

25. समिति को सूचित किया गया कि सरकारी सूचनाओं और कमेंट्री में सही नागरी लिपि का प्रयोग करने के लिए समिति की सिफारिशों को सभी मंत्रालय/विभागों द्वारा अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

26. साहित्य अकादमी में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि साहित्य अकादमी प्रत्येक भारतीय भाषा को महत्व देती है। इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में जो कार्यक्रम होते हैं वे स्थानीय भाषाओं में होते हैं। साहित्य अकादमी का काम साहित्य से जुड़ा है। मात्र भाषा से नहीं।

हिंदी के प्रचार-प्रसार से संबंधित मामले

1. हिंदी प्रचार-प्रसार हेतु राशि उपलब्ध कराना।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में हिंदी के प्रचार-प्रसार की मद में 500 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की जाए। डॉ॰ शंकर दयाल सिंह, सांसद के इस प्रस्ताव पर समिति को सूचित किया गया कि योजना आयोग द्वारा राजभाषा के संबंध में गठित कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट सितंबर, 1989 में प्रस्तुत की। इसके अनुसार 8वीं पंचवर्षीय योजना (1990-91 से 1995-96) के लिए हिंदी शिक्षण योजना, अनुवाद कार्य, यांत्रिक उपकरण उपलब्ध कराने, विभिन्न संस्थाओं में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग तथा राजभाषा विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए 233.64 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था। कार्य-दल की संस्तुतियों को लागू करने हेतु राजभाषा विभाग की विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है किन्तु इसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों का सृजन तथा उनका भरा जाना आवश्यक है। किन्तु **अभी इन पदों को नहीं भरा जा सका है। इसके लिए आवश्यक प्रयास किए जाएं।**

2. हिंदी के स्थान पर "राजभाषा" शब्द का प्रयोग तथा अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान

सदस्य श्री बशीर अहमद मयूख के इस प्रयास पर कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी थोपे जाने का भ्रम दूर करने के उद्देश्य से हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी सलाहकार समिति, हिंदी अधिकारी के स्थान पर राजभाषा अथवा संपर्क भाषा दिवस/सप्ताह/समिति/अधिकारी पुकारा जाए, कुछ सदस्यों ने कहा कि "हिंदी दिवस" अब पूरे देश में काफी प्रचलित हो गया है। इनके नाम में परिवर्तन करने से भ्रम पैदा हो जाएगा, जो कि राजभाषा हिंदी के लिए हानिकारक साबित होगा। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि केवल "राजभाषा दिवस" कहने से "हिंदी दिवस" नहीं समझा जा सकेगा इसके लिए "हिंदी" के स्थान पर "संघ की राजभाषा" कहना पड़ेगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे राजभाषा दिवस कहा जा सकता है। **इस संदर्भ में निर्णय लिया गया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए और हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह आदि को यथावत् पुकारा जाए।**

3. हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ (यू॰ एन॰ ओ॰) की भाषा बनाना

हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के संदर्भ में प्रो॰ रामलाल पारीख के प्रस्ताव पर विचार हुआ तथा यह निर्णय लिया गया कि **इस संबंध में यथासमय (उचित समय आने पर) आवश्यक कार्रवाई की जाए।**

राजभाषा संबंधी प्रावधानों, नियमों, आदेशों आदि का अनुपालन

1. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार

"क" क्षेत्र में स्थित केंद्र तथा राज्य कार्यालयों तथा अन्य अधिसूचित कार्यालयों के आपसी पत्राचार आदि में अंग्रेजी अनुवाद भेजने की अनिवार्यता समाप्त करने के संदर्भ में श्री बशीर अहमद मयूख के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत "क" क्षेत्र में स्थित केंद्र तथा राज्य कार्यालयों के आपसी पत्राचार में अंग्रेजी अनुवाद भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है। चर्चा के दौरान सांसद, श्रीमती वीणा वर्मा ने कहा कि "क" क्षेत्र में पत्राचार करते समय अंग्रेजी अनुवाद भेजने की कतई आवश्यकता नहीं है। **इस पर प्रधान मंत्री जी ने कहा कि अनुवाद भेजने की जहां आवश्यकता हो, वहीं इस व्यवस्था को जारी रखा जाए। इस पर चर्चा कर ली जाए।**

2. राजभाषा हिंदी संबंधी आदेशों का अनुपालन

राष्ट्रपति के आदेशों का पालन न करने वाले विभागों अथवा पदाधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के संदर्भ में डॉ॰ शंकर दयाल सिंह, संसद सदस्य के प्रस्ताव पर समिति को सूचित किया गया कि संघ सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना से किया जाना है, इसलिए राजभाषा संबंधी आदेशों के अनुपालन न करने पर किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि जो अधिकारी जानबूझकर राजभाषा संबंधी प्रावधानों/आदेशों का उल्लंघन करते हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। इस संदर्भ में राजभाषा विभाग द्वारा 22 अगस्त, 1989 को सभी मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं। **संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों के अनुपालन को मानीटर करने हेतु राजभाषा विभाग में एक मानीटरिंग ग्रुप कायम किया जाए तथा इसके लिए राजभाषा विभाग के सुदृढ़ीकरण के मामले पर विचार/कार्रवाई की जाए।**

3. गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हिंदी आशुलिपिकों/टाइपिस्टों की भर्ती

मंत्रालयों/विभागों में हिंदी की टाइपिंग जानने वाले क्लर्क और हिंदी आशुलिपिक, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से बहुत कम है। फिर भी लगातार मंत्रालयों में अंग्रेजी टंकण जानने वाले क्लर्क और अंग्रेजी के आशुलिपिकों की मांग को कार्मिक प्रशिक्षण विभाग स्वीकारता है। श्री बशीर अहमद मयूख के इस प्रस्ताव पर समिति को सूचित किया गया कि कार्मिक विभाग द्वारा सन् 1987 में कर्मचारी चयन आयोग ——————————————को

निदेश दिए गए थे कि वे यह सुनिश्चित करें कि मांगकर्ता कार्यालयों में जब तक हिंदी आशुलिपिकों/हिंदी टाइपिंग जानने वाले क्लर्कों का, कुल आशुलिपिकों/टाइपिस्टों/क्लर्कों का, 25 प्रतिशत लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वे अंग्रेजी आशुलिपिकों/अंग्रेजी जानने वाले क्लर्कों की भर्ती न होने दें। इन्हीं आदेशों को सन् 1992 में पुनः परिचालित किया गया है। **राजभाषा विभाग ने कार्मिक विभाग से अनुरोध किया है कि अद्यतन निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इन आदेशों को यथाशीघ्र संशोधित किया जाए।**

इस परिप्रेक्ष्य में समिति को यह भी बताया गया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित विभिन्न प्रलेखों को द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) में जारी करना होता है। इसके अतिरिक्त पत्राचार में भी कुछ मामलों में अंग्रेजी अनुवाद साथ भेजना आवश्यक होता है। अतः अंग्रेजी आशुलिपिकों /अंग्रेजी टाइपिंग जानने वाले क्लर्कों की भी आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए "सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान" द्वारा अंग्रेजी टाइपिंग/आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

4. "क" क्षेत्र से केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों द्वारा हिंदी में कार्य किया जाना

अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सेवाओं के वे अधिकारी, जो "क" क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं, जब वे केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आएं तो उनसे हिंदी में कार्य कराया जाए। इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्मिक राज्य मंत्री श्रीमती मार्गेट अल्वा ने कहा यदि नीचे से टिप्पणी अंग्रेजी में प्रस्तुत की जाती है, बीच में कोई अधिकारी हिंदी में टिप्पणी लिखे और ऊपर के अधिकारी भी अंग्रेजी में लिखें तो कार्य निष्पादन कैसे होगा? इस पर प्रधान मंत्री जी ने कहा कि ऐसा सोचना हिंदी को पीछे ले जाना होगा। अतः इस संबंध में **यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो अधिकारी हिंदी में काम करना चाहें, उन्हें हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अगर किसी स्तर पर उनके हिंदी की काम को समझने के लिए अधिकारियों को आवश्यकता हो तो उन्हें इसका अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराया जाए।**

5. समूह "क" श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रपट में राजभाषा संबंधी प्रविष्टि

अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के फार्म में राजभाषा संबंधी नियमों/आदेशों के पालन करने में योगदान से संबंधित प्रविष्टि के बारे में श्री बशीर अहमद मयूख के प्रस्ताव के संबंध में सूचित किया गया कि अधिकरियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रपट में राजभाषा संबंधी प्रविष्टि करने के संबंध में कार्मिक विभाग के साथ सन् 1987 से 1992 तक विचार-विमर्श चलता रहा। केंद्रीय स्थापना बोर्ड ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है, तथापि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिशों के प्रपरिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग यह मामला पुनः कार्मिक विभाग के साथ उठाएगा।

स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को अनुदान, उनकी परीक्षाओं को मान्यता एवं विभिन्न मंचों पर उनका प्रतिनिधित्व

1. स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि

भारत सरकार द्वारा हिंदी संस्थाओं को निःशुल्क हिंदी वर्ग चलाने के लिए सिर्फ 75 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। इसे बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया जाए। श्रीमती बी०एस० शान्ताबाई के इस प्रस्ताव पर चर्चा की गयी और **यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय विचार करे।**

2. कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति को अनुदान

"कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति" द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली योजनाओं को अमल में लाने के लिए पूर्ण रूप से अनुदान राशि स्वीकृत की जाए। श्रीमती बी०एस० शान्ताबाई के इस प्रस्ताव के संदर्भ में समिति को अवगत कराया गया है कि संसद द्वारा उक्त संस्था को राष्ट्रीय स्तर की संस्था घोषित नहीं किया गया है। अतः शतप्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।

3. स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को उपकरण निःशुल्क प्रदान करना

स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को आधुनिक उपकरणों द्वारा परीक्षाओं के कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिए कम्प्यूटर, टेपरिकार्डर आदि मुफ्त में प्रदान किया जाए। श्रीमती बी० एस० शान्ताबाई के इस प्रस्ताव पर समिति को अवगत कराया गया कि स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को आधुनिक उपकरण मुफ्त प्रदान करने की मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कोई योजना नहीं है।

4. स्वैच्छिक संस्थाओं की परीक्षाओं को मान्यता

श्रीमती बी० एस० शांताबाई के इस प्रस्ताव पर कि स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले हिंदी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं की तरह मान्यता दी जाए, समिति को अवगत कराया गया कि अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, नई दिल्ली से जुड़ी हुई 20 ऐसी स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं हैं जिनकी परीक्षाओं को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा अभ्यर्थी संस्थाओं की परीक्षाओं के स्तर की समीक्षा की जाती है और शिक्षा मंत्रालय द्वारा निरीक्षण करके सिफारिशों को "हिन्दी शिक्षा समिति" के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इन सिफारिशों के आधार पर ही मान्यता प्रदान की जाती है।

5. हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी भाषा, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पुनरीक्षण के लिए, संयुक्त सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अप्रैल 1992 में प्रस्तुत प्रतिवेदन पर संबंधित विभाग तुरंत निर्णय लें। प्रतिवेदन के अध्याय 9 में की गई सिफारिशों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान लिया जाए। श्री द्वारकादास जी० वेद के इस प्रस्ताव के संदर्भ में **समिति को अवगत कराया गया कि अगर ऐसी मदद की आवश्यकता होगी, अवश्य ली जाएगी।**

6. हिंदी सलाहकार समितियों में महिला संस्थाओं का प्रतिनिधित्व

श्रीमती बी॰ एस॰ शान्ताबाई के इस प्रस्ताव पर कि मंत्रालयों में गठित की जाने वाली सलाहकार समितियों में महिला प्रतिनिधि के रूप में उनकी संस्था को प्रतिनिधित्व दिया जाए, समिति को सूचित किया गया कि हिंदी सलाहकार समितियों के गठन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार "अखिल भारतीय हिंदी संस्था" से एक-दो प्रतिनिधि लिए जाते हैं। इसके लिए अधिख भारतीय हिंदी संस्था संघ जिन संस्थाओं के प्रतिनिधियों का नामांकन करता है, उन्हीं को ही नामित किया जाता है।

7. विश्व हिंदी सम्मेलन में स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व

विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की हिंदी सेवी सवैच्छिक संस्थाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए, श्री द्वारकादास जी॰ वेद के इस प्रस्ताव के संदर्भ में समिति को **सूचित किया गया कि इस विषय पर विचार करने के लिए विदेश सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है जो इस विषय पर भी विचार करेगी।**

8. बुजुर्ग हिंदी प्रचारकों को पेंशन

स्वतंत्रता पूर्व हिंदी प्रचार-प्रसार में जिन्होंने योगदान दिया है, उन लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की तरह पेंशन दी जानी चाहिए। श्रीमती बी॰ एस॰ शान्ताबाई के इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हुआ। केरल के मुख्यमंत्री के॰ करुणाकरण ने बताया कि गांधी जी ने कहा था कि जो लोग खादी के उद्योग तथा हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, उनका उतना ही महत्व है जितना कि स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए लोगों का है। इसलिए ऐसे हिंदी प्रचारकों को पेंशन देने पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में **निर्णय लिया गया कि मामले की जांच कराई जानी चाहिए।**

भर्ती परीक्षाओं में हिंदी का विकल्प

1. सभी भर्ती परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का विकल्प देना और अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को समाप्त करना

श्रीमती वीणा वर्मा, सांसद ने राजभाषा संकल्प 1968 की ओर समिति का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि अब तक सभी भर्ती परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का विकल्प न देना और अंग्रेजी के अविवार्य प्रश्न-पत्र को समाप्त न करना उक्त संकल्प की भावनाओं के विपरीत है। चर्चा के दौरान कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि "भारतीय प्रशासनिक सेवा" की परीक्षा में संविधान की 8 वीं अनुसूची में वर्णित सभी भारतीय भाषाओं के माध्यम का विकल्प दे दिया गया है। अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता के संदर्भ में श्री सतीश चन्द्र कमेटी की रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल की बैठक में भी विचार हुआ है एवं इस मामले के कानूनी **पहलुओं पर विधि मंत्रालय से विचार-विमर्श किया जा रहा है।**

2. क्लर्कों की भर्ती परीक्षाओं में हिंदी का विकल्प

कर्मचारी चयन आयोग तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों/उपक्रमों में क्लर्कों की भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र के विकल्प में उतने ही अंकों का हिंदी का प्रश्न पत्र रहे, अथवा एक ही प्रश्न पत्र में दोनों भाषाओं के समान खंड रहें और न्यूनतम पास अंक रख दिए जाएं, जिससे दोनों भाषाओं के ज्ञान की परख हो जाए। श्री बशीर अहमद मयूख के इस प्रस्ताव पर समिति को सूचित किया गया कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कलर्कों की भर्ती हेतु ली जाने वाली परीक्षा में अन्य विषयों के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा के आधारभूत ज्ञान की जांच के लिए प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र को जारी रखने अथवा न रखने का मामला विचाराधीन है। **इस संबंध में सरकार के निर्णय के अनुरूप संघ लोक सेवा आयोग के साथ-साथ कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में आवश्यक संशोधन कर लिए जाएंगे।** समिति को यह भी अवगत कराया गया कि क्लर्कों की भर्ती परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र के स्थान पर हिंदी के समान अंक के प्रश्न पत्र में अंग्रेजी तथा हिंदी के समान खण्ड रखने का प्रस्ताव भारत सरकार के कार्मिक विभाग में विचाराधीन नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना

1. अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना

प्रो॰ रामलाल पारीख तथा श्री द्वारकादास जी॰ वेद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर कि "अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्धा में हो", के संदर्भ में पुनः विचार-विमर्श हुआ। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री शरद पवार ने कहा कि इसकी स्थापना वर्धा में की जाए। इस संदर्भ में समिति को सूचित किया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" ने जो निर्णय पहले लिया था, उस पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिश पर आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित विश्वविद्यालय के स्वरूप, उसके स्थान आदि पर सिफारिशें देने के उद्देश्य से डा॰ शिवमंगल सिंह सुमन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। **समिति ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट पहली मई, 1993 को प्रस्तुत कर दी है जोकि विचाराधीन है।**

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना निस्संदेह महत्वपूर्ण है। इससे आस-पास के छात्रों का दिल्ली की ओर पलायन न रुकेगा। इस विश्वविद्यालय को भारतीय भाषाओं के महत्वपूर्ण अध्ययन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इस विश्वविद्यालय को सिर्फ प्रशासनिक ही नहीं, शैक्षणिक रूप भी दिया जाना चाहिए।" श्रीमती वीणा वर्मा, सांसद के इस प्रस्ताव के संदर्भ में समिति को अवगत कराया गया कि इस समय देश में दस केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त संसद के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए सिल्चर, तेजपुर तथा नागालैंड में तीन और नये केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने से संबंधित बिल भी पारित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, जिसे 1992 में परिवर्द्धित और परिमार्जित किया गया है और जिसे संसद ने अपनी स्वीकृति दी है, नये केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के पक्ष में नहीं है। इस नीति के अनुसार वर्तमान विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता को बढ़ाने और वर्तमान सुविधाओं को और अधिक श्रेष्ठ बनाने पर जोर दिया जाना है। "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" भी नये केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का पक्षधर नहीं है। राजधानी परियोजना क्षेत्र में नये केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

3. केंद्रीय हिंदी समिति के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा राजभाषा संबंधी निरीक्षण

"राजभाषा अधिनियम के परिपालन की गति, प्रगति एवं उद्योगति गैर-सरकारी आंख से देखकर केंद्रीय समिति के सम्मुख रखे जाने की दृष्टि से ही यदि इस समिति में गैर सरकारी सदस्य लिये जाते हों, तो यह भी जरूरी है कि इन सदस्यों को किसी भी मंत्रालय/कार्यालय/अनुभाग/उपक्रमों आदि के राजभाषा कार्य के निरीक्षण/अवलोकन का अधिकार मिले।"—श्री बशीर अहमद मयूख के इस प्रस्ताव पर समिति को अवगत कराया गया कि केंद्रीय हिंदी समिति का कार्यक्षेत्र हिंदी के विकास और प्रचार के विषय में तथा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों तथा कार्यक्रमों का समन्वय करना है। इस समिति द्वारा निर्धारित नीति तथा दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन और मानीटर (निरीक्षण) करने का कार्य सरकारी तंत्र का है। इस कार्य में समिति के गैर सरकारी सदस्यों का सहयोग लेना व्यावहारिक नहीं होगा।

4. भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का संरक्षण

"सन् 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व० श्रीमती इंदिरा गांधी ने सम्पूर्ण भारत की संस्कृति के संरक्षण के लिए हर राज्य में एक भारत भवन की स्थापना करने और विभिन्न भारतीय भाषाओं के पुस्तकालय बनाने की योजना बनायी थी। इस योजना के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालय की हालत जर्जर है और बहुमूल्य एवं अनुपलब्ध पुस्तकें भारी संख्या में नष्ट हो रही हैं। इसलिए हिंदी सहित भारतीय भाषाओं की पुस्तकों के व्यापक संरक्षण हैं।"—श्रीमती वीणा वर्मा, सांसद के इस प्रस्ताव पर समिति को सूचित किया गया कि केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार के अन्तर्गत हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए 1974 में एक पृथक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। इस पुस्तकालय का भवन जर्जर हालत में नहीं है, बल्कि इसके लिए नए भवन का निर्माण किया गया है। पुस्तकालय में उपलब्ध हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का रख-रखाव ठीक प्रकार से किया जाता है।

5. दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी की पढ़ाई

"अभी हाल ही में दिल्ली प्रशासन ने आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े तबकों से आने वाले बच्चों को "अपवार्ड मोबीलिटी" प्रदान करने के लिए प्रशासन के साठ स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा पहली ही कक्षा से आरंभ करने की नीति बना ली है। यह नीति भी राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 की उपधारा 3 के अंतर्गत की भावना के सर्वथा विपरीत है और मैकालेवाद को बढ़ावा देना है। यह नीति भाषा के बहाने आने वाली पीढ़ी को सांस्कृतिक और राष्ट्रीयता के धरातल पर पंगु बनाती है। भारत जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश के लिए अंग्रेजी नहीं, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा हिंदी की जरूरत है। ऐसे समय जबकि अंग्रेजी माध्यम को खत्म करने और भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष चल रहा है, अंग्रेजी की प्राथमिक कक्षाओं में वापसी अत्यंत दुःखद और त्रासद है।" —श्रीमती वीणा वर्मा, सांसद के इस प्रस्ताव पर समिति को अवगत कराया गया कि **यह मामला दिल्ली प्रशासन (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के साथ उठाया गया है तथा अभी विचाराधीन है।**

6. हिंदी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अनुदान

"कर्नाटक राज्य सरकार को हिंदी अध्यापकों की नियुक्ति हेतु जो अनुदान दिया गया है, वह बहुत कम है। कर्नाटक प्राथमिक शालाओं के लिए 6000 अध्यापकों की नियुक्ति होनी है, लेकिन सरकार की आर्थिक स्थिति से इस कार्य में विलम्ब हुआ है। भारत सरकार से प्रार्थना है कि तुरन्त, राज्य सरकार द्वारा हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए मांगे गए अनुदान प्रदान करें।" श्रीमती बी० एस० शान्ताबाई के इस प्रस्ताव पर समिति को सूचित किया गया कि अहिन्दी भाषी राज्यों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए शिक्षा विभाग में एक योजना चल रही है, जिसके अन्तर्गत अहिंदी भाषी राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों को हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति, उनके प्रशिक्षण और भवन निर्माण करवाने हेतु 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। अध्यापकों के वेतन के लिए अनुदान एक निश्चित पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दिया जाता है और इस पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर इन अध्यापकों को आगे के भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों की है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में, इस योजना के लिए 12 करोड़ रूपये का प्रावधान है। वर्ष 1993-94 में इस योजना के लिए 2.50 करोड़ रूपये का प्रावधान है, जिनमें से सारे हिंदी भाषी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता देनी है। सीमित बजट के कारण कर्नाटक सरकार का 8000 अध्यापकों की नियुक्ति का प्रस्ताव एक ही वर्ष में मान लेना संभव नहीं होगा। फिर भी प्रयास होगा कि अधिक सहायता की जाए।

अन्त में उप गृह मंत्री श्री राम लाल राही ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने केंद्रीय हिंदी समिति की इस बैठक की अध्यक्षता की और हमारा मार्गदर्शन किया। मैं गृहमंत्री जी तथा समिति के अन्य सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस बैठक में उपस्थित होकर, हम लोगों का गौरव बढ़ाया है और बैठक में हुए विचार-विमर्श में बहुमूल्य योगदान दिया है।

देश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी को उसके व्यापक प्रभाव और सांस्कृतिक तथा राजनीतिक भूमिका के कारण संघ की राजभाषा के रूप में संविधान में मान्यता दी गई है। इसको अपना उपयुक्त स्थान दिलाने के लिए सरकारी स्तर पर सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

लगभग सभी मंत्रालयों और विभागों में संबंधित मंत्रियों की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय हिंदी सलाहकार समितियां कार्य कर रही हैं। मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं। देश के लगभग सभी प्रमुख नगरों में 126 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में कार्य में लगी हुई हैं। इन समितियों की बैठकों में हिंदी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपाय सुझाए जाते हैं। संसदीय राजभाषा समिति भी अपने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य-कलापों द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रही है। राजभाषा नीति के निर्धारण और कार्यान्वयन में संसदीय राजभाषा समिति और केंद्रीय हिंदी समिति का योगदान वास्तव में बहुमूल्य है। मेरा विश्वास है कि हम सभी के सम्मिलित प्रयत्नों के फलस्वरूप, सरकार का वह सारा काम अब हिंदी में होने लगेगा, जो अब तक अंग्रेजी में होता आ रहा है।

यह प्रसन्नता की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री, श्री पी०वी० नरसिंह

राव जी अनेक भाषाओं के विद्वान हैं और इस कारण राजभाषा के विकास में उनकी विशेष रूचि है। निश्चय ही उनके नेतृत्व में सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और गुणात्मक परिणाम सामने आएंगे।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और समिति के अन्य सम्मानित सदस्यों के प्रति पुनः धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस बैठक को सफल बनाने में कठोर श्रम किया है। मुझे आशा है कि इस बैठक में लिए गए निर्णयों और निष्कर्षों पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई की जाएगी और हम अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में "संसदीय राजभाषा समिति" अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके द्वारा विभिन्न मंत्रालयों, विभागों कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों के निरीक्षण से हिंदी का प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। मैं समिति के माननीय सदस्यों को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं।

बैंकिंग प्रभाग राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

बैंकिंग प्रभाग राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 65वीं बैठक दिनांक 10 जुलाई, 1993 को जयपुर में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता बैंकिंग प्रभाग के संयुक्त सचिव श्री के० श्रीनिवासन ने की। राजभाषा प्रदर्शनी का उद्घाटन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबन्ध निदेशक श्री एम.कृष्णमूर्ति ने दीप प्रज्वलित करके किया। प्रदर्शनी में बैंक द्वारा राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों और इसके लिए प्राप्त शील्डों, प्रमाण-पत्रों आदि का प्रदर्शन किया गया।

श्री कृष्णमूर्ति ने अपने स्वागत भाषण में बैठक की मेजबानी के लिए बैंकिंग प्रभाग का धन्यवाद किया और बताया कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में राजभाषा कार्य की अच्छी प्रगति हुई है। बैंक की सभी ग्रामीण शाखाओं में लगभग शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में हो रहा है। बैंक की अधिकांश शाखाएं राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित भी करवा दी गयी है और राजस्थान के 16 जिलों को हिंदी कार्य के लिए "हिंदी जिला" घोषित किया है। बैठक में बैंकिंग प्रभाग भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के 78 कार्यपालकों, अधिकारियों एवं राजभाषा प्रबन्धकों ने भाग लिया।

इस अवसर पर इंडियन बैंक के उप महाप्रबन्धक डा० जयन्तीलाल जैन के नेतृत्व में बैंक अधिकारियों द्वारा लिखित पुस्तक "बैंक प्रबन्धन के सिद्धान्त" का विमोचन श्री श्रीनिवासन द्वारा किया गया और श्री जैन ने अपनी पुस्तक की विशेषताओं से अवगत कराया। बैठक में की गई चर्चा के आधार पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए:—

(1) बैंकिंग प्रभाग/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में आकस्मिक निरीक्षण किया जाए।
(2) तिमाही रिपोर्टों में वास्तविक आंकड़ों का दर्शाया जाए तथा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के प्रधान कार्यालयों में हिंदी में पत्राचार बढ़ाया जाए।
(3) सभी बैंक हिंदी में टैलक्स प्रशिक्षण के लिए अपने-अपने स्तर पर व्यवस्था करने का प्रयास करें और अन्य बैंकों से भी सहयोग लें।
(4) बैंकों के द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत हिंदी के प्रशिक्षण का भी उल्लेख किया जाए।
(5) जिन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का हिंदी प्रत्राचार का प्रतिशत कम है वे उसे बढ़ाने का प्रयास करें।
(6) म्यूचुअल फण्ड और क्रेडिट कार्ड की स्टेशनरी आदि को द्विभाषिक रूप में छपवाया जाए।
(7) सभी बैंक जांच करें कि उनके कार्यालय में हिंदी टंकक, हिंदी आशुलिपि और टंकण मशीनों की संख्या में तालमेल हो।
(8) बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और इलाहाबाद बैंक ग्राहक सेवा और राजभाषा के बीच आपसी संबंध की अद्यतन स्थिति पर अनुसंधान कर अपनी सिफारिशें पेपर के रूप में आगामी तिमाही बैठक में प्रस्तुत करें।

अंत में सदस्य सचिव श्री दर्शन सिंह जग्गी ने राजभाषा को बैंकिंग व्यवसाय के साथ जोड़ने तथा ग्राहक सेवा में इसके महत्व का उल्लेख किया एवं भारतीय स्टेट बैंक के एक अनुषंगी बैंक के रूप में इस बैठक की मेजबानी के लिए हमारी बैंक के प्रति आभार प्रगट किया। □

पृष्ठ 42 का शेषांश ... जोंक (कहानी) ...

नहीं आती। क्या वह इतना तक नहीं समझता कि एक मां को कितना दुख होता है जब उसके बेटे की अर्से के बाद एक बार चिट्ठी आए और वह उसको भी न पढ़ सके. क्या वह हिंदी में दो लाइन नहीं लिख सकता? इसमें भी उसकी हतक होती है, पर मां-बाप की भावनाओं को कोई समझे तब न"

फिर मास्टर साहब घुटनों पर हाथों से जोर देकर उठे और बोले "अच्छा बेटा, अब चलूं लोग दूध के लिए इंतजार कर रहे होंगे।"

मुझे आज का समाज उस समय उस जोंक की भांति प्रतीत हुआ जो शरीर से चिपट जाने के बाद खून की आखिरी बूंद भी चूस लेना चाहती है।

मैं मास्टर साहब को जाते देखता रहा। उनकी झुकती हुई कमर को देखकर मुझे भारतीय संस्कृति की कमर टूटती नज़र आई। □

* * *

गुवाहाटी में क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार वितरण

राजभाषा विभाग, भारत सरकार गृह मंत्रालय के तकनीकी कक्ष की ओर से दिनांक 3 सितम्बर 1993 को रविन्द्र भवन, गुवाहाटी में "कम्प्यूटरों के द्विलिपीय संचालन" विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी तथा प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसी अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यालयों, निगमों, उपक्रमों, बैंकों तथा न०रा०का० स० को वर्ष 1991-92 के दौरान राजभाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के लिए प्रशंसा पत्र देकर उन कार्यालयों तथा संबंधित हिन्दी-अधिकारियों को सम्मानित किया गया।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता न०रा०का० समिति (कार्यालय) अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक, पू०सी० रलवे श्री जी० के० खरे ने किया। प्रमुख अतिथि के रूप में महात्मा गांधी के प्रसिद्ध अनुयायी और सहयोगी श्री रजनीकांत चक्रवर्ती आमंत्रित थे। श्री चक्रवर्ती उन गिने-चुने लोगों में हैं जिहोंने 1930-40 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिन्दी का प्रचार प्रसार शुरू किया था और तब से लगातार वह इन कार्यों में लगे हुए हैं। राजभाषा विभाग की ओर से निदेशक (तकनीकी) श्री बृजमोहन सिंह नेगी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में गुवाहाटी स्थित कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधान तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के आमंत्रित अधिकारी शामिल हुए। श्री जी० के० खरे, महाप्रबंधक, रेलवे ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। निदेशक (तकनीकी) श्री नेगी ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया और कुमारी मिता सेन ने अध्यक्ष तथा मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ एवं गमछा भेंटकर परम्परागत ढंग से सम्मानित किया।

उपनिदेशक (का०) श्री हरिओम श्रीवास्तव ने संक्षेप में राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह के संबंध में जानकारी दिया। संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न कार्यालयों तथा अधिकारियों को मुख्य अतिथि श्री रजनीकांत चक्रवर्ती के करकमलों से पुरस्कृत किया गया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

प्रथम	अध्यक्ष, नराकास, दीमापुर,	श्री एस०एन० पाटिल, अध्यक्ष,	श्री आर०आर० चांदेवर सचिव,
द्वितीय	अध्यक्ष, नराकास, गुवाहाटी	श्री जी०के० खरे, अध्यक्ष,	श्री के०डी० झा, सचिव,
तृतीय	अध्यक्ष, नराकास, आइज़ोल,	श्री ए०एन०डी० कछारी, अध्यक्ष,	—
सांत्वना	अध्यक्ष, नराकास, इटानगर,	श्री देवप्रिय घोष, अध्यक्ष,	श्री आनन्द प्रकाश राय, सचिव,
सांत्वना	अध्यक्ष, नराकास, अगरतला	श्री जे०एम०आर० मारक, अध्यक्ष,	श्री जे०सी० सरकार, सचिव,
		केन्द्रीय कार्यालय	
प्रथम	के० रि० पु० बल, गुवाहाटी-23	श्री जोगेन्द्र बस्नेत, अपरपुलिस उपमहानिरीक्षक,	श्री भगवान दास, हिन्दी अनुवादक,
द्वितीय	असम दूर संचार परिमंडल गुवाहाटी-7	श्री क्रांति कुमार मुख्य महाप्रबन्धक	श्री ए०वी० सिंह, हिन्दी अधिकारी
तृतीय	28 बटा० के० रि० पु० बल, कोहिमा	श्री एम कपूर कमाण्डेंट,	—
सांत्वना	मुद्रण निदेशालय, गंगतोक,	श्री बी० घोष, प्रभारी अधिकारी	—
		उपक्रम/निगम	
प्रथम	दि न्यु इंडिया एश्युरेंस कं० लि० क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	श्री आर० प्रसाद राव, क्षेत्रीय प्रबंधक,	श्री शरत चन्द्र मालाकार, सहा० प्रशासनिक अधि० (हिन्दी)
द्वितीय	क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, इम्फाल	श्री एम०के०आर० नौमानी, संयुक्त निदेशक	श्री नरसिंह राव, हिन्दी अनुवादक
तृतीय	आयल इंडिया लिमिटेड, गुवाहाटी-	श्री बी० मेधी, मुख्य अभियंता	श्री बी० प्रसाद, वरिष्ठ अभियंता

सांत्वना	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान शिलांग श्री नरकांत तालुकदार, क्षेत्रीय सहायक निदेशक	
	राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान	
प्रथम	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी श्री जी॰ वेंकटरमणी, महाप्रबंधक	श्री नरेश श्रीवास्तव, स्टाफ अधिकारी (हिन्दी)
द्वितीय	विजया बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी श्री के॰बी॰ शेट्टी, क्षेत्रीय प्रबंधक,	श्री महेन्द्र राय, हिन्दी संम्पर्क अधिकारी,
तृतीय	भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, गुवाहाटी-9 श्री डी॰के॰ बसु, महाप्रबंधक (योजना)	श्री वी॰एस॰ दिक्षित, हिन्दी अधिकारी
सांत्वना	भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, इटानगर श्री के॰ सत्यानंद, प्रभारी अधिकारी	—

मुख्य अतिथि के रूप में संबंधित करते हुए श्री रजनीकांत चक्रवर्ती ने कहा कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। हिन्दी का कार्य राष्ट्रीय कार्य है। महात्मा गांधी ने देश की पूरी स्थिति और लोगों को समझा था इसलिए वे राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के महत्व को समझते थे। आज हम हिन्दी को वह स्थान नहीं दे पाए हैं जो उसे मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि 1935-40 के दौरान सभी धर्म, प्रान्त, वर्ग के लोग बिना किसी भेदभाव के हिन्दी सीखते थे। आज आजादी के महत्व को भूल गए हैं। हिन्दी ने पूरे देश को जोड़ा है। इसी भाषा ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा है।

अध्यक्ष के रूप में संबोधित करते हुए श्री जी॰के॰ खरे, महाप्रबंधक, पू॰सी॰ रेलवे, ने कहा कि हिन्दी ही ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम इस देश के किसी भी कोने में जाकर अपना काम चला सकते हैं। फिल्मों, दूरदर्शन, रेडिओ ने इतनी हिन्दी आज सिखा दिया है कि लोग आपस में मिलकर टूटी-फूटी हिन्दी में बात कर सकते हैं। रेलवे जहां जहां जाती हैं वहां पर हिन्दी भी जाती है। रेलवे हिन्दी का परिवार है। जब लोग यात्रा करते हैं तो चाहे जिस प्रान्त के लोग होंगे वे पहले हिन्दी में ही बात करते हैं और पूरी यात्रा हिन्दी में बात करते हुए समाप्त हो जाती है। उन्होंने विजेता कार्यालयों को बधाई दी।

कम्प्यूटर के द्विलिपीय संचालन पर संगोष्ठी का शुभारंभ करते हुए निदेशक (तकनीकी) श्री बृजमोहन सिंह नेगी ने इलेक्ट्रानिक उपकरणों के संबंध में सरकार की नीति तथा निदेश स्पष्ट रूप से बताए। उन्होंने द्विलिपीय कम्प्यूटर की उपयोगिता आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। प्रदर्शनी में आए विभिन्न निर्माताओं ने कम्प्यूटर की कार्यप्रणाली, उपयोग, लागत आदि की विस्तृत जानकारी दी तथा कम्प्यूटर के आउटपुट आदि के बारे में विस्तृत रूप से बताया।

अंत में उप निदेशक (का॰) श्री हरिओम श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों को धन्यवाद देकर कार्यक्रम समाप्त किया।

हिंदीतर भाषी हिंदी नवलेखक शिविर

केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में श्री कंदुकूरी वीरेशलिंगम आस्तिक महाविद्यालय, राजमहेंद्री (आन्ध्र प्रदेश) के सहयोग से दिनांक 4-7-93 से 11-7-93 तक राजमहेन्द्री में "हिंदीतर भाषी हिंदी नवलेखक शिविर" का आयोजन किया गया। हिंदी एवं हिंदीतर भारतीय भाषाओं में समन्वय एवं परस्पर संवाद के लिए केन्द्रीय हिंदी निदेशालय जिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है, नवलेखक शिविर उनमें से एक है। 4 जुलाई को शिविर का उद्घाटन हुआ जिसमें राजमेंद्री के अनेक गणमान्य लोग, स्थानीय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे। ऐसे शिविरों का उद्देश्य भारत की भाषाई एकता को बढ़ावा देना है जिसके लिए निदेशालय वर्षों से प्रतिबद्ध है।

शिविर के आठ दिनों के कार्यक्रम में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, अनुवाद एवं पत्रकारिता जैसी साहित्यिक विधाओं पर चर्चा हुई। रचनाओं के जो परिदृश्य सामने आए उसमें नारी शोषण के अलग-अलग रूप धार्मिक, उन्माद, राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं के आयाम प्रमुख थे। नशाखोरी विरोधी संवेदना पर व्यक्ति के निकृष्ट चरित्र को उजागर करने का प्रयास कविता और एकांकी विधाओं के माध्यम से हुआ। असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश आदि विभिन्न हिंदीतर भाषी राज्यों से आए हुए नवलेखकों की रचनाओं से स्पष्ट हुआ कि संवेदना और भावों की पकड़ की दृष्टि से समस्त भारत जैसे एकता के किसी अदृश्य सूत्र में आबद्ध है। भारत की भूलभूत सामाजिक समस्याओं और उसकी प्रतिक्रियाओं से संबंधित रचनाओं पर खुलकर चर्चा हुई। प्रत्येक विधा पर केंद्रित विचार-गोष्ठियों में मार्गदर्शक साहित्यकारों ने अपने सुझावों, अनुभवों तथा मार्गदर्शन से शिविरार्थियों को लाभान्वित कराया। वर्तमान समय में अनुवाद की प्रासंगिता विशेषकर इस दिशा में हिंदीतर भाषी हिंदी लेखकों के दायित्वों और संभावनाओं पर विचार हुआ। हिंदीतर भाषी हिंदी विद्वान हिंदी से अपनी मातृभाषा में तथा अपनी मातृभाषा से हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यों का अनुवाद कर भारतीय साहित्य की पारस्परिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार भारत की सामाजिक संस्कृति ऐसी सुरभि से मह-मह हो सकती है जिसमें सभी क्षेत्रों की संवेदनाएं होंगी और सभी भाषाओं की आत्मा के दर्शन होंगे।

शिविर की अवधि में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अपना आकर्षण था। शिविर के प्रथम दिन ही शाम में डा॰ शेषगिरि राव ने "हिंदी अष्टावधान" का प्रदर्शन किया जिसमें विभिन्न प्रश्नों के बीच अपने को एकाग्र कर उन्होंने उपस्थित जनों को अचंभित कर दिया। डा॰ राव का "अष्टावधान" एक पुरानी चीज का नया संस्करण प्रतीत हुआ जिसमें ताजगी थी। इस बीच गीत और नृत्य संबंधी रोचक कार्यक्रमों का अपना आकर्षण रहा। 6 जुलाई की शाम एक यादगार शाम थी जब एक ओर भारतीय नृत्य अपनी बहुरंगी छटाओं में मंच पर थिरक रहा था तथा दूसरी ओर पास ही सावन की उमड़ती गोदावरी अपनी उठती लहरों से राजमहेंद्री के सामने परिवेश को शीतल कर रही थी। गुजराती महिलाओं द्वारा

प्रदर्शित गरबा नृत्य बहुत पसंद किया गया। गरबा एक प्रकार का समूह नृत्य है जिसमें रमणियां चित्ताकर्षक परिधानों में मंच पर उपस्थित होती हैं तथा गतियों और चेष्टाओं के सुमेल से अद्भुत प्रभाव का सृजन करती हैं। कर्नाटक की कुचीपुड़ी, तमिलनाडु का भरत नाट्य तथा पंजाब की गीद्धा नृत्य-शैलियों सहित गुवाहाटी की सुश्री नम्रता द्वारा असमिया नृत्य बीहू का प्रदर्शन यादकार रहा।

गोस्वामी तुलसीदास के पद "गाईए गनपति जगवदन" से समापन समारोह का सशुरंभ हुआ जिसमें भारत की भाषाई एकता के लिए इस आयोजन की सार्थकता की सराहना की गई।

इस शिविर में श्री केदारनाथ कोमल, श्री भालचंद्र जयशेट्टी तथा डा॰ बालकृष्ण शर्मा 'रोहिताश्वा' मार्गदर्शक साहित्यकार थे। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से व्यवस्था एवं भुगतान के लिए सहायक शिक्षा अधिकारी श्री जगदीश चंद्र सोनी तथा लेखा लिपिक श्री एस॰जे॰ दुआ शिविर में उपस्थित हुए थे। शिविर संयोजक के रूप में श्री ईश्वरचंद्र मिश्र निदेशालय के प्रतिनिधि थे। शिविरार्थियों में श्री वामन राव गाणार, श्रीमती मैना थापा आशा, श्री जयंत कृष्णशर्मा, श्री अक्षय कुमार बाघ, श्री संजय जोतिवा मटकर, ठाकुर संजय सिंह आदि ने अपनी लेखकीय व रचनात्मक प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया। शिविर-निदेशक डा॰ चेबोलु शेषगिरि राव के परिश्रमपूर्ण प्रयासों से आयोजन अत्यंत सफल रहा। डा॰ राव ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक डा॰ गंगा प्रसाद विमल तथा सहायक निदेशक (विस्तार) डा॰ वीरेंद्र सक्सेना के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस शिविर के लिए आवश्यक सुझाव दिए थे और स्वीकृति प्रदान की थी।

—ईश्वरचन्द्र मिश्र

क्वालिटी सर्कल और कार्मिक प्रबंधन

दुल्हन की तरह सजा हुआ कलामंदिर—आमंत्रितों का द्वार पर स्वागत करते सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रचालन अनुसंधान के प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक श्री राममूर्ति दुबे, वरिष्ठ प्रबंधक श्री पाण्डे, प्रबंधक श्री ठाकुर, श्री झा, श्री चौधरी, उप प्रबंधक श्री नरेश खोसला तथा डॉ॰ गिरीश जी॰ सिंघल, सहायक प्रबंधक (राजभाषा)। अवसर था—शॉप सुधार समूहों (क्वालिटी सर्कल) के चौथे दो-दिवसीय वार्षिक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन।

1988 में भिलाई इस्पात संयंत्र शॉप सुधार समूहों का सृजनात्मक संगठन बना। यह ऐसे कार्मिकों का स्वैच्छिक संगठन है जो अपने क्षेत्र में कार्य हुए अर्जित अनुभव एवं निपुणता के माध्यम से कार्यतंत्र में आवश्यक सुधार की पहल कर कार्य की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार लाते हैं।

इस दो-दिवसीय सम्मान समारोह का उद्घाटन 5 फरवरी, 1993 को माननीय अधिशासी निदेशक (परियोजनाएं) श्री सच्चिदानंद मिश्र ने किया। अपने सम्बोधन में श्री मिश्र ने क्वालिटी सर्कल की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा राष्ट्रीयता की भावना मन में रखते हुए क्वालिटी सर्कल के माध्यम से कार्मिकों को हर क्षेत्र में आगे आने का आव्हान किया। उन्होंने कहा 'एक बात का हमेशा रखें—आदमी कभी मशीन नहीं होता-उसकी सोच एवं कार्यक्षमता अद्भूत एवं असीमित होती है।' हमें चाहिए कि ऐसे कार्मिकों को पहचाना उन्हें निरंतर प्रोत्साहित करें।

इस अवसर पर योजना 231, 264 एवं 294 की प्रस्तुति राजभाषा हिन्दी में की गई तथा माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने 40 शॉप सुधार के 369 अधिकारी/कार्मिकों को सम्मान उपहार भेंट किये।

दूसरे दिन कार्यक्रम माननीय अधिकासी निदेशक (वर्क्स) श्री मानस सेनगुप्ता के मुख्य अतिथ्य में सम्पन्न हुआ। अपने सम्बोधन में मुख्य अतिथि महोदय ने विभागीय प्रमुखों से आग्रह किया कि वे ऐसे कार्मिकों की पहचान करें जो उद्देश्यपरक ढंग से अपने कार्य को अंजाम देते हुए कार्य-संस्कृति में गुणात्मक सुधार के लिए सतत् प्रयत्नशील हैं।

इस दिन योजना 248, 298 एवं 309 की प्रस्तुति राजभाषा हिन्दी में की गई मुख्य अतिथि ने 47 शॉप सुधारे समूहों के 426 अधिकारियों/कार्मिकों को व्यक्तिगत सम्मान उपहार दिये गए।

दोनों दिन भिलाई के पूर्व विधायक तथा स्टील वर्कर्स युनियन के उपाध्यक्ष श्री रवि आर्य ने अपने सम्बोधन में क्वालिटी सर्कल को कामिकों की कार्य-शक्ति का सम्मान निरूपित करते हुए कहा कि क्वालिटी सर्कल के माध्यम से ही उनके बहुआयामी व्यक्तित्व एवं क्षमताओं का विकास संभव है।

प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक श्री राममूर्ति दुबे के स्नेहिल मार्गदर्शन में दो-दिवसीय कार्यक्रमों के आयोजन को वरिष्ठ प्रबंधक श्री पाण्डे, श्री झा, श्री चौधरी, प्रबंधक श्री ठाकुर, उप प्रबंधक श्री नरेश खोसला तथा उनके सहयोगियों के सतत उत्साह एवं लगन ने सफलता के नये आयाम दिये।

सब सहभागियों में असीम उत्साह तथा प्रसन्नता व्याप्त थी क्योंकि दो-दिवसीय आयोजन पूर्णतः राजभाषा हिन्दी में-सबकी अपनी भाषा में-जन भाषा में सम्पन्न हुए जिसके लिए प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक श्री राममूर्ति दुबे एवं उनकी टीम की सर्वत्र सराहना की गई। कार्यक्रम में महाप्रबंधक (प्रचालन) श्री के॰ ए॰ पी॰ सिंह, महाप्रबंधक (प्रबंधन सेवाएं) श्री के॰ एस॰ कंग, उप महाप्रबंधक (संगठन एवं पद्धतियां) श्री एस॰ सी॰ मलिक, प्रमुख (संपर्क प्रशासन व जन संपर्क) तथा राजभाषा अधिकारी श्री शंभूशरण शुक्ल एवं अन्य उच्चाधिकारी उपस्थिति थे।

धन्यवाद ज्ञापन-श्री राममूर्ति दुबे, प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा किया गया जिसमें उन्होंने आयोजन के सफलता में विभिन्न विभागों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।

डॉ॰ गिरीश जी॰ सिंघल, सहायक प्रबंधक (राजभाषा) ने माननीय श्री राममूर्ति दुबे एवं उनके सहयोगियों को सम्पूर्ण कार्यक्रम हिन्दी में आयोजित कर राजभाषा के प्रचार-प्रसार में सार्थक सहयोग देने के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया।

केनरा बैंक, मण्डल कार्यालय, मेरठ वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक वर्ग के हिन्दी प्रतिनिधियों की बैठक

दिनांक 14 जुलाई 1993 को केनरा बैंक, मेरठ मंडल की शाखाओं के वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक वर्ग के हिन्दी प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया। मेरठ मण्डल के मण्डल प्रबंधक श्री टी॰ चौकलिंगम् तथा मंडल को मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बुलंदशहर, रामपुर जनपद की 30 शाखाओं के वरिष्ठ प्रबंधकगण/प्रबन्धकगण प्रथम हिन्दी प्रतिनिधि के रूप में मौजूद थे। मेरठ मण्डल की शाखाओं में भारत सरकार की राजभाषा नीति तथा वर्ष 1993-94 के वार्षिक कार्यक्रम का और भी प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन हो, जिससे शाखाओं के प्रधान स्वयं रुचि लेकर हिन्दी रूपी रथ को आगे बढ़ाने में खुले दिल से योगदान दें, साथ ही वे शाखा में कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों का भी मार्गदर्शन/प्रेरित करें। कार्यक्रम का शुभारम्भ श्रीमती कंचनलता गुप्ता और श्रीमती हर्ष छावड़ा द्वारा की गई ईश वन्दना से हुआ। राजभाषा प्रबन्धक श्रीमती जीवनलता जैन ने सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला, तत्पश्चात, मंडल प्रबंधक श्री टी॰ चौकलिंगम ने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों की भाँति भारतवर्ष में हमें राष्ट्रभाषा हिन्दी को वास्तविक रूप से अपनाना चाहिए। भारत सरकार की राजभाषा नीति के अन्तर्गत वार्षिक राजभाषा कार्यान्वयन कार्यक्रम को और भी प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के प्रयास करने चाहिए। श्री टी॰ चौकलिंगम् ने आशा व्यक्त की कि हालांकि मेरठ मंडल की शाखाओं में पहले से ही काफी काम हिन्दी में हो रहा है, फिर भी हमारी शाखाओं के प्रधान इस कार्य को और भी रुचि लेकर इसे इस प्रकार आगे बढ़ायेंगे कि लखनऊ अंचल के समस्त मण्डलों में मेरठ मंडल अपना प्रथम स्थान बनाए रखेगा।

बैठक में मेरठ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य श्री राम इकबाल चौबे और इंडियन ओवरसीज बैंक के मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा अधिकारी श्री लायक राम ने भी भाग लिया।

शाखाओं में हिन्दी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने पर पाया गया कि 13 शाखाओं में 90% से अधिक कार्य हिन्दी में हो रहा है। 12 शाखाओं में 80% से अधिक पत्राचार/कार्य हिन्दी में हो रहा है। 3 शाखाओं में 50% से अधिक तथा बाकी तीन शाखाओं में 50% से नीचे पत्राचार/कार्य हिन्दी में हो रहा है। हालांकि 31 में से 25 शाखाओं में 80% से अधिक कार्य हिन्दी में हो रहा है, फिर भी इस बात पर बल दिया गया कि न केवल इन प्रयासों को जारी रखा जाए बल्कि इन्हें और बढ़ाया जाए।

बैठक में वर्ष 1993-94 के वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए मद-वार चर्चा की गयी। शाखा प्रधानों ने आश्वासन दिया कि वे इस दिशा में अपने प्रयास जारी रखेंगे और हिन्दी कार्यों को बढ़ायेंगे भी। कुछ अहिन्दी भाषी प्रबन्धकों ने, जिनका हिन्दी ज्ञान अल्प या सीमित है, इस कठिनाई का उल्लेख किया कि उन्हें स्थानीय ग्रामीण की स्थानीय हिन्दी बोली को समझने में कठिनाई होती है। बड़ौत शाखा के प्रबन्धक श्री सर्वज्ञ शेखर गुप्त ने इस कार्य में सहयोग देने की पहल की। उन्होंने कहा कि वे बड़ौत व आस पास की शाखाओं के ऐसे प्रबन्धकों/अधिकारियों के लिए रविवार के दिन अपने घर पर कक्षा लगाकर उनकी स्थानीय बोली को समझने में मदद कर सकते हैं। अंचल कार्यालय के श्री उपेन्द्र नारायण पाण्डेय ने सूचित किया कि शीघ्र ही अर्थात नवम्बर माह में आगरा के स्टाफ प्रशिक्षण कालेज में दक्षिण भारत से आए ऐसे अधिकारियों के लिए हिन्दी अनुकूलन पाठयक्रम चलाया जायेगा जिसमें मेरठ मंडल के ऐसे वरिष्ठ प्रबंधकों/प्रबंधकों को प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। कठिनाई महसूस करने वाले ऐसे वरिष्ठ प्रबंधकों/प्रबंधकों ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की।

डा॰ उपेन्द्र नारायण सेवक पाण्डेय, प्रबन्धक, राजभाषा अनुभाग अंचल कार्यालय, लखनऊ ने तथा श्रीमती जीवनलता जैन, प्रबन्धक मंडल कार्यालय ने प्रतिभागियों को सरकारी राजभाषा नीति के यथासंभव अनुपालन पर बल देते हुए उन्हें वांछित मार्गदर्शन दिया, साथ ही उनकी शंकाओं/समस्याओं का यथा-सम्भव निराकरण किया।

हिन्दी संपर्क अधिकारियों का सम्मेलन

आन्ध्र बैंक द्वारा दिनांक 23 अक्तूबर 1993 को नई दिल्ली अंचल की पूरे उत्तर भारत में फैली शाखाओं के हिन्दी संपर्क अधिकारियों/लिपिकों का एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के निदेशक थे। अंचल प्रबंधक श्री ए॰ नरसिंहा जी अध्यक्ष थे।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना से हुआ। उसके बाद अंचल के राजभाषा अधिकारी श्री केशर सिंह ने सम्मेलन आयोजित करने का उद्देश्य व संपर्क सेतु के रूप में कार्य कर रहे संपर्क अधिकारियों/लिपिकों की महत्वपूर्ण भूमिका समझाई।

मुख्य अतिथि डा॰ गंगा प्रसाद विमल ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आन्ध्र बैंक ने अंचल में राजभाषा अधिकारियों के अलावा अपनी अभी शाखाओं में हिन्दी की कार्य देखने के लिए संपर्क अधिकारी/लिपिक नियुक्त किए हैं। उन्होंने हिन्दी अनुपालन पर चर्चा करते हुए बताया कि संभव है कुछ लोक हिन्दी को आगे बढ़ाने के इन प्रयासों को हल्के ढ़ंग से लें किन्तु हमें अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना है। हमें इस बात पर पूर्ण आशावान होना चाहिए कि निश्चित रूप से हिन्दी का प्रयोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। किसी भी कार्यालय या बैंक में इसे यदि और गतिवान बनाना है तो संपर्क अधिकारियों/लिपिकों को अधिक कारगर भूमिका निभानी होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो कर्मचारी सच्चे हृदय से हिन्दी में कार्य करना चाहता है उसको कोई रोकने वाला नहीं है।

इसके बाद श्री ए॰ नरसिंहा, अंचल प्रबंधक ने कहा कि थोड़ा बहुत प्रयास करने से हिन्दी में कार्य करना आसान है। केवल कर्मचारियों के मन में यह बात भली भाँति आनी चाहिए। उन्होंने सभी संपर्क अधिकारियों/लिपिकों से अपील की कि पहले से पूर्णतः इस बात को हृदयगम कर लें कि हिन्दी का प्रयोग करना सरल है। सभी वे अपने अन्य साथियों को अभी अभिप्रेरित कर सकते हैं।

इससे पहले श्री के॰ रमणमूर्ति, मुख्य प्रबन्धक ने सभी उपस्थितों का स्वागत किया। तत्पश्चात राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की शाखावार समीक्षा की गई।

गोवा में छठा अखिल राजभाषा सम्मेलन

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125 वीं जन्म जयन्ती तथा "भारत छोड़ो" आन्दोलन की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर गोवा में 2-4 अक्टूबर-93 तक राष्ट्रीय हिन्दी अकादमी, रूपाम्बरा द्वारा राष्ट्रीय एकता, अखण्डता तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु आयोजित छठा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन हिन्दी के प्रख्यात लेखक, विद्वान एवं 'नवभारत टाइम्स' के मुख्य सम्पादक डॉ॰ विद्यानिवास मिश्र ने किया। सम्मेलन में तेलुगु के सुप्रसिद्ध कवि श्री शेषेन्द्र शर्मा को 'सुब्रमण्यम् भारती राष्ट्रीय साहित्य सम्मान', हिन्दी के सुपरिचित कवि डॉ॰ श्याम सिंह "शशि" को 'जयशंकर प्रसाद राष्ट्रीय सम्मान' एक भारत नाट्यम की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना सुश्री अनिता षडमुखनाथन को 'राष्ट्रीय कलाभारती सम्मान' से सम्मानित किया गया। उस अवसर पर वर्ष 1993-94 के राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कारों की घोषणा भी की गई। जिसमें श्री मोटूरि सत्यनारायण को 'राष्ट्रभाषा-रत्न सम्मान', श्रीमती माधव कुट्टी (मलयालम) को केशवसुत सम्मान, श्री मनोहर सरदेसाई (कोंकणी) को सातवाहन सम्मान, श्री आनन्द यादव (मराठी) को 'बालकृष्ण शर्मा नवीन सम्मान', श्री राधावल्लभ त्रिपाठी (संस्कृत) को कम्बन सम्मान तथा श्री सत्यदेव दुबे (नाट्यकार) को राष्ट्रीय कलाभारती सम्मान प्रदान किया गया। प्रवर समिति के अध्यक्ष डा॰ विधानिवास मिश्र, डॉ॰ गंगाप्रसाद विमल, डॉ॰ बालशौरि रेड्डी, डॉ॰ कृष्णकुमार गोस्वामी, डॉ॰ रुक्माजी राव "अमर", डॉ॰ चन्द्रकान्त वांदिवडेकर तथा श्री स्वदेशी भारती (संयोजक) हैं।

डॉ॰ विद्यानिवास मिश्र ने कहा कि हिन्दी देश को जोड़ने वाली भाषा है। राष्ट्र की गौरवशाली परम्परा को संरक्षित रखने के लिए भाषा के संस्कार को अपनाना ही श्रेयस्कर है। उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति का आकलन करते हुए आज के परिवेश पर चिन्ता व्यक्त की तथा कहा कि भाषा एवं संस्कृति की मूलभावना द्वारा ही भारतीय जनमानस को एकता के सूत्र में बांधकर देश की प्रगति के साथ जोड़ा जा सकता है। भाषा और संस्कृति विहीन राष्ट्र समय की निरन्तरता के साथ कभी भी चल नहीं सकता।

श्री स्वदेश भारती, राष्ट्रीय हिन्दी अकादमी, ने देशभर से आए दो सौ प्रतिनिधियों तथा अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय भाषाओं के विकास में ही हिन्दी का भविष्य सुरक्षित है। अंतः सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य के उन्नयन हेतु हिन्दी का योगदान आवश्यक है। डॉ॰ रत्नाकर पांडेय, पूर्व संसद सदस्य ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र को एकता के सूत्र में जोड़ने वाली भाषा हिन्दी ही है तथा हिन्दी को अब राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना ही देश की अखण्डता के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

तीन दिवसीय सम्मेलन के अवसर पर विशेष हिन्दी प्रशिक्षण कार्यशाला, राजभाषा प्रदर्शनी, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रयोग, राजभाषा अधिनियम, नियम तथा विभिन्न प्रावधान, संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण, सिफारिशों तथा कार्यान्वयन, राष्ट्रीयता, अखण्डता तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी की अस्मिता आदि विषयों पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। कार्यशाला के तीन श्रेष्ठ प्रतिभागियों को अकादमी राजभाषा शील्ड पुरस्कार प्रदान की गई। जिनमें श्री ब्रजमोहन भट्ट (नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लि॰) प्रथम, श्री जिले सिंह गौड़ (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया) द्वितीय, श्री आलोक कुमार रस्तोगी (बैंक नोट मुद्रणालय) तृतीय शामिल है।

"राजभाषा प्रदर्शनी शील्ड पुरस्कार" प्रतियोगिता में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया — (द्वितीय), महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे — (तृतीय) को शील्ड पुरस्कार तथा उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान - लखनऊ को (श्रेष्ठता का पुरस्कार) प्रदान किया गया। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भारत की विभिन्न भाषाओं के तीस कवियों ने भाग लिया। कवि सम्मेलन डॉ॰ पी॰ आर॰ दुभाषी, कुलपति, गोवा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ जिसमें प्रमुख रूप से तेलुगू कवि श्री शेषेन्द्र शर्मा, कोंकणी कवि सर्वश्री मनोहर सरदेसाई, नागेश करमली, रमेश वेलुस्कर, श्रीमती चन्द्रलेखा डिसूजा, हिन्दी के सर्वश्री श्याम सिंह "शशि", जगदीश चतुर्वेदी स्वदेश भारती, डॉ॰ गंगाप्रसाद विमल, राजेन्द्र पटोरिया, डॉ॰ रोहितश्व, महेन्द्र कार्तिकेय, रुक्माजी राव 'अमर', डॉ॰ विद्याविन्द सिंह, सुश्री रेणुका शिरहट्टी, श्री दुर्गादास तथा अन्य विशिष्ट कवियों ने भाग लिया। इस अवसर पर रेणुका शिरहट्टी की कविता - पुस्तक 'खामोश चीख' का विमोचन कविवर शेषेन्द्र शर्मा ने किया। डॉ॰ रत्नाकर पांडेय ने धन्यवाद ज्ञापन किया ।

दूसरे दिन की संगोष्ठी का विषय था, राजभाषा अधिकारियों की प्रबन्धकीय भूमिका। जिसमें श्री प्र॰ द॰ पुराणिक, डॉ॰ रत्नाकर पांडेय, स्वदेश भारती, डॉ॰ श्याम सिंह 'शशि', श्री मनमोहन चन्द्र मिश्र, श्री पौहारी शरण सिन्हा आदि ने भाग लिया।

अपराह्न में गोवा के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का परिदर्शन तथा स्वतंत्र चर्चा - सत्र रखा गया। जिसमें सभी प्रतिनिधियों एवं संकाय सदस्यों, अतिथियों ने भाग लिया। तीसरे दिन 4.10.93 को प्रातः कालीन सत्र 9 बजे से प्रारम्भ हुआ। विषय था - राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और राष्ट्रभाषा हिन्दी की अस्मिता। इस सत्र का विषय प्रवर्तन श्री स्वदेश भारती ने किया। अध्यक्षता डॉ॰ रत्नाकर पांडेय ने की। श्री जगदीश चतुर्वेदी ने आलेख पाठ किया। डॉ॰ कृष्ण कुमार गोस्वामी, डॉ॰ अमर कुमार सिंह, श्री के॰ रोशैया, डॉ॰ श्याम सिंह 'शशि', श्री पुराणिक, श्री शेषेन्द्र शर्मा , डॉ॰ स्वयंभू भट्टाचार्य ने अपने विचार व्यक्त किए। विचार चर्चा के दौरान वक्ताओं ने राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता के लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी की अनिवार्यता तथा भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। तीन अक्टूबर की शाम को सम्मेलन में भाग लेने वाले लेखकों, विद्वानों का 'कोंकणी लेखक संघ' ने स्वागत किया। इस अवसर पर कोंकणी, हिन्दी, तेलुगू मराठी आदि भाषाओं के लगभग 50 लेखक उपस्थित थे।

सम्मेलन के समापन सत्र के मुख्य अतिथि गोवा के मुख्यमंत्री डॉ॰ विल्फ्रेड डिसूजा थे। उन्होंने अपने संबोधन में सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों में से मुख्य रूप से दो प्रस्तावों को अपनी सहमति प्रदान की। इसमें गोवा में हिन्दी अकादमी की स्थापना तथा कोंकणी साहित्य का हिन्दी में अनुवाद तथा प्रकाशन पर होनेवाले खर्च के लिए राष्ट्रीय

हिन्दी अकादमी को अनुदान स्वरूप दो लाख रुपये का अनुदान शामिल था। उस अवसर पर बोलते हुए डॉ॰ डिसूजा ने कहा कि हिन्दी भारत की संपर्क भाषा है तथा उसे ही राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना चाहिए। गोवा की सांस्कृतिक एवं औद्योगिक प्रगति में कोंकणी और हिन्दी के उन्नयन, प्रचार-प्रसार पर अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में उन्होंने राष्ट्रीय हिन्दी अकादमी के कार्यों की प्रशंसा की तथा कहा कि गोवा में हिन्दी अकादमी की स्थापना तथा कोंकणी साहित्य के देश तथा विदेश में प्रचार-प्रसार के लिए गोवा सरकार की सहायता प्राप्त होगी।

समापन सत्र की अध्यक्षता तेलुगू के प्रख्या कवि श्री शेषेन्द्र शर्मा ने की। अपने अध्यक्षीय पद से बोलते हुए श्री शेषेन्द्र शर्मा ने कहा कि केवल हिन्दी ही देश को जोड़ने वाली भाषा है। देश की सांस्कृतिक परम्परा को ध्यान में रखते हुए हिन्दी को सभी स्तर पर अपनाना ही सबसे बड़ी राष्ट्रीयता है और साहित्यकारों के लिए सबसे बड़ा लेखकीय-कर्तव्य है। कमोडोर श्री राजवेंकटेश, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गोवा शिपयार्ड लि॰ ने राजभाषा हिन्दी के उत्तरोत्तर विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता के लिए पूरे देश में हिन्दी का प्रयोग जरुरी है। डॉ॰ गंगा प्रसाद विमल निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा डॉ॰ रुक्माजी राव 'अमर' ने सम्मेलन का सफल संचालन किया। समापन सत्र के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना सुश्री अनिता षडमुखनाथन ने भारत नाट्यम की विशिष्ट शैली का मनमोहक भाव-नर्तन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सरकारी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों के प्रतिनिधि, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना के निदेशक श्री अमर कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान - लखनऊ के निदेशक श्री राम सहाय लाल श्रीवास्तव, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान मैसूर के प्रभारी डॉ॰ कृष्ण कुमार गोस्वामी, डॉ॰ स्वयंभू भट्टाचार्य, क्षेत्रीय अधिकारी (पूर्व) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, हिन्दी एवं मराठी के सुप्रसिद्ध आलोचक, लेखक डॉ॰ चन्द्रकान्त वांदिवडेकर, डॉ॰ महेन्द्र कार्तिकेय, डॉ॰ रुक्माजी राव 'अमर', कवि जगदीश चतुर्वेदी, भारतीय भाषा परिषद, कलकत्ता के निदेशक श्री बालशौरि रेड्डी, आन्ध्र प्रदेश हिन्दी अकादमी की पूर्व अध्यक्षा कुमारी इन्दिरा देवी धनराजगीर, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पुणे के कार्याध्यक्ष श्री प्रभाकर द॰ पुराणिक, श्री काशी नाथ वाशिंम्कर, डॉ॰ यज्ञव्रत (बोंगाइ गांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो केमिकल्स लि॰), श्री मंगतराम धस्माना (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण), डॉ॰ आलोक कुमार (बैंक नोट मुद्रणालय), श्री अमरेन्द्र कुमार वर्मा (वस्त्र मंत्रालय), डॉ॰ लक्ष्मणाचार्य (हिन्दुस्तान केबिल्स लि॰), श्री रघुनाथ सहाय (नागर विमानन विभाग), श्री बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह (गंगाबाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना) आदि में सम्मेलन ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

सम्मेलन के श्रेष्ठ प्रतिनिधि सम्मान के लिए श्री प्र॰ द॰ पुराणिक, कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र सभा, पुणे का नाम सर्वसम्मति से प्रस्तावित किया गया।

यूसील में तकनीकी हिंदी कार्यशाला

दिनांक 2 अगस्त 1993 को यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि॰, जादुगोड़ा में एक पांच दिवसीय तकनीकी हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कारपोरेशन के 22 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि तथा यूसील के अध्यक्ष, एवं प्रबंध निदेशक श्री जे॰ एल॰ भसीन द्वारा किया गया। शी महेन्द्र प्रसाद सेठ, यूसील रा॰भा॰का॰स॰ ने मुख्य अतिथि एवं सभी उपस्थित अधिकारियों विभिन्न विभागाध्यक्षों तथा प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने सभी अधिकारियों एवं प्रतिभागियों को बताया कि "परिश्रम और अभ्यास से हिंदी में तकनीकी शब्दों के प्रयोग में दक्षता पाई जा सकती है। यह कहना सरासर गलत है कि तकनीकी कार्यों को हिन्दी में किया जाना संभव नहीं है।"

हिन्दी कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, श्री एम॰ पी॰ सेठ ने उन्नतशील देशों में अपनी भाषा की प्रयोग की चर्चा करते हुए बताया कि हमें भी हिन्दी भाषा का प्रयोग करते हुए तकनीकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना जारी रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि परमाणु ऊर्जा विभाग के हैदराबाद स्थित नाभिकीय ईंधन संमिश्र, भारत डायनामिक्स लि॰, रक्षा धातुकी अनुसंधान प्रयोगशाला, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि॰, इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मायूटिकल्स लि॰ राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि॰, राष्ट्रीय दूर संवेदन प्राधिकरण, केन्द्रीय संस्थान आदि में हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। श्री सेठ ने कहा कि इन जगहों में हिन्दी कार्यशालायें आयोजित कर इस दिशा में प्रगति की गई है जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। यूसील रा॰भा॰ अधिकारी श्री एस॰ एन॰ शाह ने मुख्य अतिथि श्री भसीन के सुझाव के लिए आभार व्यक्त करते हुए तथा तकनीकी हिन्दी कार्यशाला की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस कार्यशाला की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें व्याख्यान देने वाले सभी व्याख्याता अहिन्दी भाषी है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। चूंकि यह अपने स्तर की अलग कार्यशाला है अतः इसमें भाग लेने वाले सभी वैज्ञानिकों एवं अभियंताओं को व्याख्यान समझने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अधीक्षक (मिल), श्री यू॰ के॰ तिवारी ने कार्यशाला की सफलता की कामना की। इस अवसर पर स्वास्थ भौतिकी प्रभाग के प्रभारी अधिकारी, श्री अमीर हसन खान, पुस्तकालय अध्यक्ष, श्री आर॰ के॰ सिंह, अतिरिक्त अधीक्षक (मिल) श्री आर॰ पी॰ वर्मा ने बहुमूल्य विचार रखे। कार्यशाला में उप कमान्डेंट, औ॰ सु॰ बल श्री एस॰ के॰ चड्डा, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (माइन्स), श्री सी॰ पी॰ वर्मा, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (कल्याण), श्री एस॰ के॰ श्रीवास्तवा भी उपस्थित थे। कार्यशाला के प्रथम दिन स्वास्थ भौतिकी के प्रभारी अधिकारी औद्योगिक सुरक्षा पर अपने विचार व्यक्त किये। कार्यशाला को सुचारु रूप से चलाने में श्री मदन मोहन प्रसाद, हिन्दी आशुलिपिक ने अपना विशेष योगदान दिया। कार्यशाला के अंत में श्री एस॰ एन॰ शाह ने आगत सभी प्रशिक्षणार्थियों का धन्यवाद ज्ञापन किया।

पशुपोषण पर प्रथम हिंदी त्रैमासिकी
'पशुपोषण अनुसंधान दर्शन'

4/227, विकास नगर, लखनऊ

कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में हो रहे नित-नवीन वैज्ञानिक अनुसंधानों की जानकारी किसानों की भाषा में हो, इस दिशा में देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के सामूहिक प्रयास से पहले हिन्दी त्रैमासिक पत्रिका **"पशुपोषण अनुसंधान दर्शन"** का विमोचन पशुपालन विभाग उ०प्र० के अवकाश प्राप्त पहले पशुपोषण विज्ञानी निदेशक एवं अखिल भारतीय पशु विज्ञान लेखक संघ के अध्यक्ष डॉ० बी० एस० श्रीवास्तव द्वारा किया गया। डॉ० श्रीवास्तव ने विमोचन के अवसर पर लोगों को बताया कि आज पशुपालकों को पशुपोषण की नवीन तकनीकों से लाभान्वित कराना परम आवश्यक है क्योंकि आज भी उनकी अपनाई हुई विधियां पारम्परिक ही हैं। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता कर रहे **'भारत भारती'** सम्मान प्राप्त - **अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी समिति (वाशिंगटन) अमेरिका** के संस्थापक डॉ० कुंवर चन्द्रप्रकाश सिंह ने कहा कि - "हमारे देश में अधिकांश लोग अपने पोषण की जानकारी नहीं रखते भला उन्हें ठीक प्रकार से अपने पशुओं के पोषण की जानकारी कैसे होगी? आज लोगों को सरल भाषा में लिखे साहित्यों के माध्यम से अवगत कराना बहुत ही जरुरी है।"

इस अवसर पर अखिल भारतीय पशु विज्ञान लेखक संघ के अध्यक्ष डॉ० बी० एस० श्रीवास्तव ने बड़ा ही रोचक हवाला पेश करते हुए कहा कि पशुपालन व्यवसाय में दो तिहाई खर्च पशु पोषाहार पर बैठता है। जिसे पशुओं के उचित खान-पान की व्यवस्था करके काफी हद तक घटाया जा सकता है। संतुलित भोजन देने से दो से तीन गुना उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पशुपालकों को इसके लिए नवीन खोजों को अपनाना होगा। आज इस दिशा में अनेक वैज्ञानिकों के प्रयास से प्रकाशित यह त्रैमासिक पत्रिका एक प्रसंशनीय कदम है।

पत्रिका के सम्पादक श्री आर० बी० चौधरी जो पशुपोषण अनुसंधान एवं लेखन के दिशा में वर्षों से जुड़े हुए इस प्रकाशन के लिए प्रयत्नशील रहे हैं, ने पत्रिका का परिचय देते हुए कहा कि हमारे देश में कोई 30 प्रतिशत ग्रामोपयोगी नवीन तकनीकें गांवों तक पहुंच पा रही है। इसमें भाषाई समस्या एक मुख्य अड़चन है। श्री चौधरी ने कहा कि वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों द्वारा भाषा और विषयज्ञान में समन्वय हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। इस दिशा में देश में पहली बार कृषि/पशुपालन के अकेले विषय पर विशेषज्ञों के द्वारा प्रयोगशालायी ज्ञान, किसानों तक ले जाने का एक पहला नमुना है। इस बात की पुष्टि करते हुए डॉ० कुंवर चन्द्रप्रकाश सिंह ने बताया कि जब वे कुछ माह पूर्व अमेरिका में वैज्ञानिकों को हिन्दी में वैज्ञानिक लेखन के लिए कहा, तो वे लोग हिन्दी भाषियों के लाभार्थ वहां की खोजों को एक वैज्ञानिक प्रकाशन के माध्यम लिखने हेतु राजी हो गये। आज हमारे देश में ऐसे कार्यों को पूर्ण प्राथमिकता देनी चाहिए और सरकार द्वारा भली-भांति प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे युवा वैज्ञानिक खुलकर सामने आयेंगे।

कार्यक्रम के अन्त में प्रगतिशील युवा लेखक डॉ० पी० के० त्रिपाठी ने आगन्तुकों के प्रति आभार प्रकट किया। डॉ० त्रिपाठी ने प्रकाशन से जुड़े विशेषज्ञों के प्रयास की सराहना की और कहा कि डॉ० के० के० सिंघल, डॉ० डी० के० वर्मा, डॉ० सी० बी० सक्सेना , सम्पति कुमार, अशोक मिश्र, लवकुश यादव, डॉ० सर्वेशचन्द्र और डॉ० जहीर आदि ने महत्वपूर्ण दायित्व वहन किया। विमोचन कार्यक्रम का मनमोहक संचालन डॉ० एम० पी० शुक्ल तथा कार्यक्रम संयोजन डॉ० वी० डी० मुदुगल-उपाध्यक्ष भारतीय पशुपोषण सोसाइटी द्वारा किया गया।

गुवाहाटी में कंप्यूटर प्रदर्शनी

दिनांक 03.09.93 को भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा "कंप्यूटरों के द्विलिपीय संचालन" विषय पर संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन रवीन्द्र भवन, जिला पुस्तकालय के निकट, जी० एन० बी रोड, गुवाहाटी में किया। श्री रजनीकांत चक्रवर्ती, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा श्री जी० के० खरे, महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित प्रमुख केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। चार द्विभाषी साफ्टवेयर/हार्डवेयर निर्माताओं ने भी इस प्रदर्शनी में भाग लेकर अपने उत्पाद की विशेषताओं का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कुछ केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों तथा नराकास को संघ की राजभाषा नीति को "उत्कृष्ट" ढंग से लागू करने के लिए प्रमाण पत्र दिए गए।

इस संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर के लिए द्विभाषी सुविधाओं की उपलब्धता तथा उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी का प्रसार करना था। यह जानकारी वर्तमान सुविधाओं का राजभाषा नीति के अनुरूप प्रयोग करने में सहायक सिद्ध होगी। साथ ही इसके द्वारा साफ्टवेयर/हार्डवेयर निर्माताओं को उपभोक्ताओं के साथ चर्चा करने का अवसर भी प्रदान किया गया ताकि वे अपने उत्पाद में आवश्यक सुधार कर उसे उपभोक्ता के लिए अधिक प्रयोग सुलभ बना सकें।

सभी प्रतिभागियों ने इस संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी में तत्परता के साथ भाग लिया। यह संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी उनके लिए अत्यधिक आकर्षक, ज्ञानवर्धक एवं रुचिकर रही।

जयपुर में राजभाषा संगोष्ठी

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जयपुर में अगस्त 30, 1993 को जयपुर स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

संगोष्ठी का उद्घाटन विकास बैंक के उप महाप्रबन्धक श्री जी० वी० रंगनाथम ने किया। उन्होंने कहा कि यह संगोष्ठी राजभाषा नीति के बारे में खुली चर्चा करने तथा इसके प्रयोग में आने वाली समस्याओं का हल ढूंढने का मौका देगी। उनका यह भी मत था कि हिन्दी का प्रयोग करते समय हमें **ग्राहक विशेष** तथा **परिस्थिति विशेष** के महत्व को अच्छी तरह समझना चाहिए और सुलभ सम्प्रेषण के लिए द्विभाषिकता से परहेज नहीं करना चाहिए। साथ ही सरल तथा बोलचाल की भाषा प्रयोग में लानी चाहिए।

कार्यक्रम के मुख्य अथिति निदेशक, भाषा तथा संस्कृति विभाग डा० कलानाथ शास्त्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हिन्दी के विकास के साथ-साथ अन्य राष्ट्रीय भाषाओं को भी सम्मान मिला है। इसके अलावा हिन्दी का अब अन्तर्राष्ट्रीयकरण भी हो रहा है। आजकल हिन्दी का प्रयोग भारत के अलावा विदेशों में भी बढ़ रहा है। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने हिन्दी का पूर्ण प्रचार-प्रसार होने तक हिन्दी और अंग्रेजी

के बीच समुचित समन्वय की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हमारे लिये महत्वपूर्ण है लेकिन अनिवार्य नहीं। हिन्दी के शुरूआती प्रयोग में हमें शुद्धता व सटीकता पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिये। इसका अविरल प्रयोग इसकी अशुद्धताओं को स्वयं ही दूर कर देगा।

प्रतिभागियों को राजभाषा नीति—हिन्दी प्रयोग के नए आयामों के बारे में बताकर **"बैंकों में हिन्दी प्रयोग—समस्याएं एवं समाधान"** विषय पर खुलकर चर्चा की गई। सभी प्रतिभागियों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। हिन्दी के बारे में संकाय सदस्यों ने इनकी जिज्ञासाओं, शंकाओं तथा समस्याओं का इस प्रकार से समाधान किया कि संगोष्ठी के समापन के समय वे हिन्दी के प्रयोग की आवश्यकता को मानसिक रूप से स्वीकार कर चुके थे। चर्चा के दौरान सभी इस बात के लिए सहमत थे कि प्रतियोगी परीक्षा में हिन्दी का विकल्प देने से हिन्दी का विकास निर्बाध गति से बढ़ेगा।

संगोष्ठी का समापन प्रबन्धक, विकास बैंक श्री अरूण कुमार डे ने किया। सभी प्रतिभागियों ने इसे अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा बहुत ही उपयोगी बताया और कहा कि इसके परिणाम हिन्दी को बढ़ावा देने में बहुत ही अच्छे निकलेगें।

पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात हिन्दी अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम

पूर्व क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, बिहार, ओड़ीसा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम, सिक्किम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, नांगालैंड, मिजोरम तथा त्रिपुरा) में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थाओं आदि में तैनात हिन्दी (राजभाषा) अधिकारियों के लिए एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा बैठक 23 व 24 अगस्त, 1993 को पटना स्थित ए० एन० सिन्हा इंस्टीट्यूट आफ सोशल स्टडीज के सभागार में आयोजित हुई। इस कार्यक्रम में लगभग 235 अधिकारी शामिल हुए। बैंक आफ इंडिया, अंचल कार्यालय, पटना के नेतृत्व में बैंक न०रा०का०स० पटना के सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय द्वारा किया गया।

बैंक न०रा०का०स० के सचिव श्री चेतन चान्दना ने सम्राट चन्द्रगुत तथा अशोक की नगरी पाटलिपुत्र में सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

बैंक आफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक श्री ए० एन० गांधी ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि हम एक राष्ट्रीय कार्य के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। राजभाषा की प्रगति के संबंध में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा यह दायित्व है कि हम राजभाषा की रिपोर्टों में सही प्रगति दिखाएं और जहां कमियां हैं उन्हें दूर करें ताकि राजभाषा की प्रगति हो सके ताकि हम जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें।

उप निदेशक (कार्यान्वयन), पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र श्री हरिओम श्रीवास्तव ने कहा कि राजभाषा संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों की जानकारी कम-से-कम सभी हिन्दी अधिकारियों को होनी चाहिए, तभी वे सक्रिय और सार्थक भूमिका निभा सकेंगे। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर जारी राजभाषा विभाग के आदेशों की जानकारी उन्होंने सभी उपस्थित अधिकारियों को दी।

सेन्ट्रल बैंक आ ॅफ इंडिया के उप महाप्रबंधक श्री बी० के० भंडारी ने कहा कि राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की भूमिका गांवों के लिए अहम हो गई है। इसलिए यह बहुत ही जरूरी हो गया है कि हम ग्राहक से उसकी भाषा में बात करें तथा काम करें। यह काम हिन्दी बहुत अच्छी तरह कर रही है। हमारे चैक, बैंक ड्राफ्ट तथा अन्य कार्यों के माध्यम से हम जनता तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हिन्दी अधिकारी को वरिष्ठ अधिकारियों के सलाहकार के रूप में भी काम करना है तभी उनकी सार्थकता होगी।

श्री बी० डी० टेकड़ीवाल, मुख्य महाडाक अध्यक्ष एवं नराकास (कार्यालय) ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि वह काफी समय अहिन्दी भाषी क्षेत्र में थे। हिन्दी के प्रति जो लगाव उन क्षेत्रों में था वह हिन्दी भाषी क्षेत्रों में नहीं है और ऐसा लगता है कि हिन्दी के प्रति हिन्दी क्षेत्रों में ज्यादा उदासीनता पाई जाती है। उन्होंने कहा कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अनुवाद की प्रक्रिया कम की जाए क्योंकि अनुवाद तो हो जाता है परन्तु उसमें भाषायी भाव नहीं आ पाते हैं। इसलिए हमें अपने नोट सीधे हिन्दी में ही लिखने चाहिए, इससे जो हम सोचते हैं वह लिख सकते हैं।

प्रथम कार्यकारी सत्र "सरकारी नीति, नवीनतम आदेश, निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां" विषय पर श्री श्रीवास्तव, उप निदेशक (कार्यान्वयन) ने विद्यमान आदेशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धारा 3(3) के अंतर्गत आनेवाले कागजात उस प्रकार तैयार कराए जाएं कि एक ही पृष्ठ के बाईं और आधे हिस्से में हिन्दी तथा दाहिनी और दूसरे आधे हिस्से में अंग्रेजी हो। इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कुछ वर्षों के बाद यदि किसी वजह से आदेश पहले हिन्दी में जारी कर दिए गए और बाद में अंग्रेजी में जारी किए गए तब कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर स्टाफ की भर्ती, टाइपराइटरों की खरीद, कंप्यूटर आदि इलेक्ट्रानिक उपकरण, पत्राचार आदि के लिए निर्धारित लक्ष्य, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री आदि विषयों पर जारी आदेशों की जानकारी देते हुए इन पर विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि तिमाही रिपोर्ट को सही और वास्तविक प्रगति के आधार पर तैयार किया जाए ताकि वास्तविक प्रगति ज्ञात हो सके। प्रायः तिमाही प्रगति रिपोर्ट बनाते समय पूरी तरह सावधानी नहीं रखी जाती। परिणाम यह होता है कि जब सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त हो जाते हैं तो अगले वर्ष लक्ष्य बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार यह गलती लगातार होती जा रही है। तिमाही रिपोर्ट में दिखाई गई प्रगति कार्यालयों में नहीं पाई जाती। इनमें कहीं एकरूपता होनी चाहिए।

दूसरे कार्यकारी सत्र में "अनुवाद की सहजता और सृजनात्मकता" विषय पर यूको बैंक के मुख्य प्रबंधक डा० सुभाषचन्द्र पालीवाल का लेख पढ़ा गया तथा श्री चन्द्रगोपाल शर्मा, वरि० राजभाषा अधिकारी (रेलवे) और श्री कृष्ण मोहन मिश्र, मुख्य अधिकारी (राजभाषा) सेन्ट्रल बैंक आ ॅफ इंडिया केन्द्रीय कार्यालय बम्बई ने इस विषय पर अपने व्याख्यान दिए तथा विचार रखे।

तीसरे कार्यकारी सत्र में "राजभाषा के कार्यान्वयन में द्विभाषी यांत्रिक सुविधाएं" विषय पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, गुवाहाटी के श्री नरेश श्रीवास्तव ने आधुनिक सभी यांत्रिक सुविधाओं के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी। इसी विषय पर श्री फूल चंद्र महतो स० नि० के० उ० शु० पटना ने भी अपने विचार रखे।

चतुर्थ सत्र में "विद्यमान परिस्थितियों में कार्यान्वयन की चुनौतियां" विषय पर श्री चेतन चांदना, उपमुख्य अधिकारी बैंक आॅफ इंडिया, पटना तथा श्रीमती माधवी सिंह, हिंदी अधिकारी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० अंचल कार्यालय कलकत्ता ने अपने लेख पढ़े।

इस सभी सत्रों की अध्यक्षता क्रमशः सेन्ट्रल बैंक आॅफ इंडिया अंचल कार्यालय पटना के उप आंचलिक प्रबंधक श्री नटराजन, इलाहाबाद बैंक क्षेत्रीय कार्यालय पटना के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री सिन्हा, यूनाइटेड बैंक आॅफ इंडिया, प्रधान कार्यालय कलकत्ता के मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) श्री सच्चिदानंद राय तथा इंडियन आयरन एंड स्टील कं० लि० बर्नपुर के राजभाषा प्रबंधक श्री पी० एस० सिन्हा ने किया।

इस दो दिन के कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषयों पर उपस्थित अधिकारियों ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए:—

1. "क" या "ख" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालय को 40% हिंदी में पत्र भेजना है परन्तु "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालय अधिसूचित हैं या नहीं, इसकी जानकारी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद भेजना जरूरी है। इससे पत्राचार का प्रयोजन समाप्त हो जाता है। पत्र अंग्रेजी में ही भेजने पड़ते हैं। यह परस्पर विरोधी हैं। इस पर राजभाषा विभाग को स्पष्ट आदेश जारी करने चाहिए।
2. नियम 5 तथा 7 का शिकंजा दिन-प्रतिदिन कसता जा रहा है। जिसकी वजह से कार्यालय द्विभाषी रूप में पत्र जारी करते हैं। इसका जवाब अंग्रेजी में प्राप्त होता है क्योंकि द्विभाषी रूप में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देने की बाध्यता नहीं है।
3. कार्यालयों में टैलेक्स/टेलीप्रिन्टर/कंप्यूटर/फैक्स का उपयोग बढ़ रहा है। पत्र भेजने की संख्या कम हो रहीं है। इन उपकरणों से संदेश केवल अंग्रेजी में भेजे जा रहे हैं।
4. इलेक्ट्रानिक उपकरणों को खरीदने के लिए संबंधित अधिकारी आर्डर केवल अंग्रेजी (रोमन) उपकरण के लिए जारी करते हैं। बाद में कहते हैं कि अब तो खरीद लिया गया है। अगली बार देखा जाएगा। जरूरी है कि जो अधिकारी सरकारी राशि से सरकारी सामान सरकारी आदेशों के अनुरूप नहीं खरीदते हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।
5. वरिष्ठ अधिकारियों, कार्यपालकों आदि के लिए एक-दो घंटे की कार्यशाला/बैठक/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया जाए ताकि वे सरकारी आदेशों की जानकारी रखें और उसका पालन कराएं।
6. उपक्रमों, बैंकों आदि में सब-स्टाफ (समूह "घ") कर्मचारी हिंदी प्रवीण, प्राज्ञ सीखने की मांग करते हैं। उन्हें भी यह प्रशिक्षण दिया जाए क्योंकि उन्हें भी कुछ लिखने व पढ़ने का कार्य करना पड़ता है।
7. विभिन्न कार्यालयों/विभागों में हिंदी कार्य से जुड़े अधिकारियों के अलग-अलग नाम जैसे-हिंदी अधिकारी, सहायक हिंदी अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, सहायक निदेशक आदि हैं। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में इन्हें एक नाम दिया जाए जैसे सहायक निदेशक, उपनिदेशक आदि।
8. हिन्दी के पदों पर 20-20 वर्षों तक कार्य करने के बाद भी पदोन्नति की सुविधाएं केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/विभागों में नहीं हैं। इससे तैनात अधिकारियों में कुंठा और कार्य के प्रति उदासीनता होना लाजिमी है। राजभाषा विभाग ने देश में फैले केन्द्रीय सरकार के विभागों/कार्यालयों में तैनात हिंदी अधिकारियों की पदोन्नति आदि के लिए कोई निदेश नहीं जारी किया है। राजभाषा विभाग इस बारे में विचार करें और संबंधित कार्यालय के अन्य अधिकारियों के समान हिन्दी अधिकारियों की पदोन्नति आदि के संबंध में आदेश जारी करें।
9. सरकारी प्रतिबंध न होने के बावजूद हिन्दी पद सृजित नहीं किए जाते हैं, यदि सृजित हैं तो भरे नहीं जाते हैं। "ग" क्षेत्र में वैसे भी हिन्दी टाइपिस्ट, आशुलिपिक, अनुवादक नहीं मिलते हैं, पद 5-6 वर्ष तक खाली रहते हैं। सरकारी आदेशों के अनुसार किसी भी श्रेणी में यदि एक पद हों तो वे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भरे जाने चाहिए परन्तु, हिंदी पदों को आरक्षित श्रेणी में डाल दिया जाता है। इससे अभ्यर्थी के मिलने की संभावना क्षीण हो जाती है और पद रिक्त रहते हैं। यदि कभी सरकारी आदेशों के अनुसरण में पद सरेन्डर करने पड़ जाएं तो सबसे पहले हिंदी के पद ही सरेन्डर किए जाते हैं। राजभाषा विभाग को इस पर आवश्यक रूप से कार्रवाई करनी चाहिए।
10. सरकारी आदेशों के अनुसार कार्यालय/विभाग का प्रशासनिक प्रधान राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष होता है और हिंदी अधिकारी उस समिति का सचिव होता है। इस प्रकार राजभाषा कार्य के लिए हिंदी अधिकारी को सीधे प्रशासनिक प्रधान के पास रिपोर्ट करना चाहिए। कार्यालयों में हिंदी अधिकारी सबसे कनिष्ठ पद है। उसे विभिन्न माध्यम पार करते हुए प्रशासनिक प्रधान के पास पहुंच पाता है। फलस्वरूप राजभाषा के कार्य में न केवल देरी होती हैं बल्कि कनिष्ठ या मध्य स्तर के अधिकारी द्वारा उसके किसी सुझाव या कार्य पर रोक लगा दी जाती है।
11. नव नियुक्त अनुवादकों/हिन्दी अधिकारियों को शुरू में ही अनुवाद ब्यूरो में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

12. प्रत्येक विभाग के कार्य की प्रकृति के अनुसार हिन्दी अनुवादकों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए। केवल हिंदी या अंग्रेजी में स्नातक या एम०ए० होने से विज्ञान, इंजीनियरिंग, खान, टेकनिकल विषयों आदि के अनुवाद में काफी कठिनाई आती है और अनुवाद सही ढंग से नहीं हो पाता है। राजभाषा विभाग इस संबंध में आवश्यक निदेश जारी करें।

13. रंगराजन समिति (वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर) की सिफारिशों के अनुसार बैंकों में तेजी से कंप्यूटरीकरण हुआ है। जो काम हाथ से लिख हिंदी में किए जा रहे थे, वे कार्य कंप्यूटर की वजह से अंग्रेजी में किए जा रहे हैं। इसके लिए बैंकिंग प्रभाग, भारतीय रिजर्व बैंक और राजभाषा विभाग को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

14. सरकारी कार्यालयों, निगमों आदि में लगभग 90% टेलेक्स/टेलीप्रिन्टर डाकतार विभाग ने सप्लाई किए हैं। विभिन्न कार्यालयों ने वर्षों पूर्व द्विभाषी टेलेक्स/टेलीप्रिंटर के लिए अपनी मांग डाकतार विभाग के पास भेज रखा है परन्तु द्विभाषी उपकरण वे नहीं दे रहे हैं। राजभाषा विभाग इस संबंध में मंत्रालय स्तर पर कार्रवाई करें ताकि द्विभाषी टेलेक्स/टेलीप्रिंटर प्राप्त हो सके और उनका उपयोग हो सके।

15. विज्ञान, इंजीनियरिंग, खान, सर्वेक्षण आदि विभागों में तकनीकी (वैज्ञानिक, इंजीनियर आदि) अधिकारी अपने शोध पत्र अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी में छपता है तो पदोन्नति के समय उन्हें कुछ अंक और वरीयता दी जाती है। यदि वे अपने शोध हिंदी में लिखते हैं तो छपता नहीं, यदि किसी पत्रिका में छप जाता है तो उसे वह स्तर व वरीयता नहीं दी जाती जो अंग्रेजी के लिए दी जाती है। इस संबंध में राजभाषा विभाग के स्तर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि किसी ने अपना शोध हिंदी में लिखा हो तो उसे भी पदोन्नति आदि के समय वरीयता दी जानी चाहिए।

16. राजभाषा विभाग सभी कार्यालयों के लिए आदेश जारी करे कि हिंदी अधिकारियों/अनुवादकों को उनके संबंधित कार्यालयों के कार्य में प्रशिक्षण दिया जाए तथा आधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे कंप्यूटर आदि के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए ताकि वे कार्यालय में ठीक तरह अनुवाद कर सकें तथा उपकरणों आदि के बारे में सही जानकारी विभाग प्रमुख को दे सकें।

17. बी०सी०सी०एल० के प्रतिनिधि एवं नराकास धनबाद के सचिव ने हिन्दी अधिकारियों के लिए अगली बैठक एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम दिसंबर, 1993 के मध्य में नराकास धनबाद के सौजन्य से आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया।

इस दो दिनों के कार्यक्रम के आयोजनकर्त्ता न०रा०का०स० (बैंक) पटना को विशेष रूप से तथा आमंत्रित सभी अधिकारियों व इसके आयोजन में सहयोग देनेवाले सभी लोगों को श्री ओ०आर०के० मूर्ति, सं० नि० ने धन्यवाद दिया।

कुरूक्षेत्र में गणित शोध गोष्ठी-1993

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के ओर से 23-24 अप्रैल 1993 को कुरूक्षेत्र में एक गणित शोध गोष्ठी सम्पन्न हुई।

23 अप्रैल को दिन में 10 बजे कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हाल में दीप प्रज्ज्वलन तथा वाणी वन्दना के साथ उद्घाटन सत्र का शुभारम्भ कुरक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रति उपकुलपति डॉ० भीम सिंह डहिया ने किया।

डॉ० दहिया की ही अध्यक्षता में उद्घाटन सत्र सम्पन्न हुआ जिसमें गोष्ठी के संयोजक प्रो० निरंजन सिंह, अध्यक्ष, गणित विभाग, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय ने गोष्ठी सम्बन्धी सूचनाएँ प्रदान कीं।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के विज्ञानमंत्री डॉ० ओमप्रभात अग्रवाल, अध्यक्ष, विज्ञान विभाग, रोहतक यूनिवर्सिटी ने सम्मेलन द्वारा आयोजित पिछली विज्ञान गोष्ठियों का हवाला देते हुए इस गणित गोष्ठी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

उद्घाटन सत्र का संचालन प्रो० चरण लाल शर्मा, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय ने किया।

डॉ० पी० एल० शर्मा, प्रोफेसर, गणित विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर ने की-नोट एड्रेस प्रदान करते हुए "श्रीमद्भागवत गीता में आधुनिक गणित के बीज" विषय पर काफी रोचक-प्रेरक उद्गीथ वचन प्रदान किया।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के प्रधानमंत्री श्री श्रीधर शास्त्री ने आगत अतिथियों-प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सम्मेलन के उद्देश्यों तथा विधेयों की चर्चा की।

सम्मेलन के प्रधानमंत्री श्री श्रीधर शास्त्री ने गत दस वर्षों में सम्मेलन द्वारा जगन्नाथपुरी से द्वारकापुरी तक तथा कन्याकुमारी से दिल्ली तक आयोजित विविध कार्यक्रमों का उल्लेख किया और बताया कि सम्मेलन विज्ञान गोष्ठियों की ही भांति इतिहास-गोष्ठी, पत्रकार-गोष्ठी, विधि-गोष्ठी, द्विभाषा गोष्ठियों का आयोजन कर सभी क्षेत्रों में हिन्दी की प्रतिष्ठा के प्रति अपनी भूमिका वहन करने का प्रयत्न कर रहा है।

हिन्दी साहित्य परिषद बोकारो का 23वां स्थापना दिवस समारोह

बोकारो में गत स्वाधीनता दिवस के अवसर पर हिन्दी साहित्य परिषद बोकारो के 23वें स्थापना दिवस के अन्तर्गत धूमधाम से द्विदिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन बोकारो स्टील प्लाण्ट के प्रबन्ध निदेशक श्री बृजलाल क्षत्रिय ने किया और अध्यक्षता की श्री हरीदार भंडारी ने। विशिष्ट अतिथि के रूप में बोकारो के प्रसिद्ध श्रमिक नेता और स्वतंत्रता सेनानी पं० परमानन्द त्रिपाठी और कार्मिक एवं प्रशासन विभाग के महाप्रबन्धक श्री आर० रामचन्द्रन उपस्थित थे।

इस अवसर पर परिषद के उपाध्यक्ष श्री के०के० श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत करते हुए परिषद की गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला और उपस्थित जन समूह के प्रति आभार प्रकट किया। समारोह में परिषद का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष श्री बी०बी० जयपुरिया ने

बताया कि अभी तक परिषद ने नगर की ढाई सौ से अधिक प्रतिभाओं को साहित्यिक मंच प्रदान किया है और अपने मुख पत्र "अक्षत" में उनकी रचनाएं प्रकाशित की हैं, जो साहित्यिक संस्थाओं के इतिहास में एक अनूठा प्रयास है। श्री जयपुरियार ने यह भी कहा कि परिषद ने हिंदी के व्यापक प्रचार के लिये एक हिंदी विश्वविद्यालय के संचालन का निर्णय लिया है।

समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित बोकारों स्टील के कार्मिक एवं प्रशासन विभाग के महाप्रबन्धक श्री आर॰ रामचन्द्रन ने अपना उद्गार प्रकट करते हुए कहा कि परिषद द्वारा हिंदी विश्व विद्यालय के संचालन से हिंदी प्रचार के साथ-साथ शिक्षा का भी व्यापक प्रचार होगा तो इसमें हम सबों का भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पं॰ परमानन्द त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य परिषद के संस्थापक और प्रधान सचिव श्री बालकवि आर्य की सक्रियता की सराहना करते हुए हिंदी विश्वविद्यालय के प्रस्ताव की भूरि-भूरि प्रशंसा की और जोर देते हुए कहा कि बोकारो जैसे सघन और समृद्ध जिला में हिंदी विश्वविद्यालय चलाने के लिये बोकारो इस्पात प्रबन्धन परिषद को कम-से-कम पांच एकड़ भूमि प्रदान करे और तत्काल एक बड़ा-सा क्वार्टर दे ताकि आरम्भिक अवस्था में साहित्यिक परीक्षाओं का केन्द्र चलाया जा सके। इसी बात की पुष्टि करते हुए बोकारो के पूर्व विधायक श्री अकलूराम महतो ने श्री बालकवि आर्य द्वारा प्रस्तावित "हिंदी भवन" बनाये जाने की योजना की सराहना की और हिंदी विश्वविद्यालय के संचालन में अपना भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया तथा प्रबंधन से भी सहयोग करने की अपील की। श्री महतो ने अपने भाषण क्रम में बोकारो कारखाना को सही सलामत बनाये रखने का मार्मिक अनुरोध किया।

समारोह के मुख्य अतिथि श्री बृजलाल क्षत्रिय ने अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहा कि यह हर्ष की बात है कि वर्षों से परिषद हिंदी की सेवा में संलग्न रह कर नगर की साहित्यिक प्रतिभाओं का मार्ग दर्शन कर रही है। अतः प्रबंधन अवश्य ही ऐसी संस्था के विकास में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है, जिसका प्रचार-प्रसार करना हमारा कर्तव्य है और इसके विकास में लगी संस्थाओं की सहायता करना जरूरी भी है। श्री क्षत्रिय ने इस्पात उत्पादन की ओर भी लक्ष्य करते हुए कहा कि हमारे सारे अनुष्ठानों की सफलता कारखाने के इस्पात उत्पादन पर है। अतः यदि उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही तो परिषद जैसी संस्थाओं को पांच एकड़ तो क्या उससे भी अधिक जमीन और साधन देने के लिये हम तैयार हैं लेकिन यदि हम उत्पादन के क्षेत्र में पिछड़े रहेंगे तो किसी भी तरह की सहायता करने में असमर्थ रहेंगे।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोकारो स्टील के परियोजना विभाग के महाप्रबंधक प्रभारी और परिषद के वर्तमान अध्यक्ष श्री हरीदास भंडारी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में "हिंदी भवन" बनाये जाने की योजना को नितान्त आवश्यक बतलाते हुए कहा कि इसमें हिंदी विश्वविद्यालय का संचालन सुचारुरूप से संभव हो सकेगा और हिंदी के प्रचार को गति भी मिलेगी। श्री भंडारी ने समारोह में उपस्थित साहित्यकारों-पत्रकारों और तमाम लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट किया और "हिंदी भवन" के निर्माण के प्रति अपनी सहमति प्रकट करने वाले सम्मान्य अतिथियों को धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले तीस विशिष्ट जनों को सम्मानोपाधि द्वारा विभूषित किया गया जिसमें सर्वश्री बृजलाल क्षत्रिय, तेज बहादुर सिंह, एल॰एन॰ मोहला, हरी दास भंडारी, सुखनन्दन सिंह सदय, प्रकाश भारतीय, त्रिलोकीनाथ बाजपेयी, ब्रह्मानन्द सिंह, डी॰एन॰ सिंह, डॉ॰ शिवमूर्ति कुमार, व्योमकेश पाठक, एस॰के॰ राय, अकलूराम महतो और श्रीमती पुष्पा क्षत्रिय के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वश्री आचार्य जगदीश, पं॰ सुरेन्द्र झा, श्री केदारनाथ ठाकुर, और बच्चन महाराज द्वारा शास्त्रीय संगीत गायन-वादन, श्री शिवनाथ प्रमाणिक और पार्टी द्वारा लोक संगीत झूमर तथा सुश्री नीलिमा सिंह और पार्टी द्वारा सम्मोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रमों का संचालन श्री बालकवि आर्य ने किया और धन्यवाद ज्ञापन किया बोकारो स्टील के हिन्दी अधिकरी श्री देवता प्रसाद सिंह ने।

समारोह के दूसरे दिन पूर्वाह्न में साहित्य सृजन पर कार्यशाला और परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आचार्य वैदेही शरण ने की और पं॰ बुद्धिनाथ झा ने सफल संचालन किया। इसमें नगर के अनेक साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने भाग लेकर साहित्य की विविध विधाओं के मौलिक लेखन और सैद्धान्तिक पक्ष पर विवेचन प्रस्तुत किया। कार्यशाला में विषय प्रवर्तन करते हुए बालकवि आर्य ने इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला और नगर के कलमकारों को एकजुट होने का आह्वान किया। श्री आर्य ने कहा कि साहित्य सृजन के साथ उत्सव धर्मिता अनिवार्य है और इस अनिवार्यता का ध्यान हमें रखना चाहिये, क्योंकि इस बहाने हम इकट्ठा होकर तमाम मुददों पर बहस कर सकते हैं।

संध्या काल में भव्य कवयित्री सम्मेलन हुआ, जिसका उद्घाटन पं॰ परमानन्द त्रिपाठी ने किया और अध्यक्षता की डॉ॰ विभा प्रसाद ने। कवत्रियों के अतिरिक्त अनेक कवियों ने भी अपनी-अपनी रसात्मक कविताओं द्वारा श्रोताओं को आह्लादित किया। कविता पाठ करने वालों में सर्वश्रीमती शकुन्तला अग्रवाल, डॉ॰ विभा सिंह, सुमन अग्रवाल, मीरा सिन्हा, रानी शर्मा, शोभा सहाय, रेणुका सिन्हा, अरूणलता खरे, गीता विश्वकर्मा, महाश्वेता, सुश्री प्रज्ञाश्री और सुश्री डौली कुमारी तथा सर्वश्री सुखनन्दन सिंह सदय, प्रकाश भारतीय, शंकरदेव पाठक, बुद्धिनाथ झा, डा॰ परमेश्वर भारती, बालकवि आर्य, त्रिलोकीनाथ बाजपेयी, देवता प्रसाद सिंह, राम नारायण उपाध्याय, चन्द्रकान्त खां, अशर्फी मालाकार, पुर्णेन्दु पुष्पेप, कुमार राकेश और अरविन्द अनुराग के नाम उल्लेखनीय हैं। कवयित्री सम्मेलन का संचालन श्रीमती शकुन्तला अग्रवाल ने किया और कवि सम्मेलन का संचालन श्री सुखनन्दन सिंह सदय ने किया। अंत में श्री ब्रह्मानन्द सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

हिंदी साहित्य परिषद के 23वें स्थापना दिवस का यह भव्य समारोह बोकारो स्टील प्रबन्धन के सहयोग से स्थानीय कला केन्द्र में उल्लास पूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ।

अखिल भारतीय साहित्य परिषद का राजभाषा सम्मेलन

नोएडाः 19 सितम्बर। अखिल भारतीय साहित्य परिषद नोएडा के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश समाज, नागरिक महासभा, दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन "स्नेही मण्डल" नोएडा, चिंतना, सूर्या संस्थान, आदि सहयोगी संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से दिल्ली पब्लिक स्कूल, नोएडा में राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। नोएडा के अध्यक्ष रविमाथुर ने दीप प्रज्जवलित करके कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

केन्द्रीय हिंदी निदेशालय के पूर्व निदेशक एवं परिषद के उपाध्यक्ष श्री राजमणि तिवारी ने हिंदी दिवस को महान् त्यौहार की संज्ञा देते हुये कहा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय ही यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया होता तो आज इसे अंग्रेजी के समक्ष हीनदृष्टि से न देखा जाता। पर्याप्त मात्रा में प्रक्रिया साहित्य एवं चार लाख अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय उपलब्ध होने पर भी प्रशासनिक कार्य अधिकतर अंग्रेजी में किए जाते हैं

प्रो॰ सोमदत्त दीक्षित ने धनाढ्य वर्ग से भारतीय संस्कृति व गोरव की प्रतीक राष्ट्रभाषा हिंदी को अपनाने का आग्रह किया। डा॰ माजदा असद ने कहा कि वर्षों से हिंदी दिवस मनाते हुए भी हम लोग आज भी वहीं के वहीं हैं। इसका कारण व्यक्तिगत जीवन में हमारी हिंदी के प्रयोग के प्रति हीन भावना का होना है। इस मानसिक दासता से निकलकर हमें अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए।

केन्द्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक डा॰ गंगा प्रसाद विमल ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग को प्रान्तीय भाषाओं में परीक्षाओं को स्वीकृति देनी चाहिए। राज्यों के आपसी संवाद हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में होने चाहिए। विदेशी भाषा की बैसाखियों के सहारे हमें कभी दक्षता प्राप्त नहीं हो सकती। युवा चिकित्सक एवं समाज सेवी डा॰ महेश शर्मा ने हिंदी का राजभाषा होना राष्ट्र का सम्मान बताया। उन्होंने कहा जिस देश में चालीस प्रतिशत से अधिक लोग हिंदी बोलने एवं समझने वाले हों, वहां हिंदी का प्रयोग न होना शर्म की बात है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष डा॰ सूरजभान सिंह ने भाषा की दयनीय स्थिति का कारण अनुवादक के ज्ञान के अपूर्णता बताया। संघ की राजभाषा आज अनुवादी हिंदी है जो जटिलता के कारण बोधगम्य नहीं है। अनुवाद के स्थान पर मौलिक हिंदी का प्रयोग हो तभी हिंदी का विकास सम्भव है। महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली-भाषा में राजकीय कार्य करने में किसी को हीनता का भाव नहीं होता। फिर क्या कारण है कि अभी तक दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कार्य अंग्रेजी में ही किया जाता है।

राजभाषा विभाग के सचिव श्री चन्द्रधर त्रिपाठी ने भाषा को राष्ट्रीय भावना और अस्मिता का प्रतीक बताते हुये कहा कि हम सभी को अपना कार्य हिंदी में करने का संकल्प लेना चाहिए। भारत सरकार राजभाषा नीति को सफल बनाने के लिए सक्रियतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। जस्टिस महावीर सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में उच्च न्यायालयों को अपने राज्य की भाषा अपनाने पर जोर दिया।

इस सम्मेलन में अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा प्रकाशित द्विवार्षिक पत्रिका साहित्य — 'संचेतना' का लोकार्पण श्री चन्द्रधर त्रिपाठी (सचिव, राजभाषा, भारत सरकार) ने किया। इस स्मारिका में साहित्य परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के विवरण, लेख एवं कविताओं के संकलन तथा सम्पादन की उत्कृष्टता पर उपस्थित साहित्यकारों ने अपनी प्रसन्नता प्रकट की।

राजभाषा सम्मेलन के दूसरे सत्र में परिषद के संगठन — सचिव, हास्य-व्यंगकार बाबा कानपुरी के संचालन एवं सुप्रसिद्ध कवि राधेश्याम प्रगल्भ की अध्यक्षता में एक विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल की कई छात्राओं ने अपनी रचनाओं का रोचक काव्यपाठ प्रस्तुत किया। कवियों में सर्व श्री मदन लाल वर्मा "क्रान्त", ओजस्वी कवि बागीश दिनकर, डा॰ रेखा रस्तोगी, प्रो॰ लल्लन प्रसाद, कुवंर शिव प्रताप सिंह, आशारानी व्होरा, चांचा सदरपुरी, बालेन्दु भूतनाथ, बाबा कानपुरी, डा॰ शेरजंग गर्ग, कु॰ अचर्ना द्विवेदी, विश्वमोहन तिवारी, नरेश गुप्त नीरस, कमाण्डर पूर्णानन्द, सुरूचि टण्डन आदि की रचनाएं विशेष रूप से सराही गई।

—बाबा कानपुरी

पृष्ठ 32 का शेषांश...

भारत की ही स्थिति लें। हमारे देश के संविधान में देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया है और अन्य 18 भाषाओं को राज्यों की राज-भाषा के रूप में अपनाया गया है और अन्य 18 भाषाओं को राज्यों की राजभाषा का स्थान प्राप्त हैं। अतः सरकारी कामकाज को इन भाषाओं के माध्यम से चलाने में आशुलिपि का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। संविधान में उल्लिखित लगभग सभी भाषाओं में आशुलिपि या तो विकसित हो चुकी हैं या विकसित हो रही हैं। यह बताया जाता है कि भारतीय भाषाओं के लिए विकसित आशुलिपियों का आधार पिटमैन आशुलिपि ही है।

जिस प्रकार हमने सत्ता हड़पने वाले अंग्रेजों के राजनैतिक शासन को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंका, उसी प्रकार हमें सांस्कृतिक अधिग्रहण करने वाली अंग्रेजी को भी हटा देना चाहिये। यह आवश्यक परिवर्तन करने में जितनी अधिक देरी हो जाएगी, उतनी ही अधिक राष्ट्र की सांस्कृतिक हानि होती जाएगी।

—महात्मा गांधी

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में राजभाषा—कार्यान्वयन

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद अपने मूल उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ-साथ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रति सदैव तत्पर रही है। परिषद के लगभग 99 प्रतिशत अधिकारी/कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं और उनमें से कइयों को हिंदी में प्रवीणता भी प्राप्त है। हिंदी न जानने वाले व अहिन्दी मातृभाषी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी भाषा का शिक्षण देने के लिए परिषद में एक नियमित शिक्षक है। अंग्रेजी आशुलिपिकों/टंककों को हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण के प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार राजभाषा विभाग द्वारा चलाई जा रही हिंदी कार्यशालाओं में भी स्टाफ को भेजा जाता है। परिषद में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने और परिषद के सदस्यों को हिंदी में कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु कई प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं, जिनमें हिंदी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग पुरस्कार योजना; अंग्रेजी आशुलिपि/टंकण के साथ-साथ हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण का कार्य करने संबंधी पुरस्कार योजना व अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन दिए जाने संबंधी पुरस्कार योजनाएं प्रमुख हैं। ठीक इसी तरह दो अन्य योजनाएं — "हिन्दी में मौलिक विज्ञान (पुस्तक) लेखन पुरस्कार योजना" व "वैज्ञानिक कार्यों में हिंदी पुरस्कार योजना" भी लाई जा रही हैं, जिनके अन्तर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान परिषद की कई राष्ट्रीय प्रयोगशाला/संस्थानों तथा वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया जा चुका है।

वैज्ञानिकों द्वारा हिंदी में शोध-पत्रादि लेखन तथा अपने कार्यों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने को बढ़ावा देने के लिए परिषद द्वारा गत वर्ष से वैज्ञानिक हिंदी कार्यशालाओं व संगोष्ठियों की श्रृंखला शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत परिषद की जैव-विज्ञान समूह की 11 प्रयोगशाला/संस्थानों के वैज्ञानिकों के लिए लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में दिनांक 8-9 सितम्बर, 1992; रासायनिक विज्ञान समूह की आठ प्रयोगशाला/संस्थानों के वैज्ञानिकों के लिए हैदराबाद स्थित भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान में 12-13 अक्तूबर, 1992; इंजीनियरी विज्ञान समूह की 13 प्रयोगशाला/संस्थानों के वैज्ञानिको के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में दिनांक 29-30 मार्च, 1993 को; रासायनिक विज्ञान समूह की आठ प्रयोगशाला/संस्थानों के वैज्ञानिकों के लिए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे में दिनांक 25-26 अगस्त, 1993 को तथा जैव विज्ञान समूह की 11 प्रयोगशाला/संस्थानों के वैज्ञानिकों के लिए लखनऊ स्थित केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान में दिनांक 8-9 सितम्बर, 1993 को कार्यशालाएं सम्पन्न हो चुकी हैं। इंजीनियरी विज्ञान समूह की 13 प्रयोगशाला/संस्थानों के वैज्ञानिकों के लिए ऐसी ही एक कार्यशाला दिनांक 13-14 अक्तूबर, 1993 को संसाच इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, मद्रास में आयोजित होने जा रही है। ठीक इसी प्रकार क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर, व राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर में हिंदी माध्यम की संगोष्ठियां क्रमशः सितम्बर, 92 व दिसम्बर, 92 में आयोजित हो चुकी हैं। उक्त कार्यशालाओं की रूपरेखा, आयोजन,/व्यवस्था आदि परिषद के हिंदी अधिकारी श्री पूरन पाल द्वारा की गई। उन्होंने इन सभी कार्यशालाओं में प्रतिवक्ता के रूप में भी भाग लिया।

परिषद मुख्यालय सहित उसकी सभी राष्ट्रीय प्रयोगशाला/संस्थानों में हिंदी दिवस/हिंदी सप्ताह का आयोजन तो प्रतिवर्ष नियमित रूप से होता ही रहता है। सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किए जाने के लिए परिषद मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें भी होती हैं जिनमें पिछले तीन महीनों के दौरान की गई प्रगति की समीक्षा की जाती है। मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों तथा प्रयोगशाला/संस्थानों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा भी इन बैठकों में की जाती हैं। □

"देश के सबसे बड़े भू-भाग में बोली जाने वाली हिंदी ही राष्ट्र-भाषा की अधिकारिणी है"। —सुभाष चन्द्र बोस

"सभ्य संसार के किसी जन समुदाय की शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं है।"

—मदन मोहन मालवीय

हिंदी दिवस समारोह

शंकर दयाल सिंह,
संसद सदस्य (राज्य सभा),
संयोजक, संसदीय राजभाषा तृतीय उपसमिति

15, गुरुद्वारा रकाब गंज, नई दिल्ली-110 001
फोन नं॰ : 3792343, 3013848

संदेश

हिंदी भारत मां के माथे की बिंदी है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा और जनभाषा इन तीन सोपानों अथवा आयामों से गुजरती हुई हिंदी भारत मां के गले का हार बनी है। आज के लगभग एक हजार वर्ष पूर्व अमीर खुसरो ने इसके बारे में कहा था—

"चुमन तूतीं-ए-हिंदम अर रास्त पुरसी
जे मन हिंदवी पुरसता नग्ज गोयम।"

अर्थात् मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। अगर तुम वास्तव मैं मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो "हिंदवी" में पूछो। मैं तुम्हें हिंदवी में अनुपम बातें बता सकूंगा। अन्यत्र वे कहते हैं कि हिंदी फारसी से किसी प्रकार कम नहीं। जो लोग हिंदी का महत्व कम समझते हैं, वे नादान हैं। शब्द भंडार और विचारों की दृष्टि से भी हिंदी कम नहीं है। हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो एक बूंद में समुद्र की शक्ति रखने वाले हैं। जिन लोगों ने हिन्दुस्तान की गंगा को नहीं देखा है, वे नील और दजला पर अभिमान कर सकते हैं। जिन्होंने केवल बुलबुल की सुन्दरता को देखना सीखा है वे हिन्दुस्तान के तोते को क्या समझ सकते हैं। मैं इन तीनों भाषाओं (अरबी,फारसी, हिंदी) को जानता हूं, इसलिए ऐसा कह रहा हूं।

मैं अभी हाल मैं महामहिम राष्ट्रपति डा॰ शंकर दयाल शर्मा जी के साथ 7-8 देशों के दौरे पर गया था, हर जगह वहां की अपनी भाषा विराजमान थी तथा सभी जगहों में लोग उसके माध्यमों से ही बातचीत किया करते थे। फिर हमारी अपनी भाषा जो साठ करोड़ लोगों के व्यवहार की भाषा है, जिसकी पढ़ाई दुनिया के डेढ़ सौ विश्वविद्यालयों में हो रही है, जिसके शब्दों की संख्या पांच लाख है, जिसकी लिपि देवनागरी दुनिया की सर्वोत्तम वैज्ञानिक लिपियों में है। उसकी प्रतिष्ठा पूर्णरूप से न होना हमारे लिये लज्जाजनक है।

आइए, आज के दिन हम संकल्प करें कि अपने कार्य व्यवहार में, घर परिवार में, दफ्तर-कार्यालय मे और रोजमर्रे के काम-काज में हिंदी का व्यवहार करेंगे। उस हिन्दी का जिसे गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने "आधुनिक भाषाओं के हार के मध्य मणी" कह कर पुकारा था और महात्मा गांधी ने जिसे आजादी का प्रतीक माना था।

(शंकर दयाल सिंह)

भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में 13 सितम्बर, 1993 से 17 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रीमती किरण अग्रवाल, अपर सचिव महोदया ने इस विभाग में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु एक अपील भी जारी की। हिंदी सप्ताह के दौरान विभाग में हिंदी घोष (स्लोगन) और हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। हिंदी घोष प्रतियोगिता में 16 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया और इसमें श्रीमती आदर्श खन्ना, आशुलिपिक को 100/-रु॰ का प्रथम पुरस्कार, श्री रवीन्द्र प्रकाश सक्सेना, अनुसंधान सहायक को 75/-रु॰ का द्वितीय पुरस्कार और श्री कृष्ण दत्त, अनुभाग अधिकारी को 50/-रु॰ का तृतीय पुरस्कार दिया गया। हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिताओं में 7 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। श्री रवीन्द्र प्रकाश सक्सेना, अनुसंधान सहायक को 100/-रु॰ का प्रथम पुरस्कार, श्री कृष्ण दत्त, अनुभाग अधिकार को 75/- रु॰ का द्वितीय पुरस्कार और श्री ए॰के॰ सिंह, उप सचिव को 50/-रु॰ का तृतीय पुरस्कार दिया गया।

प्रथम पुरस्कार

प्रगति के पहिये हिंदी के जरिए
—श्रीमती आदर्श खन्ना

द्वितीय पुरस्कार

हिंदी विकास, हम सबका प्रयास
—श्री रवीन्द्र प्रकाश सक्सेना

तृतीय पुरस्कार

"हिंदी, देश की पहचान।
एकता सूत्र, स्वाभिमान।।
—श्री कृष्ण दत्त

सरकारी कामकाज में मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन की नकद पुरस्कार योजना

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की उक्त नकद पुरस्कार योजना के अधीन वर्ष 1992-93 के लिए निम्न 6 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया—

श्री आर०एस० दहिया,	भूतपूर्व रोकड़िया	प्रथम पुरस्कार 500/- रु०
श्रीमती प्रकाश तलवार,	सहायक	प्रथम पुरस्कार 500/- रु०
श्री मक्खन लाल,	अन्वेपक	द्वितीय पुरस्कार 500/- रु०
श्रीमती किरण पुरी,	वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष	तृतीय पुरस्कार 150/- रु०
श्री बी० रामाकृष्णन,	अन्वेपक	तृतीय पुरस्कार 150/- रु०
श्री प्रेम कुमार हुड्डा,	अनुसंधान सहायक	तृतीय पुरस्कार 150/- रु०

हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं तथा नकद पुरस्कार योजना के विजेताओं को दिनांक 17.9.93 को आयोजित वार्षिक हिंदी समारोह में श्रीमती किरण अग्रवाल, अपर सचिव महोदया द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए।

संसदीय कार्य मंत्रालय

14 सितम्बर, 1993 को हिंदी दिवस मनाया गया। एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने की। आशु/टंकण आलेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः 200 रु०, 150 रु० और 100 रु० के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हिंदी में सर्वाधिक काम करने पर नगद पुरस्कार योजना के अन्तर्गत मंत्रालय के 3 कर्मचारियों श्री रिसाल सिंह, उच्च श्रेणी लिपिक, श्रीमती सत्या अरोड़ा, सहायक और श्री मोहन चन्द्र भगत, सहायक को क्रमशः रु० 500/- रु० 300/- और 150/- के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

14 सितम्बर, से 20 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया जिसके दौरान नोटिंग, ड्राफ्टिंग और निबंध लेखन रतियोगिताएं आयोजित की गई। 14 सितम्बर, को विभाग के सचिव की अध्यक्षता में विशेष सचिवों/ अपर सचिवों, संयुक्त सचिवों, आयुक्तों और अतिरिक्त आयुक्तों की बैठक आयोजित की गई। सचिव महोदय ने अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि वह राजभाषा हिंदी के प्रयोग में स्वयं रूचि लें। उन्होंने अपने विचार सरल भाषा और सुबोध भाषा में प्रगट करने की अधिकारियों को सलाह दी। उन्होंने कहा कि अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां हिंदी में काम हो रहा है। इसलिए हिंदी में पत्राचार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सप्ताह के दौरान अन्य, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिंदी में कार्यालीन कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बैठक ली गई। लगभग सभी बैठकों में संबंधित अध्यक्षों ने उपस्थित कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे हिंदी के प्रयोग के बारे में अपनी कठिनाइयों का निःसंकोच वर्णन करें और अपने सुझाव भी दें।

संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली

7 से 17 सितम्बर 1993 तक राजभाषा पर्व मनाया गया जिसके दौरान हिंदी निबन्ध, हिंदी टिप्पण, प्रारूप लेखन, हिंदी टंकण, हिंदीत्तर भाषियों के लिए श्रुतलेखन वाक प्रतियोगिता और राजभाषा प्रश्न मंच का अयोजन किया गया। 14 सितम्बर को कार्यकारी निदेशक डा० श्याम कुमार ने राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत एक हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन किया। 17 सितम्बर को आयोजित समापन समारोह में आयोग की अध्यक्षता ने श्रीमती रोजमिलियन बैथ्यू मुख्य अतिथि थे, समारोह की अध्यक्षता सचिव श्री एस०के० पुरकायस्थ ने की। उन्होंने कहा कि हमें हिंदी को सही माने में केन्द्र सरकार की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए सभी सम्भव उपाय करने चाहिए। निदेशक (रा०भा०) श्री पूर्णानंद जोशी ने हिंदी दिवस के महत्व पर प्रकाश महत्व पर प्रकाश डाला। श्रीमती बैथ्यू ने राजभाषा की संवैधानिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए आयोग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपील की कि वे काम में हिंदी को बढ़ावा दें ताकि केन्द्रीय सरकार के कामकाज में हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले सके। आयोग के सदस्य वाइस एडमिरल जी०एम० हीरानंदानी ने राजभाषा हिंदी की सही स्थिति का आकलन करने की अपील की। विभिन्न प्रतियोगिताओं के सफल प्रतियोगियों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए।

औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली

23 सितम्बर, 1993 एक हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके कार्यक्रम की अध्यक्षता औद्योगिक और वित्तीय वित्तीय पुर्ननिर्माण के अध्यक्ष श्री रामरूप गुप्ता ने की। समारोह में बोर्ड के सभी सदस्य और सचिव भी उपस्थित थे। बोर्ड के सचिव श्री लक्ष्मीधर मिश्रा ने विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी भाषा के महत्व को बताते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की उन्होंने कहा कि भाषा भावनाओं को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। उन्होंने राजभाषा हिंदी को विविधता में एकता की कड़ी बताया। बोर्ड के सदस्य श्री पी०पी० साहनी ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। निबन्ध प्रतियोगिता और हिंदी वाक प्रतियोगिता और हिंदी कार्यशाला प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेताओं को अध्यक्ष द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग

गुणता आश्वासन महानिदेशालय, नई दिल्ली

10 से 14 अगस्त, 1993 तक गुणता आश्वासन, नियंत्रणालय (इलै०) बंगलौर में हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया जिसके दौरान अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। ब्रिगेडियर एस०बी०देशपांडे ने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि प्रत्येक भारतीय को हिंदी सीखनी चाहिए। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

14 से 20 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया जिसका समापन समारोह 23 सितम्बर, 1993 को निदेशक श्री ए०के० बसु की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। हिंदी अधिकारी द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्री का संदेश, शिक्षा और संस्कृति उप मंत्री की अपील और शिक्षा सचिव द्वारा जारी किया गया निर्देश पढ़ कर सुनाया जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने का संकल्प लेने का आग्रह किया गया। हिंदीतर भाषी अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए वाक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हिंदी टंकण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इन दोनों प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वालों को पुरस्कृत किया गया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिंदी के प्रयोग और प्रचार-प्रसार में प्रौढ़ निदेशालय की विशेष भूमिका है। प्रचार माध्यमों का भी इस कार्य में सहयोग लिया जा रहा है।

द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, तिरूवनंतपुरम

4 से 8 सितम्बर तक हिंदी सप्ताह मनाया गया जिसके समारोह की अध्यक्षता एलपीएससी के नियंत्रक श्री एम०के०सी० नायर ने की। अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि हिंदी की प्रगति इस केन्द्र में लगातार लगभग सभी इकाइयों में हो रही है। ई आर एंड डी सी के निदेशक डा० कुलकर्णी ने कहा कि हिंदी एक सरल भाषा है जिसे सीखने से हम एक दूसरे साथ बंध सकते हैं। सप्ताह के दौरान हिंदी टंकण, हिंदी निबंध लेखन, टिप्पण एवं आलेखन, हिंदी/अंग्रेजी अनुवाद हिंदी सुलेख लेखन और हिंदी वाक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसरो उपग्रह के समूह निदेशक डा० सुरेन्द्र पाल ने हिंदी सप्ताह के औचित्य के बारे में प्रकाश डालते हुए हिन्दी में विभागीय वैज्ञानिकों द्वारा हिंदी में लेख आदि लिखने की जानकारी दी। उन्होंने प्रचलित तथा अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों को लिप्यंतरण द्वारा अपनाने को कहा।

केन्द्रीय विद्यालय सं०—1, गया (बिहार)

14 से 21 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया जिसके समारोह का उद्घाटन प्राचार्य श्री ए०एन०पी० सिंह ने की। उन्होंने हिंदी की उपयोगिता और उपादेयता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए छात्रों को हिंदी सीखने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान छात्रों और विद्वानों के भाषण, काव्य पाठ, हिंदी निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

कार्यालय आयकर आयुक्त, इलाहाबाद

14 से 24 सितम्बर, तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। आयकर आयुक्त का सन्देश सभी अधिकारियों और कर्मचारियों में परिचालित किया गया और सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए आग्रह किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण/आलेखन, हिंदी टंकण और आशुलिपि प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। 24 सितम्बर को आयोजित समारोह में प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कवि-गोष्ठी में सांस्कृतिक कार्यक्रम में आकाशवाणी, आयकर, सीमाशुल्क, एनसीईआरटी तथा कुछ अन्य कार्यालयों में प्रतिष्ठित कवियों और कलाकारों ने भाग लिया।

कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त, आयकर भवन, बम्बई-20

दिनांक 13 सितम्बर 1993 से 20 सितम्बर 1993 तक हिंदी सप्ताह का अयोजन हुआ। सप्ताह का प्रारम्भ मुख्य आयकर आयुक्त श्री एच० वेंकटरामन के द्वारा की गई अपील से प्रारम्भ हुआ। इसके पश्चात् पूरे सप्ताह अनेक प्रतियोगिताएं-निबंध प्रतियोगिता, वादविवाद प्रतियोगिता, टिप्पण प्रारूप लेखन, टाइपिंग प्रतियोगिता, वाक प्रतियोगिता, वर्ग पहेली प्रतियोगिता, कविता पाठ प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई।

इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतियोगिताओं में से विजेता प्रतियोगिताओं को आयकर भवन स्थित समिति कक्ष में दिनांक 21-9-93 को मुख्य आयकर आयुक्त श्री एच० वेंकटरामन द्वारा नकद पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा उन्होंने हिंदी में काम करनेवाले कर्मचारियों व अधिकारियों को भी नकद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया। कुल मिलाकर लगभग 80 पुरस्कार प्रदान किए गए।

सप्ताह के दौरान नवनियुक्त अवर श्रेणी लिपिकों के लिए हिंदी कार्यशाला भी अयोजित की गई जिसमें राजभाषा नीति नियम, निर्देश आदि की जानकारी देने के साथ-साथ हिंदी में टिप्पण वा प्रारूप लेखन शब्दावली का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। इसका संचालन श्री रा०च० मिश्र, सहायक निदेशक (रा०भा०) द्वारा किया गया।

कार्यालय आयकर आयुक्त, नागपुर

14 से 21 सितम्बर तक हिंदी सप्ताह मनाया गया जिसके कार्यक्रम की अध्यक्षता आयकर आयुक्त श्री डी एन एस सिन्हा ने की। हिंदी निबंध, टिप्पण, आलेखन, आयकर शब्दावली आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिनका संचालन सहायक निदेशक (राजभाषा) श्रीमती आर० टाइटस ने किया। श्री सिन्हा ने सभी कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में काम करने हेतु संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि आयकर आयुक्त (अपील-2) श्री राजबली शुल्क ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय भाषा अपनाने में आड़े आने वाली हीन-भावना को न पनपने दें बल्कि राजभाषा हिंदी को स्वाभिमान के साथ अपनाएं।

आयकर अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद न्यायपीठ, इलाहाबाद

14 से 21 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। लेखाविद् डा० ओंकार नाथ त्रिपाठी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग एकजुट होकर अपना समस्त कार्य केवल हिंदी में करें। वरिष्ठ सदस्य श्री एल०एन० अग्रवाल ने कहा कि सभी लोग राष्ट्रीय भावना से काम लेते हुए इस सप्ताह की सफलता में अपना पूर्ण सहयोग दें। सप्ताह के दौरान अखिल भारतीय निबंध, टंकण, हिंदी व्याकरण और वादविवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। श्री त्रिपाठी ने सप्ताह के दौरान हिंदी के प्रति सभी कर्मचारियों द्वारा निष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी ही निष्ठा वर्ष पर्यन्त तक सक्रिय रहनी चाहिए और इसे केवल हिंदी सप्ताह तक सीमित न समझा जाए।

राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पुणे

14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाया गया। अध्यक्ष ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को हिंदी में सरकारी काम करने के लिए आह्वान किया। वर्ष 1992 और 1993 में हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित प्राज्ञ तथा हिंदी टिप्पण परीक्षाओं में सफल कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र तथा नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, केरल परिमंडल, तिरूवनंतपुरम

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री पी०आर० प्रभु की अध्यक्षता में आयोजित महासभा में केरल सरकार के माननीय वितमंत्री श्री उम्मन चांडी ने हिंदी सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने बहुभाषी राष्ट्र भारत के लिए एकमात्र भाषा की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। केरल दूरसंचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक श्री रुस्तम अली ने कहा कि हिंदी न केवल संघ सरकार की भाषा है बल्कि यह हमारे देश की सम्पर्क भाषा भी है। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्री वी० राधाकृष्णन ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को अधिकाधिक सार्थक बनाने के लिए सभी सदस्य मिलजुल कर काम करें। उन्होंने कहा कि सरकार की राजभाषा नीति को सफल बनाने में इस समिति की अहम भूमिका है। सप्ताह के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं हुई। जिसमें सफल 24 प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि महात्मा गांधी महाविद्यालय, तिरूवनंतपुरम के हिंदी प्रोफेसर डा० जे०सी० नायर ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि यह समिति संघ सरकार की राजभाषा हिंदी को आगे बढ़ाने में अनुकरणीय कार्य कर रही है।

मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, महाराष्ट्र, बम्बई

14 से 20 सितम्बर तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्री ए०बी० मेहरा ने सभी अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने अधिकारियों से अधिक से अधिक काम हिंदी में करने के लिए आग्रह किया। कर्मचारियों के लिए फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित "हिन्दी वाणी" का प्रदर्शन किया गया। अनुवाद, टिप्पण, आलेखन, भाषण, टंकण, निबंध आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। फिल्म प्रभाग के निर्माता श्री चन्द्रशेखर नायर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्री मेनन ने समारोह की अध्यक्षता की।

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय, आश्रम रोड, अहमदाबाद

8 से 14 सितम्बर, तक हिंदी समारोह का आयोजन किया गया जिसके दौरान निबंध टिप्पण प्रारूप लेखन हिंदी टंकण और हिंदी वाक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समारोह की अध्यक्षता कम्पनी रजिस्ट्रार ने की। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी भाषा को लेकर चलना है जो सरल और बहुसंख्यक लोगों में बोली जाती है और वह भाषा हिन्दी ही हो सकती है।

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद

7 से 14 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया जिस के कार्यक्रम की अध्यक्षता डा० सी० प्रसाद ने की। प्रभारी अधिकारी हिंदी एवं उपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति डा० ए० गोपालन ने बताया कि अकादमी की त्रैमासिक समाचार पत्रिका वार्षिक रिपोर्ट "नार्थ बुलेटिन आदि अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी प्रकाशित किए जाते हैं। विभिन्न पाठ्क्रमों के व्याख्यान, लेखों का हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। अहिन्दी भाषी कृषि वैज्ञानिक प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी पढ़ाई जा रही है। संयुक्त निदेशक और राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष डा० कल्ला ने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत के सभी लोगों के हृदय को एकसूत्र में पिरोती है। भारत जैसे विशाल देश में अनेक भाषाओं का होना स्वाभाविक है। सभी प्रांतों के लोगों को एक कड़ी में बांधने के लिए एक सम्पर्क भाषा की आवश्यकता है वह काम हिंदी कर रही है। अध्यक्षीय भाषण में डा० प्रसाद ने कहा कि हमें अपने देश की भाषाओं को सीखने में गर्व का अनुभव होना चाहिए।

आर्डनेन्स फैक्टरी, अम्बाझरी, नागपुर

14से 22 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया जिसके दौरान हिंदी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी-हिंदी शब्दावली और वाक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर महाप्रबंधक (प्रशासन) श्री वी०के०सिंह ने की। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया है। इस लिए हमें हिंदी में काम करना चाहिए। मुख्य अतिथि एवं महाप्रबंधक श्री ए०के० नियोगी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल हुए 33 प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान किए।

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा

14 से 17 सितम्बर तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया जिसके कार्यक्रम का उद्घाटन चौगुले महाविद्यालय मडगांव के हिंदी प्रोफेसर श्री जी०एम०ए० शेख ने किया। दैनिक कार्यालयीन कामकाज से संबंधित परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें 16 कर्मचारियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय खान नियंत्रक श्री प्रेम सिंह को निमंत्रित किया गया उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए।

कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक, उत्तरी कमान, जम्मू छावनी

13 से 17 सितम्बर तक हिंदी सप्ताह मनाया गया जिसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। भारतीय रक्षा लेखा नियंत्रक श्रीमती हरजीत कौर पन्नू मुख्य अतिथि थी। उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं के सफल विजाताओं को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि राजभाषा के प्रयोग में कार्यालय में निरन्तर प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि राजभाषा के क्षेत्र में अब तक की उपलब्धियों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन लगाकर प्रयत्न करना चाहिए।

भारत सरकार टकसाल, अलीपुर कलकत्ता

14 से 17 सितम्बर तक 4 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन कार्य प्रबंधक श्री एस०के० चौधरी ने किया। हिंदी निबंध प्रतियोगिता और कविता पाठ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिसमें विजेता कर्मचारियों को अध्यक्ष महोदय द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए।

कार्यालय निदेशक, जनगणना परिचालन, नागालैंड

14 से 21 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया जिसके दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक निदेशक श्री पी०सी० बरूआ ने की। अध्यक्षीय भाषण में श्री बरूआ ने कार्यालय में हिंदी कामकाज पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से राजभाषा हिंदी को बढ़ावा मिलता है।

मुख्य अभियंता स्वास्तिक परियोजना 99 सेना डाकघर

14 से 20 सितम्बर तक हिंदी सप्ताह मनाया गया जिसका शुभारम्भ कार्यवाहक मुख्य अभियन्ता कर्नल के०के० मल्होत्रा ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हमें प्रत्येक क्षेत्र में अपने राष्ट्र के उत्थान हेतु सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजभाषा के रूप में स्वीकृत हमारी हिंदी भाषा जन-जन की भाषा है। सप्ताह के दौरान टिप्पण आलेखन, निबंध, वाद-विवाद आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया जिसमें राजभाषा की आवश्यकता एवं महत्व पर परिचर्चा की गई। श्री मल्होत्रा ने हिंदी में किए गए प्रयासों पर सन्तोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारी वर्ग से भी आग्रह किया कि वे भी व्यक्तिगत रूचि लेकर हिंदी के प्रचार एवं प्रसार हेतु आवश्यक कदम उठाएं। प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 100 रु० तथा 50 रु० के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, पत्रातु जिला हजारी बाग (बिहार)

13 से 17 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह के रूप में मनाया गया। 13 सितम्बर को अनुसचिवीय वर्ग को हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए आदेश दिए गए। सप्ताह के दौरान हिंदी पत्राचार 60 प्रतिशत तक बढ़ गया। 14 सितम्बर को राजभाषा समारोह भाषण और अनुवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा और निर्देशों को कार्यान्वयन करने से संबंधित प्रदर्शन पट्ट लगाए गए।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, लोदी रोड, नई दिल्ली

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में हिंदी का एक वातावरण बनाने के उद्देश्य से तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हिंदी का प्रयोग करने के लिए रूचि जागृत करने हेतु दिनांक 13-9-93 से 17-9-93 तक "हिंदी सप्ताह" का आयोजन किया गया था। दिनांक 14-9-93 को श्री आर० के० पंडित, आई० पी० एस०, निदेशक पुलिस दूरसंचार ने हिंदी के एक भव्य समारोह का उद्घाटन किया तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से भाषण देते हुए श्री आर० के० पंडित ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपील की कि हिंदी इस देश के जनमानस की भाषा होने के कारण हमारे संविधान में हिंदी को "राजभाषा" के रूप में प्रतिष्ठित होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने स्टाफ को हिंदी के प्रयोग के प्रति प्रेरित करते हुए कहा कि राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करना संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप है। अतः संविधान में प्रतिष्ठापित राजभाषा हिंदी के विकास संबंधी अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति में अपना भरपूर योगदान दें।

ग्रेफ सैन्टर कैम्प, पुणे

14 सितम्बर, 1993 को हिंदी दिवस मनाया गया। सीमा सुरक्षा महानिदेशालय के उप महानिदेशक (कार्मिक) ब्रिगेडियर शर्मा समारोह के मुख्य अतिथि थे। निदेशक संगठन कर्नल ए०के० नागपाल समारोह में उपस्थित थे।

मुख्य नियंत्रण सुविधा

14 से 17 सितंबर तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन निदेशक डा० एस० रंगराजन ने किया। उन्होंने सभी वैज्ञानिकों तथा कर्मचारियों को आह्वान किया कि वे राजभाषा के प्रगामी प्रयोग में अपना भरपूर सहयोग दें। उन्होंने सलाह दी कि केन्द्र में हिंदी संगठन का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें उच्च स्तरीय लेख तथा शोध पत्र वैज्ञानिकों द्वारा हिंदी में प्रस्तुत किया जाए। सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिनमें 140 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। डा० रंगनाथन ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए। कुल 62 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, कलकत्ता-700014.

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में 28 सितम्बर, 1993 को सरकारी परीक्षक श्री शुभाशीश दे की अध्यक्षता में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली के सम्पादक (हिन्दी) श्री जे० पी० आर्य ने भारतीयता की रक्षा के लिए भारतीय भाषाओं के प्रयोग और प्रोत्साहन की आवश्यकता पर बल दिया। केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल के प्रधानाचार्य श्री एम० आलम ने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में जोड़ने के लिए सशक्त माध्यम है।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के उप प्रबंधक (राजभाषा) विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे। डा० विज्ञान्त विशिष्ट ने हिन्दी के विकास में हिंदीतर भाषियों विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के योगदान की चर्चा की। और कहा कि जब हम अपनी मात्र भाषा को उसका स्थान दे देंगे तो राष्ट्रभाषा हिंदी खुद व खुद अपना अधिकारी पा लेगी। अध्यक्षीय भाषा में श्री दे ने अधिकारियों और कर्मचारियों को यथासम्भव हिंदी में कार्य करने का आह्वान किया।

कपास प्रौद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला, एडनबाला रोड, माटुंगा, बम्बई

4 से 14 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। सप्ताह के दौरान तात्कालिक भाषण, टिप्पण आलेखन, निबंध, कविता लेखन और

तकनीकी शब्द आदि 15 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समारोह का उद्घाटन खालसा कालेज के भाषा शास्त्रज्ञ डा० त्रिभुवन राय ने किया। उन्होंने कहा हिंदी को आगे बढ़ाना और प्रगति की ओर ले जाना का यह महत्वपूर्ण प्रयास है। समारोह में कुंदनानी कालेज, बांद्रा के हिंदी प्राध्यापक डा० एस० एन यादव उपस्थित थे। निदेशक ने आर्शीवाद संस्थान के वैज्ञानिक श्री मुप्तझिर अहमद को चतुर्थ पुरस्कार और श्री डी०बी० शाक्यवार को निबंध प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई दी और उनके कार्य की सराहना की।

दूरदर्शन/आकाशवाणी

दूरदर्शन केंद्र "1" मद्रास

14 से 20 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। इसकी की अध्यक्षता अधीक्षण अभियन्ता श्री एन० सुब्रामणियन ने की। विदेश संचार निगम मद्रास के वरिष्ठ प्रबंधक/इंजीनियरी श्री एन० परमेश्वरण मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। अध्यक्ष महोदय ने हिंदी के सर्वाधिक प्रयोग पर बल दिया। मुख्य अतिथि ने सप्ताह के दौरान आयोजित निबंध, वाक् और कविता पाठ प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

दूरदर्शन केंद्र, हैदराबाद

13 से 18 सितम्बर तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। सप्ताह के दौरान निबंध/लेख, सुलेख, शब्दावली और हिंदी की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समापन समारोह 21 सितम्बर को मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्र निदेशक श्री पी० एन० चावला ने की। न्यायमूर्ति गोपालराव एकबोटे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत जैसे बहुभाषीय राष्ट्र में संविधान समिति ने हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना। उसे राजभाषा के रूप में इस लिए चुना गया कि वह पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोली और समझी जाती है। इस भाषा में सभी भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं। इस लिए यह बोलने, सीखने और समझने में अधिक सरल है। केंद्र निदेशक श्री चावला ने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो प्रयोग में अधिक सरल लगती है।

दूरदर्शन केंद्र, नागपुर

14 से 21 सितम्बर, 1993 तक आयोजित हिंदी सप्ताह के दौरान निबंध टिप्पण और प्रारूप लेखन, सुलेख तथा शुद्ध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। 21 सितम्बर को समापन समारोह में केंद्र अभियन्ता श्री वी०एम० खेर ने विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर सहायक केंद्र अभियन्ता, दर्शक अनुसंधान अधिकारी, कार्यक्रम निर्माता तथा प्रशासन और तकनीकी अनुभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

दूरदर्शन केंद्र, राजकोट

14 से 20 सितम्बर तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके दौरान निबंध, श्रुत लेखन, प्रश्नोत्तरी और अन्ताक्षरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 100 रू०, 75 रू० तथा 50 रुपये के नगद पुरस्कार दिए गए। निदेशक श्री पी०एम० वैष्णव ने केन्द्र में हो रहे राजभाषा हिंदी के कार्य की प्रशंसा की।

दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्र, नाशिक

केंद्र अभियन्ता श्री आर०सी० स्वामी की अध्यक्षता में दिनांक 14 सितम्बर, 1993 को हिंदी दिवस मनाया गया। सहायक अभियंता श्री टी०एन० सोनवणे और श्री के०एस० जाधव भी समारोह में उपस्थित थे। अध्यक्ष ने कार्यालयीन कार्य में हिंदी की उपयोगिता तथा प्रयोग के महत्व को स्पष्ट किया। भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई और प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। एक अनुदेश निकाला गया जिसके अनुसार हर बृहस्पतिवार को हिंदी के कामकाज का दिन तय किया गया।

आकाशवाणी, कोहिमा

14 सितम्बर, 1993 को हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस की अध्यक्षता केंद्र निदेशक कुमारी वी संखोसे ने की। उन्होंने कहा कि यदि हमें भारत को जानना है, भारतीयों को जानना है, उनके दिलों तक पहुंचना है तो हमें हिन्दी सीखनी ही होगी। उन्होंने आगे कहा कि नागालैंड जैसे छोटे प्रदेश में जहां 20-25 क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, जहां हर जनजाति की अपनी अलग भाषा है, वहां आपसी विचार-विनिमय के लिए सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे इस वास्तविकता को समझें तथा हिंदी को अपनाएं। वृतचित्र नागांजलि का प्रदर्शन किया गया जिसकी कर्मचारियों द्वारा काफी सराहना की गई।

आकाशवाणी पोर्ट, ब्लेयर

14 से 20 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। केंद्र निदेशक श्री जी० जयलाल की ओर से एक अपील जारी की गई जिसमें केंद्र के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए आह्वान किया गया 1 सप्ताह के दौरान हिंदी टिप्पण आलेखन, हिंदी टंकण, निबंध और हिंदी भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। 20 सितम्बर को केन्द्र निदेशक की अध्यक्षता में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उपर्युक्त प्रतियोगिताओं के सफल अधिकारियों और कर्मचारियों को क्रमशः 300 रु०, 200 रु० और 75 रू० के नकद पुरस्कार दिए गए।

रेडियो कश्मीर

14 सितम्बर, 1993 को हिंदी समारोह का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सहायक केंद्र निदेशक चौधरी गुलाम हसन ने की। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के निदेशक श्री फारूख नाज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने कहा कि हिंदी सरल और सुबोध भाषा है। इसे किसी संकीर्ण भावना से नहीं जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदी और संस्कृत की संवृद्धि के लिए मुसलमान लेखकों ने अत्यधिक योगदान दिया है। श्री हसन ने जम्मू-कश्मीर में राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग और निष्ठा की सराहना की।

आकाशवाणी, कोज़िक्कोड-673032 (केरल)

14 सितम्बर, से 20 सितम्बर 1993 तक हिंदी सप्ताह का अयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन हिंदी और मलयालम के जाने माने कवि और सेवा निवृत हिंदी प्रोफेसर श्री वी॰ए॰ केशवन नम्पूतिरी ने किया। उन्होंने हिंदी के विकास और प्रचार में भारत की भावात्मक एकता की श्रृंखला के रूप में उद्भापित करने के लिए आकाशवाणी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिंदी को सम्पूर्ण दृष्टि से राजभाषा का पद प्राप्त करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना आवश्यक है। समारोह की अध्यक्षता केंद्र अभियंता श्री एम॰ राधाकृष्णन ने की। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपील की कि वे अपना सरकारी काम ज्यादा से ज्यादा हिंदी में करें। सप्ताह के दौरान टिप्पण और मसौदा लेखन तथा अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विजेता कर्मचारियां को क्रमशः 150 रू॰, 100 रू॰ और 75 रू॰ के नकद पुरस्कार दिए गए।

आकाशवाणी, कलकत्ता

14 से 20 सितम्बर तक हिंदी सप्ताह मनाया गया जिसमें मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र) आकाशवाणी और दूरदर्शन उप महानिदेशक (पूर्वांचल) आकाशवाणी केंद्र निदेशक आकाशवाणी भुगतान एवं लेखा अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी कलकत्ता के कार्यालयों के कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र) आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कलकत्ता श्री विकास प्रकाश ने की। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वरिष्ठ क्वालिटी मैनेजमेंट विशेष प्रोफेसर आर॰जे॰पाण्डेय मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी कभी भी हमारे देश की सम्पर्क भाषा नहीं बन सकती है। सम्पर्क भाषा का स्थान हिन्दी ही ले सकती है। हिन्दी निबंध, कविता पाठ और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। जिन में उपर्युक्त सभी कार्यालय के कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र दिए गए। कुल 42 प्रतिभागी लाभान्वित हुए। आकाशवाणी कलकत्ता के केन्द्र निदेशक श्री बी॰आर॰ कुमार ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्हें रोजमर्रा के कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की प्रेरणा दी।

भारत सरकार के उपक्रम

विशाखापट्टणम स्टील प्रोजेक्ट

14 सितम्बर से शुरु होने वाले सप्ताह को हिंदी सप्ताह के रूप में मनाया गया। अध्यक्ष सहायक प्रबंधक निदेशक श्री जे॰मेहरा ने संयत्र के कर्मचारियों से हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस का आयोजन कोई औपचारिकता नहीं है। हिंदी का सम्मान हमारी राष्ट्रीयता और समग्रता का प्रभावी प्रतीक है। हिंदी में कार्यालीन कार्य का निर्वाह हमारा दायित्व है। हिंदी टंकण और आशुलिपि प्रतियोगिताओं के साथ-साथ वाक् प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। वर्ष के दौरान मूल रूप से हिंदी में काम करने के लिए संयत्र के सात कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिए गए। अपर महाप्रबंधक (कार्मिक) और राजभाषा अधिकारी श्री सी॰ अप्पाराव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी यदि दस राष्ट्रीय कार्य में अपना सहयोग देंगे तो संयत्र में राजभाषा के कार्यान्वयन को अधिक बल मिल सकेगा।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड पणम्बूर, मेंगलोर

14 से 16 सितम्बर तक हिंदी सप्ताह के दौरान हिंदी ज्ञान और हिंदी सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिनांक 16 सितम्बर 1993 को आयोजित समारोह में हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान के सहायक निदेशक डॉ॰ सी॰एम॰ तिवारी मुख्य अतिथि थे। कम्पनी के महा प्रबंधक श्री वरदराजन जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने प्रतियोगिता विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में अपर महाप्रबंधक श्री एम॰आर॰ पाणिकर और प्रबंधक (प्रशा॰) श्री केशल दैरेबैल भी उपस्थित थे।

लोकताक जल विद्युत परियोजना
नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि॰
कोमकैराप, मणिपुर

14 सितम्बर से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के रूप में मनाया गया। परियोजना के मुख्य अभियंता श्री आर॰ के॰ यादवेन्द्र और श्री एस॰ इब्रोहल सिंह, खेल मंत्री, मणिपुर राज्य विशेष अतिथि थे। वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक) श्री उपेन्द्र चोपड़ा ने परियोजना में राजभाषा हिंदी में हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने मुख्यालय द्वारा जारी की गई प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी देते हुए विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी।

उपप्रबंधक (विद्युत) एवं समन्वय श्री के॰आर॰ अजय कुमार ने कहा कि हिंदी मे काम करने की भावना दिल में होनी चाहिए। हिंदी निबंध, हिंदी सुलेख, टिप्पण लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। श्री यादवेन्द्र ने कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है और उसके प्रचार-प्रसार में सभी की समान रूप से भागीदारी होनी चाहिए।

हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड, विशाखापट्टणम

14 से 20 सितमबर 1993 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि एवं इकाई के महाप्रबंधक श्री बी॰एन॰मित्तल ने किया। उन्होंने कहा कि हिंदी सर्वग्राह्य है एवं देश की सम्पर्क भाषा के साथ-साथ संघ की राजभाषा होने के नाते कार्यालय के हरेक पहलू में उसे लागू करना हम सब का कर्तव्य है। सप्ताह के दौरान अहिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए सामान्य ज्ञान, सुलेख, श्रुतलेख आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिनमें कुल मिलाकर 78 कर्मचारियों ने भाग लिया। समापन समारोह की अध्यक्षता प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री वाई मन्नम मुख्य प्रबंधक ने किया। दक्षिण पूर्व रेल के मंडल प्रबंधक और विशाखापट्टणम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री जे॰के॰कोहली समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारे गौरव का प्रतीक है। यह देश की एकता को मजबूत करने का एक साधन है। श्री मन्नम ने इकाई में हिंदी कार्यान्वयन का विवरण देते हुए कहा कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड राजभाषा को अपनाने हेतु प्रतिबद्ध है।

नेशनल मिनरल डेवेलपमैंट कारपोरेशन लि॰ बचेली (जिला बस्तर)

14 सितमबर 1993 को हिंदी दिवस मनाया गया जिसके दौरान हिंदी प्रतियोगिता के साथ-साथ राजभाषा प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी में परियोजना से हिंदी में जारी किए गए। विभिन्न पत्र तथा कार्यालय आदेश प्रदर्शित किए गए। हिंदी दिवस समारोह की अध्यक्षता महाप्रबंधक श्री के॰एस॰ शंकर राव ने की। शासकीय महाविद्यालय जगदलपुर (म॰प्र॰) के हिंदी विभागाध्यक्ष डा॰ धनाराम कोसा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक श्री जी॰बी॰जोशी ने परियोजना में हिंदी की प्रगति तथा निगम द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की जानकारी दी। महाप्रबंधक श्री शंकरराव ने परियोजना में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने में और अधिकारियों और कर्मचारियों के योगदान की प्रशंसा की।

आपटेल, भोपाल

14 से 20 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह के दौरान श्रुतलेखन, हस्तलेखन, टंकण, निबंध और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। ये सभी प्रतियोगिताएं वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक) और प्रशासन, कैप्टन श्री वी॰ए॰ शर्मा की देखरेख में हुआ। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रबंध संचालक डॉ॰ रणधीर कुमार सूद द्वारा पुरस्कृत किया गया।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड विक्रय कार्यालय, आगरा

17 से 24 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके दौरान हिंदी टंकण, निबंध, आलेखन, सुलेख, टिप्पण एवं प्रारूप लेखन तथा तात्कालिक भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सचिव (रा॰भा॰) नगर कार्यान्वयन समिति श्री मुनीराम सकलानी ने समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे। समारोह की अध्यक्षता श्री विश्वरूप साहा, शाखा प्रबंधक ने की। मुख्य अतिथि ने राजभाषा कार्यान्वयन में राजभाषा नीति को कार्यरूप में परिणित करने पर विशेष बल दिया।

भारतीय कपास निगम, बम्बई

भारतीय कपास निगम द्वारा 14 सितंबर, 1993 से हिंदी सप्ताह मनाया गया जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। अंतिम दिन आज 22 सतंबर, 1993 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में टी.वी. धारावाहिकों के प्रसिद्ध अभिनेता श्री मनोहर पंडित तथा विशेष अतिथि के रूप में वस्त्र आयुक्त, श्री के. राजेन्द्रन नायर उपस्थित थे। आरंभ में निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मा.ब. लाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में निगम द्वारा किए गए प्रयत्नों की जानकारी दी तथा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे अपना अधिक से अधिक काम-काज हिंदी में करें, जिससे हमारा हर दिन हिंदी दिवस हो।

अंत में निगम के निदेशक (क्रय-विक्रय) श्री मो.ना. जोशी ने अतिथियों एवं कवियों के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ॰ रीता कुमार, प्रबंधक कार्मिक / हिंदी ने किया।

पृष्ठ 45 का शेषांश

सेवभावी शिक्षक

आर्थिक समस्याएं स्वाभिक रुप से वहां विद्यमान थीं। ये श्रमजीवी भारतीय दैनिक जीवन की सामग्री जुटाने में ही अपनी आय खर्च कर देते थे। अध्यापकों के लिए वेतन देना इनके बस के बाहर की बात थी। मातृभाषा पढ़ाने वाले मास्टर केवल सेवा भाव से पढ़ाते थे और चंदा इत्यादि से प्राप्त धन किताबों के लिए आरक्षित था। अतः भारतीय जनता को दक्षिण अफ्रीका में शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में प्रवासकाल के आरंभ से ही आत्मनिर्भर बनना पड़ा। उनकी उपलब्धियां इसलिए और भी सराहनीय हैं क्यों कि उनको विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा के लिए भी प्रशासन की ओर से मकानों का निर्माण नहीं हो रहा था। परिणामतः भारतीयों की गाढ़ी मेहनत से तैयार की हुई मातृभाषा की पाठशालाएं सरकारीस्कूल के रुप में परिणत हुई। दुष्परिणाम यह हुआ कि मातृभाषा का पठन-पाठन अवरुद्ध होने लगा, क्योंकि प्रशासन की नीति भारतीय भाषा अध्यापन के समर्थन में न थी। नेटाल प्रांत के पीटर मैरिटज नगर में स्वामी शंकरानंद जी ने आर्य धर्म सभा की स्थापना की थी। वहां विभिन्न भारतीय भाषावर्ग के स्त्री-पुरुष और छात्र बड़े उत्साह से अपने वार्षिक समारोह को मनाते हैं।

दक्षिण अफ्रीका में हिन्दी के प्रचार-प्रसार का श्रेय स्वामी यवानी दयाल जी को सर्वाधिक जाता है। गांधी जी वहां अपना इंडियन ओपीनियन पत्र हिन्दी में भी निकालते थे।

सरकारी स्कूलों में मान्यता प्राप्ति के पूर्व मातृभाषा ज्ञान केवल पाठशालाओं में उपलब्ध था। हिन्दी, तमिल, तेलुगु तथा गुजराती का प्रचार सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से हो रहा था और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। सरकारी स्कूलों में केवल वे शिष्य मातृभाषा पढ़ सकते हैं, जो स्कूल जाना शुरु कर रहे हैं।

यद्यपि प्रशासन की वर्तमान नीति के अनुसार दक्षिण अफ्रीका के सभी लोगों की मातृभाषा एवं संस्कृति संबंधी शिक्षा व्यवस्था मान्य है, किन्तु भविष्य के विषय में अनुमान लगाना कठिन है। इस दृष्टि से यदि सोचा जाए तो इन पाठशालाओं को आगे चलकर बहुत काम करना पड़ेगा।

भारतीय भाषाओं की शिक्षा पाठशालाओं में अधिकतर बालकों तक सीमित है। यह शिक्षा अपूर्ण और अनेक दृष्टियों से असंतोषजनक है। हिन्दी के क्षेत्र में कुछ अधिक विकास, दक्षिण अफ्रीका हिन्दी संघ की स्थापना के पश्चात हुआ। यह संस्थान राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा (भारत) की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करती थी और कई विद्यार्थियों को 'कोविद' और 'रत्न' परीक्षाओं में सफलता भी मिली। हिन्दी शिक्षा संघ का कार्य-क्षेत्र बढ़ रहा है, कोई भी मनुष्य अपनी संस्कृति के बिना पूर्ण नहीं माना जा सकता ।

भारतीय भाषाओं में हमारी जातीय चेतना, तथा संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी मूल्य सुरक्षित है। हिन्दी जगत में 'रामचरित मानस' को जो स्थान प्राप्त है, किसी और ग्रंथ को नहीं। अनुवाद तो किसी भी भाषा का संभव है। लेकिन अनूदित कृतियों का रस मूल कृति से भिन्न अथवा न्यून ही पाया जायेगा। इसलिए दक्षिण अफ्रीका में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय भाषाओं धर्म एवं संस्कृति की वृद्धि में प्रयत्नशील हैं।

समाचार दर्शन

कर्नाटक में शासन कार्य केवल कन्नड़ में

दैनिक नवभारत टाइम्स के 7 अगस्त, 1993 के अंक में छपे एक समाचार के अनुसार कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री एम० वीरप्पा मोईली ने स्वतंत्रता दिवस, 1993 से प्रशासन के सभी सत्रों पर अंग्रेजी को हटाकर केवल कन्नड़ भाषा का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा जिस सरकारी फाइल पर अंग्रेजी में टिप्पणी लिखी होगी उसे न तो वे खुद और न ही उनके कोई सहयोगी देखेंगे। ऐसा उन्होंने अनेक कन्नड़ समर्थक संगठनों की मांग पर किया है। आन्दोलनकारियों ने राज्य सचिवालय में अंग्रेजी की सभी तख्तियों पर कालिख पोतने का अभियान चलाया था। माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले कहा था कि अंग्रेजी का कुप्रभाव इस हद तक पड़ा है कि स्थानीय भाषा पृष्ठभूमि में जा छिपी है। उन्होंने यहां तक कहा कि कन्नड़ साहित्य के प्रचार के लिए वे खुद इसकी पुस्तकें सिर पर उठाकर गली-गली में बेचेंगे।

वेनिस में हिंदी में उच्च अध्ययन

नवभारत टाइम्स के 7 अगस्त, 1993 के अंक में छपे एक समाचार के अनुसार वेनिस के विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाने की अच्छी व्यवस्था है। हाल ही में श्री अलेसांद्रो रूपिल ने श्री निर्मल वर्मा के लेखन पर अपना शीघ्र प्रबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। श्री अलेसांद्रो अर्थशास्त्र में पहले ही डॉक्टरेट कर चुके हैं। अंतिम साक्षात्कार में प्रोफेसर सामने बैठे हुए थे। श्री अलेसांद्रो ने अपना संक्षिप्त वक्तव्य हिंदी में दिया। वे अच्छी हिंदी बोलते है। वेनिस विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग की अध्यक्ष हैं प्रोफेसर मरियोल्ला ऑप्रेदी। उन्होंने मिलान में हिन्दी की शिक्षा प्राप्त की थी। वे लंबे समय से इटली में हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ा रहीं है। प्रोफेसर ऑफ्रेदी ने बहुत छोटी उम्र में प्रेमचंद के उपन्यास "गोदान" का हिन्दी से इतालवी में अनुवाद किया था। उन्होंने श्री कुंवर नारायण की बहुचर्चित कृति "आत्मजयी" का इतालवी में "नचिकेता" के नाम से अनुवाद भी किया है। यह अनुवाद पुस्तक के रूप में भी उपलब्ध है। डॉ आफ्रेदी ने बताया कि वेनिस विश्वविद्यालय अगले वर्ष के प्रारंभ में श्री कुंवर नारायण को हिंदी कविता पर व्याख्यान देने के लिए निमंत्रित कर रहा है। एक तरह से हिंदी भाषा के प्रति विश्वविद्यालय ने विशेष सम्मान भाव दिखाया।

अन्तर्राष्ट्रीय हिंदीतर पुरस्कारों की घोषणा

नजीबाबाद। स्थानीय अन्तर्राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति परिषद के तत्वावधान में आगामी 30 अक्तूबर 1993 को आयोजित 'सप्तम साहित्यिक कुम्भ' के लिए कुसुम अन्तर्राष्ट्रीय हिंदीतर पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है।

उक्त जानकारी देते हुए परिषद के संस्थापक संरक्षक श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष समग्र लेखन पर 11,000 रूपए के पुरस्कार के लिए केरल के डॉ० नूरणि ईश्वर विश्वनाथ अय्यर का चयन किया गया है। 2000-2000 रूपयों वाले कथा वर्ग में बिहार के श्री सी. भास्करराव के 'दिशा' उपन्यास को, काव्य वर्ग में महाराष्ट्र की सुश्री पद्मजा घोरपड़े की काव्यकृति 'जख्मो के हाशिये', अनुवाद वर्ग में आन्ध्र प्रदेश के डॉ० एम० रंगैय्या की पुस्तक डॉ० 'हम सब एक है' विविध वर्ग में तमिलनाडू के श्री ए० शौरिराजन की पुस्तक' 'दक्षिण भारत की काव्य कथाएं', पत्रिका सम्पादन वर्ग में पश्चिमी बंगाल की 'अनुवाद पत्रिका' के सम्पादक श्री वैशम्पायन घोपाल को राजभाषा हेतु गोवा शिपयार्ड वास्को द गामा (गोवा) के हिंदी अधिकारी श्री की० रोराय्या और शोध समीक्षा वर्ग में, 'हिंदी रीति काव्य तथा तमिल संगम काव्य में श्रृंगार निरूपण का तुलनात्मक अध्ययन' ग्रन्थ के लेखक तमिलनाडू के डॉ० टी० एस० कुप्पुस्वामी को मरणोपरान्त 5000 रूपयें का पुरस्कार सम्मान दिया जाएगा। प्रकाशक वर्ग में नई दिल्ली के श्री ऋषभचरण जैन एवं सन्तति प्रकाशन को चल वैजयन्ती सहित 5000 रूपयों के पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।

समारोह के मुख्य अतिथि सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एस० एन० भार्गव होगें। विशिष्ट अतिथि पोलेन्ड के भारत में राजदूत प्रो० मा० शिश्तोफ बृस्की, व गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ० बी० एस० राजपूत होगें। सम्मान में उक्त राशि के अतिरिक्त शाल, प्रशस्तिपत्र एवं प्रतीक भी प्रदान किये जाते है।

यह सम्मान माता कुसुम कुमारी अन्तर्राष्ट्रीय हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक सम्मान के अन्तर्गत हिंदीतर भाषियों को उनके उल्लेखनीय प्रकाशित हिंदी साहित्य पर 1987 से प्रति वर्ष साहित्यिक कुम्भ पर दिया जाता है।

उन्होंनें बताया कि उसी रात्रि में कुम्भस्थल पर आकाशवाणी नजीबाबाद के सौजन्य से एक संगीत संध्या का भी आकर्षक कार्यक्रम रखा जा रहा है।

प्रशिक्षण/भर्ती परीक्षाएं : हिंदी माध्यम

एक्यूरियल अप्रेन्टिस की परीक्षा में हिंदी माध्यम

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की 29 जून, 93 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति में की बैठक भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि निगम द्वारा एक्यूरियल अप्रेन्टिस के पदों के लिए ली जाने वाली परीक्षा में 1994 से हिंदी माध्यम का विकल्प दिए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली

कर्मचारी राज्य बीमा निगम; नई दिल्ली ने अपने 13 अगस्त, 1993 के पत्र सं० ए-49/11/9/90 हिंदी द्वारा सूचित किया है कि निगम की निरीक्षक/प्रबन्धक ग्रेड-2 की भर्ती परीक्षाओं में उम्मीदवारों को हिंदी में प्रश्नोत्तर देने का विकल्प है।

पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० नई दिल्ली

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि डिप्लोमा के इंजीनियर्स ट्रेनीज की नियुक्ति परीक्षा के प्रश्न-पत्र द्विभाषी रूप में छपवाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें परीक्षार्थियों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में परीक्षा दें। साक्षात्कार में भी हिंदी में प्रश्नों का उत्तर देने की छूट उपलब्ध रहेगी।

एयरमैनों की भर्ती परीक्षा के प्रश्न-पत्र भी अब द्विभाषी छपें गे

संयोजक, राजभाषा कार्य, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के नाम अपने 27 अक्तूबर, 1993 के पत्र सं० 20/18/93/रक्षा (राज०-1) द्वारा निदेशक (राजभाषा) रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि वायु सेना में तकनीकी और गैर-तकनीकी ट्रेडों में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षा के प्रश्न-पत्र अब द्विभाषी अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में अपलब्ध किए जाते हैं तथा वायुसेना मुख्यालय को आदेश दिए गए हैं कि एयरमैनों की भर्ती के लिए आगामी विज्ञापनों में भी इस बात की सूचना रहे।

भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद की प्रवेश परीक्षा में हिंदी का विकल्प।

भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक है तथा विशेष तकनीकी संस्था है। अब उसके कुलसचिव (कार्यकारी) ने अपने 9.9.93 के पत्र संख्या 601004/93 द्वारा सूचित किया है कि 1994 से प्रवेश परीक्षा का प्रश्न—पत्र अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में छपवाने का कार्यक्रम निश्चित हो गया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम में टाइपिस्टों/आशुलिपिकों तथा सहायकों की नियुक्ति परीक्षा में अंग्रेजी का वर्चस्व समाप्त

भारतीय जीवन बीमा निगम में टाइपिस्टों, आशुलिपिकों तथा सहायकों की नियुक्ति परीक्षा में अंग्रेजी का प्रश्नपत्र उत्तीर्ण करना न केवल अनिवार्य था, बल्कि श्रेष्ठता के लिए भी इसके अंक जोड़े जाते थे। इस कारण अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो अंग्रेजी में कमजोर होते थे, निगम की सेवा में प्रवेश पाने से वंचित रह जाते थे। किन्तु अब उक्त नियुक्ति परीक्षा में न केवल हिंदी को बल्कि क्षेत्रीय (प्रादेशिक) भाषाओं को भी उचित महत्व प्राप्त हुआ है।

नये नियमों के अनुसार उक्त की नियुक्ति परीक्षाओं में अब दो प्रश्नपत्र होंगे। जिसमें 'क' 'ख' क्षेत्र के लिए प्रश्नपत्र संख्या एक में (1) अंकगणित (2) तर्कशक्ति, (3) सामान्य ज्ञान, (4) अंग्रेजी, (5) हिंदी विषय के प्रश्न होंगे। प्रश्न-पत्र दो में भाषा का प्रश्नपत्र होगा जिसमें केवल न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना रहेगा। इसमें हिंदी अथवा अंग्रेजी के प्रश्नों के हल करने का विकल्प होगा। यह प्रश्नपत्र देश के प्रत्येक क्षेत्र में लागू रहेगा। देश के अहिंदी भाषी क्षेत्रों में जहां हिंदी राजभाषा नहीं है, वहां 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में प्रश्न पत्र संख्या दो में भाषा प्रश्न-पत्र में प्रादेशिक भाषा के भी प्रश्न होंगे। इस प्रकार हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इससे भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

प्रोत्साहन-पुरस्कार

इस्पात मंत्रालय

हिंदी में मौलिक पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना

भारत सरकार ने इस्पात मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में आने वाले वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पुरस्कार योजना आरम्भ कर रखी है।

पुरस्कारः- योजना के अन्तर्गत मौलिक हिंदी पुस्तकों के लिए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के लिए क्रमशः 10,000/-, 7,500 तथा 5,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है।

पुरस्कारों का निर्णय इस प्रयोजन के लिए गठित एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति का निर्णय अन्तिम और निर्विवाद होगा। यदि मूल्यांकन समिति द्वारा किसी भी प्रविष्टि को पुरस्कार के योग्य नहीं पाया गया तो सभी अथवा कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।

पात्रताः- मूल्यांकन समिति के किसी भी सदस्य अथवा उसके सगे-संबंधियों को छोड़ कर सभी व्यक्ति इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं।

01 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1993 तक प्रकाशित/लिखी गई पुस्तकें पुरस्कार वर्ष 1992-93 के लिए 31 दिसम्बर, 1993 तक आमंत्रित हैं। प्रविष्टि फार्म और अन्य ब्यौरे, सहायक निदेशक (राजभाषा) इस्पात मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 से प्राप्त किए जा सकते हैं।

आवेदन पत्र तथा पुस्तकें/पाण्डुलिपियां पांच प्रतियों में संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजी जाएं।

भारत सरकार
नौवहन महानिदेशालय
बंबई- 400 038

नौवहन महानिदेशालय, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (भारत सरकार) ने नौवहन जैसे विशिष्ट विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कृत करने के लिए एक योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:-

इस योजना का नाम "नौवहन महानिदेशालय मौलिक हिंदी-पुस्तक पुरस्कार योजना" होगा।

इस योजना का उद्देश्य नौहवन जैसे विशिष्ट विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने को प्रोत्साहित करना है। हिंदी में मौलिक पुस्तकों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे:

पहला पुरस्कार.....रु० 25,000/-

दूसरा पुरस्कार.....रु० 20,000/-

तीसरा पुरस्कार.....रु० 15,000/-

पुरस्कार सन 1993 से आरंभ होंगे और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के लिए दिए जाएंगे। नौवहन महानिदेशालय, पुरस्कारों के लिए लेखकों के आवेदन-पत्र हिंदी और अंग्रेजी के प्रमुख समाचार-पत्रों में सूचना प्रकाशित करके आमंत्रित करेगा।

लेखक अपने आवेदन निर्धारित फार्म पर भर कर "नौवहन महानिदेशक, नौवहन महानिदेशालय, जहाज भवन, वा० ही० मार्ग, बंबई -400 038" को भेजेंगे। अपने आवेदन पत्र के साथ विचारार्थ पाण्डुलिपि प्रकाशित पुस्तकें भी लेखकों को निर्धारित संख्या में भेजनी होंगी।

बिहार सरकार
राजभाषा विभाग

पुरस्कारों की अर्हताएं एवं उन पर देय राशि

डा० राजेन्द्र प्रसाद शिखिर सम्मानों एक लाख इक्यावन हजार

यह पुरस्कार उस किसी भी व्यक्ति को देय होगा जिसने अखिल भारतीय स्तर पर विगत दस वर्षों में हिंदी में सृजनात्मक लेखन, पत्रकारिता, अथवा प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में विशिष्टतम योगदान दिया है। इस पुरस्कार में एक लाख इक्यावन हजार रुपए के बैंक ड्राफ्ट के अलावा बोधिवृक्ष का प्रतीक चिन्ह एवं ताम्र पत्र पर अंकित प्रशस्ति-पत्र भी देय होंगे।

जन नायक कर्पूरी ठाकुर पुरस्कार : एक लाख एक रुपए

यह पुरस्कार सामाजिक न्याय, विज्ञान, चिकित्सा, अभियंत्रण तथा विधि के क्षेत्र में विशिष्ट हिंदी सेवा एवं मानक लेखन के लिए अनुशंसा के आधार पर दिया जाएगा। यह पुरस्कार साहित्येत्तर विद्या पर देय होगा।

राष्ट्रकवि दिनकर पुरस्कार : इक्यावन हजार रुपए

यह पुरस्कार किसी भी ऐसे कवि को देय होगा जिसने विगत दस वर्षों में हिंदी कविता के क्षेत्र में विशिष्टतम योगदान दिया है। यदि डा० राजेन्द्र प्रसाद शिखर सम्मान किसी वर्ष किसी कवि को मिलता है तो उस वर्ष राष्ट्र कवि दिनकर पुरस्कार डा० राजेन्द्र प्रसाद शिखर सम्मान के पूरक अथवा द्वितीय पुरस्कार के रूप में माना जाएगा। लेकिन यह प्रत्येक स्थिति में किसी कवि को ही दिया जाएगा।

महादेवी वर्मा पुरस्कार : पच्चीस हजार रुपए

यह पुरस्कार केवल महिलाओं के लिए होगा तथा उस महिला लेखिका अथवा कवयित्री को देय होगा जिसने विगत दस वर्षों से हिन्दी लेखन की किसी विधा में अपनी विशिष्टतम पहचान बनाई हो।

बाबू गंगा शरण सिंह पुरस्कार : पन्द्रह हजार रुपए

यह पुरस्कार किसी भी ऐसे व्यक्ति को देय होगा जिसने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में विगत दस वर्षों में अपनी विशिष्टतम पहचान बनाई हो।

अहिंदी भाषी हिंदी सेवी सम्मानः पन्द्रह हजार रुपए के दो पुरस्कार

ये पुरस्कार किसी भी ऐसे हिन्दी भाषी को देय होंगे, जिसने विगत दस वर्षों में हिंदी के विकास, विशेषकर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान दिया हो।

विशिष्ट हिंदी सेवा के लिए सम्मान : पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपए के चार पुरस्कार : (क) न्याय एवं प्रशासन के क्षेत्रों में (ख) अन्य भाषाओं से हिंदी अनुवाद के क्षेत्र में (ग) तकनीकी क्षेत्र में तथा (घ) पत्रकारिता के क्षेत्र में।

ये पुरस्कार वैसे किसी भी व्यक्ति को देय होंगे जिसने विगत दस वर्षों में उपर्युक्त विषयों में से किसी एक में हिंदी भाषा के माध्यम से अपना विशिष्ट योगदान दिया हो।

2. नामित पुरस्कार योजना

क्रम सं०	पुरस्कार का नाम	विषय/विद्या	राशि
1.	चाणक्य पुरस्कार	राजनीति शास्त्र	1×4000
2.	मंडन मिश्र पुरस्कार	धर्म एवं दर्शन	"
3.	विद्यापति पुरस्कार	हिन्दी में रचित लोक साहित्य	"
4.	आर्यभट्ट पुरस्कार	विज्ञान	"
5.	उपेन्द्र महारथी पुरस्कार	कला एवं शिल्प	"
6.	अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार	हिन्दी भाषा एवं लिपि	"
7.	काशी प्रसाद जायसवाल	इतिहास एवं संस्कृति	"
8.	राजा राधिका रमण प्र० सिंह पुरस्कार	उपन्यास एवं कहानी	"
9.	शिवपूजन सहाय पुरस्कार	ललित निबंध, संस्मरण एवं यात्रा-साहित्य	"
10.	रामवृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार	नाटक एवं रंगमंच	"
11.	केदारनाथ मिश्र प्रभात पुरस्कार	काव्य	"
12.	नलिन विलोचन शर्मा पुरस्कार	समालोचन	"
13.	गोरख नाथ सिंह पुरस्कार	अर्थ शास्त्र	"
14.	डॉ० सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार	विधि साहित्य	"
15.	अमर नाथ झा पुरस्कार	बाल-साहित्य	"
16.	लक्ष्मी ना० सुधांशु पुरस्कार	हिन्दी साहित्य एवं भाषा से संबंधित प्रकाशित शोध ग्रंथ	"
17.	गोपाल सिंह नेपाली	नवगीत	
18.	फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार	आंचलिक कथा-कृति	"

राजभाषा विभाग का दिनांक 18-11-93 का कार्यालय ज्ञापन सं० 12015/36/92-रा०भा०(त०क०)

विषय:—द्विभाषिक इलैक्ट्रानिक टैलेक्स/टेलीप्रिंटर की मांग की आपूर्ति।

राजभाषा विभाग के दिनांक 20-3-88 के कार्यालय ज्ञापन सं० 12015/9/88-रा०भा०(त०क०) में द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर/टैलेक्स की खरीद के बारे में निदेश जारी किए गए थे। इन निदेशों के अनुसार केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा केवल द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेजी) इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर टैलेक्स मशीनें ही खरीदी जानी हैं न कि रोमन की इलैक्ट्रानकि टेलीप्रिंटर/टैलेक्स मशीनें। हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड, मद्रास, भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान, इन द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर/टैलेक्स उपकरणों का विनिर्माण कर रहा है। यह प्रतिष्ठान मांग के आधार पर इन उपकरणों को तुरंत उपलब्ध कराने में सक्षम है तथा अपने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और बैंगलूर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इन खरीदे गए उपकरणों के वार्षिक रखरखाव का कार्य भी कर सकता है।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से यह अनुरोध है कि वे द्विभाषिक इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर/टैलेक्स संबंधी अपनी मांग तुरंत निम्न पते पर भेज दें:—

महाप्रबन्धक (प्रोजेक्ट्स)
हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड,
जी०एस०टी० रोड़, गिंडी, मद्रास-600032

3. सभी मंत्रालय/विभाग आदि आने वाले 2-3 वर्षों में इन उपकरणों के लिए उत्पन्न होने वाली मांग का आकलन कर उसके आधार पर इन उपकरणों की खरीद के लिए हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास को लिख सकते हैं ताकि हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड तदनुसार अपने वार्षिक उत्पादन कार्यक्रम को सही-सही निर्धारित कर सके। सभी मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध है कि वे उक्त जानकारी को अपने सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, निगमों आदि की जानकारी में भी आवश्यक कार्वाई हेतु ला दें।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) का दिनांक 8 जून 1993 का सं० 13018/1/92-हिन्दी-11

विषय:—कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कोड/मैनुअलों/प्रक्रिया साहित्य की सूची।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय द्वारा द्विभाषी/हिंदी में पृथक से प्रकाशित/साइक्लोस्टाइल कोड, नियम, संहिता/प्रक्रिया साहित्य आदि की एक सूची भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में व्यापक रूप से प्रसारण के लिये संलग्न करने का निदेश हुआ है। इनमें कुछ समूल्य प्रकाशन (Priced Publications) हैं; उन्हें प्रकाशन विभाग के बिक्री काउन्टरों से निर्धारित मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है। शेष प्रकाशन इस मंत्रालय के संबंधित विभाग/प्रभाग/अनुभाग (जिसका उल्लेख प्रकाशन के साथ किया गया है) से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं और इनकी प्राप्ति के लिये मांग/पत्र-व्यवहार संबंधित प्रभाग/अनुभाग से ही किया जाये।

द्विभाषी रूप में प्रकाशित कोड/मेनुअल/नियम आदि की सूची

क्रम सं०	नाम	क्या समूल्य हैं अथवा नहीं	संबंधित विभाग/प्रभाग/अनुभाग का नाम
1.	मूल नियमों तथा अनुपूरक नियमों का संकलन—भाग-1 Compilation of F.R. & S.R.—Part-I	समूल्य Priced	—
2.	भर्ती नियम संबंधी पुस्तिका Handbook on Recruitment Rules	—	स्था० (आर० आर०) Estt. (RR)
3.	भर्ती नियम संबंधी पुस्तिका पूरक Handbook on Recruitment Rules Supplementary	—	-वही- -do-
4.	केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 Brochure on Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965.	समूल्य Priced	-वही- -do-
5.	केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 Central Civil Services (conduct) Rules, 1964	समूल्य Priced	-वही- -do-
6.	केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988 Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988	समूल्य Priced	स्थापना प्रभाग Estt. Div.
7.	केन्द्रीय सिविल सेवायें (शैक्षणिक सहायता) आदेश, 1988 Central Civil Services (Educational Assistance) Order, 1988	समूल्य Priced	स्थापना (भत्ता) Estt. (Allow)
8.	राज्यों के पुनर्गठन के उद्भूत सेवाओं का एकीकरण—एक अध्ययन Integration of services as a result of re-organisation of States-a monograph	समूल्य Priced	एस० आर० (एस०) SR (S).
9.	कार्मिक अधिकारियों के लिये पुस्तिका—खंड-1 A Handbook on Personnel Officers-Volume-I	समूल्य Priced	— —
10.	स्थापना संबंधी विषयों की पुस्तिका A Handbook on Establishment Matters.	समूल्य Priced	— —
11.	अवर सचिव स्तर और उससे उच्च रैंक सचिवालय पदों और कतिपय महत्वपूर्ण प्रचालन में नहीं है (क्रमांक 30 में समाहित) गैर-सचिवालय पदों पर अधिकारियों के चयन और नियुक्ति की क्रिया-विधि Procedure for the Selection & Appointment of Oficers to Secretariat post of & above the rank of Under Secretaries and certain important non-Secretariat posts.	Obsolete Subject covered by item No. 30.	
12.	सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 एवं भविष्य निधि अधिनियम, 1925 General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 and Provident Fund Act, 1925.	समूल्य Priced	
13.	अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 Contributory Provident Fund Rules (India) 1962.	समूल्य Priced	
14.	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 Central Civil Services (Pensions) Rules 1972	समूल्य Priced	

15.	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981.	समूल्य Priced	
16.	केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली Central Civil Services (Extra-Ordinary Pension) Rules	समूल्य Priced	पेंशन विभाग लोक नायक भवन, नई दिल्ली। P&PW Deptt. Lok Nayak Bhawan
17.	अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की पेंशन संबंधी विवरणिका। A Handbook on Pension of All India Service Officers.	समूल्य Priced	
18.	अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद वाणिज्यिक रोजगार संबंधी विवरणिका। Brochure on Commercial Employment of All India Service Officers after Retirement.	समूल्य Priced	
19.	केन्द्रीय सरकार के सिविलियन पेंशनभोगियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और विधाएं Facilities for Civil Pensioners Central Govt.	समूल्य Priced	पेंशन विभाग लोक नायक भवन P&PW Department Lok Nayak Bhawan.
20.	सुखद सेवानिवृत्ति की ओर-विवरणिका Brochure on Towards Enjoyable Retirement.	समूल्य Priced	-वही-। -do-
21	केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनर्नियोजित पेंशन भोगियों के वेतन का निर्धारण) आदेश, 1986 Central Civil Services (Fixation of pay of Re-Employed Pensioner's) Order, 1986.	समूल्य Priced	स्थापना प्रभाग Estt. Divin.
22.	समूह "ग" तथा "घ" के कर्मचारियों की वर्दी संबंधी पुस्तिका Hank book on uniforms of Group 'C' and 'D' Employees.	समूल्य Priced	
23.	संयुक्त परामर्शतन्त्र तथा सेवा एसोसिएशनों/यूनियनों के सदस्यों को दी गयी सुविधा संबंधी विवरणिका। Brochure on facilities extended to the Members of JCM & to the Service Associations/Unions.	समूल्य Priced	जे॰ सी॰ ए॰ अनुभाग J.C.A.
24.	केन्द्रीय सरकार के अधिशेष कर्मचारियों और छंटनी किए गए कर्मचारियों की पुनर्नियोजन संबंधी पुस्तिका। Brochure on Re-development of surplus Staff and Re-trenched Employees.	समूल्य Priced	नए संस्करण का कार्य चल रहा है। The work of new edition is in hand.
25.	अधिशेष कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की पुनरीक्षित योजना। Revised Scheme for the Redeployment of Surplus staff.	समूल्य Priced	केन्द्रीय सेवाएं-III लोक नायक भवन
26.	कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका Manual of Office Procedure	समूल्य Priced	
27.	गृह व्यवस्था कार्यों से संबंधित पुस्तिका Hank book of House keeping jobs.	समूल्य Priced	
28.	राज्यों में संगठन पद्धति O&M in states.	समूल्य Priced	प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं। Copies are not available.
29.	विभागीय पुस्तकालयों की सूचना पुस्तिका Handbook on Departmental Libraries.	समूल्य Priced	-वही- -do-
30.	केन्द्रीय स्टाफिंग योजना Central Staffing Scheme.	समूल्य Priced	ई॰ओ॰ प्रभाग ED Division.

पाठकों के पत्र

राजभाषा भारती अंक—58 में डा॰ आर॰ के॰ मान ने हिंदी अनुवाद की एक बहुत अच्छ मिसाल पेश की है जिससे बाकी लोगों को अनुवाद की कला सीखने का सुअवसर प्राप्त होता है। अच्छा होता यदि डा॰ मान गलत अनुवाद के साथ-साथ सही अनुवाद को लेख में जोड़ दिए जाते, ताकि यह जान सकने का अवसर मिलता कि कहां पर क्या गलतियां हुई हैं।

डा॰ मान ने जिन गलतियों की ओर से इशारा किया है कि उससे में पूरी तरह सहमत हूं। फिर भी यहां मैं यह बताना अप्रासंगिक नहीं समझता कि जब कोई अनुवादक या अधिकारी अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करता है तो उस व्यक्ति को मानसिक स्तर पर भी विचार करना होता है। अर्थात् अनुवादक या अधिकारी की मातृभाषा, विषय की जानकारी और स्रोत और लक्ष्य भाषा पर अधिकार का विचार करना होगा। क्योंकि कितने ही लोग डाक्टरी या इंजीनियरी में डिग्री तो लेते हैं पर उनमें से कितने लोग सफल डाक्टर या इंजीनियर बन पाते हैं। यह सिद्धांत अनुवाद कला पर भी लागू होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुवाद में हुई गलतियों के कारणों की पहचान कर उसके बारे में संबंधित व्यक्ति का मार्गदर्शन किया जाए तो हो सकता है कि वह अपनी गलतियों को सुधार सकेगा। जब इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे तब कुछ हद तक अनुवाद में सुधार होगा और राजभाषा हिंदी का सही प्रयोग संभव भी होगा। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि अधिक-से-अधिक लोगों को राजभाषा हिंदी के सही प्रयोग में मदद करें बजाय इसके कि उनकी गलतियों को ढूंढने का प्रयास करें। प्रोत्साहन मिलने पर व्यक्ति की मानसिकता में परिवर्तन जरूर आयेगा और उसका परिणाम अच्छे अनुवाद के रूप में उभर कर आयेगा। समस्या का हल हमें सकारात्मक ढंग से करना होगा न कि नकारात्मक ढंग से।

—एस॰इ॰ राव, हिंदी अधिकारी, मुरगांव पत्तन न्यास, मुरगांव, गोवा-403803 ☐

श्री राव की भांति श्री बैकुण्ठ नाथ झा, फील्ड गन फैक्ट्री, कानपुर ने डा॰ आर॰ के॰ मान के लेख के बारे शंकाएं उठाई हैं। डा॰ मान ने सभी बिन्दुओं के उत्तर देने का प्रयास किया है। आशा है इन उत्तरों से श्री राव, श्री झा तथा 'राजभाषा भारती' के सभी सुहृदय पाठक संतुष्ट होंगे। भविष्य में इस लेख के बारे में अब और अधिक प्रकाशित न कर पाएंगे।—संपादक]

श्री बैकुण्ठ झा के 12.7.93 के पत्रांक 413 41/6 के क्रमवार उत्तर निम्नलिखित हैं:-

"सम्यक् अनुवाद के उदाहरण सामने रखे जाते तो अच्छा होता (क्योंकि) इससे उन कार्यालयों को सुविधा भी होती।"

○ निवेदन है कि अशुद्ध अनुवाद के उदाहरण हस्तलिपि के 18 पृष्ठों में दिए गए हैं। यदि साथ ही सम्यक् अनुवाद भी दिया जाता, तो छह पृष्ठ और बढ़ जाते। पत्रिका में इतने बड़े लेख को स्थान दिया जाना निःसंदेह कठिन होता। इस व्यावहारिक पहलू को ध्यान में रखते हुए ही सम्यक् अनुवाद न देकर लेख को सीमित रखना आवश्यक समझा गया। श्री झा का कहना है कि "इससे उन कार्यालयों को सुविधा भी होती।" निवेदन है कि उन कार्यालयों को इस प्रकार की अशुद्धियों के बारे में पिछले दस साल से बतलाया जाता रहा है।

अनुवाद की अधिकांश समस्याएं हिंदी को अंग्रेजी का पिछलग्गू बना दिए जाने के कारण हैं।

○ निवेदन है कि जब एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है, तो लक्ष्य स्रोत भाषा की पिछलग्गू नहीं बन जाती। दोनों भाषाएं स्वतंत्र हैं दोनों की अलग प्रकृति हैं, दोनों के अलग प्रयोग हैं। यदि पाठक यह कहना चाहते हैं कि हमें Revocation of suspension का अनुवाद "निलम्बन का पुनः आह्वान"; No formalities का अनुवाद "कोई शिष्टाचार नहीं"; Image of the bank का अनुवाद "बैंक की प्रतिमा"; Introduction of accounts का अनुवाद "खाता की पुर्नस्थापना"; Section 54 of Income Tax Act "का अनुवाद "आयकर कानून 54 विभाग" आदि इसलिए अशुद्ध नजर आते हैं कि हिंदी को तथाकथित रूप से अंग्रेजी का पिछलग्गू बना दिया गया है, तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि श्री झा को अपने कथन पर ठंडे दिमाग से पुनः विचार कर लेना चाहिए। क्या वे यह कहना चाहते हैं कि यह अनुवाद सही है?

अंग्रेजी के समर्थक उसकी कमजोरी तथा शब्द सम्पदा के अभाव को उसका सामर्थ्य बताते फिरते हैं। दूसरी तरफ अपने दुराग्रह और द्वेष के कारण प्रायः हिंदी की अनर्गल आलोचनाएं करते हैं।

○ अनुरोध है कि वह लेख कम-से-कम दो-तीन बार ध्यानपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने पर यह आरोप पूर्णतः निराधार सिद्ध हो जाएगा। इस लेख में अंग्रेजी के समर्थन में एक शब्द भी नहीं लिखा गया है और न कहीं भी हिंदी की आलोचना की गई है। हिंदी में अनावश्यक रूप से फैलाए जा रहे प्रदूषण का पर्दाफाश करना हिंदी की "अनर्गल आलोचना" नहीं, वरन् उसके घातक प्रभाव से हिन्दी को बचाने का विनम्र प्रयास है। क्या यह प्रदूषण हिंदी की हित में हैं? अशुद्धि को अशुद्धि या विकृति को विकृति कह देने को **अनर्गल आलोचना कहना उचित नहीं है। उल्लेखनीय है कि यह लेख** आलोचना की दृष्टि से नहीं, बल्कि हिंदी के हित की दृष्टि से लिखा गया है। यदि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अशुद्ध प्रयोगों को अशुद्ध कहा, तो वह न तो अनर्गल आलोचना थी और न ही उन्होंने ऐसा किसी दुराग्रह या द्वेष के कारण कहा था। हिंदी के हितैषी होने के कारण ही उन्होंने ऐसा किया था। 'दुराग्रह' और 'द्वेष' जैसे कटु और असंगत शब्दों का प्रयोग सर्वथा अनुचित है। जहां तक मुझे ज्ञात है कोई अन्य हिंदी अधिकारी तीन-तीन दिन की हिंदी कार्यशालाएं बिना अतिथि

वक्ता बुलाए खुद ही नहीं कर लेता है। अतिथि वक्ता बुलाने की निःसंदेह मुझे भी कोई मनाही नहीं है, लेकिन फिर भी कर्त्तव्य निष्ठा, हिंदी के प्रति अटूट लगाव, आत्मविश्वास, प्रशिक्षार्थियों को अधिक-से-अधिक पढ़ा देने तथा उन्हें राजभाषा प्रयोग के लिए अधिक-से-अधिक अभिप्रेरित कर देने के उत्साह के कारण मैं तीन-तीन दिन की कार्यशालाएं बिना कोई अतिथि वक्ता बुलाए निरंतर अकेला ही करता आ रहा हूं। यहां तक कि लगातार दो-दो सप्ताह सुबह से शाम तक मैं अकेला ही कक्षा लेता हूं। इसलिए बिना पर्याप्त जानकारी 'दुराग्रह और द्वेष' जैसे शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। यदि श्री झा भी तीन-तीन दिन की कार्यशालाएं अकेले ही करते हैं, तो कृपया मुझे सूचित करें या यदि वे ऐसे किसी अन्य अधिकारी को जानते हों, तो कृपया उनका पता बतलाएं।

"अनुवाद भावों का किया जाता है।" इस लेख में भी यही बात कही गई है। हस्तलिपि के सातवें पृष्ठ पर दूसरा पैराग्राफ इसी बात से प्रारम्भ हुआ है— "यह सही है कि शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता। वह तो प्रसंगानुसार अर्थ देता है," अर्थात् अनुवाद शब्द का नहीं, बल्कि भाव का किया जाता है।

"अंग्रेजी में यदि एक शब्द के भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हैं तो यह उस भाषा की शब्द सम्पदा के अभाव की मजबूरी के कारण है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम भी ऐसे ही शब्द गढ़ने लग जाएं।"

O निवेदन है कि हर भाषा की अपनी प्रकृति है, अपने प्रयोग हैं, अपनी विशेषताएं हैं, अपनी खामियां हैं। हिंदी में भी ऐसे शब्दों की कमी नहीं है जिनके भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में 'सारंग' शब्द के साठ से अधिक अर्थ हैं। तो क्या यह हिंदी की शब्द सम्पदा के अभाव का द्योतक है? बिल्कुल नहीं। द्रष्टव्य है सूरदास की निम्नलिखित पंक्तियों में सारंग शब्द का भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयोग—

"सारंग सारंगधरहिं मिलावहु।
सारंग विनय करत सारंग सौं, सारंग दुख बिसरावहु।।
सारंग-समय दहति अति, सारंग, सारंग तिनहि दिखावहु।
सारंग-गति सारंगधर, सारंग जाइ मनावहु।।
सारंग चरन सुभग कर सारंग, सारंग नाम बुलावहु।
सूरदास सारंग उपकारिनि, सारंग मरत जियावहु।।"

क्या अभी इसे 'शब्द सम्पदा के अभाव की मजबूरी' मानते हैं?

आगे लिखते हैं, "संदर्भित अनाम अधिकारी के माध्यम से बचाव का जो तर्क दिया गया है वह भोंथरा है।" निःसंदेह यह तर्क लेखक का नहीं है। लेख में उस अधिकारी द्वारा कहे गए शब्द ज्यों के त्यों दिए गए हैं। उनके इस तर्क का विश्लेषण करना इस लेख में अभीष्ट नहीं था। वास्तविकता दर्शाई गई है। हिंदी में या हिंदी के लिए काम करने से कोई लेकिन भुक्तभोगियों के दिल पर हाथ रखकर देखेंगे तो धड़कन मालूम हो जाएगी। अन्य संगठनों को राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के आदेश जारी करने वाले विभाग में ही हिन्दी दिवस के अवसर पर सूचना-पट पर हिंदी का वाक्य लिख देने पर कैसा बवंडर आ सकता है, शायद इसकी जानकारी श्री झा को नहीं है।

"अपेक्षित भाषा को सम्मान दिलाने के लिए थोड़ी-सी उपेक्षा सह लेने में क्या बिगड़ जाएगा।"

O नेक कार्य के लिए उपेक्षा सह लेने में निसंदेह कोई हर्ज नहीं है। प्रत्येक निष्ठावान अधिकारी निश्चित रूप से यही मान कर तो अपना मनोबल कायम रखे हुए है। दस साल में मुझे हिंदी टंकक नहीं मिल सका। लेकिन राजभाषा प्रयोग की प्रगति नहीं रुक जानी चाहिए, किसी स्टाफ सदस्य को यह कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि 'हिंदी' में काम कैसे करें, हिंदी टंकण की सुविधा तो है या नहीं' इस बात को ध्यान में रखकर ही हिन्दी टंकण का काम भी मैं खुद ही करता रहा हूं। यह आत्मश्लाघा नहीं, बल्कि श्री झा की जानकारी के लिए है।

आज के हिंदी अधिकारियों को यह भी याद रखना चाहिए कि उनकी वर्तमान स्थिति ऐसे अनेक अनाम स्वयं सेवकों और महान त्यागियों की देन है जिन्होंने हिंदी के लिए आलोचनाएं, उपेक्षा एवं व्यंग्य सहे थे।"

O निःसंदेह प्रत्येक निष्ठावन अधिकारी उन महान हस्तियों का आभारी है। इतना अवश्य है कि वे महान हस्तियां भी हिन्दी में प्रदूषण के पक्ष में नहीं थीं।

पुनः अनुरोध है कि पाठकगण यह लेख बार-बारे पढ़ें। विश्वास है कि ऐसा करने से उन्हें निश्चित रूप से चिंतन की एक नई दिशा मिलेगी।

— डा॰ आर. के.मान, राजभाषा अधिकारी, इंडियन बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, 189-192, चण्डीगढ़-7. ☐

राजभाषा भारती अप्रैल-जून 1992 का प्राप्त 57 का अंक आद्योपांत पढ़ा। चिंतन में प्रकाशन में पुराने यादें और नए परिप्रेक्ष्य में प्रकाशित लेख उच्च स्तरीय है। प्रचार माध्यम और हमारी राष्ट्रभाषा ही है। हिंदी और मलयालम रिश्ते नाते संबंधी शब्दावली बहुत प्रशंसनीय लेख है। समिति समाचार, हिंदी के बढ़ते चरण एवं आदेश अनुदेश सूचनात्मक लेख अत्यंत सुंदर हैं। हर एक राजभाषा अधिकारी को ही नहीं हिंदी प्रचार क्षेत्र में काम करने वाले सभी को यह पत्रिका पढ़नी चाहिए।

*श्री बी॰ एस॰ शांताबाई, सचिव, कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति, 178, 4 मैन रोड, चामराजपेट, बेंगलोर-18. ☐

"राजभाषा भारती" का 57वां अंक वैसे तो अपने आप में ही महत्वपूर्ण, उपयोगी एवं साहित्यिक खंडता समाहित किए हुए हैं, परन्तु पत्रिका में प्रकाशित लेख जैसे चिन्तन, अंग्रेजी शिक्षा का अभिशाप और उससे मुक्ति आदि बहुत ही उच्चस्तरीय एवं ज्ञानवर्धक है। पत्रिका ने समाचार दर्शन के माध्यम से भाषाओं पर आधारित जो हास्य व्यंग्य प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही रोचक एवं मोनरंजक है। पत्रिका के अन्त में आदेशों-अनुदेशों का जो संकलन/समेकन प्रस्तुत किया है, वह राजभाषा संबंधी नियमों की अद्यतन जानकारी प्रदान करने में सशक्त है तथा अपने उद्देश्य में सर्वथा सफल रही है।

आशा है यह पत्रिका भविष्य में भी पाठकों का इसी प्रकार से ज्ञानवर्द्धन एवं मनोरंजन करती रहेगी।

— जगमोहन उत्पल, कर्नल, कमांडर, ग्रेफ सैन्टर, दिघी केम्प, पुणे-411015. ☐

राजभाषा भारती के अंक 57 में मुझ उड़िया बनवासी को स्नेहा गया है। प्रकाशित प्रति मुझे मिली है। राजभाषा भारती वस्तुतः एक शासकीय प्रयासों का दर्पण है जिसमें द्रोह के स्थान पर मोह दिलों में जात हो एवं समग्र भारत में भावनात्मक एकता का अभ्युदय हो इसके विभिन्न बिम्बों के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इसकी गोद में समूचे हिन्दुस्तान के लिए स्नेहसिक्त स्थान है। यह दिलबंदी का पोषक है दलबंदी का नहीं। हिंदी दिलों को जोड़ती है तोड़ती नहीं। आये दिन हिंदी पर जो थोपने का आरोप कुछ लोग लगा देते हैं उनके लिए राष्ट्र भाषा भारती एक विनम्रता पूर्ण साक्ष्य है। अभी अभी मैं उदगमंडलम (तमिलनाडु) एवं गुवाहाटी (असम) में हिंदीत्तर नव हिंदी लेखक शिविरों में गया था एवं मैंने वहां हिंदी के प्रति आग्रह देखा है।

राजभाषा भारती वस्तुतः इन प्रयासों की धड़कती आत्मा है जो हमें भावात्मक एकता के लिए सुदृढ़ एवं सुसंस्कृत पथदर्शन एवं वैचारिक सम्बल प्रदान करती है।

— प्रद्युम्नदास वैष्णव, राष्ट्रभाषा कुटीर, पझनरांपाली, जिला रायपुर (मध्य प्रदेश) वनाचंल। □

अक्तूबर-दिसम्बर, 1992 की पत्रिका "राजभाषा भारती" निश्चित रूप से राजभाषा के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन में आपके बहुमुखी प्रयासों का प्रतिफल है।

रा०भा० पत्रिका में "संघ की राजभाषा नीति और प्रशासन" एवं हिंदी को सिर्फ भाषा मत समझो" दोनों लेख चिंतन के साथ-साथ हमारी राजभाषा के लिए चिंतातुर भी हैं। "विश्व हिंदी दर्शन" द्वारा राजभाषा की छाया को जिस प्रकार सरकार रूप देने का प्रयत्न किया है व निश्चित रूप से हिंदी क्षेत्र से जुड़े समस्त साथियों के लिए प्रेरणादायक तो है किन्तु उत्साहबर्धक भी है।

विभिन्न संस्थानों में आयोजित गतिविधियों तथा हिंदी की प्रगति से भी अवगत हुए। हमें विश्वास है कि आपका आगामी अंक भी यथासमय प्राप्त हो सकेगा।

— श्रीमती कान्ता ए० शर्मा, हिंदी अधिकारी, पेट्रोफिल्स को आपरेटिव लि०, बड़ोदरा □

राजभाषा भारती के अंक 58 के लिए धन्यवाद। राजभाषा भारती के माध्यम से हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार में काफी मदद मिलेगी। इस पत्रिका के सभी लेख जैसे चिंतन, साहित्यिकी, समिति समाचार, राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां तथा अन्य सम्पादकीय समाचार बहुत पसंद आये। "जहांगीर के शासन में हिंदी" यह लेख मुझे बहुत पसंद आया। आशा है ऐसे ही ज्ञानवर्धक तथा उत्साहवर्धक अन्य लेखों को इस पत्रिका में स्थान मिलता रहेगा। राजभाषा भारती द्वारा राजभाषा के प्रति सम्मान बढ़ाने की दिशा में सम्पादक मंडल का यह कदम सफल और सराहनीय है।

— हिना कंसारा सेल, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, पालडी अहमदाबाद □

राजभाषा भारती का अक्तूबर-दिसम्बर, 1992 का अंक साभार प्राप्त हुआ। पत्रिका के लेख काफी विचारोत्तेजक है। खासकर श्री विजय कुमार यादव द्वारा विरचित लेख से अहिंदी भाषियों को हौंसले और बुलंदी पर होंगे। अन्य स्थायी स्तंभ सूचनाप्रद हैं। अतः हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह हमारे उपयोगार्थ राजभाषा भारती की प्रतियां नियमित रूप से जिवाते रहेंगे।

—ओ० सत्यनारायण राव, राजभाषा अधिकारी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, विशाखापटनम। □

राजभाषा भारती पत्रिका मिली। एतदर्थ आभार ज्ञापित करती हूं। इसकी विषयसामग्री प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्द्धक है। हिंदी की प्रगति के लिए केन्द्रीय कार्यालयों तथा उपक्रमों में किए जा रहे आपके प्रयास सराहनीय हैं।

— डा० शान्ति मलिक, प्रिंसिपल, 1184, सैक्टर-1, हुडा काम्पलैक्स, रोहतक। □

मुझे पूरा विश्वास है कि समय-समय पर हिंदी के प्रचार-प्रसार के कार्यों में आपका, आपके संपादक श्री राजकुमार सैनी तथा आपके विभाग का सहयोग हमें पूर्ववत मिलता रहेगा।

— डा० गंगा प्रसाद विमल, निदेशक, केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली। □

अंक 58 में राजभाषा चिंतन के अन्तर्गत विविध दृष्टिकोण लिए कई उपयोगी लेख अच्छे लगे। विशेष रूप से डा० आर० के० मान कृत लेख राजभाषा प्रयोग के नाम पर हिंदी अधिकारियों की कार्यशैली और सीमित ज्ञान को उजागर करता है। यह लेख पढ़ने के बाद राजभाषा कार्यान्वयन की चुनौती और संभावनाओं की ओर एक नई दिशा अपनाने की प्रेरणा भी देता है।

यदि संभव हो तो इस पत्रिका को कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित करवाएं ताकि यह हमें नियमित प्राप्त होती रहे और इसकी रूपरेखा भी और सुंदर बन सकें।

— डा० डी० आर० धारीवाल, प्रबंधक (राजभाषा) यूनियन बैंक आॅफ इंडिया, उत्तरांचल कार्यालय, नई दिल्ली। □

"राजभाषा भारती" पत्रिका के संयुक्तांक 60-61 में आपका प्रथम संपादकीय पढ़ा। बहुत थोड़े से शब्दों में अत्यंत महत्वपूर्ण बातें कह गए हैं, आप। हमें "राजभाषा भारती" पत्रिका की प्रतीक्षा रहती है। इसमें ज्ञानवर्धक और रोचक सामग्री के साथ-साथ राजभाषा हिंदी की प्रगति की अद्यतन जानकारी प्राप्त होती है। पत्रिका में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि के राजभाषा-समाचारों को स्थान दिया जाना भी सराहनीय है।

—भूपिन्दर सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा), आयकर विभाग, जालन्धर। □

राजभाषा भारती में प्रकाशित सामग्री को उपक्रम के अधिकारी बड़े ही उत्साह एवं रूचि से पढ़ते हैं तथा राजभाषा संबंधी जानकारियों एवं उपलब्धियों का भरपूर लाभ उठाते हैं।

— राजभाषा अधिकारी, दि एल्गिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर □

राजभाषा भारती के अंक 57 (अप्रैल-जून 1992) को पढ़ा। प्रशंसनीय कार्य है। चिंतन में जो लेख है वे वास्तव में विचारणीय हैं। साहित्यिकी के द्वारा आपने हिंदी-साहित्य की अनमोल निधि को उजागर किया है। पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि राजभाषा भारती के द्वारा हमें देश के कई प्रान्तों के दर्शन हो जाते हैं।

— रा०ना० निखार, सहायक निदेशक, (रा०भा०) कार्यालय आयकर आयुक्त, विदर्भ, नागपुर

राजभाषा भारती (जुलाई-सितम्बर, 1991) का 54वां अंक देखने को मिला। वास्तव में संघ की राजभाषा नीति के अनुपालनार्थ केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों/बैंकों/उपक्रमों आदि में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयण से संबंधित किए जा रहे प्रयासों तथा गतिविधियों की सामूहिक अद्यतन जानकारी देने वाली "राजभाषा भारती" राजभाषा के विकास के लिए मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। यदि इसकी एक-एक प्रति प्रत्येक कार्यालय के विभागाध्यक्ष को भी प्रेषित की जाए तो कार्यालयों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बल मिल सकेगा ।

— देवेन्द्र कुमार मिश्र, सहायक हिंदी अधिकारी, पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड।

राजभाषा भारती एवं राजभाषा पुष्पमाला पत्रिकाएं मात्र पत्रिकाएं ही नहीं दस्तावेज़ हैं। राजभाषा संबंधी गतिविधियों से अपने आपको अद्यतन रखने के लिए यह आवश्यक पत्रिकाएं हैं।

— एम०के० पाठक, सहायक विकास अधिकारी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 54, वेले स्ली रोड, शिवाजी नगर, पुणे।

यह महसूस हुआ है कि आप के संपादन में प्रकाशित की जाने वाली "राजभाषा भारती" पत्रिका के माध्यम से राजभाषा के कार्यान्वयन में आ बढ़ने के लिए मदद मिल सकती है।

— उप मंडल प्रबंधक, सिंडिकेट बैंक, बीजापुर, (कर्नाटक)

उक्त पत्रिका राजभाषा के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह पत्रिका इसी तरह प्रकाशित होती रहे, यह मेरी हार्दिक कामना है।

— दिब्यन्दु विद्यान्त, अधिशासी (राजभाषा), द मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड।

पत्रिका में समाविष्ट समस्त सामग्री रोचक एवं ज्ञानवर्धक है। पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना सहित।

— वरिष्ठ लेखा अधिकारी, (हिन्दी) भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला।

राजभाषा भारती का अप्रैल-जून, 1992 अंक मिला। 'मणिपुर में हिन्दीः ऐतिहासिक संदर्भ', निबंध उपयोगी रहा। "कार सेवा" या "कर सेवा" एक विचारोत्तेजक निबंध है। लेखक ने जिन मुद्दों पर हमारा ध्यान खींचा है वे अभी ज्वलंत मुद्दों में शामिल है। पत्रिका के उपयोगी प्रकाशन के लिए हमारी शुभकामनाएं।

— अजयेन्द्रनाथ त्रिवेदी, राजभाषा अधिकारी, यूको बैंक, पी/34, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-700001.

राजभाषा भारती का अंक 59 तथा संयुक्तांक 60-61 प्राप्त हुए। मार्गदर्शन होता रहता है जिससे कि हम और अधिक कुशाग्र एवं दक्षता प्राप्त कर अपने कार्य में अग्रसर होते रहते हैं। अंक 59 में प्रो० जी. सुन्दर रड्डी का भारतीय कथासाहित्य (तेलुगू-हिन्दी): ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ नामक लेख विशेष ज्ञानवर्धक रहा। इसके साथ ही संयुक्तांक 60-61 में डा० यज्ञव्रत का अनुवाद के क्षेत्र और तकनीकी आधार पर तथा चीन में फैलती हिन्दी की चादर के लेखक जी, चाओ छयेन के लेखों से यह सिद्ध हो चला है कि केवल हिन्दीत्तर भाषी क्षेत्रों में ही नहीं अपितु विदेशों में भी हिन्दी भाषा ने अपनी धाक जमा दी है। ये दोनों ही लेख हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद रहे। विविधा स्तंभ के अंतर्गत भर्ती परीक्षाएं और हिन्दी माध्यम, प्रेरणा पुंज, समाचार दर्शन तथा नवीन आदेश-अनुदेश बहुत ही रोचकप्रद रहे। यह त्रैमासिक पत्रिका दक्षिण भारत के केन्द्रीय कार्यालयों में बहुत ही प्रचलित हो चली है क्योंकि इसमें गागर में सागर के रूप में देश-विदेश में हिन्दी की प्रगति की जानकारी कम से कम समय में आसानी से उपलब्ध हो जाती है।

— संतराम यादव, हिन्दी सहायक व सदस्य सचिव, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, संतोषनगर, सईदाबाद डाकघर, हैदराबाद-500659।

राजभाषा भारती अंक 58 में राजभाषा की प्रगति संबंधी विविध जानकारी दी गई है जो विशेष उपयोगी है। हिंदी का काम करने वालों के लिए ये संदर्भ ग्रंथ की भूमिका निभाती है। सुसम्पादन के लिए बधाई।

— रामेश्वर दयाल दुबे, निराला नगर, लखनऊ-20.

□

मन से हिंदी के लिए

कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष डा० पट्टाभि सीतारामैया अपने सभी पत्रों पर पता हिंदी में ही लिखते थे। इस कारण दक्षिण भारत के डाक-विभाग वालों को असुविधा होती थी। विभाग वालों ने उन्हें लिख भेजा कि आप अंगरेजी में ही पता लिख भेजें, ताकि डाक बांटने में असुविधा का सामना न करना पड़े।

डा० सीतारामैया ने उनसे कहा, "भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, अतः मैं अपने पत्र-व्यवहार में उसी का प्रयोग करूंगा।"

पोस्ट आफिस वालों ने उन्हें धमकी दी, "यदि आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, तो हम आपकी सारी चिट्ठियां 'डेड लेटर आफिस' को भेज देंगे।"

डा० सीतारामैया पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। शीत युद्ध की अवस्था रही। फिर विवश होकर डाक-तार विभाग वालों को मछलीपट्टणम के डाकघर में एक हिंदी जाननेवाले आदमी को रखना ही पड़ा। इस तरह हिंदी को स्थान दिलाने में उसके प्रति आस्थावान लोग हैं, जो राष्ट्र का सर्वतोमुखी विकास देखना चाहते हैं।

— * * * —

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बम्बई

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, के क्षेत्रीय प्रतिनिधि

उप निदेशक श्री मेहता ने इलाहाबाद बैंक के प्रतिनिधि को परामर्श दिया कि वे अपने क्षेत्रीय प्रबंधक को सूचित कर दें कि इन बैठकों में उनकी उपस्थिति आवश्यक है और भविष्य में इन बैठकों में वे ही भाग लिया करें।

हिन्दी में मूल पत्राचार

82.5% की उपलब्धि के साथ यूनियन बैंक इस मद में सबसे आगे रहा। इसके अलावा सैन्ट्रल ब गक 76% एवं पंजाब नेशनल बैंक (77.4%) लक्ष्य प्राप्त करने वाले बैंक थे। बैंक आफ बड़ौदा (73%) सिंडीकेट बैंक (69%), स्टेट बैंक (69%) एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (71.4%) भी लक्ष्य के काफी करीब थे। यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया (23.8%), विजया बैंक (42%), इंडियन बैंक (1.1%), इलाहाबाद बैंक 48%, एवं यूको बैंक (25%) से अपेक्षा की गई कि वे अपने अपने प्रयासों में तेजी जाएं। अध्यक्ष महोदय एवं मुख्य अतिथि श्री मेहता ने लक्ष्य प्राप्त करने वाले बैंकों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी।

हिन्दी पत्राचार

इंडियन बैंक को छोड़कर शेष सभी पब बैंकों ने हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए। श्री मेहता ने इंडियन बैंक के प्रतिनिधि का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए उन्हें इसका शत प्रतिशत अनुपालन करने का निदेश दिया।

हिन्दी में तार व टेलैक्स

पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास ब गक एवं बैंक आफ महाराष्ट्र ने निर्धारित लक्ष्य कोप्राप्त कर लिया। इन बैंकों की उपलब्धि की सराहना की गई। शेष बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु गंभीरता से प्रयास करें।

राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत स्थिति

देना बैंक, सैन्ट्रल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक आफ बड़ौदा एवं बैंक आफ इंडिया ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, जबकि यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया, विजया बैंक, यूको बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, कारपोरेशन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक व इलाहाबाद बैंक की प्रगति असंतोषजनक रही।

कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षण देना

केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं यूनियन बैंक के सभी कर्मचारियों को कार्यशाला में प्रशिक्षित कराया जा चुका है जबकि विजया बैंक एवं भारतीय औद्सयोगिक विकास बैंक के कुछेक कर्मचारी ही प्रशिक्षण हेतु शेष थे। इन बैंकों की प्रगति की सराहना करते हुए शेष बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन कर शेष कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर दें।

टाइपिस्टों/आशुलिपिकों को क्रमशः हिन्दी टाइपिंग व आशुलिपि का प्रशिक्षण

कारपोरेशन बैंक, यूनियन बैंक एवं विजया बैंक की उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना करते हुए शेष बैंकों को निदेश दिए गए कि वे प्रशिक्षण की गति में तेजी लाएं।

हिन्दी टाइपराइटर

पंजाब नेशनल बैंक एवं यूनियन बैंक यद्यपि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके तथापि उनकी प्रगति संतोषजनक रही।

कंप्यूटर

बैंक आफ बड़ौदा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बैंक आफ इंडिया एवं स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के सभी कंप्यूटर द्विभाषी क्षमता वाले हैं। शेष बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे उपलब्ध तकनीक के द्वारा कंप्यूटर को द्विभाषिक क्षमता वाला बनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

अन्य उल्लेखनीय कार्य

देना बैंक, बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठकों का आयोजन, सभी रजिस्टर हिन्दी में, सभी गोष्ठियों/बैठकों का संचालन हिन्दी में, मासिक पत्रिका "उत्तरा" का प्रकाशन, संसदीय राजभाषा समिति के अहमदाबाद दौरे के दौरान सह संचालक की भूमिका हिन्दी सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन।

पंजाब नेशनल बैंक : टेलैक्स संदेश हिन्दी में भेजने के प्रयास हो रहे हैं। 87% तार हिन्दी में भेजे गए।

भाषा राष्ट्र की आत्मा होती है। भाषा जनता के आन्तरिक व्यक्तित्व के विकास का यंत्र है। जिस देश के पास अपनी भाषा नहीं है, उसका अपना व्यक्तित्व भी नहीं हो सकता।

— रामधारी सिंह दिनकर

छपते-छपते

केन्द्रीय साहित्य अकादमी से "अर्द्धनारीश्वर" के लिए सन् 1993 का पुरस्कार पाने पर आपने स्नेह और साहचर्य की जो भावना प्रकट की है, वही तो मेरी शक्ति है। उसके लिए जिन शब्दों में आभार प्रकट कर सकूं, वे अभी तक अविष्कृत नहीं हुए हैं। उन्हें आप अनुभव ही कर सकते हैं। यही अनुभव मौन के माध्यम से सहस्र जिव्हाओं से बोलता है और मन ही उसे अनुभव कर सकता है।

अनुभव से अनुभूति तक की यह यात्रा ही प्यार है और यही साहित्य का मूल है।

आपका यही प्यार और साहित्य का आधार मुझे सदा की तरह मिलता रहे और जीवन के अन्तिम क्षण तक अन्तर का दीप प्रज्ज्वलित रहे यही मेरी कामना है।

— विष्णु प्रभाकर

818, कुण्डेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली-110006

नोएडा : अखिल भारतीय साहित्य परिषद् द्वारा प्रकाशित 'साहित्य संचेतना' पुस्तक का लोकार्पण करते हुए श्री चंद्रधर त्रिपाठी, सचिव, राजभाषा विभाग।

कार्मिक विभाग में अपर सचिव श्रीमती किरण अग्रवाल (दाएं) से पुरस्कार ग्रहण करती हुई श्रीमती आदर्श खन्ना।

पं० सं० 3246/77
आई एस एस एन 0970—9398

प्रपत्र-4 (देखिए नियम-8)

प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम

समाचारपत्रों का पंजीकरण (केंद्रीय) नियम

"राजभाषा भारती" के स्वामित्व तथा विवरणों की सूचना

1.	प्रकाशन स्थानः	लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003.
2.	प्रकाशन अवधिः	त्रैमासिक
3.	मुद्रक का नाम व पता	प्रबंधक, भारत सरकार फोटोलिथो मुद्रणालय, फरीदाबाद।
4.	क्या भारत का नागरिक है?	भारतीय नागरिक
5.	प्रकाश का नाम व पता	डा० गुरुदयाल बजाज, उप संपादक, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003. टेलीफोन :-4698054.
6.	क्या भारत का नागरिक है?	भारतीय नागरिक
7.	सम्पादक का नाम व पता	राजकुमार सैनी, निदेशक (अनुसंधान) राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003. टेलीफोन : 4617807.
8.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक से सांझेदार या हिस्सेदार हों।	भारत सरकार

मैं गुरूदयाल बजाज एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवम् विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

ह०/—
प्रकाशक के हस्ताक्षर

राजभाषा विभाग, भारत सरकार, (गृह मंत्रालय) लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 के लिए उप संपादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार फोटोलिथो मुद्रणालय फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।